खण्ड-290, अंक-7
मंगलवार, 12 श्रावण, शक संवत् 1893
(3 अगस्त, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 290 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७४९—७५३
प्रश्नोत्तर	७५३—७८४
१९७१—७२ की नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया व्यवस्था का प्रश्न जारी)	७८४—७८५ ७८५
श्री अनन्तराम जायसवाल के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी	७८६
दिल्ली में श्री उमाकान्त बाजपेयी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	७८६—७८७
व्यवस्था का प्रश्न	७८७—७८८
समाचार-पत्रों द्वारा सदस्यों के भाषणों को महत्व न देने के सम्बन्ध में शिकायत ..	७८८
नियम ५२ की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी	७८९
जे० टी० सी० में सरकार द्वारा नामांकन करने के बारे में सरकारी नीति के संबंध में जानकारी	७८९
श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का शीघ्र विचारार्थ लेने की मांग ..	७९०—७९२
प्रश्नों के सबन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	७९३
प्रदेश में पाठ्य-पुस्तकों की भीषण कमी से विद्यार्थियों को असुविधा के सम्बन्ध में बक्तव्य	७९३—७९५
माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के लिए बैध पाए गए नाम निर्देशन पत्रों तथा उसके चुनाव के सबंध में सूचना	७९५
१९७१—७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगो पर मतदान—अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत) ..	७९५—८४३
नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनाएं	८४३—८४७
प्रदेश में ५० हजार से अधिक विद्यार्थियों के शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश न पा सकने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	८४७—८५१
छितौनी तथा बलिया बैरिया बांध टूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	८५२—८६९
नत्थियां	८७०—८८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक ३ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य---३६७

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री

कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

गुप्तार सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण द्विवेदी, श्री
तेजपाल सिंह "कृष्ण", श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार सिंह यादव, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम मुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द,श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री

बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री

मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री

रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
राम लखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैष्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
सईद मुतजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तूराम, श्री

सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री

हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३ अगस्त, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

[२ अगस्त, १९७१ का स्थगित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २]

छोटूराम इण्टर कालेज का बन्द होना

**१--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि छोटूराम इन्टर कालेज, मुजफ्फरनगर आपसी झगड़ों के कारण बन्द पड़ा है तथा वहां दाखिले नहीं हो रहे हैं ? क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रशासक ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को हटाकर दूसरे अध्यापक को प्रधानाचार्य बना दिया ? यदि हां तो क्यों ? क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि प्रशासक ने नये प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिये चार प्रमुख समाचार-पत्रों में, प्रार्थना-पत्र मांगने का विज्ञापन कराया ? चौदह प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुये, चुनाव समिति भी प्रशासक द्वारा नियुक्त कर दी गई है और सभी सदस्यों को नियुक्ति पत्र भी भेज दिये गये, किन्तु दो दिन बाद अपने उक्त सभी आदेश रद्द कर दिये और दोबारा प्रार्थना-पत्र मांगने की नई व्यवस्था कर रहे हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर राम जी लाल सहायक)--

जी नहीं, यह कालेज खुला है तथा दाखिले हो रहे हैं ।

पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति अस्थाई रूप से ३० जून, १९७१ तक होने तथा उनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतें होने के कारण प्रशासक ने उन्हें हटा कर दूसरे अध्यापक को

दिनांक १ जुलाई, १९७१ से अस्थाई रूप से कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना दिया है। प्रशासक ने नये प्रधानाचार्य को स्थाई रूप में नियुक्ति के लिये चार प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रार्थना पत्र मांगने का विज्ञापन कराया तथा १७ प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुये और चुनाव समिति नियुक्त की गई किन्तु विज्ञापनों की व्यापक रूप से जानकारी स्वयं विद्यालय के शिक्षकों को न होने की शिकायत मिलने के कारण और चयन समिति के सदस्यों के नाम पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा प्रकट कर दिये जाने के कारण चयन समिति निरस्त करनी पड़ी। फलस्वरूप विद्यालय के हित में योग्यतम प्रधानाचार्य के चयन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(शिक्षा मंत्री को उत्तर के लिये पुकारे जाने के उपरान्त)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप कृपया यह निश्चित कर दें कि एक प्रश्न पर कितने अनुपूरक प्रश्न हो सकते हैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय—

खुली छूट देने के लिये ही आप यह व्यवस्था देने में असमर्थ हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन को जानकारी में है कि वर्तमान प्रशासक ने जिस व्यक्ति को १ जुलाई से प्रधानाचार्य नियुक्त किया है वह वही हैं जिन को जब वह प्रशासक बने थे तो उन्हें हटाकर उन्होंने अध्यापकों के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह को वहां का प्रधानाचार्य बनाया था? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसकी जानकारी हमें नहीं है, सूचना की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मन्त्री जी को यह मालूम है कि आजकल जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने उनसे मिलकर यह सारी कार्यवाही इसलिये की है कि रिट की कार्यवाही असफल हो जाय?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, उत्तर में लिखा है कि चूंकि वहां के अध्यापकों ने दोबारा प्रार्थनापत्र देने की इच्छा प्रकट की है और अखबारों में छपा कि उन को विज्ञापन की जानकारी नहीं हुई इसलिये दोबारा फिर अखबारों में विज्ञापन देकर समय बढ़ाया गया है . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो तर्क कर रहे हैं। आप प्रश्न करें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो नये ढंग से नियुक्ति की बात की जा रही है वह कैसे होगी और प्रोमोशन से जो एप्वाइंटमेन्ट होगा वह विधान के अनुकूल है या नहीं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह जो चयन समिति को भंग किया गया था उसके कई कारण हैं। उनको सारी बात की जानकारी हो गई थी और पूर्व प्रधानाचार्य के विषय में भी हो गई थी जिस से उन्होंने समझा कि कमेटी ठीक काम नहीं कर रही है इसलिये यह करना पड़ा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जिस के प्रबन्ध समिति प्रधानाचार्य बनाना चाहती है उसका प्रार्थना-पत्र यदि नहीं आ पाता तो मनमाने ढंग से उस चुनाव को ही रद्द कर दिया जाता है, तो क्या इस विशेष विद्यालय में भी ऐसा ही हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह काल्पनिक प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो पुराने प्रधानाचार्य को हटाया गया और यह लिखा है कि उनके खिलाफ शिकायत थी तो क्या कृपया बतायेंगे कि क्या प्रशासक ने लिखित चार्जेज दे दिये जिस पर जवाब तलब किया गया है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

बोर्ड की परीक्षा के समय धन प्राप्त करने की शिकायत है और ग्रीष्मकाल में कार्यालय बन्द करने, दफ्तर अपने निवास स्थान में लगाने, अभिलेख, रिकार्ड बही, पास बुकें, सेवा पुस्तिकायें हरफूल सिंह के पेंशन के कागजात उठाकर अपने पास रक्खा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने यह कहा था कि क्या प्रशासक की तरफ से चार्जशीट उनको दे दी गई है और जवाब मांगा गया है।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

वे स्कूल में आ नहीं रहे हैं। इसकी जानकारी नहीं है कि उनको चार्जशीट दी है। इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रशासक की नियुक्ति के वक्त कौन प्रधानाचार्य थे और क्या यह बात सही है कि उन को प्रशासक ने हटा दिया था।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री इस बात को देखते हुए कि प्रदेश भर में विद्यालयों के मैनेजमेन्ट में इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहाययक—

यह नीति का प्रश्न है। इसका उत्तर इस वक्त नहीं दिया जा सकता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चयन समिति को प्रशासक ने इस कारण रद्द कर दिया कि उनके नाम बता दिये गये थे। १७ प्रधानाचार्यों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो चुके थे और चार प्रमुख पत्रों में भी उनका प्रकाशन हो चुका था तो किन कारणों से दोबारा कराने की कोशिश की गई? जिस आदमी ने हाई कोर्ट में रिट कर रक्खी है उनसे मिलकर सारी कार्यवाहियां हो रही हैं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर रक्खी है इसकी तो कोई सूचना नहीं है लेकिन यह जरूर है कि चयन समिति से उन्हें निरस्त किया गया और उसकी वजह यह भी है कि उनका नाम पूर्व प्रधानाचार्य को मालूम हो गया था और लोग एप्रोच कर रहे थे पर उनको यह आज्ञा थी कि डाक उनके पास आवे। उन्होंने ही खोली २८ तारीख तक और इन कई वजहों से इसको करना पड़ा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं जानकारी के लिये बता रहा हूं कि १४ तारीख को समिति ने सूचना भेजी। १५ को खत्म कर दिया और इसी बीच में अप्रोच कर रहे थे।

[३ अगस्त, १९७१ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के टी० बी० अस्पताल एवं प्रति मरीज खूराक व्यय

**१—श्री सुखपाल पांडेय व श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टी० बी० अस्पताल हैं? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५० में मरीजों की खुराक पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया जाता था और महंगाई को ध्यान में रखकर मरीजों के भोजन पर १९५० के बाद कितनी वृद्धि की गई?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

उत्तर प्रदेश में इस समय २१ यक्षमा अस्पताल हैं। १९५० में प्रति रोगी पर प्रति दिन रु० २.५० का व्यय स्वीकृत था। विशेषज्ञों की सलाह पर शिड्यूल हाफ डाइट में परिवर्तन के फलस्वरूप १९५४ में २ रु० प्रति रोगी प्रति दिन तथा १९५५ में रु० १·५० प्रति रोगी प्रति दिन निर्धारित किया गया। महंगाई को ध्यान में रखकर निर्धारित शिड्यूल आफ डाइट को अनुदान देकर पूरा किया गया।

(श्री चेतराम गंगवार के स्वयमेव खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५० में रू० २.५० प्रति व्यक्ति, सन् ५५ में २ रुपये प्रति व्यक्ति तथा उसके बाद १.५० रुपये प्रति रोगी व्यक्ति पर खुराक का व्यय किया जा रहा है। तो क्या यह महंगाई इधर बढ़ी है या घटी है?

(श्री चेतराम गंगवार द्वारा बार-बार पुनः व्यवस्था के प्रश्न पर अनुमति मांगे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठें। मैं इजाजत नहीं देता।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मेरा आक्षेप है आपके प्रति....

श्री उपाध्यक्ष--

आप नहीं बैठते तो आज आप बाहर निकल जायं। मैं आपको बाहर करता हूं।

श्री चेतराम गंगवार--

मेरा आक्षेप है...

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे आपको इंगित करना पड़ेगा....

श्री चेतराम गंगवार--

मैं २० दफा आपके कमरे में गया। आप प्रश्न स्वीकार नहीं करते। आप नियमित ढंग से सदन को नहीं चलाना चाहते (व्यवधान)।

(सदन में बहुत शोर होने लगा और श्री चेतराम गंगवार अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, इतना शोर था कि किसी ने सुना नहीं, इसलिए दुबारा पढ़वा दीजिए।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

सुखपाल जी अपना प्रश्न जरा दुहरा दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, उत्तर भी दुबारा सुनवा दें।

श्री सुखपाल पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५० में प्रति रोगी रु० २.५०, ५५ से २ रु० और उसके बाद रु० १.५०, तो क्या सन् १९५० से महंगाई बढ़ी है या घटी है जो यह रेट कम कर दिया गया है?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

यह भोजन की व्यवस्था मूल्य के आधार पर तय नहीं होती है। विशेषज्ञ लोग इस बात की सिफारिश करते हैं कि इस समय रोगी का इस तरह शेड्यूल आफ डाइट होना चाहिए। पिछले दिनों में यह समझा जाता था कि अधिक अच्छा भोजन देने से यक्ष्मा के रोगी को लाभ हो सकता है क्योंकि तब नई दवा एन्टीबायोटिक्स वगैरह नहीं थीं, लेकिन जब यह दवा हो गई तो एक्सपर्ट्स का मत हुआ कि उतनी रिच डाइट देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मरीज जब अपने घर चला जाता है तो उसको उस तरह की डाइट नहीं मिलती है। लिहाजा जो सन्तुलित भोजन आवश्यक है वह मुकर्रर किया गया था और उसका मूल्य दो रुपया रखा गया था।

श्री रामकरन सिंह--

माननीय मन्त्री ने बताया कि सन् ५५ से रु० १.५० हुआ और उसके बाद आखीर में यह भी कहा है कि अनुदान से पूरा होता है। तो अनुदान से किस चीज की रकम पूरी करते हैं, जो भोजन दिया जाता है मरीज को उसकी कीमत तो रु० १.५० है। इसको जरा स्पष्ट कर दें?

स्वास्थ्य मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

जो डाइट शेड्यूल है वह तो रु० १.५० के हिसाब से निर्धारित है लेकिन अलग-अलग अस्पतालों में जो टी० बी० के लिये अनुदान है उस अनुदान में वृद्धि कर दी जाती है जिस तरह मरीज रखे जाते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। यह तालिका भी हमारे पास है। इसमें से दो-एक आंकड़े में बता दूं। झुवाली सेनेटोरियम में ६८-६९ में १३ हजार एडीशनल ग्रान्ट दी गई। सन् ७०-७१ में २५ हजार की एडीशनल ग्रान्ट दी गई। तो जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। यह नहीं है कि रु० १.५० के हिसाब से जितना निर्धारित है उसके बाद दिया ही न जाय। आवश्यकता के अनुसार देते हैं और यदि कीमत बढ़ जाती है तो सरकार उस पर भी विचार करती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

श्रीमन्, १९५० में रु० २.५० थी, बाद में घट गई। तो क्या मन्त्री जी के पास यह जानकारी है कि अब प्रति व्यक्ति क्या दर है? घटी है या बढ़ी है?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

सन् ५५ से अब तक रु० १.५० चल रही है। लेकिन अभी केन्द्रीय सरकार ने इस बात की सिफारिश की है कि इसको बढ़ाया जाय। तो हमारी सरकार भी उस पर विचार कर रही है और शीघ्र ही उस पर निर्णय लिया जायगा।

श्री राम चरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)---

स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बताया कि पहले टी० बी० के मरीजों की डाइट ढाई रुपये में होती थी और अब एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार वह डेढ़ रुपये कर दी गई है। क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि टी० बी० के मरीजों को हास्पिटल में ढाई रुपये की ही डाइट दी जाय तो उनको क्या नुकसान पहुंच सकता है?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

पहले यह कहा जाता था कि टी० बी० के मरीजों को अच्छी से अच्छी डाइट दी जाये। अब बहुत सी नई-नई दवाइयां चल गई हैं और एक्सपर्ट्स ने टी० बी० के मरीजों की डाइट का एक शेड्यूल बना दिया है। मरीजों की डाइट से कई चीजें निकाल दी गई हैं जैसे दही, टमाटर। जिस-जिस चीज की जरूरत होती है उसको मरीज की डाइट से निकाल दिया जाता है। खाने की चीजों के मूल्य बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक्सपर्ट्स की संस्तुति के आधार पर हम भी विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही निर्णय हो जायगा।

श्री रामगोपाल संड---

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने दो प्रकार के वक्तव्य दिये। उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट्स ने तो सन् १९५५ के बाद से कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। इलाहाबाद के टी० बी० अस्पताल में और झुवाली के टी० बी० सेनेटोरियम में भी मरीज भूखों मर रहे हैं। झुवाली सेनेटोरियम से तो चोरी हो जाती है और डाक्टर और कम्पाउन्डर खा जाते हैं। क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में एक जांच समिति नियुक्त करने की कृपा करेंगे जो यह भी देखें कि भारत सरकार की संस्तुति को यहां पर क्यों नहीं लागू किया गया?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा---

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सरकार इस पर विचार कर रही है और शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चित धनराशि रिकमेंड की है, ढाई रुपये, तीन रुपये या चार रुपये ? अगर निश्चित नहीं की है तो क्या प्रान्तीय सरकार इस सम्बन्ध में डाइट की ठीक व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

भारत सरकार ने ढाई रुपये की डाइट की संस्तुति की है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

पहले ढाई रुपये की डाइट दी जाती थी और अब डेढ़ रुपये की कर दी गई है। डाइट में कमी हो जाने के पश्चात् क्या अनुभव हुआ है—स्वास्थ्य में कमी हुई है या लाभ हुआ है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्यों को यह गलतफहमी है कि अगर यक्ष्मा के मरीजों को रिच डाइट दी जाये तो वही अच्छा ट्रीटमेंट होगा। पहले तो मरीजों को मक्खन और बहुत सारी ऐसी चीजें दी जाती थीं, मगर अब यह समझा जाता है कि २,५०० कैलोरीज की डाइट दी जाय और सीरियल्स जैसे दाल, वेजिटेबिल, वेजिटेबिल आयल, रोटी, एनिमल फैट दिये जायं। तो डाइट का शेड्यूल है उसी के अनुसार डाइट मिलनी चाहिए। अगर कीमतों में बैरिएशन होता है तो सरकार फर्क को अनुदान देकर पूरा करती है।

वर्षा से भीगे गेहूं में जहर की उत्पत्ति तथा जिला कृषि अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा वर्षा से भीगी फसल का निरीक्षण

**२—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कृषि मन्त्री को यह जानकारी उनके विभाग द्वारा दी गई है कि वर्षा से खलिहानों में भीगे हुये गेहूं में जहर पैदा हो गया है ? यदि हां, तो तुरन्त सरकार ने क्या इस विषय में कार्यवाही की ? क्या कृषि मन्त्री जी बतलायेंगे कि शाहजहांपुर के जिला कृषि अधिकारी ने १५ अप्रैल, १९७१ से १० मई, १९७१ तक असामयिक वर्षा से भीग जाने वाली रबी की फसल का कितने गांव में जाकर निरीक्षण किया और कितने गांव में रात्रि विश्राम किया तथा अपनी रिपोर्ट शासन को क्या भेजी ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

खलिहानों में भीगे हुए गेहूं में जहर पैदा होने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। जिला कृषि अधिकारी, शाहजहांपुर ने १५ अप्रैल, १९७१ से १० मई, १९७१ तक १७ ग्रामों का निरीक्षण किया तथा ३ ग्रामों में रात्रि विश्राम किया। जिला कृषि अधिकारी ने लैन्ड रिकार्ड अधिकारी, शाहजहांपुर को जो रिपोर्ट भेजी है, उसके अनुवादित उद्धरण संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८७० पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उपाध्याय जी, मन्त्री जी ने उत्तर दिया है उससे असहमति प्रकट करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां १०० जानवर मर गये हैं। यह चारे में जहर हो जाने के कारण ही हुआ। जो १७ ग्रामों के बारे में कहा गया उसमें कितने जलालाबाद तहसील के हैं तथा कितने तहसील लहर के हैं जो उनके अन्तर्गत आते हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, तहसीलवाइज तो मैं इस समय नहीं बता सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, ग्राम के नाम बता दें जिन १७ ग्रामों में आप गये हैं।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मान्यवर उनके नाम तथा तिथि ये हैं:

२६-४-७१ को तिलहर, डमौरा तथा कटरा।
२७-४-७१ को रजापुर, मिल्कीपुर तथा तिलहर।
२८-४-७१ को सिलहर, गंगसरा, गुहैया, ढकिया बुजुर्ग तथा पुवायों।
७-५-७१ को कौरोकुइया, ढकिया, हमीदनगर तथा सिधौली।
८-५-७१ को कनेग ऐठापुर तथा सेरामऊ (दक्षिणी)।
९-५-७१ को कांठ तथा रावतपुर।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, क्या कटरा एरिया के १० मील रेडियस में जो गेहूं है उसकी जांच करवा लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न भिन्न है। यह तो दूसरी चीज है। आप बहुत ब्योरे की चीज पूछ रहे हैं। आप एक पत्र लिखकर उनसे इस बारे में पूछ सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुमानित नुकसान क्या हुआ है? तिलहर के बारे में बता दें।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

तिलहर में कितना नुकसान हुआ है इसकी सूचना इस समय नहीं उपलब्ध है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसके बारे में भी एक पत्र लिखकर इसकी सूचना मन्त्री जी से मांग लें। आपका प्रश्न बहुत डिटेल्ड में है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, जहर पैदा होने की कोई सूचना नहीं है मन्त्री जी को परन्तु असामयिक वृष्टि होने से कितना नुकसान हुआ है क्या इसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय—

करीब २०० करोड़ रुपये की क्षति पूरे प्रदेश में हुई है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

जहर पैदा होने की भ्रांति पैदा हो गई है। क्या मन्त्री जी इसका परीक्षण करवायेंगे ताकि जो भ्रांति जनता में पैदा हो गई है वह दूर हो जाय ? इन खाद्य तत्वों के परीक्षण से क्या वह जनता को भी अवगत करवायेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

अभी तक जहर पैदा होने की कोई सूचना तो नहीं है। यदि आवश्यकता होगी तो उसकी एनालिसिस करवा ली जायेगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ गेहूं के भाव गिराने के कारण जनता में इस प्रकार का भ्रम पैदा किया जा रहा है और इसमें कुछ विशेष लोगों का हाथ है। इसको देखते हुये मन्त्री जी शीघ्रातिशीघ्र इस पर कोई वक्तव्य देंगे जिससे जनता में फैला हुआ यह भ्रम दूर हो जाय?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

अभी तक सरकार को कोई जहर पैदा होने की सूचना नहीं है, ऐसी स्थिति में उसका कोई प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्नकर्ता ने पूछा कि जहर पैदा हो गया है और आपने उत्तर दिया कि नहीं पैदा हुआ है और इसकी कोई सूचना नहीं है। आपने किस आधार पर यह उत्तर दिया कि जहर पैदा नहीं हुआ है?

कृषि मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने गवर्नमेंट को लिखा कि शाहजहांपुर में इस प्रकार की रिपोर्ट निराधार है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

स्वास्थ्य अधिकारी ने तो आदमियों के बारे में लिखा होगा। उनसे अनाज से क्या मतलब?

श्री उपाध्यक्ष—

अब बहुत हो गया। आगे चलें।

उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की मांगें

**३—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) व श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, ७१ के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश बार कौंसिल का कोई शिष्ट मण्डल उन से मिला था? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं एवं उन मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या आश्वासन दिया?

न्याय राज्य मन्त्री (श्री यादवेंद्र सिंह)—

(१) हाई कोर्ट के तथा कुछ जिलों के भी एडवोकेट मुख्य मन्त्री से मिले थे।

(२) उन्होंने एडवोकेटों से एनरोलमेंट के समय ली जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी को पहिली जनवरी, १९६३ से समाप्त करने अथवा ५०० रु० से घटाकर २५० रु० करने की मांग की थी।

(३) केवल इतना आश्वासन दिया था कि विचार किया जायगा।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १२ जनवरी, १९६३ और ६ अगस्त, १९६५ के मध्य जिन एडवोकेटों ने बार एसोसियेशन से अपना पंजीकरण कराया

उस समय ५०० रु० स्टाम्प शुल्क नहीं लिया गया ? अब उनसे ५०० रु० स्टाम्प शुल्क मांगा जा रहा है। तो क्या सरकार इस शुल्क को न लेने की घोषणा करेगी ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

१२ जनवरी, १९६३ को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार के खिलाफ स्टे पास कर दिया था कि वह रुपया न लिया जाय। फिर ६ अगस्त, १९६५ को सरकार की अपील स्वीकार हो गई थी और इस बीच में ३,७०८ लोग वकालत करने के लिए भर्ती हुए थे। इस पर विचार किया जा रहा है कि कौन सा पहलू अख्तियार किया जाय क्योंकि अगर एक दम माफ कर दिया जाय तो १८ लाख ५४ हजार की हानि होगी। अगर ढाई सौ रुपया शुल्क रखा जाय तो ९ लाख २७ हजार की हानि होगी। इसमें बहुत बड़े राजस्व की हानि का प्रश्न है। इस पर ठीक से सोच विचार करके ही फैसला करना पड़ेगा। माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि इसमें विचार करने की जरूरत है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब एक नवयुवक वकील अपना काम शुरू करता है तो खाली जेब होता है। संविद की सरकार ने पांच सौ की जगह ढाई सौ रुपया एनरोलमेंट फीस कर दी थी। जैसा कि मन्त्री जी ने भी कहा कि उस दो तीन साल के पीरियड में केवल ९ लाख २७ हजार की हानि प्रदेशीय सरकार को होगी जो कि इतनी ज्यादा नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए क्या सरकार इस बात की घोषणा करने के लिए तैयार है कि पांच सौ की पूरी माफी नहीं तो कम से कम संविद सरकार ने जो तय किया था उस स्थिति पर लाने के लिए तैयार है ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

फाइनेंस में इस पर विचार हो रहा है और पूर्ण विचार होने के बाद ही कुछ करना सम्भव है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हाई कोर्ट में बहुत सी अपील्स पेंडिंग हैं तो उनको इस महीने के अन्त तक समाप्त करने की सम्भावना है ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

हम कोशिश करेंगे कि जल्दी समाप्त हो जायं लेकिन कोई निश्चित तारीख नहीं बतला सकते।

राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राज्य में कृषि के विकास सम्बन्धी सुझाव

**४—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १२ जुलाई, सन् १९७१ को राष्ट्रीय कृषि आयोग के सदस्यों ने उनसे राज्य के कृषि के विकास के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और मुख्य मन्त्री जी ने कृषि के विकास के सम्बन्ध में आयोग के सम्मुख क्या सुझाव पेश किये ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जी नहीं। राष्ट्रीय कृषि आयोग कृषि विकास सम्बन्धित विषयों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार विमर्श हेतु १२ और १३ जुलाई को प्रदेश में आया था। मुख्य मन्त्री जी से १२ जुलाई नहीं, अपितु १३ जुलाई को आयोग के सदस्यों

ग शिष्टाचारिक भेंट की। मुख्य मन्त्री जी ने इस अवसर पर आयोग के सम्मुख मुख्यतः निम्न सुझाव रखे :—

(१) प्रदेश के पिछड़े भूभागों, जैसे कि बुन्देलखण्ड और पूर्वी तथा पर्वतीय क्षेत्रों, के पिछड़ेपन की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान की आवश्यकता।

(२) राज्य की आबादी, आवश्यकताओं तथा पिछड़ेपन के आधार पर केन्द्र से अधिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए ।

(३) छोटे किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए व्यापारिक एवं नकदी फसलें बोने की दिशा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा किसानों को विपणन और कृषि पर आधारित उद्योगों की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ।

(४) फसलों की कटाई के पश्चात् उनकी मड़ाई, भंडारण आदि के विषय में नवीन तकनीक को प्रोत्साहन दिया जाय और उसके लिए मड़ाई यन्त्रों का प्रबन्ध किया जाए, साथ ही मड़ाई स्थलों पर अधिकाधिक छाया-गृहों एवं भंडारण हेतु भंडारण-गृहों का निर्माण किया जाए ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

१३ जुलाई को जो आयोग के साथ भेंट हुई, उसमें आयोग ने क्या आश्वासन दिया और क्या उसके समय माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कोई निश्चित रकम की मांग की थी, यदि हां, तो वह क्या थी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उन्होंने हमारे सुझाव पर यही कहा कि वे उन पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

कृषि उत्पादित वस्तुओं में चूंकि उत्पादित व्यय में वृद्धि हुई है और पैदा की हुई चीजों के भाव जब कि कम हो रहे हैं, ऐसी सूरत में क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कृषि के उत्पादन के सिलसिले में उसके उपयोग में आने वाली चीजों, जैसे बीज, खाद, पानी आदि, के मूल्यों में कमी कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

कृषि उत्पादन के खर्च में कमी आये, इस पर तो सरकार कोशिश करती ही रहती है। जब कोई खास बात होगी तो उस पर भी विचार किया जायगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इस आयोग के आने का उद्देश्य क्या था और उनसे किस किस मुद्दे पर बातचीत हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह ब्योरे का प्रश्न है, मैं इजाजत नहीं देता।

श्री शिवराज सिंह—

उत्तर में लघु कृषक विकास योजना के अन्तर्गत सहायता की रकम को बढ़ाने के लिए क्या सरकार सुझाव देगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

यह प्रश्न अलग से है, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि लघु कृषक योजना जो ४ जिलों में चल रही है, उसके अतिरिक्त ५ अन्य जिलों में भी लागू करने की सिफारिश शासन ने केन्द्र से की है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आयोग आया उसको यहां आने का उद्देश्य क्या था और क्या उसने रिपोर्ट दे दी है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

इसका उद्देश्य कृषि की प्रगति से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना था कि किस तरह से प्रदेश में तरक्की की जा सकती है।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

जो विचार-विमर्श हुआ उसमें ट्रैक्टर्स बढ़ाने के लिये भी क्या विचार विमर्श हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या उस आयोग ने कोई क्वेश्चनेयर भेजा था? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

कुछ क्वेश्चनेयर सरकारी अधिकारियों के पास भेजा था, जिसका जवाब अधिकारियों ने भेज दिया था। यह इस प्रश्न से सम्बन्धित था नहीं, इसलिये इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या कृषि मन्त्री जी आयोग से यह भी अनुरोध करेंगे कि कृषि वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोत्तरी को देखते हुए वह गल्ले की कीमतों को निश्चित करे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

यह भी आया था कि जो बिचौलिये हैं, जिससे काश्तकारों को उचित मूल्य नहीं मिलता है, इनको दूर करने के लिए हमारा मार्केटिंग सिस्टम कैसा हो, उसके बारे में भी मुख्य मन्त्री ने कुछ सुझाव रखे हैं, उस पर भी आयोग विचार करके देगा।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

आयोग ने पांच सालों की जो सिफारिश की है तो क्या इन जिलों का चयन कर लिया गया है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

मुझे याद है, इसलिए इसके बारे में बता दिया था, यद्यपि उससे सम्बन्धित नहीं है, जिले जब कर लिए जायेंगे जिले का जब सवाल पदा होगा तो बताया जाएगा।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि एग्रीकल्चर कमीशन से जब आपकी भेंट हुई तो उसके प्रतिनिधियों ने ऐसे कुछ सुझाव रखे, जो कि श्री चाव्हाण, फाइनेंस मिनिस्टर के इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स के बारे में हैं, उससे विभिन्न विचार रखते हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

तारांकित प्रश्न

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

देवरिया जिला परिषद् के कर्मचारियों एवं अध्यापकों का सेवा विस्तार

१--श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला परिषद् में सेवा करने वाले कितने कर्मचारियों, अध्यापकों को निर्धारित सेवा काल के बाद वर्ष १९७०-७१ के जून, १९७१ तक सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) दिया गया है?

सामुदायिक विकास राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

जिला परिषद् के किसी कर्मचारी को सेवा विस्तार स्वीकृत नहीं किया गया है।

भूतपूर्व अध्यक्षों द्वारा वर्ष १९७०-७१ के जून, १९७१ तक ३ अध्यापकों एवं एक अध्यापिका को सेवा काल में विस्तार किया गया था।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अप्रैल से जून, १९७१ तक जो ३ अध्यापकाओं व १ अध्यापक की सेवा का विस्तार किया गया तो क्या उनको मालूम हैकि २० प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रमाण-पत्रों के साथ, उनकी सेवा क्षमताओं के साथ दिये गये थे, किन्तु उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया है, यदि ऐसा तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

ऐसी कोई सूचना शासन के पास नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

यदि नहीं है, तो मंगाकर देंगे। क्या यह सच नहीं है कि वहां के अधिकारियों में परस्पर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आअ स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर और कलेक्टर में झगड़ा है जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स जो अप्लीकेशन एक्सटेंशन की भेजते हैं, उन्हें कलेक्टर खारिज कर देते हैं? जिससे उनको नुकसान है, यदि हां, तो आगे के लिए वह क्या तरीका अख्तियार कर रहे हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

किसी झगड़े की सूचना शासन को नहीं है। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसकी जांच कराई जा सकती है।

श्री पारसनाथ सिंह--

प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी की समस्या को सामने रखकर यह जो एक्सटेंशन की प्रथा चालू है, क्या मन्त्री जी इसे समाप्त करने की कृपा करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

भविष्य में इस बात पर जरूर विचार किया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन जो चार आदमियों को एक्सटेंशन दिया गया है, तो इनके साथ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स नें कितने और प्रार्थना-पत्र रेकमेंड करके भेजे थे? और उपरोक्त चार में क्या विशेषता थी जो उनको इस हेतु छांटा था?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स के प्रार्थना-पत्रों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

मन्त्री जी तो हर एक बात में कहते हैं 'सूचना नहीं है' वह कुछ जानते ही नहीं हैं। यह सब उनको बताना चाहिए। मैं मन्त्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि पहली अप्रैल, ७१ से जून, ७१ तक किसी को भी इसलिए एक्सटेंशन नहीं दिया गया चूंकि आपस में अधिकारियों के बीच में झगड़ा है? यही जिला परिषद् के अध्यापिकाओं को सुविधा मिलती है, एक-डेढ़ वर्ष उनको मिल जाता है। क्या जो सक्षम हैं उनको नियमों के अनुसार आप एक्सटेंशन देने की व्यवस्था करेंगे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा माननीय सदस्य की सूचना पर इस विषय की जांच कराई जायगी।

श्री महीलाल--

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकार को यह परामर्श दिया है कि ऐसे अध्यापक जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किये जाते हैं उनके सेवाकाल की अवधि ५ वर्ष बढ़ा दी जाय, और जिन लोगों की स्वीकृति हुई है क्या उनमें दो ऐसे अध्यापक भी थे जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हो चुके थे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत अध्यापकों के सेवा काल में पांच वर्ष का विस्तार कर दिया जाय, इस आशय की सूचना शासन के पास नहीं है।

श्री महीलाल--

यह कह देते कि इस समय नहीं है।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

देखने में यह आता है कि अधिकारी जिसको चाहता है उसका सेवा विस्तार हो जाता है जिसको नहीं चाहता है उसका नहीं होता है, मैं जानना चाहता हूं कि सेवा विस्तार का आधार क्या होता है?

श्री चन्द्रभान शर्मा--

प्वाइंट आफ आर्डर। किसी भी प्रश्न का उत्तर "हां" में नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके मुताबिक सब जवाब कैसे देंगे? श्री छांगुर राम पूछ रहे थे कि सेवा काल के विस्तार का आधार क्या है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जिन लोगों में काम करने की क्षमता होती है, वैसे ५८ वर्ष पूरे हो जाने के बाद उनका कार्य काल समाप्त हो जाता है। यदि तीन महीने का नोटिस चाहे, जिला परिषद दे या अध्यापक दे और उसके बाद यदि किसी ओर से नोटिस नहीं दिया गया तो फिर दो वर्ष तक स्थानीय संस्थाओं द्वारा सेवा अवधि बढ़ाने का नियम है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं माननीय मन्त्री जी को सूचना दे दूं कि जिला परिषद् के कर्मचारियों की आयु ६० वर्ष है।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री महीलाल--

बड़ा जरूरी प्रश्न है। भारत सरकार की सिफारिश का ज्ञान माननीय मन्त्री को नहीं है। आप मौका दे दें केवल एक प्रश्न का।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर दीजिये, आप जो कह रहे हैं, उसे हम देखेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की दो मोटर-कारें होने पर भी डायरेक्टर को २०० रुपये का कार एलाउन्स

*१--**श्री राममूर्ति अंचल--**

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की मोटर कार नं० यू०पी०एच० ७३०१ तथा जीप नं० यू०पी०एच० ५००१ मैनेजिंग डायरेक्टर के इस्तेमाल में लगातार रहते हुये भी उक्त डायरेक्टर को २०० रु० माहवार का कार एलाउन्स क्यों दिया जाता है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

दोनों गाड़ियां करीब-करीब लगातार यू० पी० स्टेट एग्रोइंडस्ट्रियल कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के प्रयोग में रही हैं, परन्तु इन गाड़ियों का प्रयोग निगम के अन्य कार्यों में भी हुआ है।

जहां तक मैनेजिंग डायरेक्टर को कार एलाउन्स देने का प्रश्न है, यह भत्ता निदेशक मंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार जिन अधिकारियों का मूल वेतन १,००० रु० से अधिक है, उन्हें २०० रु० प्रति मास की दर से कार भत्ता दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पांच मील की परिधि के अन्दर निगम के कार्य के हित में यात्रा करनी पड़ती है। यह भत्ता अधिकारियों को उनके द्वारा कार के वास्तविक रखरखाव का प्रमाण-पत्र देने पर ही दिया जाता है।

*२--**श्री राममूर्ति अंचल--**

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९७० से ३१ मई, १९७१ तक उपरोक्त दोनों गाड़ियों ने पृथक-पृथक प्रत्येक लाग बुक के अनुसार कितना-कितना सफर किया और यह गाड़ियां कहां-कहां गयीं तथा इन पर कुल कितना धन व्यय हुआ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

गाड़ी नं० यू० पी० एच० ७३०१ की लागबुक १ अप्रैल, १९७० से ३१ अगस्त, १९७० तक उपलब्ध नहीं है। यह गाड़ी १ सितम्बर, १९७० से ३१ मार्च, १९७१ तक १४,६९१ कि०मी० चली और स्थानीय यात्रा के अतिरिक्त कानपुर, बरेली, हल्द्वानी, पन्तनगर, रुद्रपुर, रामपुर, रायबरेली एवं फैजाबाद भी गई। इस गाड़ी पर १ अप्रैल, १९७० से ३१ मार्च, १९७१ तक कुल व्यय रु० ६३८२.०५ पैसे हुये।

जीप नं० यू० पी० एच० ५००१, १ अप्रैल, १९७० से ३१ मार्च, १९७१ तक २२,३२४ कि० मी० चली और स्थानीय यात्रा के अतिरिक्त फैजाबाद, कानपुर, गोरखपुर, मऊ-ऐमा, इलाहाबाद, बरेली, पीलीभीत, बहेड़ी, रूद्रपुर, दिल्ली, उन्नाव, देवा (बाराबंकी), आगरा, फिरोजाबाद, कायमगंज, इटावा, पंतनगर, हल्द्वानी, रामगढ़, बरेली एवं वाराणसी भी गई। इस गाड़ी पर उक्त अवधि में कुल ५८४२.२८ रु० व्यय हुआ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

व्यवस्था का सवाल है। व्यवस्था यह है कि आपके निर्णय के अनुसार व्यक्तिगत प्रश्न सदन में नहीं उठाये जा सकते लेकिन यह प्रश्न व्यक्तिगत है। तो कैसे यह एजेंडे में आ गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन का सवाल है।

श्री राममूर्ति अंचल--

रखरखाव का प्रमाण-पत्र दिया जाता है तो क्या मैनेजिंग डायरेक्टर ने रख रखाव का प्रमाण-पत्र दिया था या नहीं ? यदि नहीं, तो रख-रखाव के जो २०० रुपये प्रति मास लिये गये हैं शासन उसकी रिकवरी करेगा और इस प्रकार की जो अनियमितता चल रही है उसको विजिलेंस को सौंपेगा ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

रख-रखाव का प्रमाण पत्र दिया है या नहीं इसकी सूचना शासन को नहीं है लेकिन जो कार ली और भत्ता लिया गया रख-रखाव का इसके बारे में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को शासन द्वारा लिखा जा रहा है जांच कराने के लिये।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

जिन दो कारों का जिक्र सवाल में चल रहा है उनमें से कोई गाड़ी शाहजहांपुर में अफीम की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

इसकी सूचना नहीं है।

श्री राममूर्ति अंचल--

जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है कि ५ महीने से लाग बुक अवेलेबिल नहीं है तो वह जला तो नहीं दी गई ? ऐसा भी हो सकता है कि ५ महीने में एक लाख किलोमीटर से ज्यादा सफर किया गया हो इसके अतिरिक्त अन्य मासों ३७ हजार किलोमीटर गया हो तो क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि उस लाग बुक को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और इसको विजीलेंस में देंगे कि इस प्रकार की अनियमितताये क्यों हो रही हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

लाग बुक जला दी गई है या नहीं इसकी कोई सूचना शासन को नहीं है। यह सत्य है कि लाग बुक गायब है। स्टोर कीपर का कहना है कि लाग बुक डायरेक्टर के पास है और डायरेक्टर का कहना है कि लाग बुक स्टोर कीपर अथवा ड्राइवर के पास है। यह शासन के विचाराधीन है और शासन की ओर से चेयरमैन को लिखा जा रहा है कि लाग बुक कहां है और किस स्थिति में है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

लाग बुक भी गायब है और २०० रुपय प्रति मास रख रखाव पर भी खर्च किया गया है। तो क्या इस सारे मामले को सरकार विजिलेंस के सुपुर्द करने को तैयार है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसमें माननीय सदस्यगण को कि यह एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन आटोनामस बाडी है। इस विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध शासन नियमत: कोई कार्यवाही नहीं कर सकता अपनी ओर से और यह जो कार भत्ता दिया गया है यह १२ अगस्त को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने अपनी बैठक में पास करके दिया है शासन इसे रद्द नहीं कर सकता। जो गड़बड़ी है लाग बुक के बारे में इसके बारे में शासन बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को जरूर लिख सकता है। शासन सख्ती से जांच के लिये लिख रहा है और उस पर कार्यवाही कराने की कोशिश भी करेगा ?

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)---

दो सौ रुपये कार का भत्ता वहां किन-किन लोगों को दिया जाता है ? मिस्टर श्रीवास्तव प्रोजेक्ट इंजीनियर को भी यह भत्ता दिया जाता है जिनके द्वारा यह सवाल कराया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह काल्पनिक है।

(श्री रामकरन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मेरा एक छोटा-सा सवाल है, उसे आप कृपा करके सुन लें.. (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग कृपया शांत रहें.....उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामकरण सिंह---

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल इसलिये उठ गया कि माननीय मंत्री जी जो उत्तर अभी दे रहे थे और उनके उत्तर देने के बाद जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वे इस सवाल को विजिलेन्स में भेजेंगे तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि एक आटोनामस बाडी है इसलिये.....

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय---

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अवधि के बीच में मैनेजिंग डाइरेक्टर कौन थे और जैसा कि माननीय भारतसिंह चौहान ने पूछा कि वहां पर जो बोर्ड है और उसके जो कर्मचारी हैं उनकी आपस में खींचतान है और इसी कारण ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

मान्यवर, मैनेजिंग डाइरेक्टर तो श्री एच० के० राना थे और जहां तक खींचातानी का सवाल है उसकी कोई सूचन शासन को नहीं है। (व्यवधान)

श्री महीलाल---

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है या उनको ये शिकायतें मिली हैं कि इस इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के आफिस में रजिस्टर बदल दिये गये है और उनको जला भी दिया गया है जिस कारण से १९६७ में जिन किसानों ने ट्रैक्टरों के लिये रजिस्ट्रेशन कराया था उनको ट्रैक्टर्स न मिलकर १९७०-७१ में रजिस्टर हुए किसानों को ये ट्रैक्टर्स मिले हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस गम्भीर मसले की जांच करवायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है.....(व्यवधान)

श्री राजितराम पांडेय---

मान्यवर, मुझे कहने का मौका दें.....(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष---

एक बार केवल एक ही आदमी को तो मौका मिलेगा सभी माननीय सदस्यों को एक बार कैसे मौका मिल सकता है ?

श्री राजितराम पांडेय--

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। रजिस्टर वगैरह वहां पर गायब हो गये हैं अतः आप इस पर मंत्री जी से वक्तव्य दिलाइये। ऐसे प्रश्न हमेशा ही सदन में आते रहते हैं जिनमें बड़ा भ्रष्टाचार और गड़बड़घुटाला रहता है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो भाषण दे रहे हैं। जब आपका नाम पुकारा जायेगा तब आप बोलें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस प्रकार का भत्ता श्री राना के अतिरिक्त और किन-किन अधिकारियों को दिया जाता रहा है और क्या दूसरे लोग भी इस विहिकिल का इस्तेमाल करते रहे हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से अधिकारी थे और उन्होंने किस-किस पिरियड में इनका इस्तेमाल किया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामकरन सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पैसा खर्च हुआ है इन गाड़ियों पर, वह पैसा सरकार का था अथवा नहीं? यदि हां, तो जो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, हमने बताया कि ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन आटोनामस बाडी है और इसकी उत्तर प्रदेश सरकार शेयर होल्डर है और भारत सरकार भी है। तो सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ या नहीं, इसकी जांच करने के लिये शासन द्वारा चेयरमैन, ऐग्रो इंडस्ट्रियलकारपोरेशन को पत्र लिखा जा रहा है।

श्री राममूर्ति अंचल--

ऐग्रो इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन का नियम बना हुआ है प्राइवेट कार अलाउंस का, उसमें रख-रखाव के लिये २०० रुपया दिया जाता है जबकि वे निगम की गाड़ियों का प्रयोग न करें, पर जबकि निगम की गाड़ियों का इनके अनुसार ३७,००० किलोमीटर का प्रयोग किया गया स्थानीय माइलेज को छोड़ कर, तो मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हों उनसे शासन रिकवरी कराने की कृपा करेगा। और इसको विजिलेंस में देने से आप क्यों हिचकिचाते हैं?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैंने बताया कि इन सब बातों की जांच करने के लिए शासन द्वारा पत्र जा रहा है चेयरमैन बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को और अगर यह साबित हो गया कि घोटाला हुआ है तो रिकवरी रुपये की भी आवश्य को जायगी और यदि यह भी पाया गया कि किसी कर्मचारी ने विशेष गड़बड़ी की है और विजिलेंस की आवश्यकता है तो मामला उसमें भी दिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसका खंडन उससे हो जाता है जो उन्होंने स्वयं कहा कि यह आटोनामस बाडी है। मेरा यह सवाल है कि जब माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करते हैं कि लाग बुक का पता नहीं, २०० रुपया कार का लाग अलाउंस जोकि उसके रख-रखाव के लिए दिया जाता रहा है उसका कोई सार्टिफिकेट नहीं और इसी तरह की अनियमितताएं हैं तो इस प्राइमाफैसी क्राइम को देखते हुए जो एस्टैब्लिश हुआ है तो जो भी उपयुक्त हो--विजिलेंस हो या पुलिस हो, कोई भी ऐसी बाडी हो जिसके परव्यू में इंडियन पीनल कोड के आधार पर यह मामला आ सकता है, उसको सुपुर्द करने की कृपा करेंगे या नहीं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मान्यवर, कार भत्ते के लिए उनका रेजोल्यूशन है तो सरकारी इस्तेमाल किया है, भत्ता भी लिया और रेजोल्यूशन के तहत भत्ता लिया है, इन्हीं की जांच करने की आवश्यकता हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा लगता है कि माननीय सदन को अधिक दिलचस्पी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, बाद में अगर आप चाहेंगे ... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि यह अटोनामस बाडी है, इसका मामला बिजिलेंस में नहीं दे सकते और अभी उत्तर में कहा कि हम इसे विजिलेंस को दे देंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, औचित्य का हो सकता है।

श्री शिवराज सिंह--

इस कालावधि की लाग बुक उपलब्ध नहीं है तो मंत्री जी वहां के अकाउंट्स से यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि उस काल में इस सिलसिले में कितना धन व्यय हुआ ताकि उस काल के माइलेज का मापदंड, नाप, हो सके ?

डाक्टर सीताराम--

जैसा कि प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

शिवराज सिंह ही तो मंत्री थे उस समय !

श्री राममूर्ति अंचल—

चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे, यह भी याद रखिए ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे वह सफाई से दिये, लेकिन ज्यो-ज्यों प्रश्न किये गये त्यों-त्यों मामला उलझता गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जब ऐसे गम्भीर अरोप हैं कि अलाऊंस वगैरह दिया गया जो परमिसिबिल नहीं है और माननीय सदस्यों ने, बहुत से, आग्रह किया कि यह मामला विजिलेंस को दे दिया जाय तो मंत्री जी को इस मामले को विजिलेंस में देने में क्या रुकावट है ?

श्री रामसूरत उपाध्याय—

बिना पूरी जांच कराये हुये कुछ नहीं किया जा सकता ।

नोट :—तारांकित प्रश्न २ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

प्रदेश के प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उनके लिये भवन

*३—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिये गये परन्तु वहां पर भवन आदि की व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार जहां प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भवन नहीं हैं, भवन बनवाने के लिये सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवनों की की गई व्यवस्था का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है, जिसकी एक †प्रति माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी गई है ।

सरकार जहां-जहां सरकारी भवन नहीं है, वहां भवन बनाने की सोच रही है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में ४१ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु सरकारी भवन बनवाये जाने की व्यवस्था है । शासन ने केन्द्रीय सरकार से भी सहायता की मांग की है जिससे अतिरिक्त भवनों का निर्माण जल्दी हो सके ।

बलिया जिले के पशु-चिकित्सा एवं पशु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

*४—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला में पशु-चिकित्सालयों और पशु-कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर वित्तीय वर्ष १९६८-६९, १९६९-७० और १९७०-७१ में भूसा, दाना और देशी दवाओं के पूर्ति हेतु टेंडर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने टेंडर भेजे और किसका-किसका किस-किस दर से टेंडर स्वीकृत हुआ ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । वर्ष १९६८-६९, १९६९-७० तथा १९७०-७१ में बलिया जिले में पशु चिकित्सालय और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर भूसा, दाना व देशी दवाओं की पूर्ति के लिये जिन-जिन लोगों ने टेन्डर दिये उनका विवरण संलग्नक 'क' में दिया गया है तथा उक्त वर्षों में जिन-जिन लोगों के टेन्डर जिस-जिस दर पर स्वीकृत हुये उनका विवरण संलग्नक 'ख' 'ग' तथा 'घ' में दिया गया है ।

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८७३ पर)

*५—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या पशुपालन मंत्री यह कृपया बतायेंगे कि उक्त अवधि में किन-किन पशु चिकित्सालयों एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर उक्त वस्तुओं की पूर्ति कितनी-कितनी धनराशि में की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

बलिया जिले में जिन-जिन पशु चिकित्सालयों तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर वर्ष १९६८-६९, १९६९-७० तथा १९७०-७१ में जितनी धनराशि की भूसा, दाना व देशी दवाओं की पूर्ति गई उसका विवरण संलग्नक 'च' में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८७८ पर)

---

†छापी नहीं गई ।

गोंडा जिले में जच्चा-बच्चा केन्द्र

*६---श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद, गोंडा, में कितने जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं और किन-किन स्थानों पर और सन् १९७१ ई० में कितने नये केन्द्र खोलने जा रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

९९ केन्द्र जैसा कि संलग्न सूची में है सन् १९७१ में पांच नये जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ।

(देखिये नत्थी 'घ' पीछे पृष्ठ ८८० पर)

गोंडा जिले की तरबगंज तहसील में फाइलेरिया तथा फीलपांव का प्रकोप

*७---श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद, गोंडा में तहसील तरबगंज में फाईलेरिया तथा फीलपांव की बीमारी बड़े जोरों से फैली है ? उसके रोक-थाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जनपद, गोंडा की तहसील तरबगंज में फाइलेरिया या फीलपांव की बीमरी छुटपुट रूप से होती रहती है और इसका प्रकोप बड़े जोरों में नहीं है। इस बीमारी के जो भी रोगी चिकित्सालयों में आते हैं उनको उचित दवा दी जाती है ।

तारांकित प्रश्न

*१-२---श्री शिवानन्द नौटियाल---

[५वें सोमवार में प्रश्न संख्या २०-२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३---श्री राम गोपाल संड---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*४---श्री रामगोपाल संड---

[४थे सोमवार को प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत उत्तरित]

*५---श्री सुखपाल पांडेय तथा राम करन सिंह---

[निरस्त किया गया]

बस्ती तथा गोरखपुर के विकास खंडों के सीड स्टोर्स इन्चार्जों द्वारा गबन

*६---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती तथा गोरखपुर जिलों के किस-किस विकास खंडों में कितने सीड स्टोर इंचार्ज कितने धन के गबन में कितने दिनों से निलम्बित हैं उनमें कितने का मुकदमा पुलिस को दिया गया है और पुलिस कितने दिन से जांच कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--

बस्ती जिले के ६ विकास खंड खलीलाबाद, हरैया, औरवारा, मेहदावल, सल्टउवा, कप्तानगंज खुवियावां, बांसी डुमरियागंज तथा गोरखपुर जिले में ३ विकास खंड खोरखार, गटहट तथा सिसवा में क्रमशः १० तथा ४ सीड स्टोर इंचार्ज वर्ष १९६७ से १९७१ तक गबन के संबंध में निलम्बित किये गये हैं । अभी तक जो सूचना उपलब्ध हुई है उसमें गबन की धनराशि बस्ती के विकास खंडों में रु० ३,५३,१७९.८६ तथा गोरखपुर के विकास खंडों के विकास खंडों में रु० १,५९,५४६.१४ बताई गई है । बस्ती जिले के दो तथा गोरखपुर जिले के एक बीज गोदामों के लेखों का सत्यापन चल रहा है जिसकी समाप्ति पर ही निश्चय हो पायेगा कि उनमें किस प्रकार की अनियमितता तथा कितना गबन है । इनमें से गबन के ६ मामले वर्ष १९६७ से १९७१ के बीच पुलिस को जांच के लिये दिये गये हैं लेकिन जांच अभी चल रही है ।

रोमानियन यूनिवर्सल ट्रैक्टर के स्पेयर पार्टस

*७--श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा प्रदेश के किसानों को दिये गये रोमानियन यूनिवर्सल ६५० ट्रैक्टर के स्पेयर्स पार्ट्स न मिलने के कारण ट्रैक्टरों के चलने में कठिनाई हो रही ? यदि हां, तो ऐसे ट्रैक्टरों के स्पेयर्स पार्ट्स कब तक रोमानिया से आयात किये जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--

चूंकि रोमानियान यूनिवर्सल ६५० ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध रहे हैं इसलिये न ट्रैक्टरों के चलने में कोई कठिनाई नहीं रही है । रोमानियन यूनिवर्सल ६५० ट्रैक्टर के स्पेयर्स पार्ट्स प्राप्त हो गये हैं ।

जिला नैनीताल की ग्राम सभा कमोला की पेयजल योजना

*८--श्री इन्द्र लाल--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में ग्राम सभा, कमो ला नाम की पेयजल योजना किस सन् में कितनी धनराशि की स्वीकृत हुई है और इसके निर्मा ण-कार्य का अभी तक प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्म दत्त बैद्य)--

इस योजना की अनुमानित लागत २,४१,००० रुपये है और इतनी ही धनराशि मार्च, १९७० में स्वीकृत की गई थी ।

जी० आई० पाइप न मिलने के कारण इस योजना पर कार्य धन स्वीकृत होने के तुरन्त बाद ही प्रारम्भ नहीं किया जा सका । अब पाइप उपलब्ध है और वर्षा ऋतु बाद कार्य आरम्भ हो जाने की आशा है ।

कृषि विभाग, लखीमपुर-खीरी, की आडिट रिपोर्ट में अनियमितायें

*९--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग, लखीमपुर-खीरी की वर्ष १९६८-६९ और १९६९-७० की आडिट रिपोर्ट में कुछ अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है । यदि हां, तो वे क्या हैं और इस संबंध, में क्या कार्यवाही हो रही है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । कतिपय दोनों वर्षों की महालेखाकार द्वारा प्रेषित आडिट रिपोर्ट में कुछ अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है

आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित आपत्तियों तथा उनके सामने दी गयी अनुपालन कार्यवाहियों की सूची संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ८८२ पर)

युवराज दन्त कालेज के दो छात्रों की कृषि अधिकारी द्वारा सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति

*१०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या कृषि मंत्री यह भी बतायेंगे कि जिला लखीमपुर-खीरी के कृषि अधिकारी ने जनवरी, सन् १९६९ में श्री राजेंद्र शुक्ल और श्री वहीद खां के कृषि रक्षा सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया है जबकि ये लोग युवराज दत्त कालेज के छात्र थे और कालेज में अपने नियुक्ति की तिथि से लेकर फरवरी, मार्च तक विद्यालय में उपस्थित रह कर परीक्षा में शामिल हुये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

इस नाम के व्यक्ति की नियुक्ति जनवरी, १९६९ में नहीं की गयी थी । वास्तव में दिसम्बर, १९६८ में श्री राजेंद्र प्रकाश शुक्ल व श्री अब्दुल हमीद खां नाम के दो व्यक्तियों को, जिला कृषि अधिकारी ने, मंडलीय उप निदेशक की स्वीकृति लेकर कृषि रक्षा सुपरवाइजर के पद पर, पलिया और निघासन विकास क्षेत्रों में नियुक्त किया था। उक्त दोनों व्यक्तियों ने संस्थागत छात्र के रूप में कालेज में उपस्थिति दी और परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुये । इस अनियमितता के लिये अनुशासनिक कार्यवाही तत्काल किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

*११—श्री सुरेंद्र विक्रम—

[७वें मंगलवार में प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य परिवार नियोजन संगठन की उपलब्धियों की योजन संस्थान एवं कार्यवाही संस्थान द्वारा जांच

*१२—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६५-६६ से वर्ष १९७०-७१ तक राज्य परिवार नियोजन संगठन की उपलब्धि की प्रमाणिकता की जांच राज्य सरकार के योजना अनुसंधान और कार्यवाही संस्थान द्वारा किन-किन जिलों में कराई गई ? क्या सरकार उक्त जांच की रिपोर्ट बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

राज्य परिवार नियोजन संगठन की उपलब्धियों की प्रमाणिकता के सर्वेक्षण कराने के लिये राज्य सरकार के योजना अनुसंधान और कार्यवाही संस्थान से जुलाई १९६६ में प्रार्थना की गई थी जिसके फलस्वरूप उक्त संस्थान ने जिला बाराबंकी में वर्ष १९६७ में सर्वेक्षण किया । यह सर्वेक्षण बाराबंकी जिले के आधे अर्थात् ८ सामुदायिक विकास खंडों में किया गया था जिनमें सर्वेक्षित व्यक्ति वर्ष १९६५-६६ में नसबन्दी कराये गये पुरुष थे। इन विकास खंडों में नसबन्दी कराये हुए कुल १०५५ पुरुषों में से ९४३ से सम्पर्क किया गया ।

विकास अन्वेषणालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष संलग्न सूची में दिये हुये हैं इस प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें) ने जिला बाराबंकी में हुई समस्त पुरुष नसबन्दियों के केस कार्ड में आंकड़े एकत्रित कराये जिसका निष्कर्ष यह था कि केवल ३.६ प्रतिशत ही ऐसे पुरुषों की नसबन्दी हुई जिनकी पत्नी की आयु ४५ वर्ष या उस से ऊपर थी । किसी भी अविवाहित पुरुष की नसबन्दी नहीं हुई थी । १.५ प्रतिशत व्यक्ति विधुर अथवा परित्यक्त थे । इस प्रकार इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता कि ६४.६ प्रतिशत पुरुष नसबन्दी के लिये उपयुक्त पाये गये और वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी जैसा कि विकास अन्वेषणालय के प्रतिवेदन में दर्शायी गई है । चूंकि उपरोक्त दोनों अध्ययनों के निष्कर्षों में काफी अन्तर था अतः विकास अन्वेषणालय के निदेशक से प्रार्थना की गई कि वह इस विभाग को उन व्यक्तियों की सूची दे दें, जो उनके विचार में नसबन्दी के आयोग्य थे, ताकि फिर जांच करके सही निष्कर्ष निकाले जा सकें । परन्तु निदेशक महोदय ने यह सूची देने में अपनी समर्थता व्यक्त की । यह तथ्य राज्य समीक्षा समिति के समक्ष लाया गया तब यह निर्णय लिया गया कि अब पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो को कोई अवसर नहीं मिला कि वह विकास अन्वेषणाल य के प्रतिबेदन पर अपनी कोई प्रक्रिया व्यक्त कर सके ।

लखनऊ स्थित भारत सरकार के क्षेत्रीय परिवार नियोजन निदेशक द्वारा नसवन्दी अभियान का सर्वेक्षण

*१३---श्री नौनिहाल सिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६५-६६ से माह अप्रैल, १९७१ तक भारत सरकार के क्षेत्रीय परिवार नियोजन निदेशक द्वारा नसबन्दी का आपरेशन कराने वालों की जांच प्रदेश के किन जिलों अथवा विकास खंडों में की गई तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन को क्या-क्या रिपोर्ट दी ? क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी---

लखनऊ स्थित भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक (परिवार नियोजन) ने एक सर्वेक्षण वर्ष १९६७ में जिला बाराबंकी में वर्ष १९६६-६७ में हुए पुरुष नसबन्दी के संबंध में किया था । यह सर्वेक्षण जिला बाराबंकी के केवल ६ चुने हुए विकास खंडों में किया गया था जिनके नाम प्रतिवेदन में नहीं दिये गये हैं । इन ६ विकास खंडों में वर्ष १९६६-६७ में ५५९ पुरुष की नसबन्दी की गई थी जिनमें से १७८ पुरुषों से सम्पर्क स्थापित किया गया । क्षेत्रीय निदेशक भारत सरकार के सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष संलग्न सूची नं० २ में दिये हुए हैं क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार (परिवार नियोजन) ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी टिप्पणी में निका ` गये निष्कर्ष समस्त प्रदेश पर लागू न हो सकेंगे । जैसा उनके पत्र क निम्न उद्धरण से स्पष्ट है :---

". . . . . This observation is of a general nature and only indicates apprehension which naturally arises after a sample evaluation, that the results obtained in the evaluation may not be applicable throughout the state.

. . . . . My remarks were only meant for guidance and more close supervision of the programme. They were not conclusive or based on any evaluation which might have covered the whole state."

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई]

क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार ने बिजनौर, बुलन्दशहर व गोरखपुर में वर्ष १९७० में नसबन्दी किये हुए व्यक्तियों का एक सेम्पुल सर्वेक्षण किया था । उस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की अधिक नसबन्दी की गई थी जो अनुपेयुक्त थे । इस मामले में मंडल के आयुक्तों से जांच कराई गई मरठ व गोरखपुर के आयुक्तों ने सूचित किया कि इनकी जांच के अनुसार कोई ऐसे मामले नहीं पाये गये जो नसबन्दी के लिये अनुपयुक्त रहे हैं केवल रुहेलखंड मंडल के आयुक्त की रिपोर्ट में यह पता चलता है कि जिस खंड में २५० से भी अधिक नसबन्दी की गई थी उसमें से एक विधुर और एक की उमर अधिक पाई गई है। यह भी जानकारी में आया है कि बहुत से व्यक्ति जिनकी नसबन्दी की गई है वह अपनी पत्नी से लज्जा के कारण तथा लोक लज्जा के कारण अपना सही पता नहीं बतलाये हैं।

फर्रुखाबाद जिले के प्रान्तीय रक्षक दल के ब्लाक आर्गनाइजरों द्वारा नवयुवकों का प्रशिक्षण

*१४—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में प्रान्तीय रक्षक दल के ब्लाक आर्गनाइजरों ने जनवरी, १९७० से ३१ मार्च, १९७१ तक कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को प्रशिक्षित किया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या ब्लाक वार क्या है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

जी हां ।

प्रशिक्षित नवयुवकों की संख्या ब्लाकवार इस प्रकार है:—

नाम विकास खंड	प्रशिक्षित नव-युवकों की संख्या
१—हसेरन	१२
२—उमरदा	१५
३—लालगाम	१९
४—मरेहम्दाबाद	३४
५—कन्नौज	१९
६—कायमगंज	५
७—शमशाबाद	१२
८—राजेपुर	१३
९—छिबरामऊ	२९
१०—कमालगंज	२२
योग ..	१७०

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८८८ पर)

प्रदेश में ग्लेडियोलस की खेती का प्रयोग तथा इस हेतु सरकारी सहायता एवं अनुदान

*१५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में ग्लेडियोलस की खेती प्रदेश में किन-किन जिलों में की जायगी तथा इस पर प्रति एकड़ कितनी लागत आयगी तथा इसके निर्यात करने से प्रदेश को कितनी आय होगी ?

डाक्टर सीताराम—

चालू वित्तीय वर्ष में ग्लेडियोलस की खेती प्रयोगात्मक रूप में राजकीय आलू बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, सूपी, जिला नैनीताल पर लगभग १ एकड़ क्षेत्रफल में की गयी है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष किसी अन्य जिले में ग्लेडियोलस की खेती करने का कार्यक्रम नहीं है। अतः वर्तमान स्थिति में इसके निर्यात का प्रश्न नहीं उठता है। इसकी खेती पर ५ से ६ हजार रुपया प्रति एकड़ व्यय का अनुमान है।

*१६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग ग्लेडियोलस की खेती करने के लिये इच्छुक हैं, उन्हें सरकार क्या सहायता तथा अनुदान देगी ?

डाक्टर सीताराम—

ग्लेडियोलस की खेती पर हो रहे वर्तमान प्रयोगों के आधार पर राज्य सरकार एक योजना कार्यान्वित करने का विचार करेगी, जिसके अन्तर्गत ग्लेडियोलस की खेती करने के इच्छुक कृषकों को सभी प्राविधिक एवं अन्य सम्भव सहायता जैसे, बाहर से आयात किये हुये विभिन्न किस्मों के बल्बों का वितरण आदि, प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा।

*१७—श्री राम लाल राही—

(७वें मंगलवार में प्र० सं० १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

*१८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

(५वें मंगलवार के लिये प्र० सं० ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

*१९—श्री नित्यानन्द स्वामी—

(चौथे सोमवार में तारांकित प्रश्न सं० २६ के अन्तर्गत उत्तरित।)

बी० एच० सी० गन्ना कीट नाशक दवा का टेंडर

*२०—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६८-६९ में बी० एच० सी० गन्ना कीट नाशक दवा जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर ने सर्वोच्च टेंडर के दामों पर खरीदी है ? यदि हां, तो कुल प्राप्त टेंडरों की संख्या क्या है और वह किन-किन कीमतों के हैं ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६८-६९ में जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर ने बी० एच० सी० गन्ना कीट नाशक दवायें टेंडर के आधार पर नहीं खरीदी। अतः टेंडरों की संख्या तथा उनकी कीमतों का प्रश्न नहीं उठता।

जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर, के कार्यालय में कर्मचरियों का निलम्बन

*२१—श्री रामलाल राही—

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर ने गन्ना विभाग के २०–२५ कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष १९६८–६९, १९६९–७० में किन्हीं आरोपों के आधार पर निलम्बित किया ? यदि हां, तो कितनों को बहाल किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६८–६९ तथा १९६९–७० में जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर ने १२ कर्मचारियों को निलम्बित किया था जिनमें से ११ को बहाल किया जा चुका है ।

फर्रुखाबाद जिले के अस्पताल में इंजेक्शन लगाने में स्प्रिट के स्थान पर पानी का प्रयोग

*२२—श्री महराम सिंह —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जिला अस्पताल तथा महिला चिकित्सालय व टी० बी० क्लीनिक, फतेहगढ़, में लगभग एक वर्ष से मरीजों के इन्जेक्शन लगाने में स्प्रिट के स्थान पर पानी का उपयोग किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

केवल पैन्सलीन इन्जेक्शन को छोड़ कर अन्य इन्जेक्शन लगाने में स्प्रिट या सेवालीन लोशन के घोल का ही प्रयोग किया जाता है । पेन्सलीन इन्जेक्शन लगाने में स्प्रिट का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि स्प्रिट से पेन्सलीन के असर में तथा शक्ति में कमी की सम्भावना हो जाती है ।

*२३—श्री सजीवनलाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया ।]

उत्तरांचल, बुन्डेलखण्ड एवं पूर्वांचल के जिलों के विकास निगमों का गठन

*२४—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल, बुन्देलखंड और पूर्वांचल के जिलों के विकास के लिये सरकार ने कितने विकास निगमों का और कब गठन किया है ?

डाक्टर सीताराम—

पर्वतीय, बुन्देलखंड और पूर्वांचल के जिलों के विकास के लिये सरकार ने तीन विकास निगमों—पर्वतीय विकास निगम, बुन्देलखंड विकास निगम तथा पूर्वांचल विकास निगम का गठन किया है । ये निगम कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थायें हैं, तथा इनका रजिस्ट्रेशन गत वित्तीय वर्ष में ३० मार्च, १९७१ को किया गया था ।

*२५—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

इन विकास निगमों ने १९७१–७२ के लिये सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास के लिये किन-किन योजनाओं का कार्यक्रम बनाया है ?

डाक्टर सीताराम—

इन विकास निगमों ने वर्ष १९७१–७२ के लिये कोई विशिष्ट कार्यक्रम अभी नहीं बनाया है। साधारणतया इन निगमों को फल एवं आलू उत्पादन तथा विपणन, लघु सिंचाई, भेड़ पालन, भूमि संरक्षण, शीत भंडार की स्थापना, रिज्म, कृषि उद्योग, तेल मिल, चमड़ा शोधन, चीनी मिल, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा कुटीर एवं लघु उद्योग के कार्यक्रम हाथ में लेने हैं।

देहरादून जिला परिषद् के कर्मचारियों के राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता

*२६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि देहरादून जिला परिषद् के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता १९६२ से देना प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु १९७०–७१ में कमिश्नर, मेरठ डिवीजन ने १० वर्षों से दिये जाने वाले महंगाई भत्ते में कटौती कर दी? यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों के प्रतिवेदन पर गौर करके उनके पूर्ववत् मिलता आया यमहंगाई भत्ता देने के आदेश देगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

(क) कमिश्नर, मेरठ डिवीजन के आदेशों की पुष्टिकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोंडा के तुलसीपुर गन्ना विकास विभाग में अनियमितताएं

*२७—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोंडा के तुलसीपुर गन्ना विकास विभाग में होने वाली अनियमितताओं के बारे में दिनांक २० फरवरी, १९७० से ३१ मई, १९७० तक विभिन्न ग्रामों के काश्तकारों द्वारा अलग-अलग दिये गये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

डाक्टर सीताराम—

सीजन १९६९–७० में जनपद, गोंडा की तुलसीपुर गन्ना विकास समिति में गन्ने की पड़ताल तथा सट्टा के विषय में दिनांक २०–२–१९७० से ३१–५–१९७० तक विभिन्न ग्रामों के काश्तकारों द्वारा अलग-अलग ५ प्रार्थना-पत्र तथा ग्राम गैसड़ी तथा लालपुर से दो समूहिक प्रार्थना-पत्र, अर्थात् उक्त समय तक कुल सात प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। प्रार्थना-पत्रों में मेंउपरोक्त विषयों पर की गई शिकायतों की जांच की गई तथा जिन कृषकों को पड़ताल के प्रति शिकायत थी, उनका पड़ताल जांच किया गया तथा सट्टे के विषय में सभी कृषकोको विभागीय नियमों के अनुसार उचित सुविधायें दी गईं।

*२८–२९—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[८वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १२–१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बहराइच जिले में जैतापुर बाजार की जनता द्वारा चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*३०—श्री वासुदेव सिंह बैस (जिला बहराईच)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १४ फरवरी, १९७१ को तत्कालीन उद्योग मन्त्री को, बहराइच जिले के जैतापुर बाजार के क्षेत्र की जनता द्वारा चिकि-

स्वास्थ्य खुलवाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच जिले के राजकीय एवं जिला परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों के सहायक (फार्मासिस्ट) चिकित्सक

*३१—श्री वासुदेव सिंह बैद्य—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के राजकीय एवं जिला परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों में कितने ऐसे सहायक (फार्मेसिस्ट) चिकित्सक हैं, जो कि १० वर्ष से निरन्तर अस्थायी पद पर सेवा कर रहे हैं ? क्या इन फार्मेसिस्टों को स्थायी करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बहराइच जिले में राजकीय सेवा में नौ फार्मेसिस्ट ऐसे हैं जो दस साल से अस्थायी हैं, उनके स्थायीकरण के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब वह स्थायी हो जायेंगे। जिला परिषद् के अन्तर्गत एक फार्मेसिस्ट दस वर्ष से अस्थायी रूप से कार्य कर रहा है। चिकित्सा विभाग द्वारा उनके स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला परिषद, गोंडा, में लाखों रुपये के बिलों का भुगतान

*३२—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को पता है कि जिला परिषद्, गोंडा ने लगभग डेढ़ लाख रुपये के बिलों का भुगतान ३१ मार्च, के बाद ५ अप्रैल, १९७१ तक किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

३१ मार्च, १९७१ को मुबलिक रु० १२,९५,९३६.७२ पैसे के बिलों का भुगतान करना था। ३१ मार्च, १९७१ को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण लेखा, बिलों आदि का अधिक कार्य था। इनसे संबंधित धनराशियों के चेक आदि बनाने में काफी विलम्ब हुआ और अध्यक्ष महोदय के अन्यत्र सरकारी कामों में व्यस्त होने के कारण इन चेकों पर उसी दिन हस्ताक्षर नहीं कराये जा सके। अध्यक्ष १ अप्रैल को मुख्यालय से अनुपस्थित थे। २, ३ तथा ४ को अवकाश होने के कारण कार्यालय बन्द रहा। ५ अप्रैल को कार्यालय खुलने पर उसी दिन चेकों पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर करा कर के मुबलिक रु० १२,९५,९३६.७२ पैसे के सभी चेकों का वितरण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उसी दिन कर्मचारियों का मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देय था, रु० १७,३८५.९३ पैसे का भुगतान किया।

गोंडा जिला अस्पताल में टी० बी० का इलाज कराने वाले मरीज

*३३—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिला अस्पताल में जनवरी, सन् १९७० से मई सन् १९७१ तक कितने टी० बी० के मरीज इलाज कराने आए और कितनों को अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि जिला गोंडा अस्पताल के अन्तर्गत टी० बी० क्लीनिक भाग में कुल कितने बेड मरीजों को भर्ती होने के लिए रखे गये हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गोंडा जिला अस्पताल में जनवरी, १९७० से मई, १९७१ तक १, ३८९ टी० बी० के मरीज इलाज कराने आए और उनमें से ३५ करीबों को अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया गया।

इस अस्पताल के टी० बी० क्लीनिक भाग में इस समय कोई बेड नहीं है।

*३४–३५—श्री सजीवन लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

विकास क्षेत्र, लक्ष्मीपुर गोरखपुर जिले में ग्रामीण शक्ति योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

*३६—श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर–गोरखपुर में ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत पैंसिया-लक्ष्मीपुर तथा संपतिहा अड्डा बाजार दो छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण किस वर्ष स्वीकार किया गया तथा निर्माण की प्रगति क्या है तथा वे कब तक पूरा हो सकेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत विकास क्षेत्र, लक्ष्मीपुर-गोरखपुर में पैंसिया लक्ष्मीपुर सड़क की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष १९६६ में तथा प्रोविधिक स्वीकृति वर्ष १९७० में दी गई थी। इस सड़क की निर्माण की प्रगति परिशिष्ट 'क' में दी गई है। इस पर ३१ मार्च, १९७२ तक कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है।

संपतिहा अड्डा बाजार नामक सड़क ग्रामीण जनशक्ति योजना में स्वीकृति नहीं है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८८९ पर।)

कानपुर जिले के अन्तर्गत विकास खंडों की जीपों की खराब दशा

*३७—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत किन-किन विकास खण्डों की जीप चालू हालत में है और किन-किन की खराब या बिगड़ी हालत में पड़ी है ? क्या जो गाड़ियां खराब हैं उन्हें बदल कर नई जीप गाड़ियां दी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास खण्ड, घाटमपुर, पतारा, सरसौल, कल्यानपुर, चौबेपुर, बिल्हौर, ककबन, शीशमऊ, अकबरपुर, मैथा, अमरौधा एवम् राजपुर की जीप गाड़ियां चालू हालत में हैं।

विकास खण्ड, डेरापुर एवं रसूलाबाद की जीप गाड़ियां खराब हैं। उनके निष्प्रयोज्य घोषित होने पर ही नई जीपें दी जा सकती हैं।

अतारांकित प्रश्न

जिला नैनीताल के विकास खंड रामगढ़ में ग्राम चापड़ की पेय जल योजना

१—श्री इन्द्रलाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतावेंगे कि जिला नैनीताल के विकास खण्ड रामगढ़ में ग्राम चापड़ की पेयजल योजना कितनी लागत से किस सन् में बन कर तैयार हुई ?

श्री धर्मदत्त बंद्य—

यह वेयजल योजना १५,८६५ रु० की लागत से वर्ष १९६१ में बनकर तैयार हुई थी।

जिला फैजाबाद के अन्तर्गत टान्डा तहसील में डेरी फार्म स्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र

२—श्री राम अवध (जिला फैजाबाद)—

क्या पशुपालन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के अन्तर्अत डांडा तहसील में सन् १९६७ से १९७० के बीच कितने लोगों ने डेरी फार्म हेतु ऋण प्राप्त करने की दरख्वास्तें दी हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

केवल ४ लोगों ने ऐसी दरख्वाशतें दीं। इनमें से ३ दरख्वास्तों को उनके नामुकम्मल होने की वजह से प्रार्थियों को आवश्यक आपत्तियों से अवगत करते हुए वापस कर दिया गया और वह अभी तक उनसे पुनः प्राप्त नहीं हुई है। चौथी दरख्वास्त में भी कई कमियां पाई गई है और उसको भी प्रार्थी को वापस किया जा रहा है।

१९७१–७२ की नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से १९७१–७२ की नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम समिति ने इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं—

(१) नियमावली में १९६८ में जारी किये किये शुद्धिपत्र में उल्लिखित संशोधनों को नियमित रूप दिया जाय।

(२) वह सदस्य, जिसके प्रस्ताव पर विधेयक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया हो उस समिति का पदेन सदस्य हो जाय।

(३) कार्य-स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा की मद उस दिन के सामान्य कार्य से पूर्व ली जाय।

(४) याचिकाओं की व्याप्ति बढ़ाने के लिए नियम २३६(३) (ख) को निकाल दिया जाय। इसका परिणाम यह होगा कि सामान्य लोकहित के किसी ऐसे विषय पर भी याचिका ग्राह्य होगी जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प द्वारा उठाया जा सकता हो। याचिका समिति का यह अधिकार ले लिया जाय कि वह याचिका के सदन में उपस्थित किये जाने के उपरान्त उसे अस्वीकार किये जाने की सिफारिश कर सकें।

(५) नियमावली में संशोधनों की सूचना के साथ उद्देश्य और कारणों का विवरण संलग्न किया जाना अनिवार्य हो जाय।

(६) पुनर्विचार के उपरान्त नियम समिति का अंतिम प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखने की ३० दिन अवधि को घटा कर १० दिन किया जाय।

(७) लाभ पद विषयक समिति और सार्वजनकि उपक्रम एवं निगम समिति को सदन की समिति के रूप में गठित किया जाय।

(८) नियम समिति द्वारा प्रथम प्रतिवेदन में नियम ३०५ के बारे में की गई सिफारिश के अनुरूप नियम ३०६ में भी यह उपबन्ध किया जाय कि सदन के परिसर से अजनबियों को हटाने की अध्यक्ष महोदय की शक्ति का प्रयोग पूरे वर्ष किया जा सके ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो नियम समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और सदन में जो अव्यवस्था चल रही है उसको देखते हुए इसकी प्रतिलिपि सबको मिल जाय और इस पर विचार के लिए समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह छपकर आपको मिलेगा ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

इसके बाद सदन इस पर विचार करे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी सचिव ने सूचना दी है कि यह छप गई है और पुतिस्का बट गई है ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

इस पर विचार करने के लिये कोई समय रख दिया जाय ।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले एक को ही तो एक बार में समय मिलेगा । मैंने श्री सुरेन्द्र विक्रम का नाम पुकारा है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, "जन मोर्चा" अखबार में यह खबर निकली है कि प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री उदित नारायण शर्मा ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में असमर्थता व्यक्त की है" ।

माननीय राजस्व मंत्री जी के इस बयान से भ्रष्टाचारियों में खुशी पैदा हो गई है कि हमारे खिलाफ को ऐक्शन नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । लिखकर दे दें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं लिखकर दे दूंगा ।

(व्यवधान)

(पहले श्री उपाध्यक्ष ने श्री नित्यानन्द स्वामी को पुकारा फिर भी अनेक सदस्यों के व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने का प्रयत्न करते रहने पर शिक्षा मंत्री को क्रम संख्या ७ के संबंध में वक्तव्य देने के लिये पुकारा गया)

श्री अनन्त राम जायसवाल के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में जानकारी

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैंने श्री अनन्तराम जायसवाल के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी। कई दिन हो गये अभी उस पर कोई निर्णय आपने नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई है, उसके बाद ही बताया जायगा। (व्यवधान) ५–५, ६–६ सदस्य खड़े होते हैं, यह अनुशासनहीनता है। सबको किस-किस प्रकार से समय दिया जा सकता है, एक समय में ही।

दिल्ली में श्री उमाकान्त वाजपेयी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आपने मेरा नाम तो पुकारा था।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय भी आप और माननीय जायसवाल, दो खड़े है। अब तो मैंने माननीय शिक्षा मंत्री को बुला लिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आइटम नम्बर २ पर सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना है उसको आपने पास कर दिया। कल ही दिल्ली में हमारी पार्टी के श्री उमाकान्त बाजपेयी गिरफ्तार हो गये थे लेकिन सदन में उनकी सूचना नहीं दी गई। यह एक बहुती ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो दिल्ली में हमारा आन्दोलन चल रहा है उसमें गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको नियमों के अनुसार कार्य करने में मदद कर रहा हूं। नियम विरुद्ध तो हम कभी जाते नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने उनकी सूचना नहीं दी और क्रम संख्या २ को लांघ गये।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सूचना हमें मिलेगी वही तो हम सदन को देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसकी सूचना तो उनको तुरन्त देनी चाहिये थी। यह तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल है। मैं आपको उसकी सूचना दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमें लिख कर दे दीजिए या जब वहां से हमारे पास सूचना आयेगी तब बताया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं सदन के अन्दर कह रहा हूं। दिल्ली के अन्दर उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा सदन ने २९ तारीख को बंगला देश के बारे में एक प्रस्ताव पास किया था।

हर रोज लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। वर्तमान माधव प्रसाद त्रिपाठी जी वहां गिरफ्तार हो गये होंगे लेकिन यह सरकार केन्द्रीय सरकार को वह प्रस्ताव नहीं भेजती, दबाव नहीं डालती जनसंघ का प्रत्येक सदस्य १२ तारीख तक किसी न किसी दिन वहां जाकर सत्याग्रह करेगा जब एक प्रस्ताव इस सदन के अन्दर पास हुआ है तो क्यों नहीं उसको भारत सरकार को भेजती और उस पर दबाव डालती कि बंगला देश को मान्यता दे ।

श्री उपाध्यक्ष—

मान्यता देने के बारे में सदन का जो मत है वह साफ है । मुझे जो सूचनाये थीं वह मैंने दे दीं । जो आप आज बता रहे हैं उसकी जब सूचना आयेगी तो मैं दूंगा । अब आपकी जो कहना हो वह लिख कर दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह तो हम लिखाकर देंगे। लेकिन मान्यता का प्रस्ताव पास कर दिया तो क्या वह फाइल में रखने की चीज है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर उस प्रस्ताव के रहते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी को पकड़ा होता तो हम यहां कहते ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया । बड़ी सही बात कही आपने । मैं तो यह कह रहा था कि जो मान्यता का प्रस्ताव पास किया था उससे केंद्रीय सरकार पर दबाव क्यों नहीं डालते । यह निकम्मी सरकार यहां बैठी है···

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक बार कह चुके हैं । सदन में उस प्रस्ताव को पास किया । सदन ने अपनी इच्छा को फिर से दोहराया। वह भी अखबार में छिपा तौर उसका जो अभीष्ट प्रभाव पड़ना चाहिये वह पड़ा होगा । लेकिन प्रदेश की सरकार ने किसी को नहीं पकड़ा है । यह दिल्ली की सरकार ने पकड़ा होगा । तो अब हम आगे चलते हैं ।

व्यवस्था का प्रश्न [आगत]

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक निवेदन आपसे करना है । हमारे दल के ही एक मननीय सदस्य श्री सुरेंद्र विक्रम ने अभी एक बात कही जो शायद आपके नोटिस में आयी होगी कि माननीय सहकारित मंत्री जी ने कुछ लोगों का ट्रांसफर कर रखा है और उन लोगों से यह भी कह रखा है कि अगर सुरेंद्र विक्रम, कृष्णानन्द राय या बंशीधर पांडेय से लिखवा कर दे दीजिये तो ट्रांसफर कैंसिल हो जायगा। और उसमें उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया सहकारिता मंत्री जी के लिये कि "बदमाशी" कर रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे वह हमारे दल के माननीय सदस्य हैं लेकिन मुझे उनके इस "बदमाशी" शब्द पर एतराज है। इसलिये चाहे माननीय सुरेंद्र विक्रम जी स्वयं इस शब्द को वापस ले लें अथवा आप सदन की कार्यवाही से सिर्फ " "बदमाशी" शब्द को निकाल दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री सुरेंद्र विक्रम के खड़े हो कर कुछ बोलने की कोशिश करने पर) जब आपके सवाल को इतनी खूबसूरती और इतने अप्रत्यक्ष ढंग से माननीय कल्पनाथ सिंह रखने में सक्षम हुए हैं तो फिर अब आपको कुछ नहीं कहना चाहिये ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—मन तुरा हाजी बगोयन, तू मरा हाजी बगो ।

समाचार पत्रों द्वारा सदस्यों के भाषणों को महत्व न देने के सम्बन्ध में शिकायत

[श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, समाचार-पत्र जनतंत्र के प्रहरी हैं लेकिन आज के समाचार-पत्रों की इस ढंग की गति विधियां हैं कि जिनको देख कर ऐसा महसूस होता है कि जनतंत्र खतरे में पड़ता जा रहा है ।

(व्यवधान)

मैं अपनी बात कह लूं । कल मैंने हरिजनोद्धार पर अनेक ऐसे सुझाव दिये थे...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं कि आप खड़े होकर समाचार-पत्रों पर ऐसे टीका टिप्पणी करें ।

श्री महीलाल—

मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। आपका ध्यान उधर आकृष्ट कर रहा हूं। मैं लिख कर भेज दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

तब हम देख लेंगे ।

श्री महीलाल—

माननीय वीरेंद्र वर्मा ने उस दिन जो प्रश्न श्री उमादत जी के विरुद्ध उठाया था वह भी अखबार ने नहीं लिखा था । जब आपका ध्यान उस तरफ दिलाया गया तब उन्होंने अगले दिन समाचार-पत्रों में दिया कि कल मैंने हरिजन उद्धार के अनुष्ठान पर अनेक सुझाव दिये और अनेक शिकायत की जिनको माननीय मंत्री और शासन ने स्वीकार किया और उन्होंने उसकी सराहना की लेकिन किसी भी समाचार-पत्र ने नवजीवन, स्वतंत्र भारत, पायनियर और नेशनल हैरेल्ड ने भी नहीं छापा जिनको मैंने देखा उन्होंने केवल नाम लिखकर छोड़ दिया और उन सुझावों का जिक्र नहीं किया । आप कृपया समाचार-पत्रों से कहें कि वह निष्पक्ष रहें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो समाचार-पत्र यहां पर अपनी रिपोर्ट करते हैं उनको यहां पर जो दिखाई पड़ता है या सुनाई पड़ता है उसका जो भी अंश वह उचित समझते हैं उसको वह छाप देते हैं । कई दफा जब इस प्रकार के प्रश्न यहां पर उठते हैं और आप लिखकर देते हैं तो उनको कह देते हैं । इसके अतिरिक्त और क्या हम समाचार-पत्रों के विषय में कर सकते हैं ?

नियम ५२ की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)--

मैंने २८ तारीख को लिखकर दिया था कि गाजियाबाद में ३०० बीघा जमीन का मामला पड़ा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

सब के ऊपर मैंने निर्णय दे दिया है । ११ बजे तक सब पर निर्णय हो जाता है । अगर माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिये जो उचित समय होता है उस समय ही कह सकते हैं।

श्री लक्ष्मण स्वरूप--

२८ तारीख को मैंने दिया था परन्तु आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं २८ तारीख की सूचना का अभी कैसे जवाब दे सकता हूं ? पता लगाकर ही जवाब दिया जा सकता है।

बी० टी० सी० में सरकार द्वारा नामांकन करने के बारे में सरकारी नीति के सम्बन्ध में जानकारी

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, सरकार की तरफ से कहा गया था कि बी०टी०सी० के लिये सरकार की ओर से कोई नामिनेशन नहीं किया जायगा लेकिन शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं तो वे बता दें...

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर देदे तो उस पर विचार हो जायगा । मैं यह आश्वासन देता हूं कि हर उचित बात का अध्ययन करके स्वीकार करने लायक बात को स्वीकार किया जाता है और सरकार से उस सवाल का जवाब दिलाने का भरसक प्रयत्न किया जाता है ।

श्री छांगुर राम--

शिक्षा विभाग से जिलों को जो आदेश गया है उसमें स्पष्ट लिखा था कि बी०टी०सी० के लिये नामिनेशन नहीं किया जायगा । ५ नाम यहां से गये शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं वह बतला दें कि ऐसा क्यों हुआ है ? ऊपर से तो यह सरकार आदेश कुछ भेजती है और अन्दर अन्दर दूसरी कार्यवाही करती है। यह माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन है । हर सदस्य को नाम भेजने का अधिकार सरकार दे । वे नाम भेज दें । इस तरह से अन्दर-अन्दर ही यह सरकार दूसरी बात करती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय आप इस तरह की बात करते हैं और फिर बाद को कहेंगे कि अनुवान पर बोलने का समय नहीं दिया ।

श्री अनन्त राम जायसवाल द्वारा प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को शीघ्र विचारार्थ लेने की मांग

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

सरकार आपके सचिवालय को बहुत धन्यवाद देती होगी कि प्रश्नों के घंटे से आपने संसोपा को गायब ही कर दिया । आप एजेंडे को उठाकर देखने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस तरह से आक्षेप करके बात कहते हैं । जो कहना हो उसको कहें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

नियमानुसार अब आप बोल तो हमको नहीं बोलना चाहिये । इसी तरह से जब हम बोलें तो आप सुना कीजिये । मेरा निवेदन यह है कि जो कार्य सूची सदस्यों को वितरित करते हैं वह इस बात की साक्षी है कि जो कुछ हम कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है और इस बात का सबूत इसी से मिल जायगा । मैं आप का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूंगा । नियम २९ में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के बारे में साधारण नियम है कि ऐसे प्रश्न की सूचना लिखित रूप से ३ दिन पहले सचिव को दी जायगी और सचिव उसकी ग्राह्यता के विषय में अध्यक्ष की आज्ञा २४ घंटे के भीतर प्राप्त करेगा । यदि ग्राह्यता का विनिश्चय अध्यक्ष की तरफ से हो जायगा तब तत्काल वह प्रश्न सरकार के पास उत्तर के लिये भेजा जायगा और यदि संबंधित मंत्री इस स्थिति में हैं कि वह उस का तुरन्त उत्तर दे सकते हैं तो उस की व्यवस्था कर दी जायगी और यदि वह तुरन्त उत्तर देने की स्थिति में नहीं है तो फिर साधारणतया ऐसे प्रश्न को तारांकित प्रश्न में आप बदल देंगे और उस दिन की प्रश्न सूची में उसको पहला स्थान दिया जायगा जिस दिन नियम के अनुसार तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर के लिये उसकी बारी है । लेकिन अल्पसूचित प्रश्न जितने हमारे दल की ओर से आपके यहां गये हैं उतने शायद किसी अन्य दल की ओर से नहीं गये होंगे ।

आप नियम ४५ भी देखें उसमें यह है कि अध्यक्ष प्रश्न की ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे और वे किसी प्रश्न को अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकेंगे जो इन की राय में इन नियमों के प्रतिकूल है अथवा प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग है । अध्यक्ष सम्बद्ध सदस्य को संक्षेप में प्रश्न को अग्राह्य करने के कारणों की सूचना देंगे । वे किसी प्रश्न को नियमानुकूल बनाने के लिये उसमें संशोधन कर सकेंगे अथवा प्रश्न को सुधार के निमित्त वापस कर सकेंगे ।" यह आप की शक्ति है, इसके पहले इस में कोई शिकायत नहीं रही, हम प्रश्न देते थे, यदि वह स्वीकार होते थे तो हमें सूचना मिल जाती थी कि फलां तारीख को इस प्रश्न का उत्तर आयेगा और अगर वह अस्वीकार हो जाता था तो भी हमारे पास कारणों सहित उसकी सूचना आ जाया करती थी लेकिन आप इसको अपने कार्यालय से जांच करा लें, अब यह प्रथा बन्द हो गई है । अब कोई सूचना ग्राह्यता की नहीं दी जाती । इसलिये मैं कह रहा हूं कि आप कार्यसूची को देख लें कि जितने संसोपा के सदस्यों के नाम हैं वे प्रश्नों के घंटे से प्रायः गायब हो गये हैं । हम इस के लिये किस को धन्यबाद दें । एक तो आप इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

दूसरी बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि इस सदन में व्यवस्था बनी रहे जिस तरह से यह संचालन हो रहा है यह ढंग उसका है नहीं क्योंकि इस तरह से हमारे प्रश्न तो आयेंगे ही नहीं और सूचना भी हमें नहीं मिलेगी । किसी दूसरे के प्रश्न पर तबियत चल जाय तब भी आप हमें मौका नहीं देंगे । चाहे हम यहां १०—१५ या २० बार खड़े हों । आप की निगाह हम पर नहीं पड़ती । एक यह परेशानी हमारी है ।

इसके अलावा जो हमारा विशेषाधिकार वाला प्रश्न है उसके संबंध में भी मैं निवेदन करूंगा कि उसमें अनावश्यक बिलम्ब हो रहा है । उस प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही होनी

चाहिये, आप इस से सहमत होंगे लेकिन कई दिन हो गये मैं बार-बार जबानी निवेदन कर रहा हूं और लिखकर भी दे रहा हूं लेकिन न कोई उत्तर मिलता है, न कोई निर्णय इधर या उधर कुछ होता है। इन सारी चीजों को आप इस तरह से चलायें कि कम से कम हमें दोबारा इस तरह की बात कहने का मौका न मिले, बहुत मजबूर होकर हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, हम बहुत एहतियात बरतते हैं कि आप को शिकायत का मौका न मिले लेकिन जिस तरह से संचालन हो रहा है उससे ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है और ऐसी नौबत आ जाती है कि हार्दिक कष्ट होता है। आशा है कि आप इन प्रश्नों पर समाधान करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

आप आसन ग्रहण करें, मैं .....

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

हमने सैकड़ों सवाल दिये और एक भी स्वीकार नहीं हुआ और न अस्वीकृति की गई तो सूचना हमको क्यों नहीं दी गई। कितने ही अल्पसूचित प्रश्न हमने दिये। अगर अस्वीकृत हो गया हो तो उसकी सूचना हमको मिलनी चाहिये। यह भी सूचना नहीं मिलती है। आया हम लोगो के अधिकारों के रक्षक होकर कुर्सी पर बैठे हुये हैं। इसलिये हम आपसे न कहें तो किससे कहें?

श्री उपाध्यक्ष---

वही बात माननीय जायसवाल जी ने कही है। इस अधिवेशन के बीच थोड़ी शिकायत हो सकती है प्रश्नों के बारे में ऐसा प्रस्ताव है कि हमारे जो प्रश्न खंड के सहायक सचिव थे वे अस्वस्थ रहे हैं। तो थोड़ी शिकायत स्वाभाविक है और उसको मैं मान लेता हूं। लेकिन आज माननीय अध्यक्ष ने यह प्रबन्ध किया है कि प्रश्नों के लिये एक नई नियुक्ति कर दी है। अब जहां तक दूसरी बात का संबंध है कि सवाल का जवाब नहीं आता तो हमारा सचिवालय हर तरह से माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने के लिये चेष्टारत रहेगा, माननीय बांकेलाल जो बता दें। उनका प्रश्न मंगाना पड़ेगा।

दूसरी चीज समय देने की है। मैं माननीय जायसवाल जी से सहमत नहीं हूं। संसोपा के दल को सबसे ज्यादा समय मिलता है। इस संबंध में माननीय सुरेंद्र विक्रम तथा अन्य संगठन कांग्रेस के माननीय सदस्य ज्यादा नाराज थे.....

श्री बांकेलाल---

आप संसोपा को पूरा समय देते हैं लेकिन बहुत लड़ाई-झगड़े करने के बाद मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि आप अगर संसोपा में नहीं हैं तो भी समाजवादी विचार धारा के अवश्य हैं और मान्यवर, मैंने तो ऐसा विचारा है कि आप भी कालिदास की तरह जिस डाल कालीदास की तरह जिस डाल पर बैठते हैं उसी डाल को काटने की कोशिश करते हैं। हमारी पार्टी ने आपको कितना बड़ा समर्थन दिया था जिसका परिणाम हम लोगों को इस समय भुगतना पड़ रहा है और आप हम लोगों को तोड़ना दे रहे हैं और हम लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं। उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बहस का स्तर यही है। मुझे तरस आता है जिस दल में आप हैं और जिस दल में होने का मुझे गौरव था उस नाते मुझे तरस आता है। इस बात पर। आपके नेता ने जिसकी तरफ संकेत किया उसको मैं मान रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि उसकी सूचना दूंगा।

श्री बांकेलाल---

उपाध्यक्ष महोदय, असेम्बली चले २५-२६ दिन हो रहे हैं लेकिन इस बीच में हमने जितने सवाल दिये हैं वह एक भी स्वीकार नहीं हुआ है और अगर स्वीकृत हो गये होते तो मुझे संतोष रहता ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं अभी कह रहा था कि दो घंटे की बहस का प्रस्ताव था माननीय सुरेंद्र विक्रम का । माननीय रामधारी जी को भी कल समय दिया गया था । माननीय बांकेलाल को भी कल समय दिया । दूसरे दलों को समय दिया । इसलिये माननीय जायसवाल जी यह कहते हैं वह उनकी आपत्ति सही नहीं है । अपने दिमाग से वे इस बात को निर्मूलन कर दें । मैं बैठता हूं यहां तो मैं अपनी कार्यविधि के हिसाब से कार्य करने की चेष्टा करता हूं और जो प्रश्न आप करते हैं उन प्रश्नों पर हमारे विभाग में कुछ न कुछ सन्तुष्ट करने का और विचार करने का ढंग है । फिर भी आप अगर चाहते हैं कि हमारे प्रश्न लिये जायं तो उस संबंध में आप हमसे और प्रश्न विभाग से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आपने कारण बताया कि प्रश्नों को देखने के अधिकारी थे वे कुछ अस्वस्थ थे इस लिये हमारे प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके ही प्रश्न नहीं हैं । सबके हो सकते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

देखने में यह आता है कि दूसरे माननीय सदस्यों के प्रश्न बराबर आते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप हमारे दफ्तर में एक-एक चीज को देख लीजिये । मैं उसके लिये तैयार हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

यह जो कार्यसूची देते हैं आप इसमें देखने को मिलता है कि अल्पसूचित प्रश्न रोज स्वीकार किये जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

स्वीकार करने लायक होंगे तो स्वीकार होंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

वही मैं जानना चाहता हूं कि हमारे प्रश्न स्वीकार हुये या नहीं और अगर स्वीकार नहीं किये गये तो किन कारणों से ?

श्री उपाध्यक्ष--

योग्यता के अनुसार जो समझा गया कि आना चाहिये वह आया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

लेकिन उसकी सूचना भी हम लोगों को नहीं मिलती है।

श्री उपाध्यक्ष---

वह मिलेगी ।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)---

अभी जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया प्रश्नों के संबंध में उसी तरह का मेरा बहुत गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपके सचिवालय के प्रश्न विभाग में पूरी दुर्व्यवस्था है, कोई प्रबन्ध नहीं है । मैंने जुलाई के प्रारम्भ से आज तक पच्चीसों प्रश्न दिया लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और न कार्यसूची में आया । मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपके विरुद्ध यह आक्षेप करता हूं कि आप अकबर जैसा दरबार करते हैं, मुंह देखी करते हैं ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप उन २५ प्रश्नों की प्रतियां लेकर मेरे पास आयें तो मैं आपको बता दूंगा कि क्यों अस्वीकृत किये गये ।

श्री सर्वसुख सिंह---

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न दिया था । तीन निर्मम रोमांचकारी हत्याकांड का उल्लेख है, लेकिन आपने अस्वीकार कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप आयें तो मैं बता सकता हूं ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

जो मैंने प्रश्न उठाया था, उसका जवाब मंत्री जी देना चाहते थे, उसको....।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो आपको जो कहना था वह आपने कह दिया । अब आगे चलें ।

प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों की भीषण कमी से विद्यार्थियों को असुविधा के सम्बध में वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)---

प्रदेश के आइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के लिये कक्षा १ से ८ कक्षा तक ४० पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हैं । इन पुस्तकों की रचना शिक्षा विभाग द्वारा करायी गयी है । इनके मुद्रण प्रकाशन, वितरण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के व्यक्तिगत प्रकाशकों। मुद्रणों द्वारा विभाग की देखरेख में करायी जाती है । इन ४० राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के अतिरिक्त जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं की इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत उर्दू वाणिज्य एवं संगीत विषयों की ६८ पुस्तकें विभाग द्वारा स्वीकृत हैं । साधारणत: उक्त पुस्तकों का मुद्रण/प्रकाशन आवश्यकता से अधिक मात्रा में कराय जाता है जिससे पुस्तकों के विक्रय के बाद भी कुछ पुस्तकें अगले वर्ष के लिए बची रह जाती है । इस संबंध में पाठ्य पुस्तक विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश के प्रमुख नगरों के बाजार में जाकर व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया । इन अधिकारियों को पुस्तकों के अभाव की कोई शिकायत नहीं मिली । दिनांक २४ जून, १९७१ को एक परिपत्र द्वारा प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों से निवेदन किया गया था यदि उनके जिले में कहीं भी किसी पाठ्य पुस्तकों के अभाव की आशंका हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें । उत्तर में किसी भी जिला विद्यालय निरीक्षक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

[डाक्टर रामजीलाल सहायक]

कक्षा १ से ८ तक समस्त विद्यालयों में राष्ट्रीयकृत एवं स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों का ही प्रचलन हो इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग सदैव जागरूक रहता है। समय-समय पर प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस आशय से परिपत्र निर्गत करते हैं कि वे इस दिशा में सतर्क रहें कि विभाग के राजकीय प्रकाशनों तथा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तकें व्यवहृत हों। किसी भी जिले से यह सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि राष्ट्रीयकृत एवं स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कोई अन्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं।

पुस्तकों के लिये कागज के उपलब्ध होने में इस वर्ष कठिनाई हो गयी थी। कारण यह था कि कागज का अभाव हो रहा है और कागज के मूल्य में भी वृद्धि हो गई है। इसलिये विभाग ने अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से सम्पर्कस्थापित करके राष्ट्रीयकृत तथा स्वीकृत पुस्तकों के मूल्य में उचित वृद्धि कर दी है और इस बात पर विशेष ध्यान कि पुस्तकें समय से उपलब्ध हो जायं और उनका कोई अभाव न हो।

विधायकों से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं बतायी गयी हैं उनके नाम हैं। हमारे पूर्वज (प्रथम भाग), कृषि विज्ञान (प्रथम व तृतीय भाग), बेसिक रीडर (द्वितीय व तृतीय भाग) तथा नव भारती (द्वितीय भाग) किसी जिले का नाम नहीं बताया गया है जहां पुस्तकों की कमी है। इस सम्बन्ध में यह बताना है कि बाजार में उक्त पुस्तकों के अभाव की सूचना नहीं है।

माध्यमिक विद्यालयों की पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा केवल अनुमोदित होती हैं ये पुस्तकें राष्ट्रीयकृत नहीं हैं। इन पुस्तकों के अभाव की कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं है। शिक्षा निदेशक से कहा जा चुका है कि वे इस सम्बन्ध में जांच करने के बाद शासन को यथाशीघ्र अवगत करावें। इसकी जांच निदेशक को सभी जिलों से करानी होगी।

श्री मोहन लाल कंसल (जिला मेरठ)---

शिक्षा मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि कागज का अभाव रहा और कागज का मूल्य भी बढ़ गया। यह कौन सा समय था जब कागज की कमी हुई और ४० प्राइमरी की और ६८ जूनियर हाई स्कूल की पुस्तकें कब छपीं और कितनी छपीं ? मेरठ आदि स्थानों में किताबों की कमी रही है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि संपर्क स्थापित किया गया था। कोई संपर्क स्थापित नहीं किया गया और यहीं बैठकर उत्तर दे दिया गया है। किताबें कब छपीं और कितनी-कितनी छपीं ? जब तक यह सूचना नहीं आयेगी तब तक कैसे सदस्यों का समाधान होगा।

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

इसमें मेरा तो मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि कोई संपर्क स्थापित नहीं किया गया और यहीं बैठ कर उत्तर दिया गया है, इसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वस्तु स्थिति नहीं है। मैं उन अधिकारियों के नाम बताता हूं जो कि दौरे पर गये हैं और उन्होंने वहां जा कर सूचना दी है। श्री मुरारीदत्त चतुर्वेदी मथुरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ गये, श्री कन्हैयालाल वर्मा ने इलाहाबाद और लखनऊ के बारे में जांच की तथा श्री वेंकटेश्वर पांडे अलीगढ़ और मथुरा गये थे।

श्री शंभूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या कोई शिष्ट मण्डल कागज के अभाव के संबंध में मंत्री जी से मिला था ? यदि हां तो उस शिष्ट मण्डल ने क्या मांग रखी थी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

शिष्ट मण्डल मिला था और उन्होंने कीमतों में वृद्धि की बात शासन के समक्ष रखी थी। इस में शासन ने कुछ किया भी है।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

क्या यह बात सही है कि कागज का ब्लैक किया गया है? क्या मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि कागज का अभाव इसलिए हुआ है कि कागज ब्लैक में बेच दिया गया और किसी को ज्यादा और किसी को कम दिया गया?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

कागज के अभाव का तो इससे कोई संबंध नहीं है। कागज का अभाव तो इसलिए हुआ क्योंकि कागज के उत्पादन में कभी हुई और एक---दो मिलों में हड़ताल के कारण कागज का उत्पादन नहीं हुआ।

श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)---

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कागज के मूल्य में कितनी वृद्धि की गयी है और पुस्तकों के मूल्य में कितनी बढ़ोत्तरी की अनुमति दी गयी है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, जो पुस्तकों की कीमत रही है उसमें ६ प्रतिशत तक बढ़ाया है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिये वैध पाए गये नाम निर्देशन पत्रों तथा उसके चुनाव की तिथि के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के नाम निर्देशन पत्र जो स्वीकृत हुए उनमें से ११ माननीय सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए---सर्वश्री मोहन लाल कपूर, आशा राम इन्दू, त्रिवेणी सहाय, राम धारी शास्त्री, चन्द्र पाल आजाद, डूंगर सिंह विष्ट, राम बिलास पांडेय, राजेद्र प्रताप सिंह, विक्रम सिंह, मैनेजर सिंह व इन्द्रमणि बड़ौनी। नामों के वापसी की अंतिम तिथि १६ अगस्त, १९७१ को ४ बजे तक है और निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो २० अगस्त, १९७१ को विधान पुस्तकालय में १२ बजे से ४ बजे के बीच होगा।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या-३६ सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायता अनुदान तथा अनुदान संख्या ४३---प्रकीर्ण व्यय

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३६ सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२२,८९,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं पुनः श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४३-प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,८६,१६,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में मुझे जो कुछ भी कहना है वह माननीय सदस्यों के अपने सुझाव रखने के उपरान्त ही कहूं। मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को अधिक से अधिक समय अपने सुझाव रखने के लिए मिले और उसके उपरान्त ही मैं निवेदन करूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर संशोधन हैं । माननीय मनोहर लाल, आप सभी संशोधनों को रख दें ।

*श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)---

माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर संशोधन हैं और उन संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं। संपूर्ण अनुदान संख्या ३६ व ४३ के अधीन मांग की राशियां घटाकर एक एक रुपया कर दिया जाय। स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसमें कटौती का प्रस्ताव मैं पेश कर रहा हूं। उसके बहुत से कारण हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि स्थानीय संस्थाएं, लोकल बाडीज का प्रत्येक जिले में कितना अधिक महत्व होता है। स्थानीय समस्याओं को निपटाने, उनको पूरा करने के लिए उनका एक विशेष महत्व होता है ।

इन स्थानीय संस्थाओं में महापालिका, नगरपालिका, टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज सभी आ जाती है। इन्हीं संस्थाओं के जरिये से हमारी सरकार यह चाहती है कि वहां की जो जरूरतें हैं, समस्याएं हैं उनको वहां की ये स्थानीय संस्थायें पूरा करें, उनका निराकरण करें और तत्काल ही उसके लिये वहां पर उपाय किये जाएं। स्थानीय समस्याएं क्या हुआ करती हैं इसमें शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, सफाई की समस्या, रोशनी की समस्या आदि आती हैं जो आवश्यक समस्यायें हैं और उनका निराकरण इन स्थानीय संस्थाओं के जरिये होता है। इसीलिए हमारी सरकार ने इन संस्थाओं को बनाया है। ये स्वशासी संस्थायें हैं। इनका निर्माण वहां के स्थानीय चुने हुए लोगों के द्वारा होता है हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में सही मायनों में जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाय परन्तु जो उनका प्रबन्ध है, जो उनके काम करने के ढंग हैं उनमें और उनके रवैये में तब्दीली करनी होगी। स्वतंत्रता मिलने के बाद १९४७ से आजतक नगरमहापालिकाओं ने जो पांचों बड़े शहरों में हैं, नगरपालिकाओं में, टाउन एरियाज में ऐसे कौन से काम हुए हैं जिससे कहा जा सके कि हम अपनी इन स्थानीय संस्थाओं के जरिये नागरिकों की जरूरतों को, दिक्कतों को दूर करने का प्रयत्न करते रहे हैं। इन संस्थाओं के द्वारा बड़ा भारी गोलमाल होता है और हमारी जो दिक्कतें हैं उनको भी वे दूर नहीं कर पाती। उसके बहुत से कारण हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कैबाल टाउन्स में महापालिकाओं के प्रथम चुनाव १९५९ में हुए। उसके बाद हमारे प्रदेश के पांच बड़े शहरों में महापालिका आयी। यह उम्मीद की जाती थी कि इन महापालिकाओं में इसके द्वारा बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन हमें यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि वे सब सपने धरे रह गये। वहां पर मिला क्या ? वहां पर मिला करप्शन, भ्रष्टाचार, पार्टीबन्दी।

शहरों में सड़कों की दुर्व्यवस्था हो रही है, रोशनी का ठीक इन्तजाम नहीं है। इसी तरह सफाई और शिक्षा की बात है। इन संस्थाओं से जो उम्मीद करते थे कि जनता की दिक्कतें दूर होंगी, वे सारे सपने रखे रह गये। यदि हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कर सकें तो हमें सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना होगा। जैसा कि हम महसूस करते हैं और पूरा सदन महसूस करता होगा कि शिक्षा की उन्नति के लिए बहुत कुछ जिम्मेदारी स्थानीय संस्थाओं की है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नगरपालिका, महापालिका और टाउन एरिया के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। ये ही संस्थाएं प्रारंभिक शिक्षा का प्रबन्ध करती हैं। यहां की शिक्षा इतनी दोषपूर्ण है कि शायद ही कोई अपने बच्चों को वहां भेजना पसन्द करता हो। हमारे प्रदेश के अन्दर दो तरह की शिक्षा है। पैसों वालों के लिये कंवेन्ट स्कूल हैं। जो सौ डेढ़ सौ रुपया पाने वाला कर्मचारी है या छोटा आदमी है उन्हीं के बच्चों को आप नगरपालिका और महापलिका के स्कूलों में पायेंगे। उनके पास पैसा नहीं इसलिए मजबूरन उनके बच्चे इन स्कूलों में आते हैं। इन स्कूलों में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर अध्यापकों की न तनख्वाह की बात है और न दूसरी बातें हैं। मान्यवर, अगर हमने वहां शिक्षा के स्तर को ऊंचा नहीं किया तो जिस तरह हम २३ सालों में फेल रहे हैं उसी तरह भविष्य में भी रहेंगे। कहने के लिए चाहे हम कुछ कह लें लेकिन क्या हम इन स्कूलों में समाजवाद की रचना की उम्मीद कर सकते हैं ?

माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया और कहा कि सुझाव लेने के बाद वे कुछ कहेंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि जब वे अपना उत्तर दें तो यह भी बतलावें कि शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और सफाई आवश्यक चीजें हैं जिनके जरिये हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि मिलावट अपनी चरम सीमा पर है। कोई भी चीज आप लें बिला मिलावट के वह नहीं मिलेगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा दूध जरूरी है लेकिन दूध में भी मिलावट रहती है। आपने इन्स्पेक्टर्स और चीफ सेनिटरी इन्स्पेक्टर्स नियुक्त कर रखे हैं लेकिन वे लोग कुछ नहीं करते। अगर वे सैंपिल लेते भी हैं तो वह पैसा लेने के लिए लेते हैं। उनके हल्के बन्धे हुए होते हैं और वह दुकानदारों से महावारी पैसा लेते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं कि कौन दूध में पानी मिला रहा है, कौन घी में मिलावट कर रहा है, कौन आटे में मिलावट कर रहा है।

कानपुर में ही नहीं सारे उत्तर प्रदेश में बहुत सी आटा मिलें हैं। ये मिलें आटे में दलिया मिला रही हैं। गेहूं के साथ में वे लोग तमाम कूड़ा करकट इकट्ठा करके पीस देते हैं और वह जहरीला हो जाता है। मैंने माननीय बेनी सिंह जी से कहा भी है कि वे देखें कि किस तरह से यह लोग आंटे में मिलावट करते हैं। इन इन्स्पेक्टरों का यह काम है कि वे उसको देखें और इस मिलावट को रोकें, मगर इन्स्पेक्टर लोग बिके हुए होते हैं, और मिलावट होती रहती है। यदि सरकार को जन स्वास्थ्य ठीक रखना है तो उसको इन इन्स्पेक्टरों की ओर ध्यान देना होगा, उनके साथ सख्ती बरतना होगी।

आज महापालिकाओं में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। मेयर के चुनाव में सभासद लोग २ हजार से ५ हजार तक में बिकते हैं। क्या राज्य सरकार इसको दूर नहीं कर सकती है ? फिर जो विकास समिति तथा अन्य समितियां होती हैं उनके अन्दर जो सदस्य चुने जाते हैं वे भी पैसा खर्च करके वोट खरीदते हैं। अब आप ही सोचिए कि जब पैसा खर्च करके मेयर बनेगा, समितियों के सदस्य बनेंगे, तो वे कैसे ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे। इसके लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि मेयर की चुनाव प्रणाली को बदलिये। जिस तरह से मुख्य मंत्री का चुनाव होता है, और मुख्य मंत्री अपनी कैबिनेट का चुनाव करता है, उसी प्रकार से महापालिकाओं में जो दल बहुमत में आए उस दल के नेता को मेयर बनाया जाना चाहिये और फिर वह मेयर, मुख्य मंत्री की तरह से, ११ सदस्यों की एक सलाहकार परिषद् गठित करे और हर सदस्य उस सलाहकार परिषद् का अपने-अपने विभाग के लिये जिम्मेदार हो। जब उस सलाहकार परिषद् की बैठक हो तो मेयर सभी विभागों के बारे में जानकारी हांसिल करें। आप चाहते हैं अगर कि स्वायत्त संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य करें और उनमें भ्रष्टाचार दूर हो तो आपको यह कदम उठाना चाहिए।

[श्री मनोहर लाल]

साथ ही डिप्टी मेयर का पद समाप्त कर देना चाहिये। यह महापालिकाओं के ऊपर एक बोझ बना हुआ है। उसके कारण बड़ी दलबन्दी पैदा हो गयी है। चूंकि वही विकास आदि समितियों का अध्यक्ष होता है अतः वह भी वोट खरीद कर डिप्टी मेयर बनता है। इसलिये इस पद की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ११ सदस्यों की सलाहकार परिषद् बने वही सारा कार्य करे। कबाल टाउन्स में इस कदम से काफी हद तक भ्रष्टाचार दूर होगा।

किसी भी शहर में रोशनी का उचित प्रबन्ध नहीं है। इसके लिये जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वह इस ओर कतई ध्यान नहीं देता है। कानपुर महापालिका में तो एक मेकेनिकल इन्जीनियर का भी पद है जो अन्य किसी महापालिका में नहीं है। वह मेकेनिकल इंजीनियर लाइटिंग डिपार्टमेन्ट का इंचार्ज है, वर्कशाप का इंचार्ज है, कूड़ा उठाने की जो गाड़ी खरीदी जाती हैं या उनकी मरम्मत कराई जाती है, उनका भी वह इंचार्ज है। उससे कोई पूछ नहीं सकता है कि उसने कितना काम किया है और कितना करप्शन किया है क्योंकि उसकी पोस्ट ट्रांसफरेबुल नहीं है। वह बराबर कानपुर में रहेगा। जब से आया तब से रहा है और जब तक नौकरी में रहेगा तब तक कानपुर में रहेगा। रिटायर होने के बाद ही वह कानपुर से जा सकता है क्योंकि दूसरे कैबाल टाउन्स में यह पोस्ट है ही नहीं।

मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे यह पोस्ट सिर्फ कानपुर के लिए बना ली गई है मुझे सुनने में आया है कि उसके कोई खास यहां पर सेक्रेटरी या और कुछ हैं, उन्होंने उसकी पोस्ट कोऐसा बना दिया है कि वह बराबर कानपुर में रहेगा, घूसखोरी और भ्रष्टाचार करता रहेगा लेकिन उसका कुछ हो नहीं सकता है। कूड़े उठाने की जो गाड़ियां आती है, उनके नये-नये पुर्जे गायब हो जाते हैं। आप वर्कशाप में जाकर देख लें, नई-नई कूड़े वाली जो गाड़ियां आती हैं, उनम आपको नये पुर्जे नहीं मिलेंगे। प्रदेशीय सरकार ने कानपुर महापालिका को १४ लाख रुपया कूड़ा उठाने की गाड़ियां खरीदने के लिए दिया था, उससे इलाहाबाद के डिफेंस कारखाने से कानपुर गाड़ियां आते-आते, उनके सारे नये पुर्जे गायब हो गये। टायर्स बदल गये। यह प्रश्न कानपुर महापालिका में उठा था, हमारी प्रदेशीय सरकार में भी भेजा गया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है, उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी पोस्ट का क्रयेशन ही क्यों हुआ जो सिर्फ कानपुर में ही है।

सेन्ट्रलाइज्ड सर्विस रूल, सन् ६६ में बना था और यह इसलिये बना था कि जो अधिकारी काम ठीक से नहीं करते हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिन अधिकारियों के खिलाफ महापालिका के सभासद चार्ज लगायें और यह कहें कि यह हमारी महापालिका में काम नहीं करता है, उसको ट्रांसफर हो सके। तो यह ऐक्ट में दिया हुआ है कि महापालिका की सिफारिश पर ऐसे कर्मचारियों को ट्रांसफर करेगी। लेकिन उसका जो मकसद था वह पूरा नहीं हुआ। आमतौर से ट्रांसफर किया जाने लगा है। महापालिका की सिफारिशों की परवाह ही नहीं की जाती है, उनसे पूछा तक नहीं जाता और धड़ल्ले से ट्रांसफर होते रहते हैं। यदि वह चाहते हैं कि किसी का ट्रांसफर किया जाय तो उसे हटाया नहीं जाता है और यदि वह चाहते हैं कि कोई आदमी अच्छा है उसे उनके यहां से न हटाया जाय तो हटा दिया जाता है।

इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय की कोई गल्ती नहीं समझता हूं, लेकिन हमारा जो सचिवालय है, वहां पर इस तरह का भ्रष्टाचार फैल गया है। हर जगह के लोग यहां पर दौड़ दौड़ कर आने लगे हैं, एक मेला अफसरों का यहां लगा रहता है। ट्रांसफर रुकवाने और ट्रांसफर करवाने वालों की यहां एक भीड़ लगी रहती है। सचिवालय में रुपया पैसा खूब चलने लगा है। सचिवालय जो अब तक अछूता था अब वहां भी बड़ा भ्रष्टाचार पनप रहा है। एक्जीक्यूटिव अधिकारी आदि तमाम आदमी विधायकों को साथ लिए इसके लिए घूमा करते हैं। मथुरा व औरेया आदि छोटी-छोटी नगरपालिकाओं के अधिकारी बड़ी-बड़ी जगहों पर भेज दिए गए ह, जब कि वहां पर ५–७ करोड़ का बजट है और उनके यहां मुश्किल से दो-तीन लाख का होता

था । जब अधिकारी छोटी नगरपालिकाओं से बड़ी महापालिकाओं में जायेंगे तो यह काम करने में चकरा जायेंगे, यही हो रहा है, और उनकी समझ में काम करने का ढंग नहीं आएगा । तो साल दो साल उसे वहां का काम समझने में लगता है, किन्तु जब वह काम समझने लायक होते हैं तो उनका तबादला हो जाता है ।

स्थानीय संस्थाएं इसलिए होती हैं कि स्थानीय जनता की दिक्कतें दूर करें । वहां पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं अगर वे पांच–छः साल तक वहां रहें तो कोई हर्ज की बात नहीं है । वे जानते हैं कि कौन सी समस्या कैसे हल की जा सकती है ।

हर शहर में सीवरों की शिकायत आती है । हर जगह यह शिकायत आती है कि सीवर चोक हो गया, मकान गिर रहे हैं, इसलिए कि सीवरों का कोई नक्शा नहीं होता है । जो इन्जीनियर सीवर को बनाता है वह जानकारी रखता है कि कौन सीवर कहां से निकल रहा है । अगर इन्जीनियर को एक साल के बाद तब्दील कर देंगे तो अगर कहीं सीवर चोक हो गया, नये इन्जीनियर को पता नहीं होगा कि कौन सा सीवर कहां है, कहां पर सफाई की जा सकती है । सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज ऐक्ट को अगर लागू रखना है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए रखें । तो हमें उम्मीद है कि हमारी स्थानीय संस्थाओं को जरूर राहत मिलेगी । लेकिन जो ढर्रा चलने लगा है, अगर यही रहा तो कतई स्थानीय संस्थाओं की सेवा नहीं कर पाएंगे जनता की सेवा नहीं कर पायेंगे, जो लोग हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देते हैं उनकी दिक्कतें नहीं दूर कर पाते । करोड़ों रुपया हमारे इन्जीनियर लोग खा जाते हैं । करप्शन बढ़ा हुआ है । मुझे कहते हुए शर्म आती है कि महापालिका, नगरपालिका के अन्दर ऐसे इन्जीनियर हैं जिनके लाखों रुपये के बंगले बन गये । उनके छोटे शहरों से बड़े शहरों में तबादले हो गये । उन्होंने खूब पैसा पैदा किया । कानपुर में जैसे नालों का ठेका हुआ ४५ लाख का, उसमें पुराना मैटीरियल लग रहा है, उसमें एक बोरा सीमेन्ट है तो १५ बोरा बालू है । हमने ऐसे केसेज खुद मेअर साहब को, चीफ इन्जीनियर को दिखाए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ । किसी भी शहर का विकास होता है तो सड़कें बनती हैं । एक तरफ सड़क बन रही है दूसरी तरफ वह बह रही है । एक तरफ ठेकेदार सड़क बना कर गया दूसरी तरफ वह बह गयी । छोटे-छोटे इन्जीनियर जो छोटे शहरों से आते हैं वह पैसों की फिराक में रहते हैं । नरही के आगे जो ओवर-ब्रिज है उसके नीचे जो सड़क गयी है महीने भर से ऊपर हो गया, खराब पड़ी है । मेन रोड है । किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती । पानी भरा हुआ है । ऐक्सीडेन्ट होते हैं, लोग मरते हैं । लेकिन कोई ध्यान नहीं देता । वह सड़क टूटी पड़ी हुई है, ओवर ब्रिज के नीचे । हमारा कहना यह है कि इन सब चीजों को देखने के लिए हमारे मंत्री जी को तो कुछ ध्यान देना होगा ।

महापालिका अधिनियम के अध्याय १३ को सरकार ने जब्त कर लिया है। उसको जब्त करके आर० बी० ओ० ऐक्ट कबाल टाउन्स में लगा दिया है । अध्याय १३ में यह था कि कोई खतरनाक मकान है तो उसको गिराने के लिये महापालिका सक्षम थी । नोटिस देकर वह उसको गिरवा सकती थी । लेकिन प्रान्तीय सरकार ने इस चैप्टर १३ को जब्त कर लिया । नतीजा यह है कि धड़ाधड़ मकान गिर रहे हैं । लोग दब रहे हैं । महापालिका कुछ नहीं कर सकती इसलिए महापालिका के अधिकार के बाहर की बात है । चैप्टर १३ को रेस्टोर किया जाय । आर० बी० ओ० ऐक्ट को वापस लिया जाय । आर० बी० ओ० ऐक्ट से बड़ा नुकसान हुआ है । अनधिकृत निर्माण चरम सीमा तक पहुंच गये ।

आर० बी० ओ० ऐक्ट लागू होने से नगरमहापालिका के जो अधिकारी हैं उनको ६० दिन का नोटिस चाहिए उस मकान को गिराने के लिये जो अनधिकृत रूप से बनाया जाता है । अनधिकृत निर्माण खूब हो रहे हैं और लोग अपने मकान की नींव बाद में रखते हैं पहले स्टे आर्डर

[श्री मनोहर लाल]

ले आते हैं। तो कहीं भी नगर महापालिका अनधिकृत निर्माण गिरान के लिये दीवालिया हो गयी है। बनारस, कानपुर, लखनऊ में अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं लेकिन महापालिका कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि आर० बी० ओ० ऐक्ट लागू कर दिया गया है। महापालिकाओं ने यह कोशिश की थी कि कबाल टाउन्स में यह आर० बी० ओ० ऐक्ट खत्म हो लेकिन यह ऐक्ट विथड्रा नहीं किया गया।

मेरा स्वायत्त शासन मंत्री जी से यह निवेदन है कि जो स्थानीय निकाय हैं जिनके जरिये से समाजवाद वह लाना चाहते है तो इस आर० बी० ओ० ऐक्ट को विथड्रा करना होगा और तभी महापालिका का काम ठीक से चलेगा। फिर जब कानपुर में बिल्डिंग बाइलाज पहले से लागू हैं तो इस ऐक्ट की जरूरत नहीं है। इसलिये इस आर० बी० ओ० ऐक्ट को खत्म किया जाय। तरह-तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग पटरियों, सड़कों तथा नजूल जमीन पर नाजायज कब्जा किए हुए हैं और महापालिका के जो अधिकारी हैं वे कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि चेप्टर १३ जो है उसे सरकार ने वापस ले लिया है, उसे दुबारा लागू किया जाय। धारा १२९ के सब-सेक्शन ३ में संशोधन होना चाहिए। हमारी केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकार के माध्यम से महापालिकाओं को ग्रान्ट के रूप में रुपया देती है जो रुपया लो इंकम ग्रुप के लोगों को मकान बनाने के लिये वितरित किया जाता है। लेकिन धारा १२९ के सब-सेक्शन ३ में यह दिया हुआ है कि जमीन जो दी जायेंगी वह मार्केट रेट पर दी जायेगी। अब जमीन का रेट है ११५ रु०, १२० रु० गज तो गरीब आदमी उस जमीन को नहीं ले सकता। वह मकान तभी बना सकेगा जब उसे जमीन सस्ती दी जायेगी। इसलिये धारा १२९ की उपधारा ३ में यह संशोधन होना चाहिये कि जमीन सस्ती दर पर उपलब्ध की जाए।

महापालिकाएं करप्शन के अड्डे हैं। मिसाल के तौर पर नजूल जमीन को लिया जाय। नजूल जमीन की देख-भाल महापालिका करती है और होती वह सरकार की है। उसे वह न लीज पर दे सकती है और न किराये पर दे सकती है, न पट्टे पर दे सकती है। होता यह है कि दलबन्दी को वजह से नगरपालिका अथवा टाउन एरियाज उस नजूल जमीन पर जिसकी मालिक सरकार है अनधिकृत रूप से कब्जा कर लेती है और बराबर कब्जा रख कर उससे अनधिकृत फायदा उठाती है और उससे हमारी सरकार को नुकसान हो रहा है। नगरपालिका के जो अध्यक्ष हैं वे अपने को मालिक समझते हैं। उनका एकछत्र राज्य वहां होता है।

इक्जीक्यूटिव आफीसर की अगर कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है और उस पर लांछन लगा दिया जाता है किन्तु दूसरी ओर उससे मिल भी जाते हैं। तो मेरा कहना है कि नजूल की जमीन, जिसका कि प्रबन्ध नगर महापालिकाओं को दिया गया है, के संबंध में भी आपको संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि इससे उस जमीन पर जो अनधिकृत कब्जा है उसकी समस्या भी दूर हो जायेगी और देखभाल भी ठीक हो सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जो महापालिकाएं हैं उनका निर्माण सन् १९५९ में हुआ है। ये कबाल टाउन्स में है। जो गांव समाज की सम्पत्ति है, प्रापर्टी है उसका सारा का सारा कब्जा महापालिकाओं को जिलाधिकारियों के जरिये से मिल गया। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे किसी भी महापालिका को ले लें, उससे प्रश्न पूछ लें और जानकारी कर लें कि कितने लाख रुपये की गांव समाज की प्रापर्टी हमारी महापालिकाओं को मिली।

मान्यवर, किसी भी महापालिका में इसका रिकर्ड नहीं मिलेगा। उनके पास कोई रजिस्टर नहीं है जिससे वे यह बता सकें। सारी की सारी गांव समाज की संपत्ति वहां के लोगों ने, सभासदों ने और पार्टियों ने मिलकर ले ली है और उस पर कब्जा कर लिया है। मैंने वहां के डी० एम० से पूछा भी था, उनका कहना है कि हमने रजिस्टर बनवा कर दिया किन्तु

वे सब रजिस्टर गायब हैं किसी भी महापालिका में नहीं हैं। तो उस गांव समाज की जमीन की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लाखों और करोड़ों रुपये का सन् १९५९ से लेकर आज तक किसी भी महीने में कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया है। अतः में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

सन् १९५९ में जब से ये महापालिकायें बनीं उसके बाद सैकड़ों गांव इन महापालिकाओं के अन्दर ले लिये गये और तब से बराबर उनसे हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लिया जा रहा है किन्तु अभी तक न तो वहां पर सड़कों की व्यवस्था है, न रोशनी की व्यवस्था है और न पीने के पानी की व्यवस्था ही है। एक नहीं हर महापालिका के अन्दर सैंकड़ों गांव हैं और वे बराबर गृह कर और जल कर अदा कर रहे हैं। किन्तु हमारी महापालिकायें सक्षम नहीं हैं वे नहीं कर सकती हैं। यदि प्रान्तीय सरकार की यही भावना रही और इसी तरह से पक्षपात होता रहा तो एक दिन आयेगा जब हमारे गांव के अन्दर रहने वाले लोग आन्दोलन छेड़ेंगे और इन पांचों कवाल टाउन्स में छेड़ेगे। तब तक हम लोग कतई एक पैसा हाउस टैक्स और वाटर टैक्स नहीं देंगे जब तक हमको इस प्रकार की सुविधायें नहीं दी गयीं, सड़कें नहीं बनवाई गयीं, रोशनी नहीं दी गई और पानी की व्यवस्था नहीं को गई। इस ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। विशेष तौर से कवाल टाउन्स में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने इस साल के बजट में इसके लिये कोई प्राविधान नहीं किया है इसलिये मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं क्योंकि सैकड़ो गांवों के अन्दर रहने वाले लोगों के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज ये नगर महापालिकायें करप्शन के अड्डे बने हुये हैं। रुहेलखंड डिवीजन में एक आयुक्त श्री आर० के० शर्मा हैं जो कि रामपुर में हैं उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। इसके सम्बन्ध में मेरे पास एक अखबार है जिसमें कि यह वक्तव्य दिया गया है (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, अभी तो मैंने पेश ही किया है और मुझे और बोलना है तो मान्यवर, इस अखबार में लिखा है–"रुहेलखंड प्रखंड जिले के आयुक्त श्री आर० के० शर्मा ने (अभी एक दिन पूर्व रामपुर में) स्वायत्त संस्थाओं के सम्बन्ध में सरकार की बेरुखी के ऊपर जो प्रकाश डाला है, उससे वह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि आखिर स्वशासी संस्थाओं की स्थिति बद से बदतर क्यों होती जा रही है।"

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष, पीठासीन हुये।)

उन्होंने लिखा था कि आज नगर महापालिकाओं की हालत क्यों खराब होती जा रही है। जो प्रतिवेदन उन्होने सरकार को दिया था उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

उस प्रतिवेदन में उन्होंने इन महापालिकाओं की कुछ गड़बड़ियां भी लिखी हैं। उन्होंने यहां तक लिखा है कि "यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने ऐसी अनियमितता की होती तो उसे तुरन्त बरखास्त कर दिया गया होता किन्तु एक नगरपालिका के अध्यक्ष––जो कि इस अर्द्ध–सरकारी संस्था का प्रशासकीय प्रमुख होता है––के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं होती।" यह उन्होंने लिखा है। तो हमारा यह कहना है कि जो कमिश्नर, आयुक्त नियुक्त हैं, नगरपालिकाओं को देखने के लिये, जो जिम्मेदार हैं, यदि वे नगरपालिकाओं का निरीक्षण करते हैं और गड़बड़ियां पाते हैं तो क्या हमारे सचिवालय का फर्ज नहीं है कि हम उसको देखें और जो कमियां पायी गयी हों उनको दूर किया जाय। साथ ही नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की भविष्य निधि, प्रावीडेंट फंड का पैसा जो काटा जाता है उसमें लाखों रुपये की गड़बड़ है। किसी भी नगर पालिका या महापालिका में उसका सही हिसाब-किताब नहीं मिलेगा। उसका सही उपयोग होना चाहिये, उसे बैंकों में जमा किया जाता है। यह भी होता है कि जो सफेद हाथी महापालिकाओं नें बांध रखे हैं जो उनके ऊपर भरती कर रखी है सरकार ने, उनकी तनख्वाह में महापालिकाओं की अधिकतर आमदनी समाप्त हो जाती है, उसका सही उपयोग नही होता, इस तरफ भी ध्यान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मनोहर लाल —

५ मिनट का समय और दे दिया जाय, मुझे दो बातें और कहनी हैं ।

श्री अध्यक्ष —

अच्छा , ५ मिनट का समय और दिया जाता है ।

श्री मनोहर लाल —

आप देखें कि महापालिकाओं की हालत खराब होती जा रही है । उसके लिये सिर्फ महापालिकायें ही जिम्मेदार नहीं हैं , परन्तु सरकार भी जिम्मेदार है । महापालिका ऐक्ट १९५९ का बना हुआ है, इसके अन्दर बहुत सी कमियां हैं । जो महापालिका के सभासद हैं, जो नगरपालिका के सदस्य हैं उनको कोई भी इस तरह का अधिकार नहीं है कि वह महापालिकाओं की जांच कर सकें । जनता उनको इस उम्मीद पर चुनती है कि वह वहां जाकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके , प्रभाव का प्रयोग करके सड़कों की, रोशनी की, वार्ड की विभिन्न समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाते , कोई इस प्रकार का अधिकार ही नहीं है । तो इस अधिनियम में परिवर्तन होना चाहिये । यह बहुत डिफेक्टिव है, उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है ।

सुना है आपने कोई कमेटी बनाई है इस कार्य के लिये । हम चाहते हैं कि इसमें जल्द जल्द संशोधन ले आयें । हमारे मंत्री महोदय काफी ध्यान इस तरफ दे रहे हैं । इन नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के अन्दर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है , उसको दूर करें , साथ ही मेयर के चुनाव की तरफ ध्यान दें और एक्जिक्यूटिव कमेटी और विकास समिति की ओर भी ध्यान दें क्योंकि महापालिकाओं के जरिये से हम जन-जीवन की तकलीफों को दूर कर सकते हैं, उनको सुविधायें दे सकते हैं । लेकिन हमें अफसोस है कि इस बजट में इस विषय में कोई बात नहीं है कि इस तरफ हम ध्यान देंगे । यदि प्रान्तीय सरकार यह चाहती है कि समाजवाद आवे, तो जरूर इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

एक बात और है कि महापालिकाओं ने बड़ी सस्ती दर ५ र ४ आने, ६ आने, ८ आने गज पर बड़े-बड़े पूंजपतियों, लखपतियों, करोड़पतियों को जमीनें इसलिये दी हैं कि वे श्रमिकों के रहने के लिये मकान बनायेंगे, लेकिन उन्होंने अब तक मकान नहीं बनवाये । तो प्रान्तीय सरकार जो समाजवाद लाना चाहती है, क्या वह सक्षम नहीं है कि उन पूंजीपतियों से मय ब्याज के उन जमीनों को वापस ले ले जिन पर उन्होंने मकान नहीं बनाये और उनसे पूछे कि क्यों मकान नहीं बनवाये और जिस काम के लिये जमीन दी गयी थी आपने उसके लिये उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया ? तो प्रान्तीय सरकार क्या नहीं कर सकती है? जरूर कर सकती है । तो ऐसी जमीनों को वापस लेकर उन पर स्कूल खोले जांय, अस्पताल बनाये जांय और विस्थापित लोगों के रहने के लिये मकान बनाये जांय ।

महापालिकाओं में चिकित्सा अधिकारी होते हैं, वह तो वहां एक राजा की हैसियत रखते हैं । वह कितना कमीशन ले रहा है, दवाइयां ले रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है । अस्पताल के अन्दर दवाइयां बिक रही हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की चीजों का बजट में कहीं जिक्र नहीं है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इधर ध्यान दें क्योंकि हमने बताया है कि इनके जरिये से हम जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकते हैं और वास्तविक समाजवाद ला सकते हैं जब हम उधर ध्यान देंगे । लेकिन अगर हम इसी तरह से बजट पेश करते रहे तो कुछ नहीं कर पायेंगे । कानपुर के अन्दर महापालिका

की ५० हजार एकड़ के लगभग ऐसी जमीन है जिस पर नाजायज लोगों का कब्जा है। जमीन महापालिका की है और उसको उससे लाखों रुपया मिल सकता है। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महापालिका कानपुर की जो आमदनी और खर्चा है उसके हिसाब से उसकी ७५,००० रुपये प्रति दिन की आय होनी चाहिये तब उसका खर्चा चल सकता है। लेकिन दस हजार रुपये से ज्यादा उसको आय नहीं होती है। जो इसकी बकाया है बड़े बड़े लोगों पर उसको वसूल नहीं किया जाता है। किसी गरीब के ऊपर २, ४ रुपये बाकी हों तो उसकी कुर्की हो जाती है लेकिन इन बड़े-बड़े लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। इनसे बकाया भी वसूल नहीं की जाती है।

श्री अध्यक्ष––

अब आप खत्म कीजिये।

श्री मनोहर लाल––

बाद में हमें मौका दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष––

आप समाप्त ही नहीं करते हैं।

श्री मनोहरलाल––

मंत्री जी बोल चुकें तब हमें मौका दे दीजिये।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

श्रीमन्, मंत्री जी ने बजट रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन यह बात जरूरी है कि देखने में यह आया है कि जो हालात, चाहे टाउन एरिया हो, नोटीफाइड एरिया हो या म्युनिसिपल बोर्ड हो इन २०, २२ साल में वह इतने खराब हो गये हैं और सरकार ने कई बार इनको सुपरसीड किया, इलेक्शन भी कभी हो गये लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हो पाया है। मंत्री जी इधर ध्यान दें।

आज म्युनिसिपल बोर्डस, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाज की जो चुंगियां हैं ये इनके सब से ज्यादा आमदनी के जरिये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा नहीं तो ५० परसेंट रुपया ही इनको हासिल हो पाता है और यह भी देखने में आया है कि जो अलग-अलग चुंगियां हैं उन पर आदमियों के भेजने के सवाल पर साल ब साल एक किस्म की नीलामी होतीहै और इस आधार पर एक्जीक्यूटिव आफिसर और दूसरे जो अधिकारी हैं उनके लिये सीजन होता है। कि इनसे इतने हजार रुपये की आमदनी होगी। रात के ११/१२ बजे के बीच में हर म्युनिसिपल बोर्ड में एक पोस्ट चुंगी सुपरिटेंडेन्ट की होती है। वह इस खयाल से कि वे रात को चेकिंग के लिये जाते हैं कि कहीं बेईमानी तो नहीं हो रही है। लेकिन असलियत यह है कि वह चेकिंग के लिये नहीं जाते हैं बल्कि दिन भर में जो उनकी आमदनी होती है उसमें से अपना परसेंटेज लेने जाते हैं। यह मैंने खुद अपनी आखों से मुरादाबाद में देखा है। कभी जीप होगी और कभी मोटर साइकिल होगी। नाम चेकिंग का होगा लेकिन मकसद यह होगा कि उनका हिस्सा वसूल हो जाय।

श्रीमन्, देहात के लोग गेहूं, भूसा वगैरह की गाड़ियां लेकर आते हैं तो इन चुंगियों पर जो कर्मचारी होते हैं वे यदि एक गाड़ी पर दो रुपये चुंगी होती है तो खुल कर ढाई रुपये लिये जाते हैं बिना किसी परेशानी के। रसीद २ रुपया की होगी तो ढाई रुपया वसूल किया जायगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

और शाम को उसी के मुताबिक बटवारा भी हो जायगा । अगर माननीय मंत्री जी किसी तरीके से इसको बन्द कर सकें तो जनता की बड़ी भलाई हो । आपके हाथ में सारी ताकत है, किसी तरीके से आप इस चोरी को रोकिये और अगर रोक लिया तो जो रुपया इन संस्थाओं को ग्रान्ट की शक्ल में देना पड़ता है, उसमें भी बहुत कमी हो जायगी ।

दूसरी बीमारी, जैसा कि मनोहर लाल जी ने बताया, वह यह है कि कोई भी म्युनिसिपल-बोर्ड ऐसा नहीं है जिसके अन्दर हर दूधवाले से सेनेटरी इंसपेक्टर का हिस्सा न बंधा हो । यह भी बड़ा आमदनी का जरिया है । इसके अलावा जो सैंम्पिल पकड़े जाते हैं उनके बारे में भी इन्तजार किया जाता है और अगर वह उनको पैसा पहुंचा देता है तो सैम्पिल खत्म कर दिया जाता है वरना जांच के लिये भेज दिया जाता है । दूध वाला पकड़ा वही जायगा, सैंपिल उसका ही भेजा जायगा जो उनको रिश्वत नहीं दे पायेगा । म्युनिसिपल बोर्डस के अन्दर जो भी दूध मिलता है, उसमें से मुश्किल से ही २५ फीसदी दूध असली रूप में मिलता है, वरना तो ७५ फीसदी पानी ही मिलता है और यहां राजधानी में तो बोतलों में दूध मिलता है । न मालूम यह दूध सेनेटरी इंसपेक्टर की हद में आता है या नहीं । देखा यह जाता है कि बाज-बाज जगह तो बोतलों में मक्खी तक दिखायी देती है । फिर उसके लिये तय है कि नीले रंग की बोतल में इतने परसेंट स्किम्ड मिल्क होगा और पीले रंग की बोतल में इतने परसेंट होगा । कहीं-कहीं तो दूध में आटा भी पाया जाता है । जो जितनी मिलावट कर पाता है वही उतना ही अधिक पैसेवाला हो जायगा । इन लोगों से जो रिश्वत मिलती है वह सेनेटरी इंसपेक्टर से लेकर मेडीकल आफीसर तक सब को मिलती है । इसके ऊपर भी किसी तरीके से चेक किया जाय । जिस तरह से आप इसको कर सकते हो कीजिये ।

तीसरी बात एन्क्रोचमेंट की बात है । बोर्ड के चेयरमैन को सब अख्तियारात होते हैं । वे चाहे जिसके नाम नजूल की जमीन को कर देते हैं और चाहे जहां कब्जा कर लिया जाता है । अगर कहीं का बोर्ड सुपरसीडेड है तो एक्जीक्यूटिव आफीसर को सारे अख्तियारात होते हैं, उसके द्वारा भी म्युनिसिपैल्टी और नजूल की सारी जमीन पर एन्क्रोचमेन्ट कराया जाता है । इस तरफ भी मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है कि जो एन्क्रोचमेन्ट होते हैं, उनको खाली कराया जाय ।

आप जो अनुदान इन संस्थाओं को देते हैं उनके बारे में मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चेयरमैनशिप के लिये जब कोई शख्स इलेक्शन लड़ता है तो उसके सामने यही चीज होती है कि सरकार की तरफ से जो भी अनुदान, सड़क, इमारत, वगैरा को मिलेगा उसका ७५ फीसदी तो हम गोल ही कर जायेंगे और २५ फीसदी का किसी तरह से इधर उधर दिखा कर पूरा कर दिया जायगा । इसका नतीजा यह होता है कि इलेक्शन्स में इतना रुपया व्यय होता है जो लोक सभा के इलेक्शनों में भी नहीं होता ।

म्युनिसिपल बोर्ड बदायूं की शिकायत तो इस सदन के अन्दर हर तरीके से की गयी । नियम ४९ भी दिया गया । और भी तरह-तरह से सवालात हुए । उसके बारे में इन्क्वायरी भी हुई और कमिश्नर साहब की रिपोर्ट भी आयी कि उसको सुपरसीड कर दिया जाय और वह सारी चीजें होने के बाद जब कमिश्नर की रिपोर्ट हाउस के अन्दर आ गयी कि यह चेयरमैन बेईमान है, उसकी जीप पकड़ी गयी, श्री शब्बीर हसन साहब की आसाम के बार्डर पर स्मगलिंग के मामले में और अब तो मुकदमा चल रहा है और किस तरह से रुपया इकट्ठा किया यह चीज भी साबित हो गयी, एक रस्तोगी क्लर्क ने ५६ हजार के गबन में फाइल जला दीं, वह भी साबित हो गया, इस सबके बावजूद जो पहला सेशन १९७० का था उसके ७वें बुधवार को यह जवाब मिला कि इनको वार्निंग दी गयी है और इनसे यह कहा गया है कि आप शीघ्र से शीघ्र जो अनियमितायें हुई हैं उनको दूर करें और आइन्दा ऐसी त्रुटियां नहीं होनी चाहिये । लेकिन आज तक उन्होंने एक भी त्रुटि दूर नहीं की । फिर दोबारा एलेक्शन हुआ । उस दोबारा एलेक्शन में उसी शख्स ने पिछला कमाया हुआ पैसा खर्च करके इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि दूसरे

किसी को नामिनेशन फाइल करने की नौबत ही नहीं आयी और वही फिर प्रेसीडेंट चुना गया ।

श्री अध्यक्ष---

लोग उसको ईमानदार समझते थे मालूम होता है ।

श्री रियासत हुसैन---

वही बतला रहा हूं कि उसने अपनी ईमानदारी का सिक्का जो पिछले दिनों में रुपया इकट्ठा किया था उसको खर्च कर के जमा लिया और उस शख्स की यह हालत है कि जब बी० के०डी० की सरकार थी तब वह बी०के०डी० में चला गया। सोचा कि चौधरी चरण सिंह की सरकार है बड़े खतरनाक चीफ मिनिस्टर हैं इसलिये बी० के० डी० में चला गया । अब जब कांग्रेस की सरकार दोबारा हुई तो उसने देखा कि अब तो इंन्दिरा जी का नाम चल रहा है । तो वह एकदम से बी० के० डी० को छोड़ कर इन्ण्डीकेट का मेम्बर बन गया और जो कांग्रेस के जिला के या सूबे के लोग हैं उनको कतई झिझक नहीं हुई कि इस किस्म के आदमी को हम कैसे पार्टी में शामिल कर लें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

उन्होंने माननीय विधायक की तकलीद की है ।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय विधायक के बारे में ऐसी चीज नहीं मिलेगी । दोबारा रिपोर्ट कमिश्नर ने भेजी है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक बार स्वयं बदायू जायं । वहां जो शिकायतें हैं उनको खुद देखें और फिर अन्तिम फैसला करें कि वह आदमी सही है या गलत ।

सहसवान का मामला सन् ६९ से उठ रहा है । यहां ग्रांट का रुपया बरबाद किया गया, सड़कें नहीं बनीं हैं, सब चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन वहां के कलेक्टर की कल मुझे चिट्ठी मिली है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक सड़क जो बताई है कि इसमें गलत काम हुआ है उसकी लम्बाई, चौड़ाई और हुदूदरबा बता दीजिये । एक सड़क की बात ले कर उसको दो साल से टाला जा रहा है जबकि उस सड़क के अलावा सहसवान म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के विरुद्ध दसियों और शिकायतें हैं, तहरीरी शिकायतें हैं, लेकिन दो साल हो गये इस रगड़े में कि उस सड़क का हुदूदरबा बता दीजिये । बाकी शिकायतें अलग पड़ी हुई हैं ।

एक बात की तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं जो म्युनिसिपल बोर्ड्स में आमतौर से प्रचलित है कि कोई जमीन अगर लावारिस पड़ी है, लावारिस इसलिये कहता हूं कि जैसे श्मशान भूमि या कब्रिस्तान, इनमें जब कोई मरता है तो उसके वारिस जलाने या दफन करने पहुंच जाते हैं वरना वहां कोई जाता नहीं है । उसको इन्करोच करके किसी के नाम अलाट करना ठीक नहीं है । उसको अलाट कर दिया गया और उस आदमी ने उस पर दुकान बना ली ।

अब इस तरह से झगड़ा शुरु हो जाता है । इस बात की तरफ ध्यान देने की जरुरत है। यहीं लखनऊ के अन्दर सन् ६७ से एक झगड़ा चल रहा है नेपियर रोड पर जो स्कीम पार्ट २ है उसमें प्रापर्टी नम्बर ४ और ५ बेगम उम्मतुल फातिमा की है उसको एक्वायर किया गया । उन्होंने कहा कि यहां पर कब्रिस्तान है, वहां पर सालाना उर्स होता है तो इसको आप एक्वायर नहीं कर सकते हैं लेकिन वह झगड़ा चल रहा है और उस झगड़े का निपटारा आज तक नहीं हो रहा है । अगर इस तरह से झगड़ा चलेगा तो जो गरीब आदमी है वह तो मुकदमा नहीं चला

[श्री रियासत हुसैन]

सकते हैं। उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि अगर कहीं पर अलाटमेन्ट के झगड़े की बात पैदा होती है तो उस झगड़े को साल भर में खत्म कर देना चाहिये कि उसमें क्या होना चाहिये। यह झगड़ा ६,७ साल से पड़ा हुआ है लोग भी परेशान होते हैं। झगड़ा वहां पर हो सकता है और फिर मामला पुलिस में भी जा सकता है। वह बात नहीं होनी चाहिये। इन सब बातों को देखते हुए, २०,२५ साल में जो नगर महापालिकाओं की, नगरपालिकाओं की, हालत हो गई है अगर किसी तरह से चुनाव कराकर, जांच करके, इनक्वायरी करके या सी० आई०डी० की जांच से उस तरीके में कुछ बेहतरी कर सकें तो यह बहुत अच्छा होगा। यही मेरे सुझाव थे और इन सुझावों के साथ में इस मांग का समर्थन करता हूं।

(श्री मेहरबान सिंह की बोलने के लिये बुलाने पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्य सूची में १२ नवम्बर पर छितौनी व बेरिया बांध के सम्बन्ध में बहस होनी है। कल भी इस पर बहस हुई है। मैंने इसका नोटिस दिया था। मेरा नाम इसमें सब से पहले है। नियमानुसार मैंने पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया था कि इस पर मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय। आप हाउस में मौजूद नहीं थे। दूसरे सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि यह अन्याय मेरे साथ क्यों है। मैंने आपको पत्र भी लिखा था।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये तो एक ही व्यवस्था है कि जिसके ऊपर नजर पड़ जाती है उसको अवसर दे दिय जाता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह नियम ५२ के अन्दर चर्चा है। इस पर पहला नाम मेरा है और मैंने इसकी नोटिस दी थी।

श्री अध्यक्ष—

उस बात को कल एक्सप्लेन कर दिया गया था। आप मेरे कमरे में आकर समझा दें तो मैं समझा दूंगा।

श्री मेहरबान सिंह (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय अध्यक्ष जी माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान संख्या ३६ और अनुदान संख्या ४३ सदन के सामने विचार के लिये रखा है मैं उसके सम्बन्ध में कुछ अपने विचार रखना उचित समझता हूं। श्रीमन्, मैं सब से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर नगरपालिका में एक मास्टर लान बनना बहुत आवश्यक है जिसको तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। इस मास्टर प्लान न होने के कारण अनुदान ठीक तरह से काम में नहीं आते और नगरपालिका के जो सदस्य हैं वह जिस तरह से चाहते हैं अपना कार्यक्रम बनाते हैं। अपने-अपने इलाके में सड़कें बनाने के लिये सीमेंट मंगाते हैं और दूसरे काम करते हैं। इस तरह सड़कों को और दूसरी चीजों को बनाने के लिये अनुदान को खराब करते हैं। अगर मास्टर प्लान बनाई जाय और प्राथमिकता के हिसाब से हर नगरपालिका को अनुदान देने के लिये सरकार की योजना बनाई जाय तो मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं में सुधार भी होगा और वहां के लोगों को काफी राहत भी मिलेगी।

जिला परिषदों में भी मैं ने देखा कि कोई प्रबन्ध सड़कों के बनाने के लिये या मास्टर प्लान बनाने के लिये नहीं रखा जाता है । पहाड़ के जिलों के जिला परिषदों के सम्बन्ध में आप के सामने चन्द बातें रखूंगा । जिला परिषदों को थोड़ी सी सड़कों के सम्बन्ध में यहां अनुदान संख्या ३६ में प्राविधान किया गया है । जिला परिषदों के लिये जो अनुदान रखा गया है वह मेरी समझ में नहीं आता कि जिला परिषदों के द्वारा कोई यहां पर उसके लिये प्रस्ताव आये हैं या एट-रेन्डम ही अनुदान रख दिये गये हैं । जिला परिषदों की सड़कों की हालत बहुत खराब है । सड़कों पर जो गैंग रखे गये हैं बरसों पहले आज से २५ साल पहले जो उनका वेतन था आज भी उन को वही वेतन दिया जाता है । उस का नतीजा यह है कि वह गैंग काम नहीं करता, २ घंटे या ३ घटे के लिये आता है और तम्बाकू बीड़ी पी पिला कर अपने घर वापस चला जाता है । काम कुछ नहीं होता, जो अनुदान स्वीकार होता है वह व्यर्थ जाता है मेरा निवेदन है कि अनुदान देने से पहले जो ग्रान्ट उन्हें हर साल दी जाती है उसके बारे में देखा जाय कि वाकई उस रुपये से कुछ काम होता है या नहीं, इसकी देखभाल बहुत कम हो रही है ।

कुछ सड़कों के लिये सरकार से जो अनुदान मिलते हैं उन के बाकायदा एस्टीमेट्स भी नहीं बनते और न ठीक से उन की जांच होती है, मार्च के मास में वहां पर जब बिल आने लगते हैं तो वैसे के वैसे पास कर दिये जाते हैं और रुपया बेकार जाता है, इंजीनियर या कोई जानकार आदमी उस को देखने नहीं जाता ।

अनुदान संख्या ४३ में विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये कुछ अनुदान रखे गये हैं । अभी हाल में मैंने सुना, मैं नहीं कह सकता कि कहां तक ठीक है कि यह अनुदान रुद्रपुर और हस्तिनापुर में व्यय करने की बातचीत हो रही है । यह कहा जाता है कि रुद्रपुर में करीब ९० लाख रुपये से हटमेन्ट्स बनाये जायेंगे और बंगला देश के शरणार्थियों के लिये व्यवस्था की जायगी । मेरा निवेदन है कि योजना बनाई जा रही है और इसकी रिपोर्ट जारी है लेकिन अभी अनुदान में नहीं बतलाया गया है कि वह किस तरह से खर्च होगा । इस में केवल यह दिखलाया गया है कि यह रुद्रपुर और हस्तिनापुर में बसाये जांयेगे ।

मेरा यह सुझाव है कि वार टाइम में पिछले दिनों जबकि जापानियों ने बम्बार्डमेन्ट किया था तो कुछ व्यक्ति मलाया से आये थे वे हिन्दुस्तान में आये, बाम्बे में आये, और पहाड़ तक बहुत से व्यक्ति भेजे गये । ज्यादातर वे एंग्लो–इन्डियन्स थे । मैंने देखा कि जितने भी अंग्रेज यहां हिन्दुस्तान में थें, रानीखेत या नैनीताल में थें, उन्होंने एक-एक फैमिली को अपने साथ रख लिया था । उससे यह हुआ कि सरकार को दिक्कत कम हुई और सब लोग बंट गये और खर्चा भी कम आया । इसी तरह से श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि हम लोग हिन्दुस्तान के वासी अब जब कि यह दिक्कतें हमारे सामने आ ही गई है हमको झेलनी है हमको किसी न किसी तरह से ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये ताकि सरकार का भी धन जाया न जाय और शरणार्थियों को कुछ मदद मिले ।

हमारे कुछ महान नेताओं का कहना है कि इनको वापिस किया जायगा । लेकिन मेरा अपना यह विश्वास है कि ये वापिस नहीं जायेंगे । इनको वापिस करने के लिये हम लोग जबरदस्ती न कर सकेंगे । इसलिये मैं समझता हूं कि जो यहां अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनसे पूछा जाय और हर गांव में व्यवस्था इस तरह की जाय कि हर गांव में वे बसे तराई भावर में श्री सान्वाल, जो आई० सी० एस० बोर्ड आफ रेवेन्यू में थे एक बार उन्होंने निरीक्षण कर एक किताब बनाई है उसमें कई लाख बीघे जमीन लैन्डलेस क्लास को देने के लिये बतलाया है । हर गांव में कुछ न कुछ जमीन देने के लिये उस किताब में लिखी हुई है । मैं निवेदन करूंगा कि बजाय ९० लाख के जो होते-होते एक करोड़ तक हो जायगा क्योंकि पहले नब्बे लाख की ही

[श्री मेहरबान सिंह]

स्कीम बनती है और बाद में वह दो करोड़ तक स्कीम जायगी। माता टीला डैम की चार करोड़ रुपये की योजना थी। बनते-बनते २४-२५ करोड़ रुपये से अधिक उसमें खर्च हुआ।

इस तरह पहले दिखाने के लिये इस योजना का कम खर्चा दिखाया गया है। जब धन खर्च होता है तो काफी धन खर्च हो जाता है। तब सरकार भी चाहती है कि इसको पूरा किया जाय और इन्तजाम किया ही जाय। तो बजाय इसके कि एक करोड़ रुपये रुद्रपुर में लगाये जायं मेरा सुझाव है कि उन्हें हर गांव में बसाया जाय। जहां-जहां जमीन उनके लिये उपलब्ध हो पांच-पांच, दस-दस परिवार अगर हर गांव में बसाए जायेंगे तो समस्या खड़ी नहीं होगी। वरना रोजाना पचास हजार आदमियों के लिये जहां पर एक अलग शहर बसाया जायगा, एक पुलिस का थाना बसाना होगा, एक तहसील वहां पर बनानी होगी, डिप्टी कलेक्टर वहां पर होंगे वहां पर पुलिस के डी० वाई० एस० पी०, थानेदार इत्यादि होंगे। इस तरह सरकार का बहुत खर्चा होगा और इन्तजाम में बड़ी दिक्कत होगी। यह मेरा अपना सुझाव है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर वे गौर करें।

श्री अध्यक्ष--

आपके दस मिनट हो गये। दो चार मिनट और लेने हों तो आप ले लें।

श्री मेहरबान सिंह--

श्रीमन्, मुझे और खास बात नहीं कहनी है। सिर्फ इसी विषय पर कहना है। हस्तिनापुर, मेरठ जिले में मैंने देखा कि बहुत सी जमीन बंजर पड़ी हुई है। वहांपर बबूल के जंगल बराये-नाम खड़े कर दिये गये थे। अब भी वहां बहुत से शरणार्थी बसाये जा सकते हैं। हर गांव में, इस तरह से, जैसे मैंने रुद्रपुर के सम्बन्ध में कहा अगर इन्तजाम किया जाय, शरणार्थियों को भी राहत मिलेगी और सरकार का भी कम खर्च होगा।

श्री शिवलाल (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका दिया। अभी माननीय सदस्य कानपुर के बोल रहे थे, उन्होंने जो सुझाव दिये मैं उनसे काफी सहमत हूं। उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में और प्रजातंत्र को सामने रखकर सुझाव पेश किये। श्रीमन्, महा-पालिकाओं की जो चुनाव प्रणाली है वह बहुत ही दोषपूर्ण है। उसमें संशोधन होना चाहिये। हमारे यहां नगरमहापालिका में जो मेयर, डिप्टी मेयर और विशिष्ट सभासद का चुनाव होता है, वह प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उसमें दोष है। उसको ठीक करने के लिये मेरा निवेदन है कि यह मेयर का चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिये और पांच वर्ष के लिये होना चाहिये। मेयर का चुनाव एक वर्ष के लिये होता है और सभासदों के द्वारा ही किया जाता है, इसमें भ्रष्टाचर की झलक आती है जिसकी एक बहुत बड़ी किताब बन सकती है। यदि मेयर का चुनाव डायरेक्ट कर दें तो भ्रष्टाचार की जड़ खत्म हो जाय।

श्रीमन्, कानपुर महापालिका उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी महापालिका है और इसका बजट सबसे बड़ा रहा है। इस साल का तो मुझे नहीं मालूम लेकिन पिछले साल १० करोड़ का था। तो जहां इतना बड़ा बजट है। मैं समझता हूं कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिये और पांच साल के लिये होना चाहिये ताकि सभासदों की जो खरीदारी होती है वह खत्म हो जाय। आल्डरमैन के चुनाव में भी इसी प्रकार खरीदारी होती है कि कही नहीं जा सकती है। एक-एक सभासद को एक-एक पैसे वाले मोटर में बैठाकर आगरा घुमाते हैं, वाराणसी घुमाते हैं, नैनीताल घुमाते हैं और वोटिंग के टाइम लाकर वोट डलवाते हैं। ७०-७० हजार रुपया खर्च करते हैं। जिस दृष्टिकोण से आल्डरमैन का चुनाव रखा गया था, वह नहीं हो पाता। पहले शायद यह

यह दृष्टकोण था कि नगर से कुछ ऐसे लोग आ जायेंगे जो अच्छे-अच्छे सुझाव देंगे। जैसे डाक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स आदि हैं। लेकिन यह चीज नहीं हो पाती। उसमें केवल यह होता है कि ऐसे लोग चुनकर आते हैं जो महापालिका पर हाबी होना चाहते हैं, डिप्टी मेयर होना चाहते हैं, और प्रजातांत्रिक दृश्टिकोण को खत्म करते हैं।

श्रीमन्, कार्यकारिणी का चुनाव होता है वह भी सभासदों के द्वारा होता है। उसमें भी जो छोटे सभासद होते हैं उनको पैसे वाले सभासद, आल्डरमैन खरीद लेते हैं और वही कार्यकारिणी में चुने जाते हैं, न मेयर को पावर है और न सभासद को। परन्तु पैसे वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं और वही व्यक्ति जमीन का एलाटमेन्ट, प्लाटों का एलाटमेन्ट गलत ढंग से करते हैं। जिस ढंग से होना चाहिये, वह नहीं होता है।

सन् ६३, ६४, ६५ का जिनका पैसा जमा है, वह पड़ा हुआ है, उनका एलाटमेन्ट नहीं हुआ। लेकिन जो पसे वाले थे उन्होंने रिश्वत देकर कार्यकारिणी कमेटी में भी प्लाट एलाटमेन्ट कमेटी से अपने-अपने बड़े-बड़े और अच्छे-अच्छे प्लाट एलाट करवा लेते हैं। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से काम नहीं होता है। इसलिये महापालिकाओं के सदस्यों को कुल पावर्स मिलनी चाहिये। उनके पास कोई ताकत नहीं है।

मान्यवर, मैं नगरमहापालिकाओं के कार्य के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सफाई की व्वयस्था बिल्कुल बेकार है और सारे शहर में गंदगी के कारण हा-हाकार मचा हुआ है। या तो वहां कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं ही नहीं और अगर कहीं पर हैं भी तो इतनी कम हैं कि उनके द्वारा पूरा काम नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की भी कमी है। नगर महापालिका में पेट्रोल की चोरी होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक यान्त्रिक अभियन्ता की। पद केवल कानपुर में है। मेरा निवेदन यह है कि या तो यह पद पांचों नगर महापालिकाओं में कायम कर दिया जायेनहीं तो इस पद को यहां से भी समाप्त कर दिया जाये। इस पदका अधिकारी जो कानपुर में है वह भ्रष्ट है और लूट कर रहा है। वह कहता है कि मेरा ट्रांसफर हो नहीं सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ही पोस्ट है। सरकार की डिस-पोजल की कुछ गाड़ियां थीं और यह अधिकारी उनको लेने गया था। उन गाड़ियों के जितनी अच्छे-अच्छे पार्टस थे वे सभी इस अधिकारी ने निकलवा लियें और उनके स्थान पर खराब पार्टस लगवा दिये। अच्छे-अच्छे पार्टस को बेच दिया गया। किसी की अंगूठी बन रही है और किसी का हार बन रहा है। पेट्रोल की चोरी दिन रात हो रही है,वह समाप्त होनी चाहिये।

हमारे यहां कुछ ऐसे सभासद हैं जिनकी फाइलें आपके यहां पर आयीं थीं। उनके संदर्भ में आज तक किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। संविद सरकार के जमाने में जब श्री टी० एन० सिंह मुख्य मन्त्री थे तबवे फाइलें यहां पर थीं। मैंने भी लोगों से कहा था कि ये सभासद खुलेआम चोरी कर रहे हैं। महापालिका का सीमेन्ट और ईटें की चोरी की है। मुख्य नगर अधिकारी और उपनगर अधिकारी मौके पर गये, और पकड़ा परन्तु संविद की सरकार में वह फाइल दबा दी गयी। मेरा आपसे आग्रह है कि भ्रष्ट सभासदों के संदर्भ में एक जांच कमेटी का गठन होना चाहिये और पूरी तरह से उनकी जांच होनी चाहिये।

हमारे सफाई कर्मचारियों के लिये जो कालोनी बनायी गयी है, उसके संदर्भ म मैं अब निवेदन करना चाहूंगा। भारत सरकार ने कानपुर नगर के लिये स्वीपर्स कालोनी के बनाने के लिये धन दिया और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उस धन को नगरमहापालिका ने लिया। जो कालोनी बनायी गयी है उसके निर्माण में अधिकतर बालू है और वह इतनी कमजोर है कि कमी भी गिर सकती है। जो हमारे पहले राज्य स्वायत्त शासन मन्त्री थीं मैं उन्हें भी उस कालोनी को दिखान के लिये कानपुर ले गया था। श्रीमन्, वह कालोनी किसी भी समय गिर सकती है और एक भी आदमी नहीं बचेगा। भैंसा गोदाम कालोनी का निर्माण होना निश्चित

[श्री शिवलाल]

हुआ । मन्त्री जी उस कालोनी को देखने गये । मौके पर कोई कालोनी नहीं, परन्तु मन्त्री ने कहा कि रिपोर्ट में तो यह आया है कि निर्माण कार्य हो रहा है । आज तक उस कालोनी के निर्माण का मौका नहीं मिल पाया है । कायकारिणी की यह मंशा है कि वहां पर स्वीपर्स न बसाये जायें और स्वीपर कार्मचारियों को हटाकर आवशन कराना चाहते हैं । आवशन में तो बड़े-बड़े आदमी ही प्लाट ले सकते हैं, गरीब आदमी नहीं ले सकते हैं । एलाटमेन्ट कमेटी का चेयरमैन भी भ्रष्टाचार करता है और बड़े-बड़े लोगों को प्लाट मिल जाते हैं' छोटों को तो कोई प्लाट का भी अलाट नहीं होता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, २ बज गया है, कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

जब कोरम हो जायेगा तब आप बोलेंगे ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री शिव लाल—

श्रीमन्, हमरे यहां जो स्वीपर्स कालोनी है वह इस ढंग से बनी है कि वह पिजनहोल के समान है । न तो वहां पर कोई प्लास्टर है, न बिजली है और न तो पानी की कोई व्यवस्था है । साथ ही वहां पर मैला डालने का एक हौज भी है और पास में ही एक पब्लिक लैट्रिन भी बनवायी जाती है । वहां का रहने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ सकता है कि वह भी इस देश का नागरिक है । महापालिका तो इस बात पर उतारू मालूम होती है कि उनको उस स्थान से उजाड़ दिया जाय । मैं प्रार्थना करूंगा कि उस कालोनी को रहने योग्य बनाया जाय । सरकार की यह पालिसी है कि जो जिस स्थान पर रहता है उसको उजाड़ा न जायेगा बल्कि उसको रहने के लिये प्लाटस दिय जायेंगे और उसके लिये योग्य स्थान बनाये जायेंगे ।

महापालिक में हमारे हरिजन भाइयों का कोई रिजर्वेशन भी नहीं है । यह रिजर्वेशन पूरा होना चाहिये । स्कूलों में एक भी हरिजन अध्यापक नहीं है । हरिजनों का कोटा पूरा होना चाहिये । जरीब चौकी से ग्वालटोली तक जो स्थान है वह पहले उत्तर प्रदेश सरकार का था परन्तु रेलवे ने उसको विशेष प्रयोजन के लिए मांगा था । यह कहा गया था रेलवे सरकार से अगर आपका मतलब न हो तो इस स्थान को वापस कर दिया जाय । यह स्थान ऐसा है जो शहर के मध्य में पड़ता है । यह स्थान इतना अधिक गन्दा रहता है जिसको कहा नहीं जा सकता। पूरा स्थान ऐसा खराब हो गया है, वहां पर इतनी अधिक गन्दगी हो गई है जिसका शहर के मध्य में होने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । उसको न तो रेलवेज साफ करवाती है और न तो उसको मगर महापालिका ही सफा करवाता है । बहुत से नाजायज लोगों ने जैसे कि घोसियों ने उस स्थान पर कब्जा भी कर लिया है । वह स्थान गन्दगी का गढ़ बन गया है । हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में रेलवेज के साथ लिखापढ़ी करे कि वह जमीन महापालिका को दे दी जाय ताकि मास्टर प्लान के अनुसार उसको बनाने में सुविधा प्राप्त हो सके ।

मलीन बस्ती कानपुर में है उसे भी एक्वायर करना चाहिये । बहुत बड़े बड़े होते हैं । मैं १०७।३ द्वारिकापुरी कानपुर की हरिजन बस्ती में रहता हूं उसे एक्वायर कर लेना चाहिय। लेकिन वह इसलिये एक्वायर नहीं की जाती क्योंकि उसके मालिक एक बहुत बड़े आदमी हैं और जो पहले नगर प्रमुख रहे हैं उनके रिश्तेदार लगते हैं । हमारें माननीय सदस्य, कानपुर ने निवेदन किया था कि कुछ भूमि महापालिका से मिल मालिकों ने लेबर कालोनी के लिए ली वहां पर कुछ दुकाने बनवा दी गयी औ कुछी खाली पड़ी हैं । उस जमीन को उनसे वापस लिया जाना चाहिये और अगर वापस नहीं लेते तो उनसे लबर कालोनी बनवानी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं जो बजट मंत्री सजी ने प्रस्तुत किय है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकाय चाहे नगर पालिका हो, महापालिका हो या टाउन एरिया हो इसलिये बनाये गये कि वे नगरों में, कस्बों में सफाई' रोशनी, सड़कों और प्रारम्भिक शिक्षा का काम करें। परन्तु इसमें दो मत नहीं है कि वे इस काम को करने में असमर्थ रही हैं। कोई भी नगरपालिका, महापालिका ऐसी नहीं है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार या नियमों के उल्लंघन की शिकायत न हो। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो व्यापक है। जसके अन्तर्गत राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास हुआ है, अनैतकता बढ़ी है और भ्रष्टाचार फैला है। लेकिन इस विभाग से सम्बन्धित एक कारण है कि जो म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट है, नगरपालिका ऐक्ट है, वह दोषपर्ण है।

मैं चाहूंगा कि उस ऐक्ट मे कुछ आमूल परिवर्तन किये जांय, और नगरपालिकाओं में ऐसी व्यवस्था हो कि वे सेवा का माध्यम बन सकें। हम ऐसे नियम बनावें जिनके अन्तर्गत भ्रष्टाचार, अनियमिततायें और धांधलियां न हो सकें। सरकार बहुत सी नगरपालिकाओं को सुपर सीड करती है, बहुत सी क सुतर सीड करने की मांग होती है। नगरपालकायें सुपरसीड कर दी जाती हैं तो विरोधी यह आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक कारणों से सुपरसीड की गयी। ऐसे भी उदाहरण हैं कि जिलाधीश और कमिश्नर ने सिफारिश की और सुरसीट नहीं की गयी जब-कि छोटे से कारणों पर सुपरसीड कर दी जाती हैं।

इसी सम्बन्ध में मनोहरलाल जी ने रुहेलखंड डिवीजन के कमिश्नर शर्मा जी का वक्तव्य पढ़ा जिन्होंने सुपरसीड करने की सिफारिश की लेकिन सुपरसीड नहीं की गयी। मुझे स्मरण है कि एक नगरपालिका इसलिये सुपरसीड की गयी कि उसने एक केस कोर्ट भेज दिया। लेकिन इससे कहीं गम्भीर आरोप अनियमितताओं के और धन के अपव्यय के होते हैं और नगर-पालिका सुपरसीड नहीं की जाती। जब हम उसके सुपरसीड न करने के कारणों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि वहां राजनीति बाधक हैं।

बदायूं नगरपालिका का मुझे स्मरण है कि नोटिस दिया गया लेकिन इसलिये विदड्रा कर लिया गया कि वहां का वोट लेना था। इसलिये मैं सुझाव दूंगा क हाई कोर्ट के जज के नीचे एक ट्रिव्युनल बनाया जाय, न्यायाधिकरण की स्थापना की जाय। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर जिस लोकल बाडी या म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करने की सिफारिश करें तो उस पर आपका विभाग निर्णय न ले। उस पर वह पत्र जो जिलाधीश की संस्तुतियों के साथ आये उसे न्यायाधिकरण के सिपुर्द किया जाय और फिर उसका जो फैसला हो उसके अनुसार सरकार कार्यवाही करे। अगर वह बोर्ड को सुपरसीड करने का निर्णय लेता है, सरकार सुपरसीड करे, किसी मेम्बर के विरुद्ध अगर कोई शिकायत है तो उस पर भी जो उस बोर्ड का निर्णय हो उसे सरकार को मानना चाहिये। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस तरह की बातों को तय करने के लिये एक ट्रिव्युनल की स्थापना की जाय ताकि यह तमाम समस्यायें हल हो सकें।

मान्यवर, स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति आज बहुत खराब है। उनकी आय के श्रोत बढ़ाये जायं। अधिकांश नगरपालिकायें आज ऐसी हैं जिनकी आय बहुत कम है, उनके पास साधन नहीं हैं। मैं इसके लिये सुझाव दूंगा कि सरकार को मनोरंजन कर तथा बाजीकर का एक भाग नगरपालिकाओं को देना चाहिये। सिनेमा आदि की सफाई आदि की व्यवस्था नगरपालिकायें ही करती हैं। जो कर से पैसा लिया जाता है वह भी नगरवासियों से ही लिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक्साइज के जितने केसेज पकड़े जाते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णस्वरूप वैश्य]

हैं वे भी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों द्वारा ही पकड़े जाते हैं, और इन लोगों पर जो पकड़े जाते हैं, जो जुर्माना होता है उसकी रकम सरकार लेती है। इनके द्वारा पकड़े गये केसेज पर जो जुर्माना आदि हो उसकी रकम भी स्थानीय निकायों को ही मिलना चाहिये। ऐक्ट में भी नियम है, परन्तु कई वर्षों से लगभग १५–२० वर्षों से जुर्माने का पैसा सरकार ही लेती चली आ रही है।

आज स्थानीय निकायों द्वारा जो प्राइमरी एजूकेशन तथा प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था है वह भी इतनी खराब है कि कोई भी भला आदमी अपने बच्चों को वहां पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि न तो वहां अच्छे शिक्षक रहते है, न टाट पट्टियों का प्रबन्ध होता है, न भवन ही हैं, न पुस्तकों का प्रबन्ध हैं। मैं चाहता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन के लिये एक अलग बोर्ड गठित किया जाय जो इस ओर उचित ध्यान दे सके। उस बोर्ड में अध्यापक रखे जाये, शिक्षाविद् रख जायें .....

श्री सरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं कह रहा था कि स्थानीय निकायों में सुधार के लिये उसके ऐक्ट में सुधार की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी यह रहती है कि वहां की जो कार्यवाही है, वही सही तौर से नहीं की जाती है, वह सही तौर पर नहीं रिकार्ड की जाती है। उसका कारण भी है कि जो वहां का चेयरमैन होता है, जिसको एक्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वहीं वहां पर प्रेसाईडिंग आफिसर होता है। प्रायः यह देखा गया है कि नगरपालिका की बैठक समाप्त हो गई और उसके बाद जो आईटम्स चाहे, उसको कार्यवाही पुस्तिका में लिख लिया। एक नहीं इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलेंगे कि जो आईटम एजेन्डे पर नहीं था, उसको भी पास हुआ मान लिया गया।

मेरे पास बदायूं का उदाहरण है कि बोर्ड की बैठक की समाप्ति के बाद बहुत सी जमीन को लोगों को एलाट कर दिया गया और कार्यवाही में उसकी पुष्टि कर दी गई। तो मेरा कहना यह है कि मिनट्स की कोई सेंविक्टी नहीं है, कार्यवाही पुस्तिका को पवित्रता नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रिसाईडिंग अफसर ही एक्जीक्यूटिव अफसर होता है। इसकी आप कल्पना करें यदि मुख्य मंत्री ही स्पीकर हाउस के हो जायं तो क्या विरोधी दलों के हितों का संरक्षण हो पायेगा? क्या बहुत सी बातें जो सरकार चाहेगी वह नहीं हो जायंगी, नियमों की अवहेलना करके। इसलिये मैं चाहूंगा कि नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों में जो चेयरमैन हैं, जिसको एक्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वह वहां की बैठक का संचालन न किया करें। इसके लिये अलग से व्यक्ति चुना जाये, जो केवल बोर्ड की मीटिंस का संचालन करे। उसकी अध्यक्षता करे। वह चाहे आफिशियल हो या नान आफिशियल। आजकल चेयरमैन स्थानीय निकायों की बैठक में विरोधी दलों के आदमियों के आईटम्स को एजेण्डे में शामिल नहीं करते हैं, उनको बोलने का अवसर नहीं देते हैं, उनके वोट आफ डिसेंट नहीं लिखे जाते हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि नगरपालिका के अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन किया जाये, जिससे कार्य-पंजिका, मिनट्सबुक की सैंविटटी रहे, जो वास्तव में पास हो, वही लिखा जाये।

इसके अलावा भी नगरपालिका में सारी सत्ता वहां के चेयरमैन में केन्द्रित है। वहां भी कमेटीज और सब कमेटीज होती हैं, किन्तु इनके चेयरमैन को कोई पावर नहीं है।

इसलिये हमें विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करनी चाहिये, उनको भी अधिकार मिलने चाहिये। जिस प्रकार से नगरपालिकाओं में होता है, बैठक के लिये अलग से अध्यक्ष होता है, जिसे एक्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, वही व्यवस्था यहां भी होनी चाहिये। नगरपालिकाओं और टाउन एरिया के लिये वहां की कार्य समिति का अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष अलग से होना चाहिये। जब तक इस प्रकार का संशोधन आप नहीं करेंगे, १९१६ के म्युनिसिपैल्टीज ऐक्ट में तब तक सुधार नहीं होगा और हमारे सामने तमाम बाधायें बनी रहेंगी।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं के चुनाव होंगे, उनमें सारे प्रदेश में सिंगिल मेम्बर वार्डस हों, क्योंकि जहां पर मल्टी मेम्बर्स वार्डस हैं, वहां पर खींचतान की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा जिस प्रकार से बी० डी० सी० में और जिला परिषदों में उस क्षेत्र का विधायक एक्स-आफिसर मेम्बर होता है, उसी प्रकार से टाउन एरियाओं और नगरपालिकाओं में उस क्षेत्र के विधायक की सदस्यता अवश्य होनी चाहिये? क्योंकि वह वहां की समस्याओं और उनके सुधार से सम्बन्धित रहता है। उसका वहां पर रहना आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को भी उसी प्रकार से हम उनमें स्थान दें।

मैं यह बात और कहना चाहूंगा कि जब चौधरी चरण सिंह जी स्वायत्त शासन मंत्री थे, तो उन्होंने स्थानीय निकाय की सर्विसेज का प्रांविंशलाइजेशन किया था। उसका अभिप्राय यह था कि नगरपालिका के कुछ अधिकारियों का स्थानान्तरण हो सके जैसे एग्जिक्यूटिव आफिसर हैं, टैक्स सुपरिटेंडेंट हैं, एजूकेशन सुपरिटेंडेंट है। और यह समझा गया था कि वर्षों से एक आदमी जमा बैठा है इसलिये प्रान्तीयकरण किया जाय। लेकिन इससे एक नयी समस्या पैदा हो गयी। जिन सेवाओं का प्रान्तीयकरण किया गया, वे अधिकारी समझते हैं कि हम नगरपालिका में नहीं हैं, चेयरमैन के मातहत नहीं है। हम प्रान्तीय सरकार के मातहत हैं। तो उनके आदेशों की अवहेलना करते हैं, अनुशासन नहीं रहता। इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां हमने इन सेवाओं का प्रान्तीयकरण किया है वहां नगरपालिकाओं के चेयरमैनों को अधिकार दें कि उनके कैरेक्टर रोल में एंट्री कर सकें। साथ ही साथ उनके तबादले में वहां पर नगरपालिका के बहुमत प्रस्ताव और नगरपालिका के चेयरमैन के विचार का आदर होना चाहिये जिससे वहां अनुशासन बना रहे।

(लाल बत्ती जलाने पर)

पांच सात मिनट और दे दें। मेरे दल से कोई नहीं बोलेगा।

इसके अतिरिक्त जब हम ऐक्ट में संशोधन करें तो कोई भी मौलिक परिवर्तन करने से पहले हमको नगरपालिका के अध्यक्षों से परामर्श करना चाहिये। जो मेयर्स हैं उनके सुझावों का आदर करना चाहिये। आज मेयर्स से कोई परामर्श नहीं किया जाता, वह अधिकारियों के कैरेक्टर रोल में एंट्री नहीं कर सकता।

मैं चाहूंगा कि एक ऐसी समिति का गठन किया जाय जिसके अन्दर इस सदन के सदस्य हों, नगरपालिका के चेयरमैन मेम्बर हों और स्वायत्त शासन की समस्याओं के एक्सपर्टस हों, जो नगरपालिका की सारी समस्याओं का अध्ययन इस अधिनियम में मौलिक परिवर्तन लाने के लिये सोचें।

स्थानीय निकायों का एक काम सफाई का है। लेकिन आज भी मेहतर कूड़े या पाखाना की डलिया अपने सर पर ले जाते हैं जो बहुत अनुचित है। स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानवता की दृष्टि से भी। प्रदेशीय सरकार सभी स्थानीय निकायों को ऐसा अनुदान दे ऐसी बन्द गाड़ियां हों जिनमें उस मैले को ले जाया जा सके।

वधशाला जहां पर जानवरों को जिबा किया जाता है, नगर के मध्य नहीं होनी चाहिये। परन्तु बहुत से ऐसे शहर हैं जहां स्लाटर हाउस शहर के बीच में बने हैं जिससे गंदगी भी होती

[श्री कृष्णस्वरूप वैश्य]

है, द्वेष भी रहता है। बदायूं नगर ऐसा है जहां पर बधशाला शहर के बीच में बनी हुई है जहां गंदगी है जिसके कारण द्वेष फैलता है, आपस का मनमुटाव बढ़ता है। कई बार मैंने मांग की स्लाटर हाउस शहर के बाहर बनाया जाय। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि सभी नगरपालिकाओं को बाध्य करें कि स्लाटर हाउस शहर के बीच में हों, शहर के बाहर हों जिससे सफाई हो सके।

एक बात मैं कहना चाहूंगा। सभी नगरपालिकाओं का काम पानी देने का है। वहां वाटर टैक्स लिया जाता है। बिजली दी जाती है तो एलेक्ट्रिसिटी टैक्स नहीं है। जो बिजली लगा वह पैसा देगा। टेलीफोन लेगा तो उसका पैसा देगा। जिस शहर में टेलीफोन की सुविधा प्रारम्भ करते हैं वहां टेलीफोन टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन जो पानी देना सरकार का परम कर्त्तव्य है, आप पानी के पाइप लगाते हैं, जो गरीब आदमी झोपड़ी में रहता है, पानी की टोटी नहीं रखता उसको भी वाटर टैक्स देना पड़ता है। यह अनुचित है कि पानी कोई ले और टैक्स सब दें। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो पानी ले उसी को टैक्स देना पड़े। सरकार अनुदान देती है वाटर वर्क्स लगाने के लिये और उसका मुआविजा देना है लोकल बाडीज को तो पानी का रेट बढ़ा दीजिये लेकिन यह अनुचित है कि जो पानी न ले वह भी पानी का टैक्स दे।

बहुत सी नगरपालिकाओं में सरकार नामिनेशन करती है जैसे नैनीताल में कुछ सदस्यों का नामिनेशन करती है, यह प्रथा समाप्त होनी चाहिये। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी सरकार कुछ ऐग्लो इंडियन्स को नैनीताल में नामिनेट कर दिया करती थी वैसा ही यह सरकार भी कर रही है। ७ संगठन कांग्रेस के सदस्य चुने गये, ४ शासकीय कांग्रेस के चुने गये और चार शासकीय कांग्रेस के सरकार ने नामिनेट कर दिये। लोकतंत्र तो यह था कि संगठन कांग्रेस के द्वारा ही चार व्यक्ति नामिनेट किये जाते लेकिन शासकीय कांग्रेस द्वारा चार सदस्यों को नामिनेट करने से शासकीय दल की संख्या ४ से ८ हो गयी और इस प्रकार संगठन कांग्रेस के ७ सदस्यों के खिलाफ उनकी मेजारिटी हो गयी। यह लोकतंत्र नहीं है। किसी भी नगरपालिका में सरकार नामिनेट न करे और जब तक ऐसा विधान है तब तक अगर नामिनेट करे भी तो वहां के वातावरण को देख कर करे। सरकार ने नैनीताल के अन्दर लोकतंत्र की हत्या की है, जम्हूरियत की हत्या की है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके।

एक बात यह कही जाती है यथा राजा तथा प्रजा। जहां का प्रेसाइडिंग आफिसर ईमानदार होगा वहां के अहलकार तथा अहलमद भी ईमानदार होंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। मगर स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री श्री उमादत्त शर्मा के बारे में सदन में कुछ आरोप लगाये गये। वह सही हैं या गलत यह मैं नहीं कहता लेकिन लोगों को शंका होती है कि कुछ गोल माल अवश्य हुआ है। मेरी नगरपालिका के चेयरमैन से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब हमारे विभाग के मंत्री पर आरोप लग सकता है रिश्वत का, गोलमाल का तो हम अगर गोलमाल करें तो क्या बुराई है। हम ईमानदार बनना चाहते हैं, कायदे से काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रिश्वत न हो लेकिन स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री, राज्य मंत्री भी शंका से परे होने चाहिये। मैं महात्मा गांधी का उदाहरण देता हूं। वह राम राज्य चाहते थे। राम ने सीता को छोड़ दिया इसलिये एक धोती ने सीता पर शंका प्रकट की थी। हम राम राज्य को बनाना चाहते हैं तो यह सैकड़ों विधायकों ने जब शंका प्रकट की तो मंत्री महोदय को कहना चाहहिये था कि मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया लेकिन जब आपको शक है तो मैं त्यागपत्र देता हूं ताकि विभागीय कर्मचारी, अलहकार कर्त्तव्य परायणता का परिचय दें सकें। इन शब्दों के साथ मैं कटमोशन का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम––

कोरम नहीं है, श्रीमन् ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष––

इस समय तो लोग पूरे हो गये हैं, किन्तु यदि फिर चले जायेंगे तो उसके लिये आप लोगों को बुलाये रखिये ।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि, (जिला हरदोई)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा जो अनुदान आज इस सदन में पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । सर्व प्रथम मैं यह निवेदन करंगा कि प्रदेश में जो मेहतरों का वेतन है और उनकी जो कार्यवाही है उसके संबंध में, सुधार के सम्बन्ध में सन १९६६ में एक समिति का गठन किया गया था । इस बात को शायद मैं पहले भी कह चुका हूं । इस समिति ने सन १९६७ में अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया था और सरकार ने सन १९६८ में इस सम्बन्ध का एक सरक्युलर भी जारी कर दिया था किन्तु मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि आज भी उस वेतन समिति की सिफारिशों पर अमल नहीं किया जा रहा है । मुझे सूचना मिली है कि नानपारे में एक मेहतर ने किसी म्युनिसिपैलिटी दफ्तर के कर्मचारी को पीट दिया क्योंकि वहां पर कई-कई महीनों से इन मेहतरों को वेतन नहीं मिला है । इस सम्बन्ध में मेरा माननीय मंत्री जी को एक सुझाव है कि वे सर्व प्रथम स्थानीय निकायों से इस बात की जांच करवा लें कि इस वेतन समिति ने जो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी और सरकार ने उस पर जो सरक्युलर जारी किया था उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है ?

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि मेहतरों की बस्तियों में सुधार हो श्रीमन, जब इस मेहतर तबके को उठाया जायेगा तब ही छुआछूत वाली बात का विनाश होगा । यदि माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें कि स्थानीय निकायों के अन्दर जहां-जहां मेहतरों की बस्तियां हैं वे स्वच्छ स्थानों में होनी चाहिये, वहां पर पब्लिक लेट्रिन्स नहीं होनी चाहिये । अक्सर यह देखा गया है कि इस तबके के लिये वहीं पर बस्ती बना दी जाती है जहां पर कि लेट्रिन्स होती हैं और बहुत ही अस्वच्छ जगह होती है । अतः मेरा निवेदन है कि इन मेहतरों की बस्तियों को उन जगहों से हटा कर स्वच्छ स्थान पर उनके लिये बस्तियों का निर्माणकिया जाय । इसके साथ ही साथ उनकी बस्तियों में मनोरंजन गृह, वाचनालय और खेलकूद की जो चीजें अन्य बस्तियों में होती हैं, वही चीजें उनके लिये भी करें ताकि ये लोग भी अपना मन बहला सकें, उनके बच्चे उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

हरिजन और पिछड़ी जन जाति के विकास के साथ-साथ ही इन मेहतर वर्ग के लोगों के विकास और उत्थान हेतु सरकार को ध्यान देना चाहिये । स्थानीय निकायों द्वारा इन मेहतर बस्तियों में पालन गृह की भी व्यवस्था होनी चाहिये, बागवाड़ी इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिये । इन बस्तियों में सरकाश को विशेष रुप से ध्यान देना चाहिये क्योंकि मैंने देखा है कि जाड़े के दिनों में प्रातः ५–५ बजे उठकर इन मेहतरों की महिलायें सफाई हेतु चली जाती हैं अपने ५–६ महीने के छोटे-छोटे बच्चों को घरों में छोड़ कर । उनकी देख भाल भी उनके ५–७ साल के बच्चे घरों में करते हैं, बजाय इसके कि इस उम्र में उनको स्कूल भेजें, वे इन छोटे-छोटे बच्चों की देखरेख हेतु उन्हें घर पर रहना पड़ता है । मान्यवर, तभी इस मेहतर जाति का उत्थान हो सकता है जब आप इस प्रकार की सुविधायें उन्हें प्रदान

[श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि]

करेंगे। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे कृपया इस बात को नोट कर लें और उनके लिये ऐसा प्रबन्ध करें।

कुटीर उद्योगों के सिलसिले में हरिजनों के लिये बड़ी-बड़ी बातें हांकी जाती है किन्तु मैं अनेकों बार उनकी बस्तियों में गया हूं, कोई इस तरह का इन्तजाम इनकी बस्तियों में नहीं देखा है। अतः कुटीर उद्योगों के लिये भी उनके बीच सहकारी समिति बनाकर उन के लिये ऐसे सामान की व्यवस्था की जाय जो सामान इनके ही काम में आते हैं, ऐसे ही उद्योग इनकी बस्तियों में चालू किये जायं तो यह लोग फालतू टाइम बरबाद न करके अपने को काम में लगा सकेंगे। इनके कुछ नौजवान लड़के सिनेमा आदि देखने चले जाते हैं, वह भी दो चार रूपया रोज की मजदूरी कर सकते हैं। एक बात की ओर और ध्यान दिलाऊंगा कि हरदोई जिले में पिहानी नगरपालिका में लगभग १५ साल पूर्व वहां की आर्थिक स्थिति को खराब देख कर कमिश्नर साहब ने वहां के कर्मचारियों की छटनी की जिसमें चौकीदार, बत्ती जलाने वाले, पानी पिलाने वाले कम किये गये। उनके साथ ही सफाई कर्मचारी भी १२ कम कर दिये गये और १५ साल से ज्यादा हो गये, वहां की आबादी भी बढ़ी आज भी वे लोग बेकार पड़े हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराकर जो १५ साल से १२ सफाई कर्मचारी बेकार बैठे हुये हैं उनकी पुनर्नियुक्ति कराने की कृपा करें। नजूल की जो जमीनें हैं....।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

३ बार कोरम की घंटी बजी, अब चौथा बार है, कोरम नहीं है, कृपया कुछ समय के लिये सदन को स्थगित करें तभी कोरम होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग उठ जाते हैं।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उठने की बात नहीं है, यह तो आप देख लें।

श्री अध्यक्ष—

गवर्नमेंट को चाहिये कि वह अपना कोरम बना ले, वह विरोधी पक्ष के भरोसे में न रहे।

नियोजन उप मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)—

यह भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। इनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिये।

श्री जगवीर सिंह—

यह तो सरकारी बेंचेज की है। मालूम ऐसा होता है कि मंत्री जी से कोई कोआपरेट नहीं कर रहा है, अकेले बैठे हैं बेचारे। इसलिये कोरम पूरा करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

जारी रखें, अभी कोरम है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नजूल की जमीनें जो स्थानीय निकायों में पड़ी हैं वह इन बाल्मीकि मेहतरों को दे दी जायं इनकी डिमांड पर ताकि ये अपनी वहां पर आदर्श कालोनी के रुप में अपनी बस्ती बना सकें और अपने मनोरंजन गृह आदि का प्रबन्ध कर लें। लखनऊ में ऐशबाग में ऐसी बस्ती है जहां रिक्रिएशन रूम है, अखाड़ा है महापालिका की तरफ से और

अच्छा प्रबन्ध है बनिस्बत और जिलों की नगरपालिकाओं की तरफ से जो प्रबन्ध है हरदोई में लगभग ५–७ बीघे से ज्यादा ऐसी जमीनें पड़ी हैं बीसियों वर्षों से । मैंने वहां की नगर-पालिका के अधिकारियों को लिखा कि यह सफाई कर्मचारियों को, वाल्मीकियों को जिनके पास क्वार्टर नहीं है तो वे आदर्श वाल्मीकि कालोनी का निर्माण करें और वाल्मीकि आश्रम बनावें जहां पर कीर्तन, भजन आदि हुआ करें। तो मुझे लिखित उत्तर दिया गया नगरपालिका की तरफ से कि सन् १९७० में सरकार के आदेश हो चुके हैं कि नजूल की जमीन किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को न दी जाय। तो मैंने कल माननीय मंत्री जी से यह निवेदन भी किया था और पुनः निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच करायें कि हरदोई में क्यों ऐसा किया गया और यदि शासन का ऐसा आदेश हो भी चुका है तो उसको रद्द करें और नजूल की जमीन बाल्मीकियों को दिलाने के लिये प्राथमिकता बरती जाय ।

श्रीमन्, एक निवेदन और करूंगा कि अभी एक माननीय सदस्य मेहतरों की सफाई के बारे में बतला रहे थे । सफाई की ज्यादा लखनऊ में शिकायत है और भी जगह है । उसका मुख्य कारण यह है कि पब्लिक हेल्थ मैनुअल के आधार पर जितनी संख्या इन सफाई कर्मचारियों की होनी चाहिये एक-एक नगरपालिका, महापालिका और स्थानीय निकायों में उतनी संख्या मेहतरों की नहीं है । इसलिये वह सफाई पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ३–३ आदमियों का काम करना पड़ता है ।

हजरतगंज में देखें कि १०–१२ साल के लड़के मां-बाप के साथ उनके काम में मदद करते हैं तब वह अपना काम पूरा कर पाते हैं। ऐसा अनेकों स्थान पर है । मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराकर नगरपालिकाओं को बाध्य किया जाय कि हेल्थ मैनुअल के लिहाज से इनकी संख्या बढ़ाई जाय और काम लिया जाय । मेहतरों की संख्या हैल्थ मैनुअल के लिहाज से पूरी होनी चाहिये ।

मैं गंदी बस्तियों के बारे में कहना चाहता हूं । वाराणसी में मैंने देखा है कि बमपुलिस के पास ही मेहतरों के क्वार्टर्स हैं । वहां इतनी गंदगी रहती है कि जब हवा चलती है तो वहां बैठा नहीं जाता है । कल मैंने पार्टी मीटिंग में भी जिक्र किया था और कानपुर का जिक्र किया था कि वहां मेहतर ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां सारे शहर का मैला डाला जाता है । इसमें सुधार किया जाना चाहिये । एक ऐसा अभियान चलाया जाय कि मेहतरों के क्वार्टरों के पास गंदगी न हो । जो सारे संसार की सफाई करता है अगर उसी के पास गंदगी रहे तो फिर कैसे सफाई रह सकती है ।

मैं आपके द्वारा मा० स्वायत्त शासन मंत्री जी से एक और निवेदन करूंगा कि यहां लखनऊ नगरपालिका के सेनीटरी इन्सपेक्टर हैं श्री एन० के० सिनहा, श्री सुशील कुमार सक्सेना, श्री बी० एन० शर्मा, श्री ओ० पी० मल्होत्रा, श्री जी० एन० माथुर वगैरा पांच हैं, उनका लगभग एक वर्ष पूर्व तबादला हो गया था। लेकिन उनको यहां फिर लखनऊ बुला लिया गया है ओर चार बाल्मीकि सेनीटरी इन्सपेक्टरों में से श्री महेश प्रसाद को मेरठ, श्री एम० एन० भट्टी को इलाहाबाद, श्री श्यामलाल को कानपुर तथा दूसरे श्री श्याम लाल को बनारस भेजा गया है । इनसे सीनियर लोग जो ज्यादा दिनों से लखनऊ में थे उनको यहीं रखा गया है और इन जूनियर लोगों को बाहर भेजा गया है । मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बाल्मीकि लोगों को अच्छी हालत में देखना ये लोग सहन नहीं कर सकते हैं। इसकी जांच कराकर इसके लिये जवाब तलब किया जाय ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस अनुदान पर अपनी बात कहने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं । मान्यवर, आज इस सदन में जो चर्चा हो रही है और ऐसा लगता है कि स्वायत्त शासन और पंचायती राज्य यह प्रजातंत्र की एक ही तरह की इकाइयां हैं और एक ही तरह के

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

विभाग हैं और इनका एक ही तरह से संचालन होना चाहिये। पंचायत राज्य का अलग मंत्री और अलग विभाग है और स्वायत्त शासन का दूसरा है। हमारा कहना यह है कि इन दोनों विभागों को एक में मिला दिया जाय। अलग-अलग विभाग होने से यह स्थिति हो गई है है कि शहरों में सारा पैसा लगाया जाता है शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, नगरपालिकायें सुरसा की तरह से बढ़ती चली जा रही हैं और गांव उजड़ते चले जा रहे हैं। दोनों विभागों को एक में मिलाकर प्रशासन चलाया जाय जिससे सफाई, पानी, रोशनी और दवा का इंतजाम प्रदेश की नौ करोड़ जनता के लिये समान स्तर पर किया जाय।

आप देखते हैं कि आज सारा इंतजाम रोशनी, सफाई, और दवाओं का शहरों में ही होता है। यही बजह है कि गांवों के आदमी शहरों में भागते चले आ रहे हैं। शहर बढ़ते चले जा रहे हैं और गांव उजड़ते चले जा रहे हैं। मान्यवर, आप किसी भी बड़े शहर को देख लीजिये। १० साल के अन्दर दुगना हो जाता है, उसकी जनसंख्या दुगनी हो जाती है। उसके बीच में पड़ने वाले गांवों को उजाड़ दिया जाता है और वहां के किसानों को खेती की जमीन महापालिका के पेट में समा जाती है। उनको अपनी जमीन के पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। इस मामले में मैं स्वायत्तशासन मंत्री जी से कहूंगा कि जितनी भी किसानों की जमीनें महापालिका और नगरपालिकाओं में ली जायं वह बाजार रेट पर मुआवजा देकर ली जायं। और अगर वह किसान अपने रहने के लिये कोई मकान बनवाता चाहता है तो उसको भी प्लाट दिया जाय। अगर किसान जमीन ही चाहता है तो उसको दूसरे स्थान पर जमीन दी जाय।

आज तो नगरपालिका का इंस्पेक्टर चला जाता है और किसानों की बड़ी-बड़ी आबादियों को, जिसमें ५-५ सौ लोग रहते हैं उजाड़ दिया जाता है। इस प्रकार से शहरों के आसपास के गांव उजड़ रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं। वहां के रहने वाले बड़ी तबाही में पड़ जाते हैं। इस बारे में मैं कानपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। कानपुर के किसानों की बड़ी भारी जमीन पनकी खाद फैक्टरी में ले ली गयी। आसपास के तमाम गांवों की जमीन पनकी खाद फैक्टरी के पेट में चली गयी। वहां के किसान रोते-रोते अपने रिश्तेदारों के यहां चले गये और फैक्टरी में नौकरी जो दी गयी वह मद्रास और दक्षिण के रहने वालों को दी गयी। यहां भी उनके साथ न्याय नहीं किया गया।

इसके अलावा शहरों के अन्दर जो छोटी छोटी झोपड़ियां बना कर रहते हैं, उनके मकान गिरवाये जाकर म्युनिसिपैल्टी अपने प्लान के हिसाब से मकान बनवाती है। मेरा सुझाव है कि उसी जगह पर नगरपालिका मकान बनवाकर हायर पर उनको दे।

नगरपालिकायें जो टैक्स लगाती हैं वह भी ज्यादातर गरीब आदमियों पर ही लगाती हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि तो आदमी थोड़ा बन कर रिक्शा चलाता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाता है, घोड़े तांगों से भी टैक्स लिया जाता है, साइकिलों से भी टैक्स लिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा समाजवाद है। क्यों नहीं मोटरों पर टैक्स लगाया जाता है, जिनमें बड़े-बड़े आदमी घूमते हैं। छोटे कर्मचारी और साधारण लोग जो साइकिलों पर और रिक्शों पर चलते हैं, उन पर टैक्स लगाया जाता है। ओर टैक्स अदा नहीं हुआ तो साइकिल और रिक्शे वालों को टांग-टांग कर पुलिस के थानों में बन्द कर दिया जाता है। क्या यह समाजवाद है। अगर आपके दिल में लोगों के लिये दर्द है तो आप साइकिल, रिक्शा और तांगे पर से टाउन एरिया, महापालिका का टैक्स हटा दीजिये और जो लोग मोटरों के ऊपर चलते हैं उनसे उस टैक्स की कमी घाटे को पूरा किया जाय।

इसके अलावा महापालिकाओं में बड़ी भारी गंदगी है। कानपुर की नगरमहापालिका के मेयर का अभी चुनाव हुआ तो वहां के मेयर ने कहा कि कानपुर की गंदगी जब तक साफ नहीं

हो जायगी मैं अपने पद को ग्रहण नहीं करूंगा। १०–१२ दिन तक तो यह नाटक चलता रहा। लेकिन कानपुर नगर की सफाई नहीं हुई और अन्त में उनको गंदगी में ही शपथ लेनी ही पड़ी। और कानपुर में जैसी गंदगी पहले थी, वैसी ही अब भी है।

इसके अलावा जो यह मेयर के चुनने की प्रथा है वह भी बहुत गलत है। हमारे कानपुर में तो बड़ा भारी भ्रष्टाचार होता है। एक-एक सदस्य को ५०–५० हजार रुपया तक वोट देने के लिये दिया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि उन सभासद को खरीदने वाला कानपुर का कोई बड़ा पूंजीपति ही कानपुर का मेयर होता है। ऐसे तरीके को खत्म करके साधारण जनता द्वारा मेयर का चुनाव होना चाहिये और ५ वर्ष के लिये होना चाहिये ताकि कारपोरेटरों की खरीद और बिक्री समाप्त हो जाय और एक स्थायी तरीका से नगरपालिकाओं का प्रशासन चल सके।

दूसरे, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देहातों की तरक्की के लिये अब गांव जिसकी आबादी ५ हजार या उससे ऊपर हो टाउन एरिया घोषित कर दिया जाना चाहिये। कुछ ऐसे टाउन एरिया हैं जिनसे बड़े बड़े गांव उनके पास हैं लेकिन उनको वह सुविधा नहीं है। तो सारे प्रदेश के लिये एक सा नियम बना कर जिन गांवों की आबादी ५ हजार या उससे ज्यादा हो उनको टाउन एरिया घोषित कर देना चाहिये जिससे वहां पर भी सफाई, सड़कों और दवाई का अच्छा इन्तजाम हो सके। अभी टाउन एरिया में जो बख्शी होता है वह राज्य सरकार के अन्डर में नहीं आता है। वह जैसे जमींदार के मुख्तार होते थे उस तरीके से काम करता है। सरकार को चाहिये कि टाउन एरिया के बख्शी को वह अपने अधिकार में ले जिससे उनके ऊपर अंकुश रहे।

इसके साथ ही साथ मैं कानपुर जिले की एक टाउन एरिया झींझक के बारे में कहना चाहता हूं। उसका दो तिहाई हिस्सा तो टाउन एरिया के अन्दर है और एक तिहाई हिस्सा गांव पंचायत के अन्दर है। आधा बगुला और आधा सुआ। यह है इनका स्वायत्त शासन। एक ही कस्बा है, एक ही गांव है उसका एक तिहाई गांव पंचायत में है और दो-तिहाई टाउन एरिया में। आज गांव पंचायत के लोग सड़क और बिजली के ओर सफाई के लिये तरस रहे हैं और टाउन एरिया के लोग रोशनी और सफाई में मौज करते हैं। मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि झींझक की उस एक तिहाई आबादी को भी टाउन एरिया के अन्तर्गत शीघ्र ले आना चाहिये।

अभी हमारे बाल्मीकि जी ने कहा कि यह सरकार मेहतरों के लिये कुछ नहीं करती। मैं एक ही बात उनसे कहना चाहता हूं कि वह संविद के जमाने में हमारे संसोपा के स्वायत्त शासन मंत्री श्री रूपनाथ सिंह यादव ने जो आदेश दिया था, वह आज भी फाइल में लगा होगा, उसे देख लें। उन्होंने आदेश दिया था कि टाउन एरिया और महापालिका के जो मेहतर हैं इनका कम से कम वेतन १५० रुपये होना चाहिये और हायर परचेज के जितने मकान हों सबसे पहले पहले मेहतरों को दिये जायं। माननीय बाल्मीकि जी उस आदेश को निकवायें और अगर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी में समाजवाद के लिये जरा भी मोहबत है तो उस आदेश को लागू करें। तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री की रूपनाथ सिंह यादव ने एक और आदेश दिया था कि स्वायत्त शासन विभाग में सारे प्रदेश में पिछड़े और हरिजन लोगों का ६० प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण किया जाये। क्यों नहीं उस फाइल को निकलवा कर ६० प्रतिशत आरक्षण नौकरियों में इनके लिये करते हैं एक जो रास्ता संविद की सरकारों ने दिखाया उस पर अगर ये चलें तो इस प्रकार की तरक्की हो सकती है क्योंकि इन कांग्रेसी सरकारों ने २०–२२ साल में इस प्रदेश को तबाह और बर्बाद ही किया है।

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जब तक माननीय स्वायत्त शासन मंत्री मेहतरों की डेढ़ सौ रूपये महीना तनख्वाह और हरिजनों और पिछड़े वर्गके लोगों का नौकरी में ६० प्रतिशत आरक्षण नहीं करते तब तक इनको कोई अधिकार नहीं है कि इनको एक भी पैसा दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मनोहरलाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। स्वायत्त शासी संस्थाओं की जो स्थिति आज है उसमें सुधार की परम आवश्यकता है जिसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। स्वायत्त शासनी संस्थाओं के माध्यम से, मोटे तौर पर चाहे बड़ी नगरपालिकायें हों, और चाहे टाउन एरिया हों काम होता है सफाई का, रोशनी का, शुद्ध पानी का। यह सब इन्तजाम वहां के रहने वालों के लिये सड़क निर्माण किया जाना अनिवार्य भी है। बड़ी जगहों पर चाहे जो स्थिति हो, लेकिन छोटी जगहों में, चाहे टाउन एरिया हों, नगरपालिका हों, नोटिफाइड एरिया हों, जो कार्य की स्थिति है—चिन्तनीय है। चाहे वह सड़कों की स्थिति हो, चाहे सफाई की हो, चाहे पानी के निकासी की हालत हो और चाहे कर्मचारियों के रहन सहन की हालत हो, सचमुच उनकी दशा बड़ी चिन्तनीय है और उनके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है।

गोरखपुर जिले में एक टाउन एरिया का जिक्र करता हूं जो नेपाल की सीमा पर है उसका नाम है नौतनवां। वह १९२६ में टाउन एरिया बना। ४ गांवों को मिला कर वह टाउन एरिया का क्षेत्र घोषित किया गया। एक गांव की आबादी इस तरह से नहीं थी कि उसको टाउन एरिया बनाया जा सके। उस टाउन एरिया की वजह से वहां के लोगों का नुकसान हुआ। सबसे पहले तो यह नुकसान हुआ सारी जगहों में जमींदारी खतम हो गई और किसानों को अपने अधिकार मिल गये, लेकिन टाउन एरिया में रहनेवाले कृषकों को अपने खेतों पर अपनी जमीन पर वह अधिकार नहीं मिल सके, जो दूसरे गांव के लोगों को मिले। तो सबसे पहले मन्त्री जी के विचारार्थ मेरा सुझाव है कि टाउन एरिया में भी उस जमीनदारी अबालिशन ऐक्ट जो ग्रामीण क्षेत्र के लिये बना हुआ है लागू किया जावे। दूसरे शब्दों में वर्तमान जमींदारी अबालिशन इन अरबन एरियाज का कोई अर्थ नहीं है अस्तु पूरे तौर से जमींदारी अबालिशन की व्यवस्था वहां पर भी लागू की जाय, ताकि टाउन एरिया क्षेत्र में रहने वालों की जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की पूरी सुविधा मिल सकनी सम्भव हो सकें।

दूसरा सबसे बड़ा नुकसान टाउन एरिया में रहने वालों का यह हुआ कि हर साल करीब करीब २ लाख रुपया टोल टैक्स से वसूल करती है टाउन एरिया और लगभग १ लाख रुपया जमींदार जमींदारी टैक्स भी वसूल करते हैं। इस तरह से टाउन एरिया के अन्दर एक ही आदमी दो प्रकार का टैक्स आज भी अदा करता है जो किसी भी दशा में न तो उचित हैं और न न्याय संगत। इतना ही नहीं बल्कि जो टाउन एरिया के बाहरी यानी ग्रामीण क्षेत्रों के वह निवासी हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों से अपना जो सामान बेचने के लिये टाउन में लाते हैं सब्जी अथवा गल्ला वगैरह, उनको टाउन टैक्स के साथ जमींदारी का टैक्स भी देना पड़ता है।

यह परस्पर विरोधी स्थिति है जिसको शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिये। इसलिए अविलम्ब ग्रामीण क्षेत्रों की ही भांति जमींदारी अबालिशन ऐक्ट वहां पर भी लागू किया जाय ताकि इस प्रकार के क्षेत्रों से जमींदारी तथा दूसरे? अन्याय पूर्णतः समाप्त हो सके। गांवों की तरह से उनको भी लाभ पहुंचाया जा सके। गांवों में जिस तरह से जमींदारी अबालिशन से लाभ हुआ है टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में भी लाभ पहुंचाने के लिये शीघ्र गांवों के ही अनुसार लागू किया जाना चाहिये।

जहां तक टाउन एरिया में काम करनेवाले कर्मचारियों की स्थिति है वहां पर एक बखशी के अलावा सभी छोटे सफाई कर्मचारी काम करते हैं लेकिन उनका भी वेतन समय से नहीं मिलता तथा उचित नहीं मिलता है और उनके रहन-सहन का स्तर भी बहुत निम्न है, उन का जीवन स्तर इतना गिरा हुआ है कि व्याख्या किया जा सकना संभव नहीं रह गया है। सरकार के अनेक जी० ओ० के बाद भी लोकल बाडीज को जो अनुदान इनके लिये दिया जाता है सम्बद्ध कर्मचारियों को सुलभ करने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ ऐसी कोई व्यवस्था अमल में लाई जाय जिससे काम करने वाले इन छोटे कर्मचारियों को सुविधा मिल सकें तथा उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा सके। मंत्री जी को चाहिये कि उनको जल्द से जल्द अधिक से अधिक सुविधा देने की व्यवस्था करें। उनके बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था, उनके रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाने के लिये वांछित व्यवस्था अवश्य की जाय। लोकल बाडीज की तरफ से उनके लिये कालोनीज का प्रबन्ध किया जाय ताकि उनको अच्छा जीवन प्रदान किया जा सके।

इसके अलावा स्वायत्त शासन विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था की जानी है और दस पन्द्रह गांव मिला कर एल० एस० जी०ई०डी० के द्वारा पेय जल की व्यवस्था होती है। हमारे जिले में महाराजगंज और फरेंदा तराई का क्षेत्र है जो मलेरिया का क्षेत्र है जहां की जलवायु बहुत खराब है। लक्ष्मीपुर बाजार और बरगदवा बाजार और कई गांव सभाओं ने क्षेत्र समिति के द्वारा व्यवस्था की मांग इसके साथ की गई है कि वे कुछ रुपया भी खर्च करेंगे। वहां के लिये स्वायत्त शासन विभाग की ओर से पेय जल की व्यवस्था अवश्य की जाय। इस प्राचीन मांग पर आज तक व्यवस्था न की जा सकी। मामला सरकार के विचाराधीन पड़ा है। और कोई कदम इस दिशा में अब तक नहीं उठाया जा सका। इस पर सरकार और मंत्री जी विचार करें और जल्द से जल्द इस तराई क्षेत्र के लोगों की आवश्यक मांग के पूर्ति की व्यवस्था करें ताकि वहां के लोगों को कम से कम पीने का पानी शुद्ध हालत में मिल सके इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)––

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। नोटिफाइड एरिया टाउन एरिया और म्युनिसपैलिटीज की स्थापना स्वायत्त शासन के अधीन १८८४ में लार्ड रिपन के जमाने में की गयी थी। उन्होंने उपेक्षा की दृष्टि से भारतीयों को थोड़े से घरेलू धन्धों से संबंधित शासन सम्हालने के अधिकार दिये थे लेकिन उन्होंने एक उपेक्षा का दृष्टिकोण इनकी स्थापना से भारतीयों के प्रति रखा था। परन्तु बड़े दुख की बात है कि आज २२–२४ साल से अपने शासन में भी जबकि सत्ता अपने हाथ में हैं तो हम स्वयं उन बेचारे गरीब सफाई कर्मचारियों की उपेक्षा कर रहे हैं।

बड़े-बड़े कारपोरेशन आदि की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन जो हमारे टाउन एरिया और म्युनिसपैलिटीज हैं वहां की हालत बहुत खराब है और हम अपने यहां की हालत देखकर अनुमान करते हैं कि वहां भी अन्दर वही हालत होगी। परन्तु म्युनिसपैलिटीज और नोटीफाइड एरियाज में यह उपेक्षा इतनी अधिक हो रही है कि कोई भी सड़क, लेन और नालियां किसी तरह से भी ठीक नहीं रहतीं। न वहां पर सफाई की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है। किसी प्रकार सड़कें बनी हैं, वे भी उखड़ती चली जा रही हैं। वहां न किसी लालटेन की व्यवस्था है, नालियों की सफाई महीनों तक नहीं होती है। बरसातें बीत जाती हैं, नालियां पट जाती हैं मगर कोई व्यवस्था वहां अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती है। ऐसी म्युसिसिपैलिटी बहराइच है। उसी में नोटीफाइड एरिया, नानपारा और भिनगा हैं जहां पर

[श्री पारस नाथ सिंह]

म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव तीन बार हो गया है। वहां के चेयरमैनों के खिलाफ तीन बार अविश्वास का प्रस्ताव आया। तीन बार बने और बिगड़े।

वहां की जो आमदनी है इस समय वह १५–२० वर्ष पहले पहले थी जबकि आमदनी के रिसोंसिज चौगुने और छैगुने पहुंच गये हैं। वहां की आमदनी इतनी गिर गई है कि वहां के सफाई के स्टाफ को और न वहां के टीचिंग स्टाफ की तनख्वाह मिल पाती है। नतीजा यह हुआ कि अध्यापकों ने आन्दोलन छेड़ा और जितने भी पोस्ट बने हुए हैं उन पर अपने आदमी खड़े कर दिये। उनमें कोई भी ट्रक मिला, कोई भी बैलगाड़ी वगैरह मिली उसको नहीं छोड़ा वगैर चुंगी के। एक महीने के अन्दर इतनी आमदनी हो गई कि सब तनख्वाहें बेबाक हो गईं। एक महीने के अभियान का यह परिणाम निकला। अगर बाकायदा उनकी देखभाल की जाय तो श्रीमन्, उनकी आमदनी कितनी बढ़ सकती है उनकी व्यवस्था किस प्रकार से ठीक ढंग से हो सकती है इसका सहज ही अन्दाज लगाया जा सकता है।

बहराइच म्युनिसिपल बोर्ड का तीन बार चुनाव हुआ। वहां के चेयरमैन बहुत ही सज्जन और उदार व्यक्ति हैं। एक बार अविश्वास उनके प्रति आया तो वे हटे। दोबारा अविश्वास आया तो हटे। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय चुने गये उनको चेयरमैन बनाया गया। वे हटाये गये। फिर चुन्नन साहब चुने गये। उनके प्रति भी अविश्वास का प्रस्ताव आया है। कल बहस है। उनका भी पता नहीं कि वे रहें या न रहें। मान्यवर, निवेदन यह है कि ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड्स के बारे में कंट्रोल बोर्ड बनाकर के जो कि स्वतः अपना शासन नहीं सम्हाल पा रहे हैं जिनकी व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी म्युनिसिपैल्टीज का शासन कंट्रोल बोर्ड के हाथ में होना चाहिये।

मान्यवर, मैं मानता हूं कि ऐसी म्युनिसिपैल्टीज या नोटीफाइड एरिया का कंट्रोल नियमानुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एस० डी० एम० सम्हाल लेते हैं लेकिन ये लोग भी लोकल राजनीति के अन्तर्गत आ जाते हैं। सही समर्थन नहीं करते हैं। लोकल लोगों की प्रेरणा के अन्तर्गत सारा इन्तजाम अपने हाथ में लेते हैं। इसलिए उसकी दुरवस्था होती रहती है। पैसे का दुरुपयोग होता है। नानपारा नोटीफाइड एरिया का अभी-अभी चुनाव हुआ। कई बार वहां के चेयरमैन बदले गये। दोबारा चुनाव हुआ, चेयरमैन बन गये। वहां न सफाई करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह निकली है और न ही मीनियल स्टाफ की तनख्वाह निकली है।

अभी माननीय बाल्मीकि जी ने कहा कि मेहतरों ने उस कार्यालय के अधिकारी को मारा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। अगर उसकी तनख्वाह नहीं मिलती है जो गरीब है और लोएस्ट पेड स्टाफ है और हमारा शासन अकर्मण्य है तो ऐसे कर्मचारी को अवश्य मारा जाना चाहिये। मैं उस मार का समर्थन करता हूं। इसी प्रकार से अगर शासन हस्तक्षेप नहीं करेगा तो जबर्दस्त अराजकता बढ़ती जायेगी इनडिसिप्लिन बढ़ता जायेगा। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो उसका नतीजा यह होगा कि जहां-जहां मनमानी होगी वहां कर्मचारी अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा जैसे कि बहराइच के म्युनिसिपल बोर्ड्स के टीचर्स ने किया है का अन्य स्टाफ ने किया। जब उन्होंने उसकी आमदनी का नियंत्रण किया तो आमदनी चौगुनी और छगुनी बढ़ गई जब कि उन्होंने केवल एक ही महीना नियंत्रण किया था।

मेरा निवेदन है कि ऐसी म्युनिसिपैल्टीज को शीघ्र समाप्त करके दो चार, ६ वर्ष के लिए शासन उनका नियंत्रण अपने हाथ में ले। एक म्युनिसिपैलिटी आपके जिले जौनपुर की है। वहां पर बाइस सदस्य केवल हैं जिनमें १८ जनसंघ पार्टी के हैं। मान्यवर, वहां पर शासन की रूलिंग पार्टी से हर प्रकार की असुविधा है, वहां की बिजली की व्यवस्था देखें

वहां पर सड़क की व्यवस्था देखें, शिक्षा की व्यवस्था देखें, सफाई की व्यवस्था देखें। सब आदर्श मिले गये। शायद ही किसी म्युनिसिपैल्टी में हो। लेकिन शासकीय पार्टी के लोग बराबर उसमें हस्पक्षेप करते हैं। ऐसी जगह कोई जिम्मेदार अधिकारी भेजकर जांच करायी जाय और इस तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहां की म्युनिसिपैल्टी ने एक पार्क ओलन्दगंज में बनवाया। सेन्टर आफ दि सिटी में है। लोगों ने तारों को तोड़ डाला। म्युनिसिपैलिटी ने यह कहा कि दूसरा पार्क बनाना चाहये क्योंकि यह शहर के मध्य में पड़ता है। बुनियाद खोदने के बाद जबरदस्ती चार लोगों ने जाकर मीटिंग की, झण्डा गाड़ा और बुनियाद हटा दी।

श्रीमन्, सेनेटरी स्टाफ का अपाइन्टमेन्ट गवर्नमेन्ट करती है। म्युनिसिपैलिटी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वह काम करें या न करें। अगर म्युनिसिपैलिटी रिपोर्ट करती है तो गवर्नमेन्ट उस पर कार्यवाही नहीं करती। रिपोर्ट हुई, अधिकारी दौड़कर यहां चला आया और रिपोर्ट दब गयी। अगर यह चाहते है कि सफाई ठीक से हो और ठीक काम हो तो वहां पर ऐसा सैनेटरी स्टाफ होना चाहिये जिसका कंट्रोल म्युनिसिपैलिटी के हाथ में हो। अगर यह नहीं करते हैं तो कम से कम उनकी सफारिश पर कार्यवाही जल्दी होनी चाहिए।

श्रीमन्, इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्डस भी आ जाते हैं। अंग्रेजों ने तो एक ही बनाया था लेकिन बाद में छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए गए। जिला परिषद् और म्युनिसिपैलिटी के स्टाफ के बारे में कोई नहीं पूछने वाला कि क्या तनख्वाह पा रहे थे और क्या पा रहे हैं। उसके भ्रष्टाचार में जहां और कारण है वहां यह भी एक कारण है कि उनकी तनख्वाह कम है, ५० रुपये, १०० रुपये है। जो पे कमीशन है उसमें उनकी तनवाह का मामला जरूर जाना चाहिये और जो क्षेत्रीय समिति के स्तर पर और प्रदेशीय स्तर पर तनख्वाह होती है उतनी तनख्वाह उनकी जरूर होनी चाहिए। श्रीमन्, जिस तरह से हमारी विधान सभा के चपरासी को देखकर ऐसा लगता है कि एक ही टाइम उनको भोजन मिलता है, उसी तरफ से जो आधा पेट खाकर रहेगा वह कितना ही सिन्सीयर क्यों न हो, अपने काम को पूरी तरह अंजाम नहीं दे सकता।

श्रीमन्, करनैलगंज म्युलिसिपैलिटी दो साल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में रही। सारी इन्कम उन्होंने अपने पेट में रख ली। एस० डी० ओ० ही एडमिनिस्ट्रेटर थे और वही चुनाव अधिकारी बने। इसकी जांच होनी चाहिए कि कितना रुपया आया और उसका क्या यूटी-लाइजेशन हुआ। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी का ध्यान गोरखपुर शहर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गोरख-पुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसमें मंत्री जी के चाहने के बावजूद भी कुछ सुधार नहीं हो सका। लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैंने इस सदन में माननीय अतीकुर्रहमान साहब के सामने भी बार-बार गोरखपुर की स्थिति बतायी थी किन्तु वहां से रिपोर्ट आ गयी कि नदी की ऊपर है और शहर की सतह नीची है इसलिए पानी का निकास नहीं हो सकता।

आजकल सीवरेज की यह हालत हो गई है कि साल, दो साल ध्यान नहीं दिया गया तो गोरखपुर में नरक का जीवन हो जायगा। (इस समय ३ बजकर १६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) आज अगर कोई मिनिस्टर जाता है तो सीधा इन्स्पेक्शन हाउस चला जाता है। शहर में जहां लोग नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, वहां नहीं जाता। अतीकुर्रहमान जी को मैंने शहर की स्थिति से अवगत कराया था लेकिन दुर्भाग्यवश अब वह नहीं रहे।

[श्री रामलाल भाई]

अब मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से, आपके माध्यम से, आग्रह करना चाहता हूं कि शहर के बीच में स्लाटर हाउस है उस स्लाटर हाउस को वहां से हटाने की कृपा करें। वहां पर आदमी जिन्दा ही नरक का जीवन भोग रहे हैं। मैंने इस स्थिति से सबको अवगत कराया है मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस स्लाटर हाउस में प्रातःकाल से ही ३००–४०० बकरियां कटती रहती हैं। वहीं पर एक शौचालय है। उस शौचालय की गन्दगी से वहां के निवासियों का जीवन और भी कष्टमय हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय अगर आप वहां पर २ मिनट भी रह कर देखते तो मैं मानता, मगर वहां पर लोग नाबदान के कीड़े की तरह जीवन काट रहे हैं। नाबदान के कीड़े की भांति उनकी आदत पड़ गयी है। वहां रहने के लिए वे मजबूर हैं। मंत्री जी स्वयं वहां जा कर देख लें, केवल अपने अधिकारियों की रिपोर्ट पर न जाएं। या तो वे स्वयं देख लें और या जो माननीय सदस्य कहते हैं उस पर ध्यान दें।

मान्यवर, आबादी के बीच में शराब की दुकाने हैं। लोग शराब भी पीकर दोने वगैरह वहां पर फेंकते हैं और इस कारण गन्दगी फैलती है। इसका नगरपालिका की आमदनी से कोई संबंध नहीं है। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं और न ही कोई शिकायत कर रहा हूं बल्कि माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर वे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह बात तो सही है कि गोरखपुर का पूरा सुधार तो नहीं हो सकेगा परन्तु वहां के निवासियों को खुली हवा तो अवश्य मिल जायेगी। वे जिन परिस्थितियों में आज हैं उनका जिक्र तो अब नहीं किया जा सकता। कुछ मुहल्ले तो, ऐसे हैं जहां कि सरकारी अधिकारी रहते हैं, ठीक ह और वहां पर हर तरह की व्यवस्था है। उनके बंगलों में सिंचाई का भी प्रबन्ध है।

गांधी शताब्दी की बात आती है लोग भाषण देते हैं पर आज तक भंगियों की कालोनी में लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस सदन में भी बार-बार कहा गया है। गोरखपुर में ४–५ मुहल्ले भंगियों तथा हजिरनों के हैं जैसे लाल डिग्गी, अधियारी बाग, हुमायूंपर और तुर्कमानपुर, जहां पर कि पानी और लाइट की व्यवस्था नहीं हो पायी है। अधिकारियों को अपने बगीचों की सिंचाई के लिए एक आना भी नहीं देना पड़ता है और मुफ्त में सिंचाई की जाती है। अगर उनके पानी में २० प्रतिशत की कटौती कर दी जाये और हरिजनों के लिए उस पानी की व्यवस्था कर दी जाए, तो उनका कितना बड़ा कल्याण होगा।

अभी बाल्मिकी जी ने कहा कि जो शहर की सफाई करते हैं उनके लिए भोजन की और पौष्टिक आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं तो यह चाहता हूं कि उनको मुफ्त भोजन न मिले, मगर उनके लिए पानी की और उनके मकानों में रोशनी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिये। आप सब की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, उनकी सुरक्षा की ओर भी थोड़ा ध्यान दें। गांधी शताब्दी के अवसर पर हरिजनों का नाम ले लेते हैं और हमारे नेता भी उस समय उनकी बात कर लेते हैं, मगर फिर कोई नहीं सोचता है। अगर ४ आने भर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। जब आप उनसे सफाई का काम लेते हैं तब आपको उनके रहन सहन के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। एक भंगी का लड़का ४–५ साल की उम्र से ही अपने मां-बाप के साथ सफाई का काम करना शुरू कर देता है।

भैंसा जो गाड़ियों में चलते हैं उन्हें खाने के लिए प्रतिदिन ३ रु० रेट है। डेढ़ रुपया तो ठेकेदार ही ले लेता है, बेचारे भैंसों के लिए क्या बच जाता है, इसको आप सोचें। भैंसे-गाड़ी में मैला लादा जाता है और शहर में और गन्दगी पैदा हो जाती है क्योंकि गन्दगी रास्ते भर टपकती रहती है। रास्ता चलने वाले उस गन्दगी को रोज अनुभव करते हैं। भैंसे-गाड़ियों में कूड़ा लदवाने की व्यवस्था को बन्द कराएं और इनके स्थान पर टेंपो वगैरह हैं या बन्द गाड़ियों में कूड़ा लदवाने का प्रबन्ध कराएं।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, विधायक जनसंध ने कहा कि नगरपालिकायें सुपरसीड कर दी जाती हैं। हमारे यहां इससे पहले दुर्भाग्य से नगरपालिका जनसंघ के हाथ में थी। उन्होंने जितना चूसना चाहा उतना चूसा। इसका उदाहरण मैं, मंत्री जी, आपको यह देना चाहूंगा कि वहां पर नगरपालिका को ९० लाख रुपये से कर्जदार बना दिया। सरकारी टैक्स वगैरह की कोई बात नहीं रहती है।

इतने पर भी अगर वे कहते हैं कि नगरपालिका सुपरसीड कर दी जाती है तो वह कहना ठीक नहीं है। कोई भी आदमी जब चल नहीं पाता तभी वह अस्पताल ले जाया जाता है इसी प्रकार से जब कोई भी संस्था चल नहीं पाती है तब वह सुपरसीड की जाती है। अगर आप यह समझें कि ५, १० लाख रुपया दे देने से वहां का कोई सुधार हो जाय तो यह नहीं होने वाला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के सुधार के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करें।

हमारे यहां शहर में बहुत से शौचालय है। जब किसी आदमी को कोई ठिकाना नहीं होगा तभी वह उन शौचालयों में जायगा। इतनी गन्दगी रहती है कि शौचालय का पानी बहता रहता है और लोग जाते है परन्तु मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति वहां पर जाना पसन्द नहीं करेगा। यदि मेरे साथ मंत्री जी उस मार्ग से जाएं तो निश्चय ही वह अपनी नाक बन्द कर लेंगे। जब पहले स्व० अतीकुर्रहमान साहब मंत्री थे वह वहां गये थे। उन्होंने देखकर क्षोभ प्रकट किया था। उन्होंने इसके लिये आदेश भी दिये थे परन्तु यहां पर हर दो, चार महीनों के बाद सरकारें बदल जाती हैं। एक गया और दूसरा आया और जो पहले के आदेश हैं वे पड़े रह जाते हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। जो आदेश एक बार हो जाएं उन पर दृढ़ता के साथ पालन होना जरूरी है।

इसके अलावा हमारे यहां जो रोशनी की व्यवस्था है वह भी बहुत खराब है। १५, १५ दिन तक बल्ब नहीं लगाये जाते हैं वे फ्यूज पड़े रहते हैं। नगरपालिका में इसके लिये लाइट इन्स्पेक्टर है जो इसकी देख-रेख करते हैं परन्तु दो-दो महीने तक अन्धेरा पड़ा रहता है और उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी जांच भी नहीं की जाती है। नगरपालिका की यह ड्यूटी है कि इसको चेक करे पर कुछ होता नहीं है।

इसके अलावा हरिजनों का सर्विसेज में रिजर्वेशन भी है कि कम से कम वे इतनी संख्या में अवश्य रखे जायं। इसी प्रकार से नगरपालिका में जो भंगी कर्मचारी हैं उनका भी रिजर्वेशन होना चाहिये ताकि काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे भी क्लर्क आदि बन सकें। उनको भी रिजर्वेशन में इन्क्लूड किया जाना चाहिये। इस तरफ ध्यान न देकर दूसरे लोगों को चान्स दे दिया जाता है। इस पर भी आप ध्यान दें। हमारे यहां धोबियों की संख्या भी काफी है। हमने उनके घाट के लिये बराबर निवेदन किया है और मंत्री जी ने इसके लिये आश्वासन भी दिया है। मुझे आशा है कि वह सदन के सम्मुख भी यह आश्वासन देंगे।

नगरपालिका की काफी जमीन भी है। अगर इस तरफ थोड़ा भी ध्यान दिया जाय तो उनकी समस्या हल हो जायेगी। मुहाल खूनीपुर में स्लाटर हाउस है जिसको आप शहर के बाहर करें। वहां पर इतनी बदबू रहती है जिसको बताया नहीं जा सकता है। मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि इसको हम देखेंगे इसको शहर से बाहर किया जाना बहुत आवश्यक है।

हमारे यहां जो सेनीटरी इन्स्पेक्टर साहब हैं वे अगर कोई शुद्ध दूध भी ले जाता है तो उस पर १० रुपया पूजा लेते हैं और जो अशुद्ध ले जाता है उस पर भी १० रुपया पूजा लेते हैं।

[श्री राम लाल भाई]

वे नुक्कड़ पर बैठ जाते हैं और वहां से सभी को परेशान करते हैं। बी० के० सिंह चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर हैं। जो भैंसा गाड़ियों में तेल दिया जाता है उसमें से भी वे काट लेते हैं और इस तरह से १०, १५ रुपये रोज वसूल लेते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन चीजों की तरफ भी वे कृपया ध्यान दें। अब शायद उनका ट्रांसफर हो गया लेकिन यही काफी नहीं है उसकी खोज करवायें। वहां पर जो सूती जर्सी भंगियों को दी गई है वह ७ रु० प्रति के हिसाब से है। पर पालिका से उसी के लिए २१ रुपया वसूल किया गया है इसकी जांच होनी चाहये कि सूती जर्सी देकर ऊनी का दाम वसूल हुआ।

मैंने नगरपालिका में जा कर देखा है कि ये लोग गरीबों से ही कमीशन लेते हैं। रिक्सा चलाने वालों की गद्दी ले ली और उसको परेशान करते रहे। जब तक उनको पूजा नहीं जाता वह उसकी गद्दी को वापस नहीं करते हैं। वह गरीब जिससे रिक्शा लेता है उसे उसको डेढ़ रुपया देना पड़ता है और खुद की कमाई कुछ नहीं होती क्योंकि उसको रिक्से की गद्दियां हफ्तों वे लोग फंसाये रहते हैं। अगर यहां से एक छोटा मोटा आदेश हो जाय तो अधिकारियों का ध्यान उधर हो जायगा और उन लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी।

एक बात नक्शे के संबंध में कहनी है। जब मकान बन कर तैयार हो जाता है उसके बाद उसमें एक फिट आगे पीछे की बात निकाल कर दो सौ चार सौ रुपये लेने की बात करते हैं। तब नक्शा पास किया जाता है उसी समय आपत्ति करना चाहिए कि इसमें यह दोष है, इस तरह का सुधार कर लो। नक्शे पास करते समय कोई आपत्ति नहीं की जाती। बाद में परेशान किया जाता है और इसमें गरीब लोग ही मारे जाते हैं क्योंकि बड़ा आदमी तो कुछ ले-दे कर बच निकलता है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि टाउन एरिया का एक पुराना ऐक्ट है जो अंग्रेजी में है। उसको हिन्दी में संशोधन के साथ छपवा दें तो उससे साधारण लोग भी फायदा उठा सकेंगे। भंगियों के आवास की व्यवस्था नहीं है, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। नगरपालिका की कुछ खाली जमीनें हैं जो बड़े आदमियों ने कब्जे में कर ली हैं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने इस संबंध में कहा है कि अब लीज पर न दी जाएं। पर ऐसा आदेश कर दिया गया है। बधाई देता हूं। यह निवेदन है कि जहां खाली जमीनें पड़ी हैं और नूजल लैंड है वहां पर भंगियों के आवास की व्यवस्था की जानी चाहिये।

इसी तरह से पानी की व्यवस्था की भी बात है। माननीय स्वययत्त शासन मंत्री जी उस पर कुछ कहें कि धोबी घाट और भंगियों के लिए पानी की व्यवस्था की जायेगी। गांधी जी ने बहुत कुछ चिल्लाया लेकिन हरिजनों का कुछ उद्धार नहीं हुआ। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि यहां जितना कहा जाता है उसका अगर सौवां अंश भी पालन हो जाय तब भी वे लोग समझेंगे कि उन्हें भी स्वतंत्रता का कुछ लाभ मिला और सुख मिला। आज यह है पानी का पैसा उनसे भी बराबर लिया जाता है जितना कि बड़े आदमियों से लिया जाता है बड़े आदमियों पर तो टैक्स बकाया भी रहता है छोटे पर नहीं रहता।

हाउस टैक्स का है। बड़े आदमी का तो नामीनल होता है और छोटे आदमी की एक झोंपड़ी होती है उस पर भी एक हजार हाउस टेक्स आ जाता है। मेरा इस संबंध में अनुरोध है कि इसका पुनः सर्वे करवाया जाय। गर्मी के दिनों में बहुतों को एक बूंद पानी नहीं मिलता लेकिन उन पर नोटिससेज आ गये उनके कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिये गये। अब जब तक वह खर्च नहीं करेगा कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसको भी मैं चाहूंगा कि मंत्री, जी दिखवा लें। इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां चुंगी बड़े और छोटे जानवरों पर बराबर है। छोटी चिड़ियों पर चार आना प्रति चुंगी है और मार्केट में उनका रेट दो रुपया दर्जन है। तीन रुपया टैक्स देकर दो रुपये में कौन उनको बेचेगा।

इसलिये छोटी चिड़ियों पर से चुंगी हटा दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितनी मांगें मैंने रखी हैं उनको पूरा करने की कृपा करें।

*श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जो बजट स्वायत्त शासन मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका विरोध और कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि हमारे क्षेत्र में पीपर, हिंडालको, चोपन इत्यादि को नोटीफाइड एरिया घोषित किया गया लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां कोई व्यवस्था नहीं की। न वहां पर कोई सफाई का प्रबन्ध है और नही कोई रोशनी की व्यवस्था है, न ही मेहतरों के रहने के लिये कोई प्रबन्ध है। एक ओर तो वहां पर जिला परिषद् कोई भी वहां के लिये विकास का कार्य नहीं करती, न वहां प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था है, न अन्य कोई विकास के कार्य हुये हैं, दूसरी ओर नोटीफाइड एरिया की यह हालत है। टाउन एरिया का न कोई अस्तित्व है, न कर्मचारी ही है, एस० डी० एम० को वहां कोई प्रबन्धक बना दिया जाता है। यदि आप वहां के लोगों का विकास करना चाहते हैं तो इन टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया को पर्याप्त धन दीजिये, उनकी आर्थिक दशा को सम्भालिये। वहां के फैक्टरीज के मालिकों को ओबलाइज करने के लिये आपने उनको प्रबन्धक बना दिया है।

मान्यवर, मिर्जापुर जनपद के लिये आर० बी० ओ० ऐक्ट के मातहत मास्टर प्लान बना दिया गया है। वहां पर मान्यवर, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी रहने की बस्तियां उनके अपने ही ढंग की होती हैं। किन्तु अब जो प्रस्क्राइब्ड अथारिटी आपने वहां नियुक्त कर रखी है वह उन लोगों को बहुत परेशान किये हुये हैं। आज आदिवासियों के रहने के लिये, हरिजनों के रहने के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं हो रही है। आर० बी० ओ० एक्ट के मातहत उन पर मुकदमें चलाये जा रहे हैं। राबर्ट्सगंज, चोपन और ओबरा आदि गांव में इस एक्ट के कारण लोग बहुत ही परेशान हैं। यदि वे कोई नक्शा आदि बना कर देते हैं तो ओवरसियर जब तक ४–५ सौ रुपया नहीं ले लेता है, उनका नक्शा पास नहीं करता है। जब से वहां मास्टर प्लान लागू किया है, जनता को बड़ी परेशानी है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया इस ओर ध्यान दें। वहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न है, इसलिये उनको मकान बनाने के लिये पर्याप्त अनुदान मिलना चाहिये।

मान्यवर, जो वहां प्रस्क्राइब्ड अथारिटी का कार्यालय है वह घाट पर चल रहा है। वहां की मास्टर प्लान वास्तव में बिड़ला प्लान है। बिड़ला वाले जो भी अपना नक्शा, बना कर पेश कर देते हैं वह ज्यों का त्यों पास हो जाता है। जहां आबादी होती है, उसे बाजार दिखा दिया जाता है। आज वहां यह लोग एक ऐसी स्थिति उत्पन्न किये हुये हैं कि लोगों में बड़ी बेचैनी है। जो दुकानें बनी हुई हैं, जो मकानात बने हुये हैं, उनको वहां से उजाड़ना पड़ेगा। लेकिन बिड़ला जी का रेनुकोट का नक्शा पास हो गया, बन गया, उसमें कोई कानूनी बात आड़े नहीं आती है।

बिड़ला जी ने सीधे नक्शा भेज दिया और विभाग के सेक्रेटरी ने उस पर स्वीकृति की मुहर लगा दी कि बिलकुल ठीक है। इस पर जनता की बहुत सी आपत्तियां वहां से आई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। १९६५ में यह लागू हुआ किन्तु वे लोग वहां पर २०/३० सालों से बसे हुये हैं। हिंडालको में वहां से हरिजनों को उजाड़ा जा रहा है, दुकाने बस रही हैं, यह लोग एस० डी० एम० और अधिकारियों को मिलाकर खाना खाकर, अपने भाई भतीजों को कारखाने में नौकरी दिलाते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं। लेकिन आज हरिजनों पर एक-एक हजार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्यारे]

रुपया जुर्माना किया जाता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी एक उच्चस्तरीय जांच आयोग इसकी जांच के लिये बिठायें। सन् ६० से लागू हुआ है, मेहतर मजदूरों के रहने की बड़ी बुरी दशा है, उनके लिये अनुदान लेकर भी बने हुये मकानों में उनको नहीं रहने दिया जाता है। मैं मांग करता हूं कि बिड़ला जी द्वारा मास्टर प्लान की जो योजना है गरीबों को उड़ने के लिये उसको आप समाप्त करें। आखिरकार यह सन् ६५ में लागू हुआ और वह ६० से आबाद हैं।

आपके यहां एक स्वायत्त अभियन्त्रण विभाग है, जो गांवों में पानी देने का काम करता है। बुन्देलखंड में, सभी जानते हैं, पानी की बड़ी मुसीबत है, जहां पर सरकार स्वतन्त्रता के २४–२५ साल बाद भी पानी मुहैया नहीं कर सकी है। दुद्धी के निवासी दो-तीन मील से गंदा नदी नाले का पानी लाकर पीते हैं, यह उनकी मजबूरी है। पिछले बार उस एरिया का सर्वेक्षण हुआ, कोई योजना बनी, राबर्ट्सगंज के कुछ गांवों को चुना गया, कोंच सिरोरी को भी, लेकिन वह योजना वैसी ही फाइलो में पड़ी हुई है, कोई कार्यक्रम नहीं बना। स्वच्छ पानी के अभाव में वहां के लोग तरह-तरह की बीमारियों व संक्रामक बीमारियों से पीड़ित होते हैं और अस्पतालों के अभाव में तड़प तड़प कर मरते हैं।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह दुद्धी, मिर्जापुर में और पहाड़ी इलाकों में स्वच्छ पानी सप्लाई की अवश्य व्यवस्था करने के लिये धनराशि दें। आपने बजट में कहा है कि चौथी योजना में जहां पानी पीने की सुविधा नहीं है, आप प्रदान करेंगे। किन्तु इसे बिना व्यवहारिक रूप दिये यह पूरा नहीं होगा। थोड़ा धन इसमें होता है वह भी पलटकर नैनीताल आदि जिलों में चला जाता है, जहां के मंत्री होते हैं। ऐसी अवस्था में आप ऐसे इलाकों के लिये जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है आप धन दें, जल्दी से जल्दी उनको पानी दें दें आप उनको पानी दे दे गे तो यह उनके लिये स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

दूसरे जैसा कि मैंने कहा जो इस इलाके में अपने तरीके से घर बनाते हैं, उनका अपना उनको बनाने का एक आर्ट है। भगवान के लिये उनको डिस्टर्ब न करें। अगर आप चाहते हैं कि वहां सुनियोजित विकास हो तो अच्छे ढंग से इसकी व्यवथा करें। उनके लिये जमीन की व्वयस्था करें। राबर्टसगंज चोपन की एक पुरानी बस्ती है। वहां मास्टर प्लान ने जन जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों के पास जमीन थोड़ी-थोड़ी है। कहते हैं इतनी जगह आगे छोड़ दो और इतनी पीछे छोड़ दो। जो ज्यादा जमीन नहीं रखता है उनके लिये उजड़ने की स्थिति आ गयी है। इसलिये जिस तरह से आपने दुद्धी को मास्टर लान के मातहत डेवलप करने की स्कीम को उठा लिया यहां भी उठा लीजिये। जो ओबरा, पिपरी की कालोनीज है। उनमें जो रहने वाले हैं उनपर मुकदमा चलाया जाता है। वहां जो दूकानें इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अलाट हुई है और बो०ओ ऐक्ट में इसलिये मुकदमा चलाते हैं कि वे कानून के अनुसार नहीं बनी हैं। आखिरकार सरकार ने नक्शा बना कर दिया अब जनता को क्यों परेशान करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि हिन्दुस्तान अलम्युनिय कारपोरेशन में जो नक्शा आया है, वहां किस तरह से गरीबों को उजाड़ा गया है, किसी ने जनता मकान बना लिया, या किसी का किसी जमीन पर कब्जा है उसको मास्टर प्लान में आपने देखाया नहीं। फलस्वरूप उनको उजाड़ना पड़ेगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि आर० बी० ओ०, ऐक्ट उस इलाके से अविलम्ब उठा लें।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष, यह बहुत बड़ा प्रदेश है। बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज हैं, बहुत से कारपोरेशन हैं। कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और कुछ की हालत बहुत खराब है यह क्यों? मैं बराबर इस पर सोचता रहता हूं। आखिर क्या वजह है कि एक ही तरह के लोग हर जगह मैनेज करने वाले हैं मगर कहीं पर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कहीं पर बहुत खराब

है । मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसकी ज्यादातर जिम्मेदारी अगर कहीं मैनेजमेंट खराब है गवर्नमेंट के नैगलेक्ट या ओमिशन पर है । वक्त से उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे वह गलतियां जो कर रहे हैं वह ठीक कर दी जांय या यह कि उनकी नोटिस में कुछ ऐसी बातें आयीं जिसमें उनको बहुत सख्त से सख्त कानून के अन्दर उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिये था मगर गवर्नमेंट ने नहीं लिया । मगर वे सब पुरानी बातें हैं और उन पर मैं ज्यादा तब्सरा करने से कोई फायदा नहीं समझता हूं । मैं समझता हूं कि जब एक जमाना तब्दील हुआ एक ऐसी गवर्नमेंट यहां पर आ गयी है जिसके प्रोग्राम में यह शामिल है कि गरीबों, मुफलिसों की हालत को बेहतर किया जाय उनको ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचाया जाय इसके साथ-साथ एक बड़ी शख्सियत हम लोगों में से है जो इस पोर्टफोलिओ का इंचार्ज किया गया है । मुझे यकीन है कि इनकी मौजूदगी में कुछ न कुछ हालत में बेहतरी जरूर होगी ।

अभी तीन महीने इस सरकार को आये हुये हैं.....

श्री अनन्तराम जायसवाल––

वक्ता महोदय बड़े मंत्री के बारे में कह रहे हैं या छोटे मंत्री के बारे में ?

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई––

मैं वैद्य जी के बारे में कह रहा हूं । तीन महीने में कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिससे यह क्रिटिसिज्म जो किया गया है उससे मैं समझूं कि ये एतराजात मौजूदा सरकार पर लागू होते ।

मैं अपने मंत्री जी को कुछ सुझाव दूंगा जिनपर मैं समझता हूं कि फौरन उनको गौर करना चाहिये जिससे हालत में बहुत बेहतरी हो जायगी । मंत्री जी ने अपने इस पोर्टफोलिओ लेने के बाद बहुत से जिलों का दौरा किया होगा । कहीं शहर के अन्दर देखा होगा सड़कें बहुत अच्छी हैं और कहीं सड़कों की हालत बहुत बुरी है । मैं खुद ज्यादा तो नहीं घूमा हूं लेकिन एक बार मुझे गोरखपुर जाने का इत्तिफाक हुआ और मुझे ताज्जुब हुआ । गोरखपुर में सन् ३५ में देखा था तब तो अच्छी सड़कें वहां की थीं लेकिन अब शहर के अन्दर वहां सड़कों की हालत बहुत खराब हो गयी है । और भी शहर होंगे जिनमें सड़कें अच्छी होंगी और किन्हीं में बुरी होंगी । मंत्री जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह देखें कि कौन-कौन म्युनिसिपैलिटीज अपनी सड़कों का खयाल नहीं करती हैं । अपनी लेन्स का खयाल नहीं करती हैं और उन पर काफी रुपया नहीं लगाती हैं । मंत्री जी के पास अख्तियारात हैं म्युनिसिपल ऐक्ट तथा कारपोरेशन ऐक्ट में कि उनको ज्यादा से ज्यादा बेहतर कराने की कोशिश करें ।

दूसरी बात जो मैं मंत्री जी से कहूंगा इस बारिश के जमाने में खास तौर से देखने की बात यह होती है कि इस शहर में ड्रेनेज का क्या सिस्टम है और वह ठीक है या नहीं । दो रोज का वाकया है । बाराबंकी जिले में बारिश हुई । एक स्टेज यह आया कि मुझे अन्देशा हुआ कि हमारे मोहल्ले में हर घर में पानी भर जायगा । मैंने चेयरमैन को टेलीफोन किया । चेयरमैन ने कहा कि आज तो इतवार है, कुछ नहीं हो सकता । मैंने फिर डिप्टी कमिश्नर को टेलीफोन किया और उन्होंने पानी रोकने के लिये अपने डिप्टी साहब को भेजा । उन्होंने आ कर देखा और पाया कि ड्रेनेज की खराबी इस वजह से है कि लोगों में सिविक सेन्स खत्म हो गया है । उन्होंने अपने अपने दरवाजों पर पानी के रास्तों को बन्द कर रखा है । अब यह देखना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम नहीं, म्युनिसिपैलिटीज का काम है । मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी जो म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन तथा कारपोरेशन की एक्जिक्यूटिव अथारिटीज हैं उनको खास तौर से इस तरफ ध्यान दिलायेंगे कि वे ड्रेनेज सिस्टम अपने यहां का बेहतर करें ।

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

तीसरी बात यह है जो मैंने अपने मुल्क में पहले नहीं देखा था और दूसरे मुल्कों में भी नहीं देखी, वह है सेनेटरी सिस्टम का निगलेक्ट करना। इसको इतना नेगलेक्ट किया है कि कोई हद ही नहीं है। नालियां साफ नहीं होती, पाखाने साफ नहीं किये जाते। जो रास्ते की नालियां हैं, उन्हें उन पर खड़े होकर अथवा बैठकर बिना औरतों अथवा बच्चों का लिहाज किये हुये लोग पेशाब करने लगते हैं। आप सिर्फ नसीहत से यह काम ठीक नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि लोग ऐसा करना छोड़ दें तो आपको जगह जगह यूरिनल्स कायम करना चाहिए। शहरों में चले जाइये कहीं इसकी व्यवस्था नहीं है अगर किसी को पेशाब लगे तो वह कहां पर जाय। नतीजा यह है कि वह सड़क के किनारे बिना किसी लिहाज किये कि उसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सड़क के किनारे ही पेशाब करता है।

फिर म्युनिसिपैलिटीज में आबादी बढ़ती जा रही है और जो आबादी बढ़ रही है वह इस तरीके से नहीं बढ़ रही है कि किसी प्लान्ड तरीके पर हो। जिधर जिसने देखा, जिसने जगह पाई उसने उधर ही मकान बना लिया और जहां पर जिसको जगह मिली वहां पर उसने लैबैट्री कायम किया गड्ढा खुदवा कर बना दिया। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, केवल दो मिनट और बोलूंगा। तो मैं आपके जरिये से मंत्री जी से कहूंगा कि हर सिटी में स्लम्स इग्जिस्ट करती हैं और उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पर होती है। आप हर जगह हर सिटी देखिए, हर मुल्क में देखियें गरीबों के वास्ते एक हाउसिंग सोसाइटी अलग है। उनके वास्ते मकान म्यूनिसिपिल बोर्ड ने या गवर्नमेंट ने बना दिये हैं। अब इस सूबे के जिस जिले में जायेंगे तो आप पायेंगे कि एक क्लास के लोग आज भी हैं जो कि झोपड़ों और कच्चे मकानों में रहते हैं। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वह जमीन चाहते हैं किन्तु उनको जमीन नहीं मिलती है। नजूल से चाहते हैं तो कहा जाता है कि पहले हमको इतनी रकम दो तब आपको हम जमीन दे सकते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे जमीन खरीद सकें। मैं आपके जरिये से मिनिस्टर साहब से कहूंगा गरीबों के वास्ते शहरों में जो इन्क्रोचमेंट हुआ है, यही मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जो आपके रोड्स पहले थे उससे अब वे इस इन्क्रोचमेंट की वजह से पतले हो गये हैं। पहले ही वे पतले थे किन्तु अब और भी ज्यादा हो गये हैं। और वे कौन लोग इन्क्रोचमेंट करते हैं, वे गरीब लोग नहीं करते हैं बल्कि इन्क्रोचमेन्ट करने वाले आपके म्युनिसिपैल्टी के मेम्बर साहबान हैं या बड़े लोग हैं जिन्होंने एक मर्तबे मेम्बर होने के बाद उसमें अपना हक समझ लिया है और नजूल और म्यूनिसिपल जमीन पर इक्रोचमेंट और प्रोजेक्शन कर लिया है।

मैं समझता हूं कि जहां म्यूनिसिपैलिटीज के जिम्मे आपने प्राइमरी एजूकेशन रखी है, उसको वे नेग्लक्ट कर रही हैं। शिक्षा संस्थाओं को कोई अपनी बिल्डिंग नहीं है, वहां पर बच्चों के लिये तालीम का ठीक इन्तजाम नहीं किया गया है, उन शिक्षा संस्थाओं में जो अध्यापक रखे जाते हैं वे मेम्बरों के रिश्तेदार आदि ही रखे जाते हैं या उनकी सिफारिश के लोग रखे जाते हैं।

टैक्स में भी मैंने काफी डिस्क्रिमिनेशन पाया है। अक्सर मैंने देखा है कि बड़े-बड़े मकानात हैं मगर चूंकि वे मेम्बर, चेयरमैन या उनके करीब रिश्तेदारों की हैं, उनके ऊपर टैक्स कम होता है और दूसरे आदमियों के ऊपर जिनका कि कोई जरिया नहीं है उनके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा है।

आठवीं बात मैं यह कहूंगा कि म्यूनिसिपैल्टीज में करप्शन बहुत ज्यादा है। इस करप्शन को रफा करने के लिये मिनिस्टर साहब को जरूर कोशिश करनी चाहिये। मैं एक सजेशन इस सम्बन्ध में माननीय मिनिस्टर साहब को देता हूं किस तरह से वह रफा हो सकता है। होता यह है कि मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट को इत्तिला भी नहीं होती है कि जिलों में म्यूनिसिपैलिटीज किस तरह से काम कर रही हैं। जब उनके पास शिकायत जाती है तो कुछ लोग आते हैं और

उनसे बात करते हैं और वे उनके खिलाफ ऐक्शन लेना शुरू कर देते हैं किन्तु उनको पूरी सीक्युयेशन मालूम नहीं होती। मैं समझता हूं कि अगर म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में आप पूरी इत्तिला रखना चाहते हैं तो जिस तरीके से आपने इक्जीक्यूटिव आफीसर की पोस्ट को प्राविन्शियेलाइज किया है उसी तरीके से उन्हें एक इफीशियेन्ट, आनेस्ट और इन्टीग्रेटी इक्जीक्यूटिव आफीसर का एक कैडर बना दिया जाय उनका काम यह हो कि वह आपको टाउन एरिया, नोटीफाईड एरिया म्यूनिसिपैलिटीज के सम्बन्ध में सारी सीक्युयेशन और रिपोर्ट दे सके। तथा मुआयना करते रहे तथा सरकार को बताते रहे कि क्या-क्या खराबियां हैं और कैसे चलाई जा रही हैं उपाध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बहस पर बोलने का मौका दिया।

*श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)––

मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शासन के विकेन्द्रीयकरण के विषय में बहुत सी बातें कही थी। स्वतंत्रता के पश्चात् स्थानीय निकायों और पंचायतों को सबसे अधिक अधिकार देने के लिये उन्होंने कहा था कि स्थानीय निकायों को अधिक स्वतंत्रता देने से देश और प्रदेश का विकास हो सकता है।

मान्यवर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, देश का सबसे बड़ा साफ सुथरा शहर कहलाता है, लेकिन इसकी जो दशा है इसका दोष नगरपालिका के कर्मचारियों का है। लखनऊ शहर के बिलकुल ही निकट आलमबाग क्षेत्र है जिसमें आदर्श नगर, रामनगर, और बहुत से खेड़े हैं। पिछले वर्षाकाल में जबकि वर्षा ने इतना विकराल रूप धारण किया था तो ६–६ फिट पानी बढ़ गया था, नावें चल गयी थीं, लाखों रुपये नगरपालिका के खर्च हुये पानी निकालने के लिये। वहां के नागरिकों ने बराबर नगरपालिका को सचेत किया कि पिछले वर्ष की पुनरावृत्ति न होने पाये, लेकिन नगरपालिका के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नगरमहापालिका के अधिकारियों ने साढ़े पांच लाख रुपया उस क्षेत्र में नाला बनाने के लिये सरकार से मांग की थी, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहां का जो नाला है वह पटा हुआ है वहां के नागरिकों ने सरकार से प्रार्थना की कि उसकी सफाई की जाय, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। अगर मंत्री जी उस क्षेत्र में जांय तो आपको उस क्षेत्र में ऐसे बहुत से मुहल्ले मिलेंगे जो जलमग्न हैं, निकलने का कोई साधन नहीं है।

नागरिकों ने अपनी सरकार और नगरपालिका को कई बार संकेत किया परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नगरमहापालिका की स्थापना के पश्चात् शहर से मिले हुये जो बहुत से गांव हैं उनकी बड़ी ही दुर्दशा है। न तो पानी की व्यवस्था है, न रोशनी की, न आने जाने की व्यवस्था है। हाउस टैक्स वसूल जरूर किया जाता है, लेकिन नागरिक सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है।

इसी प्रकार से डालीगंज की स्थिति है। वहां जांय तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां के लोग २–२, ४–४ रोज तक घर के बाहर नहीं निलकते हैं, क्योंकि कोई साधन ही नहीं है वर्षा के दिनों में। सड़कों का प्रबन्ध नहीं है। जल का जहां पर प्रबन्ध है तो पुराने कुयें हैं, पर उनकी सफाई का प्रबन्ध नहीं है, उनमें दवा नहीं छोड़ी जाती। लाइट के बारे में आश्चर्य होगा कि नगरमहापालिका की तरफ से बत्तियां लगायी गयी हैं, लेकिन जलाने कोई नहीं जाता है महीनों तक। सफाई मजदूर के विषय में मैंने एक अमेरीका की मैगजीन में ६–७ साल पहले पढ़ा था। उसमें लिखा था कि अगर विश्व के अन्दर कोई भी वर्ग जो सेवा करने वाला है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सच्चिदानन्द]

जो कि मनुष्यों का मैला उठाता है वह मेहतर का ही वर्ग है जो केवल हिन्दुस्तात में ही है । उस वर्गकी कितनी उपेक्षा की गयी है ?

वर्षाकाल हो रहा है, शीत पड़ रहा है, लेकिन वह मेहतर दूसरो की सेवा करने के लिये, मैला उठाने के लिये लगा हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ग के अलावा भारत के अन्दर कौन सा ऐसा वर्ग है जो ऐसी सेवा करता है ? ऐसी सेवा दूसरा कोई वर्ग नहीं कर सकता है लेकिन उसकी दशा बहुत चिन्तनीय है, शोचनीय है । जिस समय वे रिटायर होते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है कि वे अपनी जीविका चला सकें । और कर्मचारी तो पेंशन पाते है मरणावस्था तक, लेकिन सफाई मजदूर वर्ग तो जिस समय रिटायर होता है तो उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न आता है कि इनको जीवित कैसे रखा जाय । मेरा सुझाव है कि जिस क्षेत्र में इस मेहतर वर्ग की कालोनीज बनायी गयी है वहां पर छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धन्धों का प्रबन्ध किया जाय । आश्चर्य की बात है बल्कि अफसोस की बात है कि सफाई मजदूरों की महिलायें जब काम पर जाती ह तो छोटे-छोटे नन्हें-नन्हे बच्चों को छोड़ कर जाती ह । इन बच्चों की देख भाल का कोई प्रबन्ध नहीं है । मेरा सुझाव यह है कि शिशु पालन केन्द्र खोल दिये जांय जिससे अगर माता बाहर काम करने जाय तो उसके बच्चे की वहां पर देख भाल हो सके ।

मान्यवर, आप ताज्जुब करेंगे कि हमारी नागरमहापालिका की ओर से जो जमीन लीज पर दी जाती है उसको बड़े-बड़े आदमी ही ले सकते हैं क्योंकि उसकी कीमत इतनी होती है कि गरीब आदमी उसको नहीं दे सकता । उसके लेने में उसकी भाग दौड़ में गरीब मजदूर, हरिजन और मेहतर लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं । मेरी प्रार्थना यह है कि यह जमीन बड़े-बड़े लोगों को न दी जाकर गरीबों को दी जाय । नहर के किनारे की जमीन या ऐसे क्षेत्र की जमीन जहां पर लोगों ने अनअथोराइज्ड कब्जा कर रखा है उनसे लेकर ऐसे लोगों को आवास दिया जाय । यह गरीब मेहतर वर्ग जो कि सड़क पर रहता है, झोपड़ियों मे रहता है उसके लिये स्कीम बनी लेकिन मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में लखनऊ में ऐसे मेहतर हैं जिनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है । जब तक यह वर्ग स्वस्थ नहीं होगा तब तक जनता की सेवा नहीं हो सकती है । अगर एक दिन के लिये भी यह हड़ताल कर दें तो लखनऊ की सैनीटेशन खराब हो जायगी । इस काम को इसके अलावा दूसरा वर्ग नहीं कर सकता है । अगर लखनऊ को साफ रखना है और सफाई के मामले में इसको प्रगतिशील बनाना है तो इस वर्ग को स्वस्थ रखना है और इसके लिये आवास की व्यवस्था करना है ।

मान्यवर, हमारे लखनऊ में हाउसिंग बोर्ड कार्य कर रहा है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर कितना रुपया खर्च हुआ है और इसने कितने मकान गरीबों के लिये बनाये है । आलमबाग क्षेत्र में ५०० आदमियों को जमीन एक्वायर करने के सिलसिले में नोटिस दिया गया है और उससे ५ फलांग की दूरी पर बंजर जमीन पड़ी हुई है जिसमें लाखों आदमियों को बसाया जा सकता है । लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार को इसके लिये लाखों रुपये मुआवजे में देने पड़ेंगे । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड की जो स्कीम आलमबाग की है उसको समाप्त किया जाय और उससे कुछ दूर पर जो बंजर जमीन है और आबादी से मिली हुई उसके लिये स्कीम बनाई जाय और लाखों आदमियों को उसमें बसाया जाय । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां नगरमहापालिका में एक चालान की पद्धति रखी गयी है, जो गलत है । जो हलवाई होटल व ले तथा रेस्टोरेंट वाले हैं वे जो दूध या खोया बाहरवालों से लेते हैं तो उसकी शुद्धता की कोई गारंटी

नहीं होती है । बताशे वालों ने तथा मिठाई वालों ने कहा था कि हम जनता को शुद्ध चीज देना चाहते हैं लेकिन हमें शुद्ध चीज मिलेगी इसके लिये सरकार द्वारा हमको गारंटी मिलनी चाहिये । लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लखनऊ शहर के चारों तरफ टेस्टिंग मशीन लगा दी जाय जो लोग गांव से दूध, खोया वगरा लाते हैं उसको पहले वहां टेस्ट किया जाय । उसकी फीस ली जाय । फिर भी इन लोगों की जीच में मिलावट मिले तो इनको तंग किया जाय । लकिन जब तक आपने कोई ऐसा टेस्टिंग का प्रबन्ध नहीं किया है तब तक आप हलवाई लोगों पर किस प्रकार से जुर्माना करने के अधिकारी हैं । मैं सरकार से कहूंगा कि पहले वे वैसा प्रबन्ध करें फिर बाद में लोगों को उसका उल्लंघन करने का दण्ड दिया जाय । लेकिन बिना इस प्रकार का कोई प्रबन्ध हुए होटल और हलवाई की दूकान करने वाले लोगों को दण्ड दे दिया जाता है और कभी कभी जेल भेज दिया जाता है । इसकी वजह से हजारों दूकानें बन्द हो रही है ।

नगरमहापालिका के अन्दर जो संकल्प पारित होते हैं उनका कार्यान्वियन मुख्य नगर अधिकारी करता है नगरपालिका अधिनियम में कोई भी ऐसी धारा नहीं है जो मुख्य नगर अधिकारी को उन प्रस्तावों क कार्यान्वित करने के लिए बाध्य कर सके जिस समय मुख्य नगर अधिकारी नगर प्रमुख के अधीन था और वह २०० रुपया तक पाने वालों की चरित्र पंजिका में एन्ट्री करता था उस समय कर्मचारिवृन्द नगर प्रमुख से डरते थे । लेकिन राज्यपाल के शासन-काल में यह अधिकार छीन लिया गया और आजकल मुख्य नगर अधिकारी नगर प्रमुख के अन्तर्गत-नहीं है । इसलिये वह उससे डरता भी नहीं है ।

नगरमहापालिका अधिनियम में ऐसी भी कोई धारा नहीं है कि नगरपालिका से किसी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर किया जाता है तो वह नगर प्रमुख से पूछ कर किया जाय । रोजाना ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन उससे पूछा भी नहीं जाता है ।

लखनऊ नगर महापालिका के छोटे से जीवन में ५ मुख्य नगर अधिकारी बदल चुके हैं । जो कोई नया मुख्य नगर अधिकारी आता है और सोचता है कि मैं इस नगर को एक आदर्श नगर बताऊंगा, यहां पर बाहर से बहुत से लोग इस नगरी को देखने आते हैं, विधान सभा के सभी क्षेत्रों के विधायक यहां आते हैं यह सोच कर जब वह कोई प्रोग्राम बनाता है तो इतने में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है । जो वह फिर किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है तो फिर वहां का काम समझने में देर लगती है । इस प्रकार से काम सुचारुरूप से नहीं हो पाता । क्योंकि थोड़े से दिनों में तो वह यह भी नहीं समझ पाता कि कहां इसकी सीवर की नालियां हैं, कहां पानी की लाइन्स है और कहां पर पानी का अधिक प्रेशर होना चाहिये और कहां पर कम । इन बातों को समझने में भी उसको समय लगता है । मेरा सुझाव है कि सेन्ट्रेलाइजेशन की प्रणाली को माननीय मंत्री जी समाप्त कर दें ।

अब मैं एक बात मेयर के चुनाव के बारे में कहूंगा । मेयर के चुनाव में लाखों रुपये का व्यय होता है । इसमें राजनैतिक आधारों पर तरह तरह के प्रभाव डाले जाते हैं । मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सुझाव है कि मेयर का चुनाव भी जनता के द्वारा ही किया जाय अगर ऐसा होगा तो वह जनता की ज्यादा सेवा कर सकेगा ।

इसके अलावा एक सुझाव मंत्री जी को मैं यह देना चाहता हूं कि विधान सभा का एक क्षेत्र भी है । वहां पर १८ हजार वोटर रहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को वहां कोई अधिकार नहीं है केन्द्रीय सरकार के द्वारा वहां पर प्रबन्ध होता है । वहां पर लालकुर्ती में हजारों की संख्या में हरिजन लोग वास करते हैं । वहां पर प्राइवेट मकानों में मेहतर लोग पचासों सालों से रह रहे है और उन मकानों का डेढ़ दो रुपया माहवार किराया देते चले आ रहे हैं ।

[श्री सच्चिदानन्द]

मैंने सरकार से अनुरोध किया था कि उसका अनुमान लगाकर उनको वे मकान दे दिये जाएं। इसके लिये हरिजन कल्याण विभाग की ओर से कोई एस्टीमेट भी बनाया गया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक उस विषय में कोई कार्यवाही नहीं हुयी है और ट्रस्टी उन मकानो को बेचता जा रहा है। ट्रस्ट की मालिक जानकी देवी, जिनके बारे में आज तक पता नहीं कि कौन उसका मालिक है लेकिन वह मकान ५०० और ४०० रुपये में बड़े-बड़े लोग खरीदते जा रहे हैं, गरीब आदमी नहीं खरीद सकते। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह सुझाव केन्द्रीय सरकार को बतायें कि वहां जो हमारे भाई हैं उनके परिवार की रक्षा होसके और वे अपना घर बना सकें।

इन शब्दों के साथ भाई मनोहरलाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद नबी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा जो अनुदान की धनराशि पेश की गयी है उसका समर्थन करने के लिए और विरोधी दल के सदस्यों द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यहां हमारे सब साथियों ने इस प्रकार के सुझाव दिये कि नगरपालिकाओं, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरियाओं में रोशनी की ठीक व्यवस्था नहीं है, सड़कें ठीक नहीं हैं, चिकित्सा की व्यवस्था ठीक नहीं है, गन्दगी काफी है, नालियां ठीक नहीं हैं, गरज कि इस प्रकार के सब के सुझाव हैं और अपनी जगह पर यह सही भी है कि जिस तरह से नगरपालिकाओं को काम करना चाहिये, उतना अभी नहीं हुआ है। लेकिन हमारे कोई साथी इस बात से मुनकिर नहीं होंगे कि इन २० वर्षों में इस संस्था द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। हमारे माननीय सदस्य श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि आज तक नगरपालिकाओं द्वारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिस के लिए कहा जाय कि उन्होंने कुछ काम किया है।

मैं माननीय सदस्य को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनके कानपुर में ही पिछली बार जब बी० के० डी० का अधिवेशन हुआ था हम लोग फूल बाग में गये थे और एक वह फूल बाग ही इस बात की दलील है कि नगरपालिकायें कुछ काम कर रही हैं। हां, जिस तरह से काम होना चाहिये, उस तरह से नहीं हो रहा है। कुछ कमियां जरूर हैं। कुछ धन की कमी भी पड़ रही है, कुछ जन संख्या भी बढ़ती रही है। हमारे माननीय सदस्य सरकारी पक्ष में रह चुके हैं, जैसा कि हमारे श्री मुस्तफा कामिल किदवाई ने कहा, तीन महीने में कौन सी ऐसी कमी आ गयी जो इस सरकार की आलोचना की जा रही है।

नगर महापालिका, लखनऊ ने १९६७ में संविद के जमाने में जो एक बात की वह बहुत महत्वपूर्ण है और काबिल जिक्र है और उस पर गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। नगर महापालिका, लखनऊ में नैपियर रोड, ठाकुरगंज, चौक, लखनऊ में प्रापर्टी ४ और ५ एक बीघा १४ बिस्वा की आराजी है। इस आराजी में नम्बर ६, ७, ८, ९, १०, ११ और २५, २६ इस तरह के नम्बरान हैं। ये सब एक ही जगह मिल कर एक प्लाट की शक्ल में। यह प्लाट म्युनिसिपैलिटी के कागजात में कब्रिस्तान दर्ज है। पचासों वर्षों से सैकड़ों मुर्दे उस में दफन हैं। उस जमीन को १९६७ में नगर महापालिका लखनऊ ने एक्वायर किया। एक तरफ १४–१५ बिस्वा में मुसलमानों का कब्रिस्तान है और साथ ही उस जमीन पर सैय्यद शाकी अली साहब वगैरह की मजार है और उस खाली जमीन में सालाना उर्स होता है। महीने की २७ और २८ तारीख को जिस में हिन्दुस्तान के गोशे–गोशे से जियारती आकर ठहरते हैं मजार मकहस की जियारत करते हैं।

मैंने चौधरी चरण सिंह की हुकूमत के जमाने में इस बात की दरख्वास्त की कि कब्रगाह की वह जमीन है, इस को नहीं लेना चाहिये,। इस से मुसलमानों के मौलिक जजबात पर असर पड़ेगा और ऐसा असर पड़ेगा जिस से तमाम हिन्दुस्तान के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचेगी, इस जमीन को कब्रिस्तान और उर्सगाह से निकाल कर दूसरों के हाथ बेचना और उसको खोद कर मकान बनाने के लिए इजाजत देना मुनासिब नहीं है। इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। उस कब्रिस्तान और उर्सगाह की जमीन के लिए चौधरी साहब की हुकूमत के जमाने में स्वायत्त शासन मन्त्री की तवज्जह दिलायी थी और मन्त्री जी को ले जाकर उस कब्रिस्तान और उर्सगाह की जमीन को दिखाया था। हमारे साथ लखनऊ के माननीय सदस्य इम्तियाज हुसेन भी थे। उस वक्त उन्होंने वायदा किया कि उस को रिलीज कर दिया जायगा। इस बात को उन्होंने महसूस किया कि उस कब्रिस्तान और उर्सगाह की जमीन को रिलीज कर दिया जायगा क्योंकि वहां पर कब्रिस्तान है और उस जगह पर सैयद शफी अली शाह शफी और सैय्द आरिफ अली शाह का हर साल उर्स लगता है जिस में दूर-दूर से लोग आते हैं। इस वजह से उन्होंने वादा किया था कि उस जगह को एक्वायर नहीं किया जायगा और कारपोरेशन जो यह एक्वायर कर रहा है उसका गलत कदम है। उन्होंने इस तरह का आर्डर पास किया कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा आदेश न हो तब तक उस पर किसी किस्म का दखल कब्जा न लिया जाय। उसी जमाने में आपसी नीति के कारण मतभेद हुआ और उस पार्टी को छोड़ कर इधर आ गया और उस जमीन को रिलीज नहीं किया गया। उस के आधार पर मुझ से कहा जाता रहा कि तुम पार्टी छोड़ कर इधर आ जाओ तब यह जमीन रिलीज की जायगी। यह इस तरह की पालिसी के कारण मामला पड़ा है जिस की तरफ गौर करने की जरूरत है। उसी के पास मेरी भी जमीन है और मेरा घर भी उधर ही है। मेरे दादा वगैरा भी वहां पर दफन हुये हैं तो मेरी भी उस जमीन से हमदर्दी है। मैं आप के जरिये से उस जमीन की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे इस बात को देख लें और इस की जांच कर ले और देख लें कि देखने के बाद जमीन को रिलीज करें ताकि तमाम हिन्दुस्तान के मुसलमानों की धार्मिक भावना को कोई ठेस न पहुंचे।

मैं आप के माध्यम से बस्ती जिले की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बस्ती नगर-महापालिका अभी एक महीने तक एक साल से बन्द पड़ी थी। अभी हाल ही में बस्ती नगरपालिका का चुनाव हुआ है। हमारे चेयरमैन ने अभी जाकर वहां पर चार्ज लिया है। एक महीने पहले की बात आप को बताता हूं कि १० हजार रुपया महीना बस्ती नगरपालिका की आमदनी थी। वे सरकारी अफसर थे और नगरपालिका बस्ती उन के हाथ में थी तो इतनी कम आमदनी होती थी। एक महीने के अन्दर जब से नये चेयरमैन ने नगरपालिका का चार्ज लिया है उस वक्त से एक महीने में ५० हजार रुपया आमदनी हो गयी है। इस लिए मैं आप के जरिये से मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि एक साल में जो वहां पर आमदनी और खर्च हुआ है उस की जांच की जाय कि किस तरह से वह खर्च हुआ और किस तरह से आमदनी हुई? इस तरह का अगर वहां पर भ्रष्टाचार मिले तो मुतालिक कार्यवाही करनी चाहिये।

वहां पर बस्ती स्टेशन से जो मेन रोड आती है उस सड़क की हालत बहुत खराब है। वह नगरपालिका की सड़क है। वह सड़क इतनी खराब है कि शायद ही बस्ती जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रान्त में किसी नगरपालिका में उतनी खराब सड़क नहीं होगी। उसकी ऐसी हालत है कि रिक्शा या मोटर का चलना दूभर हो गया है। साइकिल भी नहीं चल सकती है। पुराने बस्ती शहर को पैदल जाने का रास्ता बन्द हो जाता है। २, २ और ३, ३ फीट पानी भरा रहता है। तो उस की तरफ ध्यान दें और इस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। इन अल्फाज के साथ जो अनुदान पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका विरोध करता हूं।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस विभाग की ग्रान्ट आज विचाराधीन है उस के मन्त्री, राज्य मन्त्री या उप मन्त्री दिन भर सदन में नहीं आये। क्या यह उपयुक्त और उचित है ?

श्री अनन्त राम जायसवाल--

उपाध्यक्ष महोदय, यह बताने की जरूरत नहीं है कि शहरी इलाके में इब्तिदाई तालीम की जिम्मेदारी नगरपालिका या महापालिकाओं की है और यह एक संवैधानिक निर्देश है कि अकलियतों की मादरी जबान में पढ़ाई का इन्तजाम यह इदारे करें। मैं जानना चाहता हूं और मन्त्री जी जब बोलने लगें तो बतायें कि इस की क्या व्यवस्था है ? आज तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है इस से इन्कार नहीं किया जा सकता। किसी भी म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में उर्दू की पढ़ाई के लिए अलग से कोई टीचर की या किसी तरह की व्यवस्था नहीं है और दर्जा १ से ८ तक जो दर्सी किताबें उर्दू में आवश्यक हैं वह भी बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। इस चीज को ध्यान में रख कर मन्त्री जी उत्तर में रोशनी डालें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

दूसरी चीज यह है कि सन् ६२ के म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव के पहले महापालिकाओं में और नगरपालिकाओं में हरिजनों का प्रतिनिधित्व अधिक था जैसे मिसाल के तौर पर बाराबंकी में २ हरिजनों के स्थान थे और अब कहा जाता है कि उन के प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है लेकिन अब एक ही स्थान रह गया है और ऐसा ही सारे सूबे में हुआ है। जो हरिजनों का प्रतिनिधित्व सन् ६२ के चुनाव के पहले था उसको ही वापस करने के लिए क्या मन्त्री जी कोई कार्यवाही करेंगे यह वह अपने उत्तर में बता दें।

तीसरी बात यह है कि शहरी इलाके में रिहायशी मकानों की बहुत कमी है। छोटी आय के लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए क्या लोकल बाडीज द्वारा भवन निर्माण की आप कोई स्कीम चालू करायेंगे या नहीं ? साथ ही आप यह भी बता दें कि रामपुर जिले में बिलासपुर टाउन एरिया कमेटी का चुनाव हुआ तो नये जो चेयरमैन हुये हैं उन्होंने पुराने चेयरमैन छुन्नू खां और उन के साथ मेम्बरान के नाम के पत्थर जो टयूब वेल की दीवार पर लगा हुआ था उस को उखड़वा कर फेंकवा दिया ? इस के अलावा जो बरखास्तशुदा चुंगी मुहर्रिर थे पुरुषोत्तम सरन और राम सरन उन को इन नये चेयरमैन ने दोबारा रख लिया है ? इसी तरह का बाराबंकी का भी मामला है। बगैर नगर पालिका की इजाजत के वहां पर चन्दन के पेड़ काट लिये गये। और डी० एम० की शिकायत पर चेयरमैन शासन द्वारा ससपेंड हुये। उस के बाद आप ने किन वजूहात से उस ससपेंशन को रद्द कर दिया ? इस पर भी आप प्रकाश डालें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

*श्री मनोहर लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्वायत्त शासन विभाग के अनुदान पेश हुये हैं और उन पर मैंने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से सुझाव आये और विपक्ष की ओर से तो प्रत्यक्ष रूप से वह सुझाव आये और सरकारी बेंचेज की तरफ से भी अप्रत्यक्ष रूप से सुझाव दिये गये। सभी ने कटौती के प्रस्ताव का किसी न किसी रूप में समर्थन किया है और मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने सद्विचार हमारे प्रस्ताव पर प्रकट किये।

दो एक बातें कहने को बाकी रह गयी थीं। एक तो यह कि यदि वास्तव में हमारी स्वायत्त शासन संस्थायें सही काम करें और भ्रष्टाचार खत्म हो तो काफी काम वहां हो सकता है। जो हमारे कवाल टाउन्स के कारपोरेशन हैं उन के सभासदों को २५० रुपया मासिक भत्ता देने की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात तय होनी चाहिये क्योंकि जो सभासद होते हैं वे दिन भर महापालिका के दफ्तर में चक्कर लगाते हैं और वहां नित्य अपने क्षेत्र के लोगों के कामों को लेकर जाते हैं और उन कामों को करने के लिये उनको तमाम रिक्शा भाड़ा खड़ा करना पड़ता है। यदि व करप्शन करेंगे तो कहीं न कहीं से पैदा तो करेंगे ही। इस भावना को पैदा करने के लिये कवाल टाउन्स में जो सभासदगण हैं उनको २५० रुपये माहवार और नगरपालिकाओं में सौ रुपये से १५० रुपये माहवार की व्यवस्था कर दें तो भ्रष्टाचार बहुत कुछ कम होगा। और इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय एक और बात कहनी है जो महापलिकायें या नगरपालिकायें हैं और जो उनकी सीमाओं में गांव मिलते हैं, उनका जो जमीन एक्वायर की जाती है वह पुराने रेट्स पर एक्वायर की जाती है यदि बहुत आवश्यक हो जमीन का एक्वायर करना तो जमीन एक्वायर की जाय लेकिन उन काश्तकारों को मुआविजा मारकेट रेट पर दिया जाय क्योंकि आप देखते हैं कि अगर बाजार भाव १०० रुपये या दो सौ रुपये गज है तो काश्तकारों को चार आने या छः आने दिये जाते हैं।

हमारे कानपुर का उदाहरण है कि वहां के काश्तकारों की जमीन एक्वायर की महापालिका ने और उनको काम्पैन्सेशन के रूप में १५० रुपये एकड़ के हिसाब से दिया। यह कहां तक न्याय संगत है। जो डि-हाउसीज होते हैं, उनसे वायदा करते हैं कि उनको दूसरा प्लाट दिया जायेगा, रहने की व्यवस्था की जायेगी लेकिन छः-छः आठ-आठ साल तक उनको कोई मकान नहीं दिये गये और जो रेट्स हैं वे भी तय नहीं हुये। अगर आठ साल पहले मकान एक्वायर हुआ था तो उनको जो प्लाट दिया जा रहा है वह पुराने रेट पर दिया जा रहा है। उनको पैसा बहुत कम मिलता है जिससे वे मकान नहीं खरीद पायेंगे।

अभी नबी साहब बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटीज ने बहुत काम किया है। जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं वे निष्पक्ष भावना को लेकर प्रकट किये हैं लेकिन नबी साहब ने जो विचार प्रकट किये हैं वे बदले की भावना को लेकर किये हैं। महापालिका कानपुर का जो बजट रक्खा गया है उसमें उन्होंने फूलबाग का उदाहरण दिया है। हमने कहा कि महापालिकायें काम नहीं करती हैं।

११ करोड़ का बजट है महापालिका का, उसमें यदि फूलबाग प्लाट को बनाया जाता है जिसका निर्माण सैकड़ों साल पहले हुआ था, यदि उनको अच्छा लगे और वह समझते हैं कि इस तरह के पार्कों का निर्माण हुआ है, महापालिकाओं के जो कार्य कलाप है जो भ्रष्टाचारिता है जो अनियमितताये हैं उनमें यदि वे छिप जाती हैं तो वे पार्क उनको मुबारिक हों शायद ही ऐसा काम महापालिका ने किया हो जिसको हम कह सकें कि उसने काम किया है। स्वायत्त शासन की संस्थाओं के अधिनियम में परिवर्तन करना पड़ेगा।

माननीय मंत्री महोदय से हम आशा करते हैं कि हमने जो सुझाव दिये हैं उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। जो सुझाव हमने दिये हैं वे निष्पक्ष रूप से दिये हैं। हम जानते हैं कि स्थानीय निकायों का क्या काम है, कक्या र्त्तव्य क्या है। यदि वे संस्थायें अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगी तो हमारा कर्त्तव्य है कि प्रान्तीय सरकार के सामने उनकी खामियों को रक्खें और उम्मीद है मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ हम अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करते है और प्रार्थना करते हैं कि जो सूझाव हमने रख है उनकों मान लें वह सुझाव कोई विरोध की भावना से नहीं सुधार की भावना से रक्खे गये हैं। इसलिये उम्मीद है कि उन सुझावों को माननीय मंत्री जी जरूर मान लेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, मैं एक जानकारी आपकी आज्ञा से चाहता हूं। इनके विभाग में जो म्युनिसिपैलिटीज सीवरेज स्कीम की ग्रान्ट या ऋण के लिये सप्लाई करती है---मान लीजिये ६ लाख की स्कीम है तो ६ परसेन्ट या १० परसेन्ट आपका विभाग सर्वे करने के लिये और स्कीम को आपके सामने पेश करने के लिये मांगता है और वह करीब ५०-६० हजार रुपया हो जाता है। बहुत सी गरीब म्युनिसिपैलिटीज उस पैसे को नहीं दे पाती। तो क्या आप उसको विदड्रा करेंगे ?

दूसरी बात, सन ६८-६९ में उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा था। मैं गाजीपुर की बात जानता हूं। २४ पेय जल के ट्यूबवेल लगे। बोरिंग हो गयी, सब हो गया, फिर एल० एस० जी० ई० डी० उनको भूल गया। वह उखड़ रहे हैं। दो करोड़ का लास हो रहा है। अगर टंकी बना कर गांवों में पानी दे दिया जाता तो वह पैसा बच जाता।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव देकर शासन को लाभान्वित किया है। विशेष रूप से मैं विरोधी दल के सदस्यों का आभार प्रदर्शन करता हूं कि उन्होंने अच्छे सुझाव दिये और विशेष रूप से इस लिये कि इस प्रजातांत्रिक पद्धति में विरोधी दल का अपना एक प्रमुख स्थान है। श्रीमन्, मेरा ऐसा विश्वास है कि जो जनतांत्रिक प्रणाली शासन की हमारे देश में है यदि उसमें विरोधी दल नहीं है तो वह स्वस्थ प्रणाली नहीं रह सकती। इसलिये मैं उनके सुझावों का बहुत मान करता हूं।

जो सुझाव सामने आये है उनमें बहुत सी ऐसी शिकायतें है जिला स्तर की जिनके संबंध में मैं अपने विभाग को लिखूंगा और यह प्रयास करूंगा कि वह तकलीफें दूर की जायं। जो कुछ शिकायतें म्युनिसिपैलिटीज की, महापालिकाओं की या टाउन एरियाज की हैं, उनके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करूंगा। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं उनसे हम सब लोग भलीभांति परिचित हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि स्थानीय निकाय जिनके द्वारा जनता की बड़ी सेवा हो सकती थी, जिनके द्वारा जनता की सुख सुविधा का प्रयास हो सकता था, जन जीवन को सुखी रखने का प्रयास किया जा सकता था, वह उतनी कर्मठ नहीं है जैसी कि हम उनसे आशा करते थे।

यह भी सत्य है कि यह स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन संस्थायें हैं। इनके अपने कुछ नियम हैं और प्रजातांत्रिक प्रणाली में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते हैं और यदि हम इन स्थानीय निकायों पर किसी प्रकार का कड़ा नियंत्रण क. या इनके रोजाना के कार्य हस्तक्षेप करें तो वह एक प्रकार से सत्ता का केन्द्रीकरण कहा जा सकता है जो कि प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुकूल नहीं होगा। किन्तु इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुये, जो अधिनियम अब से कुछ दिन पूर्व इन स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में बनाया गया था, उसके संशोधन के लिये एक समिति बनायी गयी है और वह अधिनियम में संशोधन के लिये विचार करेगी। मैं उन सुझावों को जो माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, इस समिति के समक्ष रखूंगा और समिति की संस्तुतियों से हम लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है।

इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि यदि वे समझते हैं कि ऐसे कुछ और सुझाव है जिनके द्वारा स्थानीय निकायों में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये जा सकते हैं तो वे उन सुझावों को मेरे पास लिख कर दें, ताकि समिति उन पर भी विचार कर सके। स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हमारे सामने आयी हैं। हम सभी लोग यह जानते हैं कि स्थानीय निकायों को कार्य करने की प्रणाली का एक नियम है।

जब किसी स्थानीय निकाय को अपने यहां वाटर वर्क्स बनाना होता है या सीवेज योजना बनाना चाहती है तो उसके लिये प्रस्ताव करके यहां शासन को भेजती है। शासन उसका प्रबन्ध करता है और उसका निर्माण करा कर उनके सुपुर्द कर देता है। इस प्रक्रिया से यह कार्य चलता है। वाडर वर्क्स का निर्माण करा कर जिन स्थानीय निकायों को वे हस्तान्तरित किया गया है उनके द्वारा बहुत से वाटर वर्क्स सुविधापूर्वक नहीं चल रहे हैं।

बहुत से स्थानीय निकायों ने वाटर टैक्स नहीं लगाया और बहुत सी स्थानीय निकायों ने शासन से लिये गये ऋण की अदायगी नहीं की तथा ऋण के ब्याज की अदायगी भी नहीं की। इन सारी समस्याओं को सामने रखते हुए माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन ने शीघ्र ही एक वाटर सप्लाई एण्ड सीवेज बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह बोर्ड उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का विद्युत बोर्ड हमारे प्रदेश में बना हुआ है और सारे प्रदेश के लिये विद्युत व्यवस्था करता है। उसी प्रकार से इस प्रदेश में वाटर सप्लाई की सारी व्यवस्था उस बोर्ड के द्वारा होगी और सिवरेज कार्यों के लिये भी यह बोर्ड व्यवस्था करेगा। हमारे यहां सिवर फार्म स्कीम भी चलती है। उन क्षेत्रों में जहां कृषि उत्पादन होता है सिंचाई की भी व्यवस्था की जाती है मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के बोर्ड बन जाने से हमारी स्थानीय निकायों को सुविधा होगी और जो अनियमिततायें नित्य प्रति होती हैं वे भी दूर हो जायेंगी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सीवेज स्कीम के लिये आपने जो जमीन एक्वायर की है और खेती कर रहे हैं इसके लिये क्या प्रयास किया है।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले मेरी बात सुन लें। इस प्रकार से मैं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास सभी प्रश्नों की जानकारी नहीं है। जिस विषय पर यहां आज चर्चा चल रही है और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं, उन्हीं के सम्बन्ध में मैं अपना स्पष्टीकरण दे सकता हूं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब हम कोई प्रश्न रखते हैं तो अध्यक्ष पद से यह आदेश हो जाता है कि ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते है, बजट के समय कहें। हम वाटर वर्क्स तथा सिवर स्कीम के बारे में जानकारी चाहते हैं। सीवर के लिये बड़े बड़े फार्म्स ले लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

जो आप इस समय आकस्मिक प्रश्न कर रहे हैं यह उपयुक्त नहीं है। यह अवसर इस समय नहीं है। जब तक कि मंत्री जी बोल रहे हैं उसको आप सुन लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह तो नीतियों से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

जब तक कि मंत्री जी बोल नहीं लेते आप प्रश्न न उठायें।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यदि माननीय सदस्यगण किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो पहले मुझको सुन लें और बाद में यदि उनको कुछ कहना हो तो कहें। मुझे सुनने के बाद उनकी बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जायेगा और मैं भी स्पष्ट रूप से अपनी बात आपके समक्ष रख सकूंगा। जहां तक कि सीवर फार्म का सवाल है जहां पर वाटर वर्क्स बने हैं तथा जिन स्थानों पर महापालिकाओं अथवा नगरपालिकाओं ने अपने गंदे पानी को सिंचाई के लिये, देने की व्यवस्था करने के लिय सहायता की मांग की है उसके लिये सरकार ने नियमानुसार सहायता की है।

गन्दे पानी का पूर्ण प्रयोग करने के लिये उन्होंने अपने तरफ से जमीन को लिया है और जहां तक कि हमारी जानकारी है अभी तक किसी भी स्थानीय निकायों की ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि किसी व्यक्ति को उनके इस प्रकार से भूमि के लेने में कोई आपत्ति हो अथवा कोई कठिनाई पैदा हुई हो माननीय सदस्य बतायें कि किस नगरपालिका अथवा स्थानीय निकाय ने ऐसी भूमि को लिया हो जिसमें किसी को कोई आपत्ति हो। आप कृपा कर बतायें मैं उसकी जानकारी करके उनको सूचना दे सकता हूं।

बहुत सी बातें जो कही गईं उसमें यह भी कहा गया कि आज भी हरिजन भाई अपने सर पर मैला उठाते हैं और यह व्यवस्था चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रयास करने के बाद आज भी सफाई करने वाले व्यक्ति सिर पर मैला ढोते हैं। शासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो स्थानीय निकाय अपने इस कार्य के लिये ट्राली अथवा गाड़ियों को क्रय के लिये ऋण ले सकते हैं शासन इस कार्य में उनकी सहायता करता है।

इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में एक हेल्थ बोर्ड भी है। उसके द्वारा भी इस प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कार्य तो स्थानीय निकायों को ही करना है। शासन के पास कोई ऐसे साधन नहीं हैं कि वह इस कार्य को स्वयं पूरा करे। उनके प्रार्थना करने पर ऐसे कामों के लिये सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ शौचालयों की १८ करोड़ की एक योजना बनाई गई है शासन इस बात के प्रयत्न कर रहा है कि ग्राम सभाओं तथा स्थानीय निकायों में इस प्रकार के शौचालयों को बनाने की व्यवस्था करें। २०० रु० या इससे भी कम में एक स्वच्छ शौचालय बना दिया जाता है। ऐसा करने से मल को उठाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वह फ्लश सिस्टम की तरह से काम करता है और थोड़े से ही पानी में मल साफ हो जाता है। हमारी यह योजना प्रदेश के अनेक स्थानों पर चल रही है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस बात का प्रयास करें और स्थानीय निकायों को वाध्य करें कि वह इस योजना को सफल बनाने के लिये शासन से सहायता लें। इसमें २५ प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और ७५ प्रतिशत ऋण दिया जाता है जो ५ वर्ष में वसूल किया जाता है। इस प्रकार इस समस्या से इसका समाधान किया जा सकता है।

श्रीमन्, पेयजल योजना के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया। हम भी यह समझते हैं और प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था करे। हमारे प्रदेश में पेयजल योजना का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। इस योजना के अन्तर्गत हमने यह भी व्यवस्था की है कि जहां खारा पानी है वहां मीठा पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत अनुदान पर यह योजना चल रही है और शहरी क्षेत्र में, चाहे टाउन एरिया हो या म्युनिसपैलिटी, २५ प्रतिशत अनुदान और ७५ प्रतिशत ऋण पर यह योजना चल रही है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर यह योजना चलाई जा रही है और शीघ्र ही इसका विस्तार किया जायेगा। हमें आशा है कि हम पेयजल की समस्या को हल करने में सफल होंगे। आवास के बारे में भी कहा गया। आवास परिषद् के द्वारा १६ नगरों में यह कार्य किया जा रहा था। अब ३९ स्थानों को और ले लिया गया है।

आवासीय कठिनाई की जानकारी शासन को है और इसलिए ही आवास परिषद् का कार्य क्षेत्र और बढ़ाया है। आवास परिषद द्वारा दो प्रकार के ऋण अनुदान भवन निर्माण हेतु दिये जाते हैं और मकान भी बना कर दिये जा रहे हैं। जो अल्पवर्ग के लोग हैं उनके लिए १२ हजार ५००रु० तक ऋण दिया जाता है और जिनकी आय ७ हजार २०० रु० वार्षिक से ऊपर है उन्हें २५ हजार तक ऋण दिया जाता है। आवास बोर्ड के द्वारा यह भी व्यवस्था की जाती है कि छोटे प्लाट्स बनाकर लोगों को दिये जायं। इसी के अन्तर्गत मलिन बस्ती की भी योजना है। गरीब लोग जिनके पास मकान नहीं हैं उनको छोटे मकान बना कर दिये जाने की व्यवस्था है। विस्थापितों के लिए भी व्यवस्था की जाती है। हरिजनों के रिजर्वेशन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय रिजर्वेशन पिछली जनगणना के आधार पर है। अब नयी जनगणना का कार्य पूरा हो गया है और शीघ्र ही उनके रिजर्वेशन की सीमाओं का परिसीमन किया जायगा। इस सरकार ने पिछले रिजर्वेशन को कम नहीं किया है। जो था वही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

आपने कोई नई कमी नहीं की यह बतलाने की जरूरत नहीं है। पुरानी ही कमी है। जितनी उनकी नुमायन्दगी मिली थी उतना देंगे।

श्री धर्मदत्त वैद्य––

जनगणना के हिसाब से परिसीमन किया जायगा। जिस क्षेत्र में उनकी संख्या घटेगी या बढ़ेगी उसी हिसाब से किया जायेगा। यह नियम हमारे भाई भी अच्छी तरह जानते हैं।

श्रीमन, कुछ हमारे साथियों ने कहा कि नगरपालिका के आर० बी० ओ० ऐक्ट से बड़ी परेशानी है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आर० बी० ओ० ऐक्ट के अन्तर्गत नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत दो धारायें ११४ व ११५ ऐसी हैं जिनके अन्तर्गत अनधिकृत कब्जों को हटाया जा सकता है, किन्तु इस ऐक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में संशोधित अधिनियम सदन के समक्ष पेश होगा इसके लिए एक समिति बनाने का विचार है जो इस ऐक्ट के संशोधनों पर विचार करेगी।

शिक्षा के संबंध में बहुत सी बातें कही गयीं। यह सही है कि स्थानीय निकायों की प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। हम यह समझते हैं कि प्राइमरी शिक्षा का ठीक होना अत्यन्त आवश्यक है, उसी से बच्चे का जीवन बनता है। इस ओर भी सुधार के लिए हम प्रयत्नशील हैं। जो वेतन आयोग गठित किया गया है वह भी शिक्षकों तथा निम्न कर्मचारियों के वेतन आदि के बारे में अपनी रिपोर्ट देगा। उसके निर्णयों के बाद हम अच्छे शिक्षक रख सकेंगे और शिक्षा में उचित सुधार भी कर सकेंगे।

कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कही गयी।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल––

श्रीमन, दर्जा १ से ८ तक जो शिक्षा दी जाती है वहां उर्दू पढ़ाने के लिये न तो शिक्षकों की व्यवस्था है और न ही पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था है तो कैसे आप उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू की शिक्षा देंगे जब कि संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि हर एक को अपनी मादरी जबान में शिक्षा पाने का अधिकार है।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जो भी प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक हैं उनमें उर्दू पढ़ाने की क्षमता है, वह पढ़ा सकते हैं। फिर भी यदि यहां से कोई निर्देश आदि देने की जरूरत होगी, तो शासन उस पर भी विचार कर सकता है किन्तु यह कहना कि स्थानीय निकाय के प्राइमरी विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आप कम से कम इतना तो पता लगवा लें कि वहां पाठ्य पुस्तकें भी हैं या नहीं? जब पुस्तकें ही नहीं हैं तो पढ़ाई कैसे होगी?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

मैं फिर माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि वे कृपया मेरी बात सुन लें। (व्यवधान) कानपुर महापालिका के विषय में यह कहा गया कि केवल वहीं पर यांत्रिक अभियन्ता हैं, और किसी महापालिका में नहीं हैं। मुझे इसकी जानकारी है कि किसी और महापालिका नगरपालिका में इस प्रकार का पद नहीं है। मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और बहुत जल्दी ही इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करूंगा।

जहां तक नजूल भूमि के संबंध में हमारे माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, नजूल भूमि की व्यवस्था केवल नगरपालिकाओं या नगर महापालिकाओं के अधिकार में नहीं है। नजूल की समस्त भूमि को शासन या उसकी बिना स्वीकृति के कोई भी स्थानीय निकाय न तो बेच सकता है और न पट्टे पर उठा सकता है। यदि माननीय सदस्य यह जानकारी देंगे कि किसी निकाय ने नजूल की भूमि को बेचा है या पट्टे पर दिया है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

एक साथी ने यह आरोप लगाया कि बहुत से आदेश संविद काल में हुए थे, उस पर अमल नहीं हो रहा है। मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि संविद काल का कोई भी आदेश इस सरकार ने वापस नहीं लिया है। यदि कोई आदेश हुआ था और उसी समय से उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, तो मैं नहीं जानता।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार की बड़ी बात कही गई है, लेकिन श्रीमन्, यदि भ्रष्टाचार को समाज अंगीकार कर ले तो भ्रष्टाचार कैसे दूर हो। उसको दूर करने की बात सोचने के पूर्व, समाज में भ्रष्टाचार किस प्रकार रोका जाए, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। मैं क्षमापूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जो सीमा है उस पर आप विचार करें। भ्रष्टाचार का जहां तक संबंध है वह तभी दूर हो सकता है जब समाज में चरित्र का निर्माण हो। आज समाज के अन्दर कोई ऐसी संस्था नहीं रह गई है जो जनता के चरित्र का निर्माण करे। इन शब्दों के साथ मैं अपने अनुदान के लिए कहूंगा कि सदन इसे स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १ ७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३६---सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,२२,८९,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४३ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४३––प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,८६,१६,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष––

एक काम रोको प्रस्ताव आया था माननीय शिव प्रसाद पांडिया जी का बछरांवा, जिला रायबरेली में घाघरा नहर योजना में लोगों के खेत और नलकूप अर्जन करना है, उसके बारे में। वह अस्वीकार हुआ है। इसके संबंध में आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने नियम ५१ के अन्तर्गत जो प्रश्न किये हैं, वे इस प्रकार हैं। माननीय भारत सिंह चौहान, माननीय वीरेन्द्र वर्मा, माननीय महीलाल, माननीय त्रिलोक चन्द, माननीय नैनसिंह, माननीय सुलतान सिंह, माननीय तिरमल सिंह, माननीय रामगोपाल सण्ड, माननीय होती लाल अग्रवाल, माननीय मोहनलाल कपूर, माननीय मीतीलाल देहलवी, माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय रामविलास पांडेय, माननीय मुंशीलाल चमार, माननीय गोविन्द सिंह नेगी, माननीय मोहम्मद असरार अहमद, माननीय रघुनाथ सिंह, माननीय घासीराम जाटव के बाढ़ के विषय पर हैं। इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है। समय आपको बता दिया जायगा।

माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य, माननीय जंगबहादुर यादव, माननीय श्री रामसिंह, ने हिन्दुस्तान अलमुनियम कारपोरेशन, रेनुकोट (मिर्जापुर) के श्रमिक नेताओं की गिरफ्तारी के बारे में पूछा है। यह नियम ५१ में स्वीकार नहीं हुआ है। इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं, माननीय सदस्य।

माननीय कल्याण सिंह–वार्ष्णेय डिग्री कालेज अलीगढ़ में प्रवेश न मिलने पर छात्रों द्वारा अनशन। आज इस पर छात्रों के प्रवेश के बारे में प्रश्न है, जिसका उत्तर दिया जायगा।

माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय बंशीधर पांडेय, माननीय अमरनाथ दुबे, माननीय कल्पनाथ सिंह––शिकोहाबाद (नैनपुरी) से निर्वाचित विधान सभा सदस्यों को शपथ लेने से रोका जाना। यह अस्वीकृत हुआ है लेकिन अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं।

माननीय सुखपाल पांडेय, माननीय रामकरन सिंह––सवा छः एकड़ तक का लगान माफ होने पर अमीनों, चपरासियों आदि का नौकरियों से निकाला जाना। यह भी अस्वीकृत हुआ है। इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर के पूछ लें तो वह स्वीकृत हो जायगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

अल्प सूचित प्रश्न का नम्बर आते ही आते आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आप खड़े हुए तो दूसरे खड़े हो जायेंगे । इसलिए व्यवधान हो जाता है ।

माननीय बंशीधर पांडेय, माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय कल्पनाथ सिंह द्वारा---जैंतीपुर (शाहजहांपुर) के श्री दीक्षित दरोगा के विरुद्ध शिकायत । यह व्यक्तिगत हो गया है, कानून से सम्बन्धित है । इसलिए इसको स्वीकृत नहीं किया गया है ।

माननीय रामकुमार दीक्षित ने प्रदेश के आई० टी० आई० में कार्य करने वाले अनुदेशकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिया है । यह भी अस्वीकृत हुआ है ।

माननीय चन्द्रभान शर्मा, माननीय नैन सिंह, माननीय वीरेन्द्र वर्मा, माननीय सईद मुश्ताक, माननीय मनफूल सिंह के ग्राम शोरम जिला मुजफ्फनगर के हरिजन गांव को जला दिये जाने की बात कही है । वह वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है ।

माननीय गोपालदत्त ओझा, माननीय शिवानन्द नौटियाल ने जिला नैनीताल के हल्द्वानी नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइन बिछाने में असावधानी के बारे में यह प्रश्न किया है। यह प्रश्न कर सकते हैं । नियम ५१ के अन्दर नहीं स्वीकार योग्य है ।

माननीय अमरनाथ दुबे, माननीय सुरेन्द्र विक्रम---ग्राम कृष्णापुर कलां डिघिया थाना बड़ा गांव जिला वाराणसी के बोधे पुत्र गोकुल के घर में डकैती । यह भी एक घटना से सम्बन्धित है । इसके बारे में अल्पसूचित प्रश्न हो सकता है ।

माननीय डूंगर सिंह बिष्ट ने नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जिलों के फल की बिक्री न होने के कारण फल उत्पादकों को आर्थिक हानि के सम्बन्ध में पूछा है । यह भी लोकमहत्व की दृष्टि से उतना आवश्यक नहीं है । इस पर अल्पसूचित प्रश्न माननीय सदस्य कर लें ।

माननीय कल्पनाथ सिंह, माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय बंशीधर पांन्डेय--- अरांव जगदीश एवं शिवपुर जिला गोरखपुर के खेत मजदूरों एवं बड़े किसानों में मजदूरी के प्रश्न पर मतभेद । यह भी वक्तव्य के लिये जो हरिजनों का प्रश्न है उसके साथ जोड़ दिया गया है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

उपाध्यक्ष जी, एक विधान सभा के माननीय सदस्य, विधिवत् म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन निर्वाचित हो गये हैं । उनको पहली तारीख को शपथ दिलानी थी । इस सरकार ने पहली तारीख को वायरलेस से शपथ दिलाना रोक दिया । यह बड़ी अजीब बात है कि उसको रोक दिया जाय । यह तानाशाही है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर एक थानेदार के बारे में हो तो अस्वीकार होगा ही ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

उपाध्यक्ष जी, यह तो माननीय मंसाराम के बारे में बता रहा हूं । वह शिकोहाबाद में म्युनिसिपैलिटी के विधिवत् निर्वाचित अध्यक्ष हैं । पहली तारीख को वह शपथ लेने वाले थे । १ बजे का टाइम था लेकिन मंशाराम जी को रोक दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

तारांकित प्रश्न कर लीजिए ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

थाने के आदमियों ने लूट लिया, आग लगा दी, क्या सारे प्रदेश में लूट खसोट हो जाय तब आप वक्तव्य दिलवायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

ऐसी बात नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। हमारा विधान सभा के सदस्य तथा हमारे दल के सदस्य श्री मंशा राम जी मैनपुरी नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गये। बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ हालांकि देर से हुआ लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ वैसे ही आदेश चले गये कि चार्ज उनको न दिया जाय पुराने मुकदमे को लेकर। यह विधान सभा जनतंत्र की संरक्षक है लेकिन यहां बैठ कर अगर तानाशाही की जाय और चुने हुए अध्यक्ष को चार्ज न लेने दिये जायं पोलिटिकल कारण से तो आप बतलाइये क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है ? विधान सभा का सत्र चले तो इससे ज्यादा गम्भीर प्रश्न दूसरा नहीं हो सकता। इस पर वक्तव्य जरूर दिलवाया जाय ताकि आगे इस तरह की गलत कार्यवाही न हो सके।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

उपाध्यक्ष महोदय, उन पर ४०९ का केस चल रहा है। इसलिये जो भी कार्यवाही की गयी है वह नियमानुसार और विधिवत् की गयी है। इस प्रश्न की ग्राह्यता का कोई औचित्य नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय---

यह गलत सूचना है। ४०९ का केस उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। नामिनेशन के दिन यह देखा जाता है कि एक आदमी डिस्क्वालिफाइड है या नहीं। वह क्वालिफाइड थे और आब्जेक्शन उन पर डिसएप्रूव कर दिया गया था। वह बेयरर म्यूनिसिपल बोर्ड के चुन लिये गये थे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब केस चल रहा है यह कि नियम के अन्दर बात आ गयी ? कोई मिनिस्टर चुन लिया जाय और रिटर्निंग आफिसर एम० एल० ए० घोषित कर दे तो ४०९ क्या उन पर बाधक होगा ? उनके विभाग ने गलत सूचना दी है। माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छी बात है वक्तव्य के लिये इसे कर दिया गया।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

वार्ष्णेय डिग्री कालेज के छात्र अनशन कर रहे हैं, उनको आज भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अलीगढ़ की घटना पर जो वक्तव्य होने वाला है उसका इससे कुछ संबंध नहीं है क्योंकि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। लिहाजा इस पर किसी दूसरे दिन वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अगर संतुष्ट न होंगे सवालों के करने के बाद तो आगे देखा जायगा।

श्री कल्याण सिंह--

ठीक है। दूसरे किसी दिन इसको ले लीजियेगा।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)--

बदायूं जिले में १ हफ्ते में १० मर्डर हो गये। उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर, एक हफ्ते मे १० कत्ल हुये हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात एक हफ्ते पहले की है। इसको देख लिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर एक औपचारिक सूचना नहीं दे रहा हूं बल्कि एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि हमारे जो बिजली कर्मचारी हैं उन्होंने एक नोटिस दे रखा है कि वे ९ तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं .....

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो हो गया है। इस पर चर्चा हो चुकी है....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, ९ तारीख के लिये अब कितने दिन बाकी रह गये हैं। अगर यह सरकार हैंड टु माउथ रह गई है तब तो हमको कुछ भी नहीं कहना है किन्तु इस सम्बन्ध में सरकार ने आज कोई निर्णय लिया होगा उसको सदन में बता दें, यदि नहीं लिया है तो भी कुछ बता दें...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह एक चर्चा का विषय रहा है। अगर फिर आप लिख कर देंगे तो उसे देख लिया जायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, आपकी इस पर जरा सी दया हो जाय....

श्री उपाध्यक्ष--

वह दया भी नियमानुसार ही तो होगी।

एक सदस्य--

यह तय हुआ था कि जब कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके बाद मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो हो चुकी...

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, अगर सरकार वक्तव्य देना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वह दे सकती है....

श्री उपाध्यक्ष--

अगर अब आप लिख कर देंगे तो देखा जायेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

शुक्रवार को सदन में बाढ़ पर एक बुलेटिन प्रसारित की गई थी और चर्चा हो गई थी और उसमें यह कहा गया था कि उस पर सोमवार को २ घंटे की चर्चा होगी किन्तु सोमवार गुजर गया, वह चर्चा नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष---

उसके लिये कल का समय दिया गया है ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय जायसवाल जी ने आपके सामने यह बात रखी है और आपको भी स्मरण होगा कि कल जब जवाब और सवालात हो रहे थे बिजली मजदूरों के सम्बन्ध में तो उसमें कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं हो पाया था और यह कहा गया था कि मंत्रि-परिषद् की बैठक ३ तारीख को होगी और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जायेगा। तो आज वह मीटिंग मंत्रि परिषद् की हो गई और ५ बजे हम इस पर आपसे पूछ रहे हैं कि मंत्रि-परिषद् ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है, वह आप हमको बता दें। ९ तारीख को बिजली मजदूर हड़ताल कर रहे हैं और सारे प्रदेश में अंधेरा हो जायेगा और मान्यवर, यहां पर भी अंधेरा हो जायेगा तो मैं जरूर चाहूंगा कि इस मसले पर आप कोई न कोई बात बतला दें और हमें आश्वस्त कर दें कि क्या निर्णय लिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको बता दूं कि २ तारीख को केन्द्रीय विद्युत वेतन मंडल की संस्तुतियां सरकार द्वारा लागू न किये जाने के संबंध में श्री सुखपाल पांडेय, श्री रामकरन सिंह, श्री कृष्णानन्द राय, श्री बंशीधर पांडेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रामबिलास पांडेय, श्री रामप्यारे तथा श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा दी गई सूचनाओं पर नियम ५१ के अन्तर्गत विद्युत मंत्री श्री गोस्वामी राधाकृष्ण का वक्तव्य हो गया है। अगर आज कोई फैसला हुआ होगा तो आपको बता दिया जायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, वक्तव्य तो था किन्तु उसमें यह आश्वासन दिया गया था कि ३ तारीख को मंत्रि-परिषद् की मीटिंग है और उसमें कुछ निर्णय लिया जायेगा. . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आज ही तो ३ तारीख है। कल आपको कहना चाहिए था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।

माननीय शिक्षा मंत्री. . .

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी उठ रहे थे, केवल आपके इशारे की जरूरत है. . . .

श्री उपाध्यक्ष---

कल हो जायगा।

प्रदेश में ५० हजार से अधिक विद्यार्थियों के शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश न पा सकने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)---

हर वर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाने के कारण शिक्षा संस्थाओं में छात्रों की प्रवेश समस्या उत्पन्न हो गई है। यह समस्या मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में होती है। इसके अन्य कारणों के अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि विद्यार्थी किसी विशेष विद्यालय में प्रवेश चाहते हैं और वह विशेष विद्यालय उतनी संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश देने में असमर्थ होते हैं।

[डाक्टर रामजीलाल सहायक]

२--शासन इस समस्या से अवगत है और इसके लिये प्रत्येक वर्ष नये हाई स्कूल, नये इन्टरमीडिएट कालेज तथा नये डिग्री कालेज खोले जाते हैं। विद्यालयों को अतिरिक्त विषयों में भी मान्यता प्रदान की जाती है और विद्यालयों का उच्चीकरण भी किया जाता है।

३--इस वर्ष ८ नये डिग्री कालेजों के खोलने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और कई डिग्री कालेजों के विषय में शासन के विचाराधीन हैं। छः डिग्री कालेजों को स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ करने की अनुमति दी जा चुकी है और कई डिग्री कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ करने के विषय शासन के विचाराधीन है।

४--हाई स्कूल से इन्टरमीडिएट तक के ३७० तथा जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल तक उच्चीकरण हेतु ५३० प्रार्थना-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् में प्राप्त हुये हैं तथा १,०७५ प्रार्थना-पत्र विद्यालयों में अतिरिक्त विषयों की मान्यता प्रदान करने के प्राप्त हुये हैं। इन प्रार्थना-पत्रों पर अनुमोदन हेतु शासन द्वारा विचार किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही जिन विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती है उनके मान्यता-पत्र निर्गत हो जायेंगे।

५--इस प्रकार नये स्नातकोत्तर विद्यालय तथा स्नातक विद्यालय तथा इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल विद्यालयों को खोलने से छात्रों की प्रवेश की समस्या हल होने की आशा है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसको देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मंत्री जी जो विद्यार्थी प्रवेश नहीं पा रहे हैं प्रदेश में उनकी स्थिति गम्भीर नहीं समझ रहे हैं। एक तरफ हमने स्पष्ट आरोप लगाया कि इस समय ५० हजार विद्यार्थी सारे जनपदों में भटक रहे हैं जिनको प्रवेश नहीं मिल पा रहा है और इन्होंने यह सूचना दी है कि विद्यालयों के १,०७५ प्रार्थना-पत्र अतिरिक्त विषयों को मान्यता प्रदान करने के लिए उनके यहां प्राप्त हैं, इन पर ये केवल विचार कर रहे हैं। श्रीमन्, इन्होंने यह भी बताया है कि बहुत से डिग्री कालेजेज में पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की मांग हुई है, उन पर भी विचार कर रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चूंकि यह प्रवेश वाला प्रश्न गम्भीर स्थिति धारण कर चुका है, क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जिस भी विद्यालय से, चाहे विशेष विषयों की मान्यता की एप्लीकेशंस हों या इंटर कालेजेज की मान्यता के लिए दरख्वास्त आयी हों उनको इमरजेंसी रूप में इस मामले में फैसला दकर सारी मान्यताओं को दे देंगे जिससे प्रदेश में विद्यार्थियों के प्रवेश के मसले का समाधान हो सके?

डक्टर रामजीलाल सहायक--

मान्यता देने का काम मान्यता समिति करती है। बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट के कानून के मुताबिक मान्यता समिति का गठन हुआ है और उन्होंने लगभग जितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर अब तक विचार कर लिया है। शासन वित्तीय साधनों को देखते हुए, उसकी छानबीन कर रहा है। अब तक मेरी सूचना है कि ८० मसले स्वीकृत हो चुके हैं और उनकी स्वीकृति की सूचनाएं भेजी जा रही हैं। मेरा विश्वास है कि इस सप्ताह के अन्त तक हम इन पूरी मान्यताओं को जो भी स्वीकार की गयी हैं मान्यता समिति के द्वारा उनको मानने में समर्थ हो जायंगे।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इंटरमीडियेट अध्यादेश जिसमें वेतन वितरण की बात कही गई है उसकी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है इसलिये यह देखते हुये कि यदि मान्यता दी जायगी तो और जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जायेगी इसलिये सरकार ने मान्यता प्रदान न करने का निर्णय लिया है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, मान्यता न देने का निर्णय नहीं हो सकता है लेकिन इसकी जो शर्तें हैं उनको देखकर मान्यता दी जाती है। अगर कोई स्कूल उनको पूरा नहीं करता है तो उसको मान्यता नहीं दी जायेगी।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मंत्री जी का वक्तव्य जनरल होगा। मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वार्ष्णेय कालेज अलीगढ़ में बहुत से विद्यार्थी एम० ए०, एल० एल० बी० वगैरा में एडमीशन के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं लेकिन उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में असन्तोष है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, इसकी सूचना शासन के पास नहीं है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह लिख कर दे दें। मैं उसकी जांच कराऊंगा और जो हम कर सकेंगे, करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

इसको नोट करते हुये कि यह भविष्य से संबंध रखता है क्या मंत्री जी को पता है कि सचमुच कितने लड़के प्रवेश चाहते हैं और क्या वे नये से क्लास्स और स्कूल खोल रहे हैं या नहीं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, जिन संस्थाओं के पास से मांग होती है कि हमें अनुमति दी जाय उस पर विचार करके हम कार्यवाही करते हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन शिक्षा संस्थाओं के पास क्वालीफाइड प्रोफेसर्स हैं, लड़के पढ़ने के लिये, क्लासेज भी हैं और रुपया भी जमा है तथा यूनिवर्सिटी ने भी रिकमंडेशन कर दी है लेकिन फिर भी शासन मान्यता देने में हिचकिचाता है और कई कालेजों को नहीं दी है ? संभल में डिग्री कालेज खुला है उसको मान्यता नहीं दी जा रही है इसी तरह से मुरादाबाद में हिन्दू कालिज है जिसके पास रुपया भी है, यूनिवर्सिटी ने रिकमंडेशन भी कर दी है, स्थान मौजूद है और प्रोफेसर भी मौजूद हैं। लेकिन सरकार को आनन्द आता है मान्यता न देने में और लड़के मारे मारे फिरते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका उत्तर वे दे चुके हैं। फिर से दोहरा दें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने यहां के दो डिग्री कालेजेज की बात कही। लेकिन केवल रुपया और विद्यार्थियों की संख्या से काम नहीं चलता है। कई ऐसे नियम हैं जिनको नजर में रखकर मान्यता देनी होती है। सम्भव है कि कुछ शर्तें इनमें पूरी न की गई हों। वे कृपा करके मुझ से मिल लें या लिख कर दें दें तो मैं बता सकूंगा।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगस्त का पहला सप्ताह हो गया है और ऐडमिशन्स जुलाई में शुरू होते हैं तो मान्यता समिति ने निर्णय क्यों नहीं लिया। दूसरा प्रश्न बदायूं के नेहरू मेमोरियल डिग्री कालेज में बहुत से विद्यार्थी बी० एड० के ऐडमीशन के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं। फिर क्यों नहीं सारी बातों के पूरी होने पर भी उसको मान्यता दी गई ?

श्री उपाध्यक्ष---

बदायूं के बारे में तो वही जवाब है ।

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, मुझे खेद है कि जो मान्यता समिति कार्य करती थी वह ४ महीने का समय लगाती थी लेकिन अन्य समिति बनानी पड़ी उसके द्वारा कार्य कराया जा रहा है । इसमें शासन का निर्णय हो गया कि यह भी इस मसले को देखे । इसलिये देर हो रही है । लेकिन मेरा विश्वास है कि इस सप्ताह के अन्त तक यह कार्यवाही समाप्त हो जायगी ।

श्री महीलाल---

हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड की मान्यता समिति के अधिकांश सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया है और अब केवल शिक्षा निदेशक को ही वह शक्ति है प्राप्त है कि वह इन्टरमीडिएट कालेजों और हायर सेकेंडरी कालेजों को मान्यता दे । उनको मान्यता देने के लिये शिक्षा सचिव श्री पंत के बारे में यह शिकायत है कि वह शिक्षा विभाग के उप सचिव नहीं है किन्तु आपत्ति सचिव है जो कालेजों के मार्ग में अनेक रुकावट डाल रहे हैं । माननीय मंत्री जी के पास समय नहीं है । पूरी शर्तें हैं और यूनिवर्सिटी ने भी रिकमेन्ड कर दिया है लेकिन उप सचिव महोदय की विरुद्ध टिप्पणी आती है और माननीय मंत्री जी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं । क्या माननीय मंत्री जी समय निकाल कर इस प्रश्न को खास तौर से देखेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

यह तो प्रश्न नहीं हुआ बड़ा भारी वक्तव्य हो गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको अकेले निदेशक नहीं कर रहा है और वह कर भी नहीं सकता । उसने तीन सदस्यों की एक कमेटी बना दी है जिसको यह अधिकार दे दिया है । वह नियमों के अनुसार कार्य कर रही है और काफी मसलों को सुलझा भी चुकी है । हो सकता है इस सप्ताह के अन्त तक इस प्रकार की चीजों को सुलझा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय जायसवाल जी ने सेक्शन बढ़ाने की बहुत बड़ी बात कही है, मंत्री जी उस पर विचार कर लें ।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)---

किसी-किसी सदस्य को आप दो दो बार अवसर दे रहे हैं और हमें एक बार भी नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

सवाल तो इस समय यही है कि ५० हजार विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल रहा है । उसके बारे में माननीय जायसवाल जी ने जो प्रश्न पूछा सेक्शन बढ़ाने के लिये और दूसरा विद्यालयों को मान्यता देने के बारे में दो प्रश्न महत्वपूर्ण हुए हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इसी लखनऊ में कई डिग्री कालेजों ने आन्दोलन किया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने के लिये इजाजत नहीं देती है और बहुत से विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के दाखिले में बहुत परेशानी हो रही है । क्या मंत्री जी लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन करके जो डिग्री कालेज यहां बहुत अच्छे हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की इजाजत दे देंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि डिग्री कालेजेज या संस्थाएं जब हमारे यहां मान्यता के लिए आवेदन करती हैं तो नियमों को देखते हुए उनको मान्यता दी जाती है। अगर इस प्रकार की चीज हमारे सामने आयी तो उसको देखेंगे।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की चेष्टा करेंगे कि प्रदेश के कितने डिग्री कालेजों ने बी० एड० की कक्षाओं को खोलने के लिये अनुमति मांगी है, उनमें से कितनों को दी गयी और कितनों को नहीं दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता हो। इसके लिये तो पूरा ब्योरा चाहिये।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

इस वक्तव्य में जो ५० हजार विद्यार्थी पास हो गये हैं उनके प्रवेश की समस्या है और जो ५० हजार फेल हो गये है, उनकी भी समस्या है। मैं प्रश्न करता हूं कि जो हाई स्कूल से लेकर इन्टरमीडिएट तक के ३५० और जूनियर हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक के ५३० स्कूलों को खोलने के लिये जो १,०७५ प्रार्थना-पत्र आये हैं, समस्या की गंभीरता को देखते हुए, क्या माननीय मंत्री जी इसका एक हफ्ते में निर्णय ले लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

एक हफ्ते में हो जायगा, यह जवाब दिया जा चुका है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

जुलाई बीत गया, अगस्त शुरू हो गया। हजारों लड़के मारे-मारे फिर रहे हैं। इस बात को देखते हुए यह आवश्यक है कि १५ अगस्त से पहले माननीय मंत्री जी निर्णय ले लें ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तो समझा नहीं, माननीय मंत्री जी समझे हों, तो उत्तर दे दें।

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मैं भी नहीं समझा।

श्री उमानाथ सिंह--

पूर्वांचल में डिग्री कालेजेज की संख्या कम है। जौनपुर महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र मंत्री जी के पास पड़ा हुआ है। उस पर कब तक विचार कर के निर्णय लेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

किसी एक डिग्री कालेज का नाम माननीय सदस्य ने ले लिया। वे जानना चाहते हैं तो उनकी सूचना के लिये बता दूं कि वह काम हो चुका है।

छितौनी तथा बलिया-बेरिया बांध टूटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष--

अब साढ़े ५ बजे हैं। साढ़े ६ बजे तक छितौनी व बेरिया बांध के टूटन के सम्बन्ध में चर्चा चलेगी। माननीय सुरेन्द्र विक्रम।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि इस विषय पर ज्यादा लोग बोलने के इच्छुक हैं आप कोई समय निर्धारित कर दें। कल १५-१५, १७-१७ मिनट एक-एक आदमी को दे दिया जिससे और लोग हल्ला मचाने लगे।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, कल बाढ़ पर बहस होने वाली है जिसमें सारे प्रदेश की बात आयेगी। आज आपने छितौनी और बेरिया बांध के लिये समय दिया है। तो बलिया और देवरिया के लोगों पर कृपा कीजिये। मैं चाहता हूं कि जो मौके पर जा चुका है वह सुझाव दे तो ठीक है वरना खाली विवाद करने से तो कुछ होता नहीं है। कृपा कर आप हम लोगों पर दया करिये ? नारायणी तो सत्यानाश कर ही रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप चाहते हैं कि नोटिस देने वाले माननीय सदस्यों को समय न दिया जाय, केवल देवरिया के लोगों को ही समय दिया जाय। ऐसा कोई सख्त नियम नहीं होगा कि सिर्फ देवरिया के लोगों को ही समय दिया जाय। (कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो कर बोलने पर।) जितना समय आप इसमें, ले रहे हैं उसमें तो एक को बोलने का मौका मिल जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, कल से बेरिया बांध और छितौनी बांध...

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने छितौनी बांध के सिलसिले में जो सूचना दी है वह ३१ जुलाई तक की हालत की है। तब से आज तक ३-४ रोज और हो गये। पता नहीं इस बीच में कितना बांध कटा और कितना टूटा। इसलिये आज तक की लेटेस्ट पोजीशन हम जानना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

वह जवाब में बता दिया जायगा।

श्री रूपनाथसिंह यादव--

पहले जान लें।

---

†२ अगस्त, १९७१ को कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष---

जब मंत्री जी जवाब देंगे तो अद्यावधि स्थिति बतायेंगे ।

श्री रूपनाथसिंह यादव---

३ अगस्त तक के बारे में छितौनी बांध की क्या स्थिति है उसके बारे में वह बतला दें?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक की जो स्थिति है वह मेरे पास आई है । वह मैं पढ़कर सुना देता हूं । वह इस प्रकार है कि:---

"Ballia Baria bund quite intact and safe in its entire reach all spurs functioning well."

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस सदन की भाषा हिन्दी है । वह अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उदितनारायण शर्मा---

मैं हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा । मैं यह सोच रहा था कि इसको पढ़ दूं तो बाद में अनुवाद कर दूं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मेरा यह सवाल है कि जिले से अधिकारी जो इस सदन में सूचना देते हैं वह अंग्रेजी में होती है और मन्त्री जी उसी को पढ़कर सुना देते हैं । इस पर सदन का कई बार निर्णय हो चुका है । जिले के अधिकारियों को सख्ती के साथ यह आदेश जारी किये जायं कि जो वह सूचना दें इस सदन में सुनाने के लिये हो वह अवश्य हिन्दी में होनी चाहिये । वह व्यवस्था कई बार हो चुकी है ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था उठाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं । उनका आदेश हो चुका है कि.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बठ जांय ? राजस्व मंत्री जी आज तक की बांध स्थिति को बता रहे हैं । अब उसमें अंग्रेजी का प्रश्न आ गया तो वह उसकी हिन्दी कर देंगे ।

श्री रामकरन सिंह---

जब यह आदेश है कि सरकार की तरफ से कोई भी जवाब या विवरण अंग्रेजी में नहीं होगा....

श्री उपाध्यक्ष---

वह हिन्दी कर देंगे । आप सुन तो लें । इस तरह से बहस करने से दो घन्टे का समय चला जायगा । यह मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मुख्य मंत्री जी यह घोषणा कर चुके हैं कि राज्य की भाषा हिन्दी होगी और यह भी कहा है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसको अनुशासनहीनता समझा जायगा । यह सदन के सामने उन्होंने उदाहरण पेश कर दिया है ।

श्री रामकरन सिंह--

जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी का आदेश है उसके विपरीत यहां पर कोई दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

उनकी बात को आप सुन लें तो वह हिन्दी में स्वयं बतला देंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

यह बात मुख्य मंत्री जी की जानकारी में आ गई है कि यहां पर अंग्रेजी में राजस्व मंत्री जी ने पढ़ना आरम्भ किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रदेश का कोई अधिकारी यदि अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहता है तो मैं उसका संरक्षक नहीं हूं । मैं चाहता हूं कि सब काम यहां पर हिन्दी में हो । प्रशासन से जो सूचना आई उसको वह सुना रहे थे ।

श्री उदितनारायण शर्मा--

मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी की यह इच्छा नहीं है और न कोई यहां पर अंग्रेजी का संरक्षण चाहता है । मैंने यह चाहा था कि जो वहां से ओरिजिनल आया है उसको पढ़ दूं । वह वायरलेस अंग्रेजी में है । मैं उसका उल्था करना ही चाहता था कि इन्होंने यह सवाल उठा दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी किताब से या किसी प्रमाणित पुस्तक से कोई उद्धरण दिया गया हो तो दीगर बात है ।

श्री उदितनारायण शर्मा--

मान्यवर, यह वायरलेस अभी आया है और मैं इस को वैसे ही लेकर यहां चला आया हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन सदन में इस तरह से इसे अंग्रेजी में नहीं पढ़ा जाना चाहिये, उसका अनुवाद आपको रखना चाहिये ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

रिपोर्ट यह आई है कि बलिया-बेरिया बांध अपनी पूरी लम्बाई में सुरक्षित है और उसकी जितनी ठोकर है वह सब स्पर जो हैं अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और जो नदी के बीच की धारा है जो मेन करेंट है वह उस बांध से अभी भी ६०० फुट दूर है, यहां का जो जलस्तर है वह १९१.८ फुट है जबकि वहां का हाई फ्लड लेविल १९२ फुट है । करीब २०० फुट की जगह पर जो बिरला बांध है वह टूट गया है ।

एक सदस्य--

छितौनी बांध का क्या हाल है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

छितौनी बांध के बारे में कोई नई सूचना नहीं आई है ।

सिंचाई मंत्री (श्री राम लखन)---

जो सूचना जिलाधीश से प्राप्त हुई है वह दी गई है अगर छितौंनी बांध के संबंध में इस समय की सूचना है कि छितौनी बांध सेफ है और नदी की धारा तेज चल रही है और अभी तक स्पर सुरक्षित हैं ।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम---

उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि कल से बेरिया और छितौनी बांध के विषय में चर्चा चल रही है और जो जानकारी हमारे माननीय सदस्यों को थी उस को उन्होंने सदन के सम्मुख रख दिया और जो स्थिति थी उस पर माननीय सिंचाई मंत्री जी तथा माननीय राजस्व मंत्री जी ने भी प्रकाश डाला । मैं इस पर सदन का ज्यादा समय न लूंगा, मैं आप से केवल इतना कहूंगा कि इस वष भी छितौनी बांध पर बाढ़ से खतरा है और जब से यह बांध बना है तब से विधान सभा में हर साल इस विषय पर चर्चा होती है और इस खतरे से बचने के लिये लाखों रुपया सरकार का मरम्मत पर खर्च होता है ।

यह बांध इस वास्ते बना था कि बलिया और उसके आस पास के क्षेत्र को लाभ पहुंचे और वह वहां के लोगों के लिये एक वरदान सिद्ध होता लेकिन बजाय सिंचाई के साधन बनने के वह एक अभिशाप बन गया है । ऐसा बड़ा सैलाब कभी दस बीस साल में आ जाय तो बात अलग थी लेकिन सरकार का इस पर लाखों रुपया हर साल व्यय होता है । जिस दिन से यह बना है अगर आप हर साल के खर्च के व्यौरे को और इस्टीमेट्स को देखें तो लाखों रुपया व्यय हो चुका है । इस से लाखों मनुष्य हर साल प्रभावित होते हैं, हजारों पशु मर जाते हैं, भुखमरी फैलती है, फसलें मारी जाती हैं, महामारियों का प्रकोप होता है और लोग मरते हैं । क्या इसलिये यह बांध बनाया गया है कि यह सारे संकट वहां के लोगों पर आ जायं ? जिन लोगों ने इस बांध का ले आउट किया उन इंजीनियर्स की यह प्रथम जिम्मेदारी थी कि वह इन सारी घटनाओं और परि-स्थितियों को ध्यान में लेकर ले-आउट तैयार करते और बांध को मजबूती देते ।

विधान सभा में किसी इंजीनियर के बारे में ज्यादा कहना तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता कि वह बेईमान हैं या भ्रष्ट हैं, वह भी हमारे ही भाई बन्द हैं और उन में से बहुत से ईमानदार हैं और मेहनत से काम करते हैं लेकिन कुछ अधिकारीभ्रष्ट जरूर हैं और उन्होंने इस बांध को अपनी आय का एक जरिया बना रखा है और ठेकेदारों से मिलकर जिस तरह की मरम्मत होना चाहिये वह नहीं कराते जिस से कि बांध सुरक्षित रहता । और प्रतिवर्ष ठेकेदार जो हैं उनका भला जरूर हो गया । ठेकेदारों की और अफसरों की गाड़ियां आ गईं, उनके बच्चे कान्वेन्ट में पढ़ने चले गये ।

होना यह चाहिए था कि जितना कंक्रीट, लोहा, सीमेन्ट वगैरह बनता था जितना उनका एस्टीमेट बनता था वह बांध पर नहीं लगाया । होता क्या है जब बाढ़ आ गई तब चिल्ला रहे हैं, तब परेशानी पैदा हो जाती है । हम लोगों के लिये संकट का विषय बन गया है और आने वाले वर्षों में भी यह संकट आ सकता है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि भारतवर्ष के एक्सपर्ट इंजीनियर्स की और आवश्यकता पड़े तो विदेश से भी इन्जीनियर्स मंगायें और ले-आउट करें जब सैलाब खत्म हो और उसकी मरम्मत हो जिससे यह आपत्ति, जो प्रति वर्ष आती है, न आये और जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है वह न हो ।

मुझे याद है, मैं लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ रहा था । एक नहर एटा में बनी । उसको सन् १९३० में बनाया था । उसका बैड नीचा हो गया । नहर ने पानी नहीं दिया, थोड़ा पानी दिया । माननीय सिंचाई मन्त्री जी अपने चीफ इन्जीनियर महोदय के द्वारा पता लगायें कि उस अंग्रेज इन्जीनियर ने अपनी गलती के लिये अपने आपको शूट कर लिया । हमारे इन्जीनियर जो भारत के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

नागरिक हैं उनको इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये। इसी तरह से आप देखें कि जापान में हाल ही में प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश होने पर वहां के मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि श्री वेद प्रकाश जी मूसा खंड बांध पर एस० डी० ओ० थे। उनको छितौनी बांध पर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर बनाया गया था। उनके खिलाफ मेरे साथियों ने भी बताया कि बहुत सी शिकायतें हैं। उनका भ्रष्टाचार चल रहा है। ज्यादा अगर चलता रहेगा तो देखेंगे, उसके बारे में कहना नहीं है। लेकिन इस विषय में मैं जरूर कहूंगा कि इसके लिये एक्सपर्ट इन्जीनियर्स की एक कमेटी बनाई जाय जो सैलाब खत्म होने पर इस बात का अध्ययन करे कि क्या वजह है कि इसमें प्रति वर्ष डिसास्टर हो जाता है और उससे लाखों आदमी प्रभावित होते हैं। इतना कह कर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा--एक बात और कहना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त ।

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के विषय में बोलने का हमें मौका दिया है। सबसे पहले मैं बलिया जनपद की प्राकृतिक स्थिति की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारा बलिया जनपद हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर दो नदियों के बीच में बसा हुआ है--गंगा और घाघरा। इसकी हालत ऐसीहै कि प्रतिवर्ष यह जनपद गंगा और घाघरा के कटान से पीड़ित रहता है। प्रतिवर्ष हजारों एकड़ जमीन गंगा आर घाघरा में विलीन हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि एक तरफ से एक तो छोटा है दूसरी तरफ जनसंख्या का बाहुल्य है। यह देखते-देखते यह देखा जाता है कि प्रतिवर्ष हमारा जनपद छोटा हो जाता है और आबादी बढ़ती जाती है। फिर भी हम यह देखते हैं कि हमारे जनपद को इन दोनों नदियों की कटान से बचाने के लिये कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं।

मैं पहले अपने क्षेत्र की तरफ --घाघरा क्षेत्र की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। घाघरा नदी हमारी जनपद के सिरमऊ--तुर्तीपुर बांध तक बनी हुई है। यह बांध घाघरा नदी के चपेट में रहता है। चान्दपुर, कमालपुर के जो गांव हैं इनसे जो बंधा बना हुआ है सिरमऊ-तुर्तीपुर बांध वह दो मील की दूरी पर था। आज सिचाई विभाग की लापरवाही के कारण वह दो मील जमीन कट गयी और श्रीनगर तुर्तीपुर बांध भी कट गया। उस बांध के कट जाने के बाद सिचाई विभाग के द्वारा एक रिटायर बांध बनाया गया लेकिन आज वह भी कटने जा रहा है और नदी वहां से एक फर्लांग की दूरी पर है। अभी-अभी हमारे राजस्व मन्त्री जी हमारे जनपद में गये थे और उन्होंने एक वक्तव्य भी दिया। उन्होंने कहा कि चांदपुर के पास छः सौ एकड़ जमीन नदी के कटान में गयी है और दो सौ मकान गिरे हैं। हालांकि जितने मकान गिरे हैं और जितनी जमीन कटान में गयी है वह ज्यादा है, फिर भी उन्होंने यह कहा कि २४ लाख की जमीन बरबाद हुई है और २ लाख के मकान बरबाद हुए हैं।

श्रीमन्, २४ लाख की जमीन और २ लाख के मकान एक साल में जब बरबाद होते हैं तो नदी की धारा कई वर्षों से जो चल रही है, आप अन्दाज लगाएं कि उस स्थान की क्या स्थिति होगी। सैकड़ों एकड़ जमीन प्रति साल और प्रति दिन नदी में जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से चांदपुर, महाराजपुर, कमालपुर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हमारे राजस्व मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुनर्वास मंत्री भी हैं। वह बलिया जनपद में गए। हम लोग यहां मौजूद थे। हमें सूचना भी नहीं दी। चांदपुर और महाराजपुर के लोग नदी के कटान में आ गए हैं। वहां जाने की कोशिश नहीं की, न उनकी हालत देखने की कोशिश की। माननीय मंत्री जी उन लोगों के रहने की व्यवस्था की ओर ध्यान दें। माननीय मंत्री जी को हम लोगों को सूचना देनी चाहिए थी कि बलिया जा रहे हैं। अगर चले भी गए तो चांददुर में जाना चाहिए था जहां सैकड़ों परिवार बेघरबार हो गए हैं।

जिस तरह से गंगा नदी बलिया बेरिया बांध के किनारों को काट रही है उसी तरह से घाघरा नदी कठूड़ा, कमालपुर, चांदपुर के पास काट रही है। आजकल बलिया बेरिया बांध को बचाने के लिए प्रयत्न हो रहा है लेकिन मैं सिचाई मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कठूड़ा, चांदपुर जो घाघरा से कट रहे हैं उनके लिये क्या करने जा रहे हैं? सिंचाई मंत्री जी मौजूद हैं। घाघरा नदी से पीड़ित गांवों की तरफ ध्यान देने की कृपा करें? घाघरा नदी तुर्तीपुर से लेकर गोपालनगर तक फैली है। सारा इलाका बाढ़ की चपेट में है लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जिस प्रकार बलिया बेरिया बांध को गंगा नदी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं उसी प्रकार से घाघरा से कठूड़ा, चांदपुर, कमालपुर, महाराजपुर को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। नदी और श्रीनगर तुर्तीपुर बांध के बीच जो गांव है उनको ऊंचा किया जाय, श्रीनगर तुर्तीपुर बांध को पक्का किया जाय जैसे कि बलिया–बेरिया बांध को किया गया है।

श्रीमन्, राजस्व मंत्री जी ने सूचना दी है कि बड़ी भयावह स्थिति है। श्रीमन्, मेरी मांग है कि हमारे जनपद को ज्यादा से ज्यादा रुपए की और अन्य सामग्री की भी सहायता दी जाय हमारा जनपद वर्षा से पहले ही प्रभावित हो चुका है। मवेशियों के लिये चारे की समस्या है और मनुष्यों के लिए गल्ले की समस्या है। मैं आप के माध्यम से सिंचाई मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे जनपद का अधिक से अधिक मात्रा में सहायता करने का व्यवस्था करें।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या बलिया बेरिया बांध के संबंध में बात हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष---

यह चर्चा कार्य-सूची १२---छितौनी व बेरिया बांध के टूटने के सम्बन्ध में है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मेरा यह सौभाग्य है कि आज इस विषय पर बोलने का मुझे मौका मिला। हमारे मुख्य मन्त्री जी छितौनी बांध के निर्माता हैं और कृपा करके उन्होंने इस बांध को सन् १९५५ में बनवाया। पहले इस पर १४ लाख रुपया लगा और बाद में ५५ लाख रुपया हो गया। अब १९७१ है और १६ वर्ष का समय हो गया है। ८–९ वर्ष के भीतर तो कोई क्षति नहीं हुयी। २ जुलाई, १९७१ को यह घटना घटी और मलहीया का बांध टूट गया। बांध का कुल एरिया १३ मील का है और अब तो केवल ६–७ मील ही रह गया है, बाकी ज्यादा हिस्सा तो कट चुका है। जब एक-एक मील, दो-दो मील कटता गया तब उस वक्त किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ा बहुत हल्ला होता था और फिर शान्त हो जाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि कटान बढ़ता ही चला गया। पहले रेलवे लाइन ४–५ मील दूर स्थित थी खड्डा से अब तो पानी बांध से सटा हुआ बह रहा है।

केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री श्री के० एल० राव साहब बांध के निरीक्षण के लिए गये थे। हमारे सिंचाई मन्त्री श्री राम लखन जी, मुझे माफ करेंगे, भी मलहीया गये थे, मगर चाय पानी करके लौट आये। मैं भी उपस्थित था जब राव साहब नाव पर बैठ कर सुबह से ले कर

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी]

बिना खाये-पिये शाम तक बांध की स्थिति को देखते रहे। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मान्यवर, उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश शासन ने ढिलाई की है जिसकी वजह से मलहीया बांध टूटा और इस सम्बन्ध में काफी सतर्कता नहीं बरती गयी है। छितौनी को देखने के लिए चीफ इंजीनियर गण्डक, गोरखपुर में रहते थे, परन्तु अब उन्होंने अपना हेड क्वार्टर लखनऊ कर लिया है। घटना के दिन घटना स्थल पर २ जुलाई, १९७१ को एक भी अधिकारी उपस्थित नहीं था।

मेरा अनुरोध माननीय सिंचाई मन्त्री जी से यह है कि वे सदन को आश्वासन दें कि इस संबंध में वे एक जांच समिति गठित करने जा रहे हैं। आप जांच के लिए उन्हीं इंजीनियरों की कमेटी न बनावें जिनकी बांध के सम्बन्ध में जिम्मेदारी थी और जिनका बांध की रक्षा करने का दायित्व था। वीरभार के संदर्भ में कहा गया कि अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि उसका क्या होगा। १३ मील के बांध में गोरखपुर के नौ गांव उत्तरी भाग में थे और १८-२० गांव देवरिया के थे। इस बांध के बनने के पश्चात् करीब ५० वर्ग मील जमीन बची थी जिसमें खेती हो सकती थी।

श्री रामधारी शास्त्री ने अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहा कि बांध न बनाया जाये। मैं यह निवेदन करता हूं कि गंडक नहर वहां पर है। वह उसी से लगी हुयी है। यदि छितौनी की रक्षा न हुई तो गण्डक केनाल का पानी देवरिया शहर में भर जायेगा और रेलवे लाइन भी कट जायेगी। अलावा देवरिया शहर के जलमग्न हो जाने के गांव-गांव में पानी पहुंच जायेगा। उसके छोटे-छोटे कई बन्धे हैं। बड़ी नहर जो है वह ऐसी है कि गन्डक के चौथियाई पानी को ले लेती है और उसका प्रयोग पानी को डाइवर्ट करने के लिये भी होता है। इसका सुचारु इन्तजाम न होन से गन्डक सिंचाई की योजना खटाई में पड़ जायेगी। इसको खटाई में डालने के लिये छितौनी न छोड़ दें। यह उचित नहीं होगा कि इसको छोड़ दिया जाय और न इस प्रकार का कोई सुझाव देना ही उपयुक्त है। उसका एक हिस्सा टूट गया है और गेंदा सिंह जी के एरिया में भी पानी भर गया है। पूर्व से और उत्तर से पानी आ रहा है और जो हिस्सा बचा है वह कटने जा रहा है। जब गन्डक का पानी बढ़ेगा तो आधा जिला जो बचा है और जहां पर गंडक नहर योजना है वहां पर भी पानी आ जायेगा और इस प्रकार से सारे जिले में इसका प्रभाव हो जायेगा। यहां पर मुख्य मन्त्री जी भी विराजमान हैं और मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सारी योजना का सर्वे करवा लिया जाय। इसमें केन्द्रीय सरकार, बिहार सरकार से भी इस विषय में बातचीत करें। वहां के भी कर्मचारी हमारे हैं और यह हम सभी का काम है। बात यह है कि जो सिंचाई विभाग के कर्माचरी हैं वे पोलिटिकल लीडर्स से ताल्लुक बैठा लेते हैं। दो चार एम० एल० एज० को मिला लिया और मनमानी करने लगे। मैं तो यह कहूंगा कि सारी योजना को मलिट्री इन्जीनियर्स और केन्द्रीय सरकार करे और उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी देखभाल करे तब हम इस पर काबू पा सकते हैं। पूरी एरिया का सर्वे कर के इसको बनाया जाय। इसमें जितना भी समय लगे परन्तु अब तो जो काम हो वह ठीक हो। जब पानी बढ़ेगा तो उसका पानी गोरखपुर में भी आयेगा। नरायणी कैनाल में नैपाल से पानी आ जायगा अगर वह टूटता है। मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर स्वयं विचार करें और देखें। मुझे पूरी आशा है कि वह इसके लिये विशेषरूप से कोई स्पेशल योजना बनवायेंगे ताकि यह संकट सदैव के लिये दूर हो सके।

श्री मंगल उपाध्याय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, छितौनी बांध से जिन लोगों को क्षति पहुंची है मैं भी उससे पीड़ित हूं। मेरा भी १० एकड़ खेत जब बांध बना उनके बाद उसमें गर्क हो गया। आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं संयोग से, यहां पर मुख्य मन्त्री भी हैं और राजस्व तथा सिंचाई मन्त्री

की भी हैं। जो बांध बनाया गया है उससे बजाय लाभ के हानि ही अधिक हुई है। जब बांध बनाया जा रहा था तो नदी और बांध के बीच में १६ गांव मौजूद थे जिनकी जन संख्या ६,००० थी और ७ हजार एकड़ ऐसी भूमि थी जिस पर खेती की जा सकती थी। गांववालों ने बांध बनाने पर आपत्ति भी की क्योंकि वह बालू का बांध था जिसको पानी बहुत आसानी से तोड़ सकता था।

छितौनी बांध सुरक्षित है, यह सूचना गलत है। छितौनी बांध १४ मील का है जिसमें से ४ मील तो पहले ही टूट चुका है। वहां जो रेलवे लाइन है वह एक तरह से बांध का ही काम करती थी। उस पर कोई पुल निर्मित नहीं था। सिंचाई विभाग ने अपने कुछ स्पर रेलवे लाइन पर बांधे थे। उनमें से कुछ स्पर काम करते थे और कुछ काम नहीं करते थे। रेलवे लाइन जहां एक हजार फिट से ज्यादा टूटी हुई है वहां ज्यादा मुसीबत है। वहां पर अधिकारियों ने यह लापरवाही और की कि बांध के पास बालू फेंक दिया। खतरा भी है और मैं एक रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं। यह गलती तो की ही कि छितौनी बांध निर्मित दिया गया, इससे भी ब्लन्डर मिस्टेक यह की गई कि जो मेन कैनाल गंडक की है उसको भी उसी रास्ते जहां कि खतरनाक दरिया करीब थी और जिसकी धारा का कोई अन्दाजा नहीं है, नहर निकाली गयी।

सिंचाई विभाग वालों ने गलत डिजाइन बनाकर वहीं से गंडक मेन कैनाल बनायी। जहां पर मेन कैनाल है वहां से केवल तीन फर्लांग पर दरिया बहता है। दरिया ने अपना रुख मेन कैनाल की तरफ बढ़ाया था तो उस को इर्रीगशन वालों ने कंट्रोल कर लिया और बांध का काम इर्रीगेशन के जिम्मे कर दिया गया जिसके लिए एक चीफ इंजीनियर, एक एस० ई० दो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, दो एस० डी० ओ० और चार ओवरसियर हैं। छितौनी जहां कि यह कांड हुआ है वहां से ७८ मील पर एस० ई०, ६० मील पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ३८ मील की दूरी पर एस० डी० ओ० और ओवरसियर का हेड क्वार्टर है।

जिस समय यह घटना हुई उस समय वहां कोई अधिकारी मौके पर नहीं था। जब इन्होंने देखा कि तीन मील की दूरी पर कटाव हो रहा है तो इन्होंने जानबूझ कर अपनी कैनाल बचाने के लिए लापरवाही बरती और लोगों को मुसीबत में डाल दिया। अब एक नया दरिया रेलवे लाइन को काटकर बना हुआ है, उसके बीच में साढ़े बारह हजार एकड़ जमीन है, ९ गांव हैं और शुगर मिल भी है। लंका की तरह से चौदह हजार लोग वहां घिरे हुए हैं। मैं जिलाधिकारियों की तारीफ करूंगा कि जिन्होंने ऐन मौके पर सतर्कता बरती। मिलिट्री बोट मंगा ली और उनके द्वारा लोगों को पानी से बाहर लाया गया और मैदान में रखा गया। यह सही है कि जो मुसीबतजदा हैं उनको जितनी राहत मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से मदद पहुंचायी जा रही है और जनता भी प्रचुर मात्रा में खाने-पीने की चीजें भेज रही है।

अब जब जिले के अन्दर फ्लड कमेटी की मीटिंग हुई तो मैंने बार-बार सुझाव रखा कि छितौनी बांध की देखभाल के लिये एक आई० सी० एस० अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो जाय क्योंकि वहां पर ओवरसियर और इंजीनियर १०-१० हजार रुपये खर्च करके अपनी नियुक्ति वहां पर करवाते हैं जब बड़े अधिकारियों की लड़की की शादी होती है तो एक-एक इंजीनियर १०-१० हजार रुपया नेवता देता है। यह सब कहां से आता है। मान्यवर, इसके कारण करीब २० करोड़ रुपये की क्षति हो चुकी है। मेरा सुझाव है कि एक कमेटी बिठाई जाय जो इसकी पूरी छानबीन करे और अपनी रिपोर्ट दे कि कौन दोषी व्यक्ति है इसके लिये जो भी दोषी पाये जायं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय। साथ ही जो रेलवे लाइन है उसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

श्रीहरिवंश सहाय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, १२ जुलाई को छितौनी बांध पर बहस हुई थी और आज भी चर्चा हो रही है। छितौनी बांध का वीरभार ठोकर ३० जुलाई को ४.३० बजे शाम को टूट गयी जिसके कारण पानी वीरभार, गडरहवा माली होता हुआ खडहा की तरफ जा रहा है। वहां के अधिकारी ४८ घंटे तक कोई कार्यवाही नहीं कर सके। चीफ इंजीनियर, ओ० डी० शर्मा जी तथा १० अन्य इंजीनियरों की लापरवाही के कारण यह ठोकर टूटी। अभी मैं ३१ जुलाई १९७१ को हाटा गया था, वहां से मैं यह नक्शा लाया हूं। देहात में एक कहावत है कि छिनरा चले पालिकी साथ-यानी जिनके कारण बांध टूटा, आज वही उसकी रखवाली कर रहे हैं। वही जिलाधिकारी वहां मौजूद हैं जिनके कारण बांध टूटा। यह बांध क्यों बना? बांध बनने से पूर्व वहां पर कोई ऐसी भीषण घटना नहीं हुई थी जिसके कारण इस बांध को बनाने की जरूरत पड़ी हो।

इतिहास यह है कि सन् १९५२ के चुनाव के सिलसिले में एक बार डा० सम्पूर्णानन्द जी भाषण देने गये थे। वहां के लोगों ने कहा कि यहां पर हर साल बाढ़ आती है और क्षति होती है, उससे हमारी रक्षा की जाय। सन् १९५२ में कांग्रेस की सरकार बनी और वहां पर बांध बनाने के लिये आदेश हुआ, सन् १९५२ से ५७ तक ६ मील का बांध बना, उसके बाद ३-४ मील का बांध और बना और सन् १९६२ तक १४ मील का बांध १४ लाख में बना। सन् १९६२ के बाद से ३१ मार्च, १९७१ तक ६ करोड़ ८० लाख रुपया बांध की मरम्मत में ही केवल खर्च हुआ है। यह इस बांध का राजनीतिक इतिहास है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गंडक नदी त्रिवेणी से चलती है। यह नक्शा, जो मेरे पास है, रिटायर चीफ इंजीनियर मित्रा साहब की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गहन घाट और त्रिवेणी के बीच जो बड़े-बड़े बोल्डर्स नदी के पेटे में हैं उनको न हटाया जाय। यह सरकारी आदेश हैं। अंग्रेज एक्सपर्ट की भी यही राय थी किन्तु बोल्डर्स हटा दिये गये। जिसके कारण पानी तेजी से बह निकला और बोल्डर्स बालू की तह को तोड़ कर आगे बह निकला इससे भीषण कटाव शुरू हो गया। गहन घाट पर कोई ठोकर नहीं बनायी गयी जबकि रिपोर्ट में यह है कि ठोकर बननी चाहिए, अगर गहन घाट पर ठोकर बने होते तो नदी की धारा ठीक से चलती, कटान रुक जाता।

आपने आज रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि ठोकर नं० २ से पानी रिबाऊन्ड कर रहा है। जिससे पानी माघी होकर जा रहा है। एक ठोकर मलैया के पास बनी है वह बिलकुल बेकार हो गयी है, उसको नौतार के पास बननी चाहिए था। दो रिटार्ड बांध बने हुए हैं--- यह खाओ-कमाओं रिटार्ड बांध हैं। उनका उद्देश्य है धन की रक्षा करना, लेकिन उनसे कोई धन की रक्षा नहीं हो रही है।

मैं चाहूंगा कि छितौनी बांध ठोकर नं० १, ठोकर नं० २ वीरभार ठोकर तथा रिटायर्ड बांध की जांच कराई जाय कि ये क्यों गलत स्थानों पर बने? गहन घाट और त्रिवेणी के बीच के नदी के पेटे के बोल्डर्स क्यों हटाये गये? वीरभार की ठोकर नीचे कच्चा और ऊपर पक्की क्यों बनाई गई? मलैया के पास ठोकर क्यों बनाई गई है? यह नहीं बननी चाहिए थी। जो भी उसके बारे में पुरानी तकनीकी बातें हैं उनको बन्द किया जाए और नई तकनीक की बात की जाए, सोच-विचार कर कोई कार्यवाही होनी चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं जो १२५ करोड़ रुपये की गंडक नहर योजना बनाई गई है, मुझे डर है कि वह गंडक नहर एक दूसरी गंडक की धारा न बन जाए, जिससे देवरिया जिला पूरा बह जाए। वहां के जिलाधिकारी की सत्ता के कांग्रेस के एक सदस्य ने बड़ी तारीफ की है, वहां गंडक की समस्या है, वहां १४ चीनी मिलें हैं, किन्तु वहां पर २५-२५ साल के सारे अनुभवहीन अफसर नियुक्त हैं। २५ साल का कलेक्टर, २५ साल का एस० डी० एम०।

जब पहली जुलाई को छितौनी बांध के बारे में लोगों ने जिलाधीश को सूचना दी, उस समय देवरिया के कलेक्टर अपनी औरत के साथ सिनेमा देख रहे थे। उस दिन वह कोई कार्यवाही मौके पर नहीं कर सके। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री ओ० डी० शर्मा, चीफ इंजीनियर और सिंचाई विभाग के अन्य इंजीनियरों के खिलाफ तुरन्त मुकदमा चलाएं, तब उनकी जांच सरकार करे। देवरिया के हम संसोपा के लोग उस कमेटी का बायकाट करेंगे। जिस कमेटी में ओ० डी० शर्मा रहेंगे। वह लाखों रुपया लेकर कई बार लखनऊ आए हैं सरकारी पक्ष के लोगों को फोड़ने के लिए और अपनी गलत बात सही मनवाने के लिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उनको सस्पेंड करें तब जांच करावें।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

१९५५ से लेकर यही बातें बराबर दोहराई गई हैं, तो किसी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त का चीफ इंजीनियर दोषी था। १९५५ से ६४ तक इस बांध ने जब-जब बाढ़ आई उसको रोका, जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो हमारे जियोलाजिस्ट्स हैं उनका यह कहना है कि नदी का उत्तरी हिस्सा, जो हिमालय के पर्वतीय इलाके से मिला हुआ है, वह धीरे-धीरे कुछ ऊपर उठ रहा है। इसलिए नदी की उत्तरी तरफ का पेटा, सरफेस ऊपर को उठ रहा है और नदी का बहाव देवरिया की तरफ आ रहा है। इसके बारे में उनकी राय थी कि इस नदी के एरिया को डेजर्स से गहरा कर दिया जाय, चाहे उसकी जो भी कास्ट आए। इससे उसमें पानी ज्यादा समाने की क्षमता बढ़ जाएगी, जो छिछले होने की वजह से पानी बाहर हो जाता है, वह रुक जाएगा। लेकिन यह सम्भव नहीं हो सका।

इसका क्या कारण है, यह तो सरकार के समझने की चीज है। लेकिन आज जियोलाजिस्ट्स के सर्वे के हिसाब से यह चीज सही मालूम पड़ती है कि नदी का प्रेशर उत्तर से होकर दक्षिण की तरफ आ रहा है। इससे देवरिया के हिस्से के लिए खतरा हो गया है। नेपाल का वह हिस्सा, जहां से नारायनी नदी निकलती है, उसके मुंह से लाखों टन पत्थर निकाल कर जो पत्थर पहले गया वगरह से आते थे, आज सब पत्थर वहीं से आ रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि उन पत्थरों के निकाले जाने की वजह से नदी के पानी का प्रेशर एक खास हिस्से पर जो गोरखपुर देवरिया की तरफ पड़ता है, हो गया। सारे के सारे पानी का प्रेशर दक्षिण-पश्चिम की तरफ होने लगा।

नारायणी का वह हिस्सा जिसमें पत्थर निकालने का ठेका होता है वह नेपाल में है। उस कन्ट्रैक्ट से प्राइवेट लोगों को काफी पैसा मिल जाता है। वहां से पत्थर आते हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के विभागों को बेच देते हैं। नारायणी नदी के उस हिस्से पर प्रदेश का कोई कन्ट्रोल नहीं है जिससे पत्थर निकाले जाते हैं। तीसरी समस्या यह है, चाहे इंजीनियरों की बेईमानी कहें या कोई कारण कह दें, उनको बहाना मिल जाता है कि ये सारी की सारी ठोकर जब तक नहीं बन जाती हैं इस बांध का रोकना सम्भव नहीं है। चाहे पचास लाख रुपया खर्च होता या ६० लाख, अगर एक दफा सारा अलाटमेंट हो गया होता और उस मलहिया के सामने ढाई सौ, तीन सौ, साढ़े तीन सौ फीट नीचे नदी के अन्दर गये होते, और फिर उसको ऊंचा किया होता तो यह दशा न होती। परसाल भी सीपेज हुआ था। सारे के सारे पानी का प्रेशर वहां एक नाले पर पड़ता है। वह नदी के लेविल से २० फीट नीचे है। इसका मतलब यह है कि सीपेज का पानी उस बांध को काट कर २० फीट नीचे नाले पर पड़ेगा, तो पानी का प्रेशर बढ़ जायगा। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। छितौनी बांध के नाम से कोई चीज रह नहीं गई है। केवल आठ-नौ मील बचा है। पांच मील परसाल से कटा है। इस महलिया के सामने कोई बांध नहीं है। रेलवे का एम्बेंकमेंट है। बड़ी मुश्किल से मौजूदा माननीय मुख्य मन्त्री के कोशिश करने पर रेलवे विभाग ने कहा है कि कुछ रेलवे विभाग खर्च करेगा और कुछ इर्रीगेशन डिपार्टमेंट खर्च करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज मंगल पाण्डेय]

दूसरी यह समस्या है कि जो बजट का एलाटमेंट होता है वह ऐसे समय पर होता जिसकी वजह से बेइमानी करने का मौका मिल जाता है। १५ जून को बजट अलाटमेंट होता है। जब मई के अन्दर नारायणी नदी के अन्दर बाढ़ आ जाती है तब श्रीमन्, यह होता है कि ८० रुपये का ईंटा डेढ़ सौ में खरीद करके लगायेंगे। गिट्टी अलग लेंगे। लाखों टन गिट्टी डाल देते हैं। पता नहीं कितना डाला है। इस प्रकार कुछ जिआलोजिकल डिफीकल्टीज हैं, कुछ नेपाल की सीमा में पत्थरों का निकाला जाना, कई इसके कारण हैं। वहीं पर जहां पर फैक्टरी का बंधा है, स्पर्स बने हैं, जहां पर स्पर्स नीचे हैं वहां नदी का उतना प्रकोप नहीं है। कम से कम इसके लिए एक परमानेंट बोर्ड बने जिसके पास काफी पैसा हो। वह उत्तर प्रदेश की जितनी नदियां हैं उनकी सारी समस्याओं को परमानेंट बेसिस पर हल करे, बिला लिहाज किये हुए कि कौन सी गवर्नमेंट होगी और फ्लड का अलाटमेंट कब होगा, उसको फंड का अलाटमेंट परमानेंट बेसिस पर हो जाय। तब परमानेंट सोल्युशन हो सकता है बजाय इसके तीन-तीन, छः-छः महीने पर गवर्नमेंट बताती है, एक वोट आन एकाउन्ट लेकर खत्म हो जाती है, यह ऐसी समस्या है कि परमानेंट बोर्ड बने जिसके पास ज्यादा पैसा हो। वह उत्तर प्रदेश की जितनी समस्यायें हैं उनका परमानेंट बेसिस पर निराकरण करें। यह समस्या न ओ० डी० शर्मा को न किसी इंजीनियर को गाली देने से हल हो सकती है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, छितौनी बांध के बारे में माननीय मन्त्री ने जिस प्रकार वक्तव्य दिया कि वह सेफ हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत हल्केपन से उस बात को ले रहे हैं। वहां रेलवे लाइन टूटी है और बांध भी रिस रहा है लेकिन फिर भी मन्त्री जी कहते हैं कि बांध सुरक्षित है। इससे एक लाख ७० हजार आदमी प्रभावित हुए हैं और साढ़े ४ करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है और इस के बाद भी मन्त्री जी ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। सन् ६६ में यही स्थिति हुई थी लेकिन सन् ६७ में संविद की सरकार थी तो मन्त्री महोदय ने वहां पर रेगुलेटर तथा इसी तरह की ठोकरें लगवा कर बाढ़ से जो नुकसान होने वाला था उसे रोक दिया। जाने के पूर्व भी उस सरकार ने नई ठोकरें तथा रेगुलेटर बनाने के लिये सुझाव दिये लेकिन राजनीतिक कारणों से आज तक वह ठोकर बन नहीं सकीं और इसी कारण आज यह स्थिति सामने आई। इसको ईश्वरी आपदा कही जाय, ऐसी बात नहीं है। यह मैन मेड है।

मई में जब बरसात शुरू हो गई थी उससे पहले नारायणदत्त तथा गेंदा सिंह जी वहां गये और उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं है। हम योजना बना रहे हैं ८८ लाख रुपये की लेकिन उस ८८ लाख में से एक पैसा भी वहां पर खर्च नहीं किया गया और न सिंचाई मन्त्री ने ही वहां कोई व्यवस्था की। बरसात आने पर यह बात स्वाभाविक है इसलिये पुरानी चीजों की मरम्मत करानी चाहिये थी, नई ठोकरें बननी चाहिये थीं लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। फिर ओ० डी० शर्मा, जो चीफ इंजीनियर हैं, वे वहां पर मौजूद नहीं थे।

सन् ६७ में बाढ़ आई थी तो चीफ इंजीनियर बांध पर रहते थे लेकिन शर्मा जी तो गोरखपुर में भी नहीं रहे क्योंकि उन्होंने हेडक्वार्टर लखनऊ बनाया हुआ है। लिहाजा बांध पर रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाढ़ आने से रेल पथ टूट गया और १७, १८ मील का एरिया पानी से भर गया। इसकी जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर की है लेकिन चूंकि वह मुख्य मन्त्री के कृपा पात्र हैं इसलिये उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया।

जिस समय बाढ़ आई वहां पर बालू का एक बोरा भी नहीं था, न बोल्डर्स थे और इस सबके लिए मन्त्री जी ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया यहां तक कि एक ओवरसियर तक को सस्पेंड नहीं किया। यह प्रश्न बहुत बड़ा है। इसकी पूरी जांच-पड़ताल होनी

चाहिए। सदस्यों की एक कमेटी बननी चाहिये, जो देखे कि छितौनी बांध को क्या नुक्सान हुआ। मन्त्री जी ने यह बात गलत कही है कि बांध को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूरे का पूरा बांध इसी तरह से बह जायगा। जो लोग बसाये गये हैं उनको दो किलो गेहूं मिल रहा है और एक बोतल मिट्टी का तेल। इससे वह अपनी गुजर बसर कैसे कर सकते हैं? मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं ७ बजे तक अधिकतम समय बढ़ा देता हूं।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बलिया जिले में ही नहीं प्रदेश में अधिकांश जिलों में बाढ़ आई हुई है। घाघरा तथा अन्य नदियों के कारण बहराइच, गोंडा, देवरिया, गोरखपुर में बाढ़ आई है और तमाम नदियों का पानी बलिया में आ गया है।

ठीक उसी तरह से इलाहाबाद, गाजीपुर और लखनऊ में से गोमती का पानी गाजीपुर में मिलता है और दक्षिण छोर से गंगा का पानी मिलता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बलिया जिले में बाढ़ का क्या प्रकोप होगा। इन नदियों में जो बाढ़ आई है उसकी रोकथाम की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मैं पुनर्वास और सहायता के सम्बन्ध में आपसे ज्यादे कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में जो सहायता इस जिले को सरकार द्वारा दी गई है वह बहुत ही अपर्याप्त है और अप्रभावकारी है। जिन-जिन स्थानों में वास्तव में सहायता होनी चाहिये थी, जहां पर केन्द्रीभूत होना चाहिए था ठीक उसके विपरीत काम हुआ है। हमारे माननीय राजस्व मन्त्री हमारे जिले में गये थे और हमारे विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य के आह्वाहन पर गये थे।

हम लोगों को यह उम्मीद थी कि उनके वहां जाने के बाद कुछ राहत वहां के लोगों को मिल जायेगी और ये काम हो जायेंगे किन्तु वहां से आने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट यहां पर दी और वह सभी माननीय सदस्यों को वितरित हुई उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंत्री सिंचाई मन्त्री की है और सहायता तथा पुनर्वास मन्त्री की नहीं है। सिंचाई के इंजीनियरों की उसमें बड़ाई की गई है किन्तु इस बात का उसमें कोई उल्लेख नहीं है कि हमारे रेवेन्यू विभाग ने भी कुछ अच्छाई के कार्य किये हैं। उसमें उनकी कोई तारीफ नहीं ली गई है। इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मन्त्री जी उनके कार्यों से सन्तुष्ट नहीं है।

बलिया जिले में बाढ़ आई हुई है उसके उत्तरी और दक्षिणी छोर गंगा और घाघरा की चपेट में आ गये हैं। उस जिले में आशा से अधिक बारिश भी हो चुकी है। जो वहां पर बांध बना है वह तो एक तरफ से पानी को रोकता है और दूसरी तरफ सकी निकासी को भी रोकता है। जो नालियां हैं उनमें से भी पानी ओवर फ्लो कर रहा है। इस वजह से उस जिले की बड़ी भयावह स्थिति हो गई है। सबसे अधिक भयावह स्थिति तो यहां पर कटाव की है। अतः जब तक सरकार ने बेरिया बांध पर तवज्जह नहीं दी और वह शायद इसलिये नहीं दी है क्योंकि उसमें उसकी अपनी प्रोपर्टी का नुकसान नहीं हो रहा है और छितौनी बांध चूंकि पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर आता है इसलिये उस पर तवज्जह दी जा रही है।

पिछले तीन सालों से घाघरों नदी ने जिले के २० मील के एरिये पर पानी फैलाया है और लगभग २ हजार एकड़ भूमि का कटान पिछले तीन सालों से हो चुका है। अतः यह सरकार भूमि के कटाव के ऊपर ध्यान दे। हमारे बलिया जिले में आबादी कट रही है और चान्दपुर कमालपुर और कठौरापुर में ५ हजार और १० हजार एकड़ भूमि, का कटान हो रहा है। तो हमारे पुनर्वास और सहायता मन्त्री जी का यह पहला कर्त्तव्य है कि जिनके मकान गिर गये हैं, उनकी भूमि का नुकसान हो गया है, उनको राहत पहुंचाये किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय राजस्व मन्त्री जी वहां गये और केवल पक्की सड़क तक ही अपने को सीमित रखे रहे और चान्दपुर, कमालपुर में न जा सके।

[श्री निर्भय नारायन सिंह]

मान्यवर, यह तो आपकी रिपोर्ट में भी है वहां पर ६२ मकान गिर गये हैं, हमारे कठौड़ा में ६ मकान गिर गये हैं किन्तु कोई तवज्जह वहां के लिये नहीं दी जा रही है..... (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, केवल २ मिनट और बोलूंगा। मैंने एक चिट्ठी लिखी कि उन लोगों को तकावी और सहायता मिलनी चाहिये तो जब मैं सैंटरडे को घर गया तो पता चला कि एस० डी० ओ० ने खबर भेजी है कि २५ मील दूर आकर तकावी ले लो। मान्यवर, आज तक तकावी लोगों को उनके क्षेत्र में ही मिला करती थी किन्तु इस स्थिति में भी उन लोगों को २५ मील दूर तकावी लेने के लिये जाना पड़ रहा है। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि घाघरा नदी की बाढ़ पर तवज्जह दें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि बाढ़ से हमारे एक क्षेत्र में सिकन्दरपुर---दहताल रोड अब एकदम क्षतिग्रस्त हो गयी है और वह बिलकुल बन्द भी हो गयी है। वह सड़क पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत आती है। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वे इस रोड को बाढ़ के बाद तत्काल पुर्ननिर्माण कराने की कृपा करें। कठौरा, चान्दपुर आदि के पुनर्वास और सहायता के लिए तत्काल उपाय किये जायं। हमारे जिले में जितने रिंग बांध हैं उन्हें सरकार जैसे और बंधों को मेनटेंन करती है उसी तरह से अपने हाथ में लेकर मेनटेन करे तथा जिले का पूरा सर्वे कराकर व्यवस्था को ठीक कराये।

श्री उपाध्यक्ष---

एक दल को मैंने समय नहीं दिया है, उसको दूंगा। माननीय रामकरन सिंह।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

हम ही सरकार की पोल खोल सकते हैं, हमको ५ मिनट का मौका दें। बलिया से हम ही हैं, विरोधी पक्ष में बोलने वाले।

श्री उपाध्यक्ष---

सब माननीय सदस्य बैठे हैं वह इसी काम के लिए हैं। यह आप कैसे समझते हैं... श्री रामकरन सिंह।

श्री रामकरन सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, छितौनी बांध के सम्बन्ध में जो बात चल रही है, मैं उधर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। यह एक प्रौब्लम बन गया है छितौनी का बांध। पिछले सालों में क्या हुआ और अबकी साल क्या हुआ, उसमें फर्क है। अबकी साल मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि पिछले साल तो छितौनी का बांध कटा, उसमें नुकसान हुआ, लेकिन इस वर्ष जो कटान हुआ, नुकसान हुआ उसमें जाने भी गई हैं...जानवरों की भी गई हैं। अब जिम्मेदारी किसकी है? जो पहले दिन चर्चा चली छितौनी रेलवे एम्बेंकमेंट टूटने की, उसमें के० एल० राव ने क्या कहा, मन्त्री जी ने क्या कहा वह तो अपनी जगह पर हैं कि जो रेलवे क्रासिंग टूटा, वह जो सम्बन्धित अधिकारी थे उनकी लापरवाही से टूटा---यह बात अगर मन्त्री जी चाहेंगे कि किस तरह से साबित की जा सके तो अपना दिमाग स्पष्ट बना लेंगे कि जब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी उतनी सतर्कता नहीं बरतता जो उसको बरतनी चाहिये तो क्या होता है, वही हाल यहां का है।

यह कहा गया कि सब जानबूझ कर छुट्टी पर चले गये ताकि किसी के ऊपर जिम्मेदारी उसकी न आ सके। यह अखबार में निकला भी है कि २२ तारीख को ओ० पी० शर्मा गायब, २९ तारीख को हर आदमी जो भी वहां का था जिम्मेदार---चाहे सुपरिंटेंडिंग इंजी-

नियर हो या एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हो कोई भी अधिकारी नहीं रहा---यह अखबार की खबर है। २९ तारीख को ही जो वहां का ओवरसियर था उसने सरकार का ध्यान खींचा कि वीरभार के पास भी खतरा उपत्न्न हो चुका है। अब इस खतरे से बचने की तैयारी में आपने क्या किया? कितने आपने बोल्डर मंगाये, कितना जी० आई० तार मंगाया, उसको देख लें और उस खतरे से जब बचने की बात कहते हैं तो एक पीरिएड होता है १०/१५ दिन का। कितना सामान आता है? इसको देख लिया जाय तो मालूम हो जायगा कि उनकी नीयत इसको बचाने की या पैसा कमाने की है। रेलवे से बोल्डर्स मंगाये जाते, तार मंगाये जाते तो यह लोग पकड़ में आ जाते इसलिये ट्रक द्वारा मगाया गया। ५ ट्रक सामान आया तो ५० ट्रक का पेमेन्ट हो जायगा। यह मेरी बात नहीं है। आप दरियाफ्त कर लें। तार को यह छिपा नहीं सके और वह बाजार में बिक नहीं सका तो पकड़ा गया। एक जगह ५० टन रखा गया है।

एक टेक्नीकल और नान टेक्नीकल की बात आती है। इंजीनियरों ने उनकी बात नहीं मानी। आज सारी बातों में जाना चाहिये। अगर सदन की इच्छा है तो माननीय मन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये। आप ५ आदमियों की एक कमेटी बना दें?

(श्री रामधारी शास्त्री का नाम पुकारे जाने पर।)

मुझे दो मिनट का समय और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

कल भी बाढ़ का एक सवाल है उस पर दो घंटे बहस होगी।

श्री रामकरन सिंह---

श्रीमन, खबर मिली है कि आपके सेक्रेटरी चौधरी साहब हैं। उनके पास यू० एन० आई० के अखबार वाले लोग गये। उन्होंने कहा कि करेंट न्यूज बताइये, उन्होंने जो जवाब दिया, वह बड़ा शर्मनाक है। (व्यवधान)।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

श्रीमन्, मुझे दो मिनट का समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

कल फिर बाढ़ के प्रश्न पर बहस होगी। जिनको आज समय नहीं मिल सका उनको कल दे दिया जायगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मेरी ओर से माननीय जायसवाल जी जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कैसे हो सकता है? जो संशोधन रखता है वही उत्तर देता है।

श्री छांगुरराम (जिला आजमगढ़)---

मैं जानना चाहता हूं कि कल भी इस पर विवाद जारी रहेगा?

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं सिंचाई मन्त्री जी से बोलने के लिये कहूंगा। आप समय का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं।

श्री रामधारी शास्त्री--

उपाध्यक्ष महोदय, नियम यह है कि सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मन्त्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुर:स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मन्त्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं सिंचाई मन्त्री जी को बुलाऊंगा।

श्री रामधारी शास्त्री--

मैं निवेदन कर रहा हूं कि नियम की अवहेलना हो रही है। उन्होंने कोई भाषण अभी तक नहीं दिया है। इसलिये मैं कहता हूं कि उनको देना चाहिये।

श्री छांगुरराम--

उपाध्यक्ष महोदय, क्या कल भी इस पर विवाद होगा? क्या जो आदमी आज नहीं बोले हैं व कल बोलेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

अब माननीय रामधारी शास्त्री बोलेंगे। कल को गंगा की बाढ़ पर बहस होगी।

श्री रामधारी शास्त्री--

मैं इस प्रश्न से सम्बन्धित ३-४ सवाल उठाना चाहता हूं। नियमों के अनुसार मन्त्री जी को पहले अपने विचार प्रकट करने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर सिंचाई मन्त्री जी बोलेंगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा।

श्री रामधारी शास्त्री--

सिंचाई मन्त्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया है, वह दिलवा दिया जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस समय अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इस तरह से यह सदन कैसे चलेगा? मान्यवर नियमों के इन्टरप्रिटेशन के लिये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं।

(श्री अनन्तराम जायसवाल बोलते रहे और माननीय मन्त्री जी भी बोलते रहें)

सिंचाई मंत्री (श्री रामलखन)--

उपाध्यक्ष महोदय, बलिया बेरिया बांध के टूटने के बारे में इसके पहले बहस हो चुकी है और १२ जुलाई को उसका उत्तर दिया जा चुका है। (व्यवधान) एक माननीय सदस्य

ने यह भी कहा कि माननीय सिंचाई मन्त्री ने गलत सूचना दी है। छितौनी बांध टूट गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि छितौनी बांध का जो हिस्सा मुझे चार्ज में मिला था, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। उसको बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि वीरभान ठोकर पर पानी का दवाव बढ़ता जा रहा है। अभी बलिया बेरिया बांध को कोई खतरा नहीं है, उसके किनारे से धारा चल रही है। लेकिन बांध को कोई खतरा नहीं है। अभी छितौनी बांध और बलिया बेरिया बांध दोनों सुरक्षित हैं। (व्यवधान) मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी भ्रष्ट पाया जायगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

*श्री रामधारी शास्त्री--

मान्यवर, दोनों ओर से माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचारों को प्रकट किया। लेकिन माननीय मन्त्री जी ने जिन बातों को अपने वक्तव्य में नहीं बताया, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि २ जुलाई के पूर्व जबकि मलैया का बांध टूटा, उसके बारे में सिंचाई मन्त्री जी ने यह नहीं बताया कि उसको बचाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये। उसको बचाने के लिय वहां कितने बोल्डर्स इकट्ठे किये गये थे। कौन सी ऐसी सामग्री थी जो उसकी रक्षा के लिये वहां लाई गई थी। मेरा निवेदन है कि एक टोकरी वोल्डर भी वहां नहीं थे। जब मलैया बांध टूट जाता है तो टूटने के समय कहा जाता है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां नहीं थे। सिंचाई मन्त्री जी ने उस दिन से आज तक यह नहीं बताया कि वे थे या नहीं थे? अगर थे तो कौन-कौन थे?

मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी कर्मचारी थे वे सब अपने-अपने क्वार्टरों पर सोये हुए थे और जब बांध टूट गया तो पुरानी तारीखों में छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी ताकि किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी न आवे। इसके बारे में भी मन्त्री जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया गया।

तीसरी बात यह है कि वीरभान ठोकर टूटने की आशंका पहले से व्यक्त की जा चुकी है जिसको मन्त्री जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा, जैसा अखबारों में आया, कि उसके ऊपर पानी का टकराव है। यह भी मन्त्री जी के जवाब में नहीं आया कि २० जुलाई तक वीरभान का जो २०० फीट टूटा उसको रोकने की क्या तैयारी थी। इससे सम्बद्ध एक सवाल माननीय हरिवंश सहाय जी ने किया कि उस दिन भी सिंचाई विभाग का कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था और लगातार इस तथ्य को छिपाया गया और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने इस समाचार को दिया कि वहां टूट हो गई और मौके पर इंजीनियर वगरह थे नहीं।

यह भी रोशनी पड़नी चाहिये थी कि २ जुलाई तक उस पर कितना रुपया व्यय हुआ और २ जुलाई से अब तक कितना रुपया पानी की तरह बहाया गया और जो अफसरान और कर्मचारी नहीं थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। जैसी कि सदस्यों की मांग थी उनको मुअत्तिल करना मुनासिब समझा गया या नहीं? सबसे अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपने लिये नहीं कहा, मैं विरोधी दल में बैठता हूं। आपकी कमेटी में बैठने का शौक नहीं है, लेकिन आपको क्या एतराज है कि हम तमाम दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये सदन की एक समिति बना दी जाय और खाली सदन की ही नहीं बल्कि उसमें कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ माननीय सदस्य हों? इन सब बातों की कोई चर्चा नहीं की गई। इसलिये इस विषय पर आप निश्चित रूप से आदेश दें कि मन्त्री जी किसी दिन अपना लिखित वक्तव्य इन तमाम बातों पर दें। छिपाने से काम नहीं चलता।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि सन् ६६ की लोक लेखा समिति ने यह फाईंडिग दी है कि बांध गलत जगह पर बनाया गया है? उसके निर्माण पर और उसकी देखरेख पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसी के साथ यह भी फाइंडिग दी कि सामान खरीदने में, जैसे बोल्डर्स, बोरी वगरह, घोर अनियमितता हुई? और क्या समिति ने यह भी कहा था कि इन अधिकारियों की जिम्मेदारी मुकर्रर करके इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय? तो क्या इनके खिलाफ कार्यवाही की गई या नहीं? और जो इस टूट के जिम्मेदार हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाई मन्त्री जी करेंगे या नहीं?

श्री रामलखन---

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया उसका सम्बन्ध इस समय जो चर्चा चल रही है उससे तो है नहीं। उसके लिये अलग से सूचना की जरूरत है जिससे उसका उत्तर दिया जा सके।

श्री रामधारी शास्त्री---

यह तो आप फैसला करेंगे कि सम्बन्ध है या नहीं।

(श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

उचित तो यह था कि आप ही के दल के जब चर्चा रख रहे थे तो उनको सब जानकारी दे देते। ताकि सब बातों का उत्तर आ जाता।

श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

हम इस बात को जानना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जो यह कहा गया कि बांध बिलकुल सुरक्षित है तो क्या वह आगे सुरक्षित रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो कौन से उपाय किये जा रहे हैं?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

यह बांध सरकार की लापरवाही के कारण टूटा है...

श्री उपाध्यक्ष---

जिन्होंने सवाल उठाये हं उनका जवाब आना चाहिये। तो आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

श्री उदितनारायण शर्मा---

इसके पूर्व कि अभाव और सहायता के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका उत्तर दूं माननीय सदस्यों को इस पर गौर करना चाहिये कि आप इस्तीफा उस मन्त्री से मांग रहे हैं जो उन कामों के होने के वक्त में मन्त्री थे ही नहीं। जहां तक बडोनी जी का प्रश्न है मैं यह निवेदन करूं कि छितौनी बांध जैसा बरसात के पहले था वैसा ही आज भी मौजूद है और उसका कोई स्पर नहीं टूटा। आइन्दा के बारे में भगवान ही जानता है। जितना सम्भव हो सकता है किया जा रहा है और किया जायगा कल से आज तक इस पर बहस हुई। मैं उसके बारे में आभारी हूं जो अभाव और सहायता की बात कही गई। जो सुझाव इस सम्बन्ध में दिये गये हैं मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन पर केवल तवज्जह ही नहीं की जायगी बल्कि समय-समय पर मुझे आप बतायेंगे तो उन पर आपके समक्ष कार्यवाही की जायगी और वह होता रहेगा। एक बात यह कही गई कि हमारी तरफ से आंकड़े जान बूझकर कम दिये जाते हैं। जो आंकड़े हमारी तरफ से तैयार किये गये वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे शायद आप आश्वस्त हो जायं कि ये आंकड़े गलत नहीं हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आगे की भगवान ही बचायेगा या तोड़ेगा तो फिर बहस की गुंजायश नहीं है। खाली हम यह आश्वासन चाहते हैं कि जो बाढ़ग्रस्त है उनकी सुरक्षा के लिये अनाज, नमक, मिट्टी का तेल उनको दिया जाय। इससे ही हम सन्तुष्ट हो जायेंगे।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैं उसी बात पर आ रहा था मगर आप तो चाहते हैं कि मैं ही बोलता रहूं और जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनका उत्तर मैं न दे सकूं। जितनी बातें माननीय जायसवाल जी कह रहे हैं उनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो पहले ही माननीय सदस्यों ने न कही हों, उन्होंने एक भी नई बात नहीं कही है और मैं उन्हीं बातों का उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह निवेदन कर र.' था कि मुझे केवल २-३ बातें ही स्पष्ट करनी हैं। जहां तक बलिया और देवरिया जिल. का सम्बन्ध है जो वहां के माननीय सदस्य हैं उनकी इत्तिला के लिये मैं यहां बतला दूं कि हमारे जो तैयार यह आंकड़े हैं वह इस प्रकार हैं :

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी---

आप इसकी प्रति हमें दें।

श्री उदित नारायण शर्मा---

आप चाहेंगे तो मैं इसकी प्रति भी भिजवा दूंगा। जितना प्रभावित क्षेत्रफल है वह है १,८८,८६९ एकड़ और १, करोड़ ५० लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभावित हुये हैं और जिन क्षेत्रों पर फसल बोई थी वह ५० लाख ७७४ एकड़ है और जो अनुमानित क्षति हुई है वह है २ करोड़ ५८ लाख की। यह बलिया के आंकड़े हैं। जहां तक मकानों का सम्बन्ध है.....(व्यवधान)

श्री अन्नत राम जायसवाल---

वह आंकड़े क्या बता रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३ अगस्त, १९७१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५९ पर)

असामयिक वर्षा, तूफान तथा ओलावृष्टि के प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित काश्तकारों को राहत देने के सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा लैण्ड रिकार्ड अधिकारी, शाहजहांपुर को भेजे गये पत्र के उद्धरण।

१—अतिरिक्त तकावी का आवंटन खाद में २० लाख रुपये तथा बीज में २ लाख रुपये जो गत वर्ष बांटी तकावी के अलावा होगा और इस प्रकार जिले का कुल आवंटन खाद में ५३ लाख और बीज में ३ लाख होगा।

२—निम्नांकित ब्योरे के अनुसार खाद के मूल्य में वितरण अन्तर (distribution margin) की सीमा तक कमी कर दी जाय। इससे काश्तकारों को प्रति मैट्रिक टन खाद के मूल्य में ५५ रु० से लेकर ९० रु० तक का लाभ होगा।

क्रम सं०	खाद का नाम	पूल कीमत प्रति टन (रु० में)	वितरण अन्तर प्रति टन (रु० में)	विक्रय दर प्रति टन (रु० में)
१	२	३	४	५
१	सफेद आर०एस० १०० कि०ग्रा० ..	४७४	५५	५२९
२	,, ५० ..	४८५	५५	५४०
३	रंगीन ए० एस० १०० कि० ..	३७४	५५	४२९
४	,, ५० ,, ..	३८५	५५	४४०
५	यूरिया ४६ प्रतिशत ..	८४३	८०	९२३
६	यूरिया ४५ प्रतिशत ..	८२४	८०	९०४
७	सी० ए० एन० २० प्रतिशत ..	अप्राप्त	..	४७३
८	,, २५ प्रतिशत ..	४९०	५५	५४५
९	,, २६ प्रतिशत ..	५१५	६०	५७५
१०	डाई० एमो० फैट० ..	११२२	९५	१२१७
११	ए० एस० एन० ..	अप्राप्त	..	६२६
१२	ए० एन० पी० ..	८००	८०	८८०
१३	सुपर फास्फेट ..	३१९.८५	८१.१५	४०१
१४	म्युरियट आफ पोटाश ..	४८३	४०	५२३
१५	राक फास्फेट ..	४००	३०	४३०
१६	एमो० फास्फेट ..	८१५	८०	८९५
१७	एमो० क्लोराइड ..	४८४	५५	५३९
१८	जिपसम ..	अप्राप्त	..	१६०.५५
१९	एन० पी० के० १३' १३' १३ ..	७१०	७२	७८२
२०	,, १४' १४' १४ ..	७५५	७५	८३०
२१	,, १५' १५' १५ ..	८३२	८०	९१२
२२	,, १४' २८' १४ ..	१०४७	९०	११३७

क्र०- सं०	खाद का नाम	कुल मांग	उपलब्ध स्टाक	जो प्राप्त होना है	योग	अति- रिक्त मांग	अतिरिक्त मांग खाद के रूप में
१	२	३	४	५	६	७	८
१	एन० २	१७००	७२५	२५३	९७८	७२२	१५७० यूरिया
२	पी० २०५	७५०	३०७	४६	३५३	३९७	२४८१ सुपर फा०
३	के० २०	७००	३६३	..	३६३	३७७	६३० म्यू० आ० पो०

क्रम संख्या	खाद की मांग	टनों में	खाद की मांग किस्म के रूप में	टनों में	दर	ढुलाई की कीमत जो शासन को वहन करनी है
१	२	३	४	५		६
						रु०
१	एन० २	.. १७००	यूरिया	.. ३४७८	८०	२,७८,२४०
२	पी० २०५	.. ७५०	सुपर फा०	.. ४७००	८०	३,७६,०००
३	के० २०	.. ७००	म्यु० आफ पो०	११६०	४०	४,६४,०००
					योग ..	११,१८,२४०

उपरोक्त से यह विदित है कि १,५७० मैट्रिक टन यूरिया २,४८१ मैट्रिक टन सुपर फासफेट तथा ६३० मैट्रिक टन म्यूरियट आफ पोटाश की अतिरिक्त आवश्यकता वर्ष १९७१–७२ के लिये होगी।

ढुलाई व्यय में रियायत कुल ११,१८,२४० रु० निम्न दर से ८० रु० प्रति टन यूरिया और सुपर फासफेट तथा ४० रु० प्रति टन पोटाश में होगी।

५—कृषि क्षेत्र से बीज की आवश्यकता

इस जनपद के गेहूं का कुल क्षेत्रफल २,७२,०८७ एकड़ है जिसमें लगभग ५० प्रतिशत हानि हुई है बाकी क्षेत्रफल में बीज की आवश्यकता ५२,००० क्विन्टल आंकी गई है। इस आवश्यकता की पूर्ति निम्न साधनों से हो सकती है।

१—२४,५०० क्विन्टल की पूर्ति स्थानीय काश्तकारों से विनिमय द्वारा
२—१५,००० ,, सहकारिता विभाग द्वारा
३— २,५०० ,, कृषि विभाग द्वारा
४—१०,००० ,, निजी क्षेत्रों द्वारा

५२,००० ,,

कृषि विभाग द्वारा २,५०० क्वीन्टल की पूर्ति में से ८०० क्वीन्टल इस जनपद में निम्न प्रकार से उपलब्ध है :

जिले की बीज की मांग	नाम साधनों के	विभिन्न साधनों के पास उपलब्ध बीज	अतिरिक्त बीज जिसकी व्यवस्था होनी है
५२,००० क्वि०	कृषि	८००	१७००
	सहकारिता	..	१५,०००
	प्राइवेट	१०,०००	..
	स्थानीय विनिमय	२४,५००	..

कृषि क्षेत्र—

बीजउपलब्ध	बीज की आवश्यकता	ढुलाई व्यय में ७ रु० प्रति क्वि० की दर से जो खर्च आयेगा शासन को वहन करना है
८०० क्वि०	१,७०० क्वि०	११,९०० रु०

१७०० क्वि० बीज विभिन्न जिलों से मंगाना होगा जिस पर ढुलाई का खर्च इस योजना के अन्तर्गत ७ रु० प्रति क्वि० की दर से, लगभग ११,९०० रु० जो शासन को वहन करना होगा ताकि बीज काश्तकारों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सके।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे ७७३ पृष्ठ पर)

संलग्नक 'क'

ठेकेदारों के नाम जिन्होंने वर्ष १९६८–६९, १९६९–७० तथा १९७०–७१ में बलिया जिले में पशु चिकित्सालयों एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के लिये भूसा, दाना व देशी दवाओं की पूर्ति के लिये टेन्डर भेजे।

भूसा दाना	देशी दवाई
१९६८–६९	**१९६८–६९**
१—श्री गोपी नाथ, गाजीपुर	१—श्री आर० यन० गुप्ता, बलिया
२—श्री मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया	२—मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया
३—श्री सीताराम, बलिया	३—श्री ढेला राम, बलिया
४—श्री ढेला राम, बलिया	४—श्री एनुल हक, बलिया
५—श्री आर० यन० गुप्ता, बलिया।	५—श्री सीता राम, बलिया।
१९६९–७०	**१९६९–७०**
१—श्री सरजू प्रसाद, बलिया	१—श्री सरजू प्रसाद, बलिया
२—श्री मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया	२—श्री मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया
३—श्री भृगनाथ प्रसाद, बलिया	३—श्री ढेला राम, बलिया
४—श्री ढेला राम, बलिया।	४—श्री काजी जिआउल्लाह, बलिया।
५—श्री काजी जिआउल्लाह, बलिया।	
१९७०–७१	**१९७०–७१**
१—श्री सरजू प्रसाद, बलिया	१—श्री सूरज प्रसाद, बलिया
२—श्री मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया	२—श्री मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया
३—श्री ढेला राम, बलिया।	३—श्री ढेला राम, बलिया।

संलग्नक 'ख'

१—वर्ष १९६८–६९ में भूसा दाना की स्वीकृत दरें

नाम ठेकेदार	नाम वस्तु	स्वीकृत दर (प्रति कुन्तल) रु० में
१—श्री मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया	१—भूसा गेहूं ..	१९·५० से २१·७५
२—श्री ढेला राम, बलिया ..	१—जौ ..	६३·५० से ७०·००
	२—चना ..	१००·०० से १०३·००
	३—सादा नमक ..	१२·०० से १२·५०
३—श्री आर० यन० गुप्ता, बलिया। ..	१—चोकर ..	४३·०० से ४४·७५
	२—मूंगफली की खली	५३.०० से ५४.७५

११—वर्ष १९६८-६९ में देशी दवाइयों की स्वीकृति दरें

नाम ठेकेदार	नाम वस्तु	स्वीकृत दर (प्रति किलो)
		रु० में
१—श्री आर० यन० गुप्ता, बलिया ..	१—मुसव्वर ..	३.९३
	२—इसबगोल की भूसी	९.४३
	३—बेल गिरी ..	०.४९
	४—गरी का तेल ..	५.४३
	५—गोंद ..	२.९३
	६—कुटकी ..	५.४३
	७—मुलेठी ..	२.४३
	८—सोरा ..	१.४३
	९—कुचिला ..	१.३९
२—श्री मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया ..	१—नौसादर ..	०.७५
	२—अजवाइन ..	१.०५
	३—सौंफ ..	१.७५
	४—फिटकरी ..	०.४०
	५—काला नमक ..	०.२५
	६—सोहागा ..	१.५०
	७—चिरायता ..	०.७५
	८—कपूर ..	२८.००
	९—चाक ..	०.०९
	१०—तूतिया ..	४.७५
	११—सादा नमक ..	०.०६
	१२—सोंठ ..	३.५०
	१३—तोसी का तेल ..	२.७५
	१४—अलसी ..	१.००
	१५—गन्धक ..	२.५०
	१६—हराकसीस ..	०.५०
	१७—सोड़ा धोने वाला ..	०.५०
	१८—सोरा ..	०.५०
	१९—तारपीन का तेल ..	१.५०

संलग्नक 'ग'

१—वर्ष १९६९-७० में भूसा दाना की स्वीकृत दरें

नाम ठेकेदार	नाम वस्तु	स्वीकृत दर (प्रति कुन्तल में) रु० प	म
१—सरजू प्रसाद, बलिया ..	१—मूंग की खली ..	७८.०० से	७९.००
	२—भूसा गेहूं ..	१६.२३	
२—श्री मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया	१—जौ ..	५८.०० से	६२.५०
	२—चोकर ..	४८.०० से	४९.००
	३—चना ..	८५.०० से	९२.००
	४—मूंगफली की खली	७५.५० से	८०.००
	५—भूसा ..	१६.०० से	१७.६०
१—श्री भृगनाथ प्रसाद, बलिया ..	१—भूसा गेहूं ..	१६.४० से	१६.९०

२—वर्ष १९६९-७० में देशी दवाओं की स्वीकृत दरें

नाम ठेकेदार	नाम वस्तु	स्वीकृत दर (प्रति कि० रु० में)
१—श्री सरजू प्रसाद, बलिया ..	१—अजवाइन ..	०.९९
	२—सौंफ ..	२.४९
	३—बेलगिरी ..	०.६९
	४—साधारण नमक ..	०.१३
	५—सोंठ ..	३.४९
	६—गोंद सूखा ..	२.९१
	७—कुटकी ..	५.९१
	८—सोरा ..	१.४९
	९—सोड़ा धोने वाला ..	०.६३
	१०—सीरा ..	०.५९
	११—तारपीन का तेल ..	१.६९
	१२—अलसी का तेल ..	२.७१
२—श्री मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया ..	१—मुसब्बर ..	४.५०
	२—इसबगोल की भूसी	७.५०
	३—फिटकिरी ..	०.६०
	४—काला नमक ..	०.३०
	५—सोहागा ..	५.५०
	६—चिरायता ..	०.९०
	७—कपूर ..	२८.७५
	८—खड़िया ..	०.१०
	९—तूतिया ..	४.५०
	१०—मुलहठी ..	२.५०

संलग्नक 'ध'

१—वर्ष १९७०-७१ में भूसा दाना की स्वीकृत दरें

नाम ठेकेदार	नाम वस्तु	स्वीकृत दर (प्रति कुन्तल)
		रु० में
१—श्री मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया ..	१—जौ ..	८२.००
	२—चोकर ..	५७.००
	३—चना ..	१३५
	४—मूंगफली की खली ..	८५.००
	५—भूसा गेहूं ..	२६.५० से २९.००
	६—दाल चूनी अरहर ..	८०.००
२—श्री ढ़ेला राम, बलिया	१—भूसा गेहूं ..	२८.००

२—वर्ष १९७०-७१ में देशी दवाइयों की स्वीकृत दरें

नाम ठेकेदार	नाम वस्तु	स्वीकृत दर (प्रति किलो०)
		रु० में
१—श्री सरजू प्रसाद, बलिया ..	१—मुसब्बर ..	९.४५
	२—अजवाइन ..	२.५०
	३—सौंफ ..	४.५०
	४—इसबगोल की भूसी	१२.००
	५—फिटकरी ..	०.९९
	६—कपूर ..	४०.००
	७—सोंठ ..	११.००
	८—गोंद सूखा ..	७.००
	९—कुटकी ..	१०.५०
	१०—मुलेठी ..	५.५०
	११—सोडा धोनेवाला ..	१.२५
	१२—सोरा ..	०.७५
	१३—तारपीन का तेल ..	३.२५
२—श्री मुहम्मद इसराइल अन्सारी, बलिया	१—नौसादर ..	२.७५
	२—काला नमक ..	०.७५
	३—बेलगिरी ..	२.५०
	४—सोहागा ..	४.००

५—चिरायता	..	३.५०
६—ख़डिया	..	०.५०
७—तूतिया	..	१०.००
८—साधारण नमक	..	०.२५
९—नारियल का तेल	..	१४.००
१०—अलसी का तेल	..	५.५०
११—अलसी	..	३.००
१२—सोरा	..	६.००
१३—कुचिला	..	४.००
१४—गन्धक	..	३.५०
१५—हराकसीस	..	२.००

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५ पीछे पृष्ठ ७७३ पर ।)

संलग्नक 'च'

बलिया जिले में वर्ष ६८-६९ ६९-७० एवं ७०-७१ में दाना-भूसा एवं देशी दवाइयों की पूर्ति का विवरण

नाम संस्था		१९६८–६९		१९६९–७०		१९७०–७१	
		भूसा दाना	देशी दवा	भूसा दाना	देशी दवा	भूसा दना	देशी दवा
		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० प०	रु० पै०
पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र--							
१—सियर	..	३,०६१.५५	२२१.६७	३,६५५.९८	८३.३४	२,९७५.८७	३३५.२५
२—गड़वार	..	२,३२७.८२	३०२.०५	२,०८०.६२	३१७.८३	२,०७४.७९	३३५.२५
३—बांसडीह	..	२,८७५.३०	१२६.१६	२,८०३.३२	१३३.५३	३२४.००	३३५.२५
४—नरही	..	३,९३६.४१	३४५.३६	५,२६७.८१	१६३.५३	३,६५९.०१	३३५.२५
५—रेवती	..	२,८३१.४७	..	२,९०९.६३	५१.२०	३,७९३.१७	९४.५०
६—बलिया	..	७७९४.९२	३९४.४०	८,२९९.३३	६३४.६८	१,८४१.९८	५६३.६८
७—बैरिया	..	२,८७९.५६	१५१.१५	४,०५९.४१	१६३.५३	३,८०८.३३	३००.२५
८—रसड़ा	..	२,३८३.४६	..	२,७ ७.४७	५१.२०	३,२८५.५१	१००.००
९—रतनपुरा	..	४,१६८.०८	३६१.५६	६,४२७.२४	१६३.५३	३,९००.०३	३९४.२५

१०—नगरा	..	२,१७९.४२	२०८.१९	२,८७८.८१	१६३.५३	१०३.३०	३३५.२५
११—बेरूआरबारो	..	२,५९५.२९	३८५.७३	२,४४१.६९	३१३.३३	४४८.००	३३५.२५
१२—बाबूबेल	..	२,२७१.५३	..	१,५४४.६०	५१.२०	१,४७०.४८	३६.००
१३—चिलकहर	..	५८३.२२	२३२.३६	..	१६३.५३	..	३३५.२५
१४—दुवहंड़	..	..	१९५.००	..	१६३.५३	..	३३५.२५
१५—मुरलीछपरा	..	..	२७३.१७	..	१६३.५३	..	३३५.२५
१६—पन्दह	..	..	१२७.००	..	३४३.९२	..	३३५.२५
पशु चिकित्सालय							
१७—नवानगर	..	..	२६५.१८	..	१६३.५३	..	२६२.७५
१८—मनियर	..	..	२८३.०९	..	३१७.०३	..	३३५.२५
१९—सहतबार	..	..	..	..	१३८.०८	..	३३५.२५
२०—सिकन्दरपुर	..	..	..	..	..	..	२३९.७५
२१—हनुमानगंज	..	..	२७७.१६	..	१६३.५३	..	३३३.२५
योग	..	३९,८९४.०३	४,१५३.४०	४५,७३५.९१	३,९३७.११	३१,६८४.४९	६,३४९.२५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ६ पीछे पृष्ठ ७७४ पर)

गोंडा जनपद में इस समय ९९ जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं जिनके स्थान के नाम निम्नलिखित हैं:

१—काजीदेवर
२—झंझरी
३—खोरासा
४—कन्सापुर
५—पंडरी कृपाल
६—मंडेरवा माफी
७—बिशुनपुरवेरिया
८—गिलौली
९—इंटिया थोक
१०—बहलोलपुर
११—महराज गंज
१२—मेहनोन
१३—बलरामपुर
१४—बहरे कुयान
१५—हरिहर गंज
१६—नन्द नगर
१७—दुल्हापुर
१८—राम नगर
१९—तुलसीपुर
२०—सिखौनिया
२१—प्रेम नगर
२२—महराजगंज
२३—गौसडी
२४—जरवा
२५—पिपरा
२६—भदुआ
२७—पछपेड़वा
२८—डूमरी
२९—कोहरगड्डी
३०—बसन्तपुर
३१—शिवपुरा
३२—चौधरी डीह
३३—बरदोलिया
३४—बल्देव नगर
३५—मथुरा बाजार
३६—हरेया
३७—मनकापुर
३८—मछली गांव
३९—मोतीगंज
४०—दिनकरपुर
४१—मसकनवां
४२—खजरी
४३—शीतल गंज
४४—हथिया गढ़
४५—रेहरा बाजार
४६—सादुल्ला नगर
४७—पारा पसराए
४८—उतरौला
४९—मझेला
५०—मेहली
५१—रमवापुर
५२—गैडास बुजुर्ग
५३—ईटैय्यारामपुर
५४—बनडुसरा
५५—श्री दत्त गंज
५६—कपोवा शेरपुर
५७—चभरूपुर
५८—विसराम पुर
५९—वजीर गंज
६०—अनमाला खास
६१—अचलपुर
६२—मझगवां
६३—नवाबगंज
६४—छिकरी
६५—शिवदयाल गंज
६६—विश्नोहपुर
६७—बेलसर
६८—उमरी बेगमगंज
६९—दुरजन पुर
७०—गगरौली
७१—तरबगंज
७२—चन्दी पुर
७३—बहादुर पुर
७४—धौराहरा
७५—परसपुर
७६—डेहरास
७७—सालपुर
७८—पस्का

७९—हलधरमऊ
८०—बालपुर
८१—चौरी
८२—पहारापुर
८३—कर्नलगंज
८४—बरगदी
८५—धनौरा
८६—कमालपुर
८७—कटरा बाजार
८८—दुबहा
८९—कटुआबाला
९०—पूरे बहोरी
९१—रूपेडीह
९२—ईटैय्या
९३—कौड़िया
९४—खरगूपुर
९५—मुजेहना
९६—मतवारिया
९७—बनकटी
९८—बाबा गंज
९९—बभनजोत ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर पीछे पृष्ठ ७७६ पर)

कृषि विभाग, लखीमपुर खीरी की आडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं सम्बन्धी सूचना

अनियमितताएं जो वर्ष १९६८-६९ में पाई गई	अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही जो महालेखाकार को भेजी गई
नं० १ (अ) पलिया बीज भंडार पर वर्ष १९६८-६९ में खाद के पुराने वारों की बदलवाई पर मु० रु० ११५७.१० की अनियमित व्यय।	जांच के द्वारा कुल धनराशि में से केवल २१.६० रु० का अनियमित व्यय पाया गया जो सहा० कृ० निरीक्षक ने पल्लेदार को अधिक भुगतान कर दिया था इस धन की वसूली के लिये सम्बन्धित कर्मचारी को आरोप-पत्र दे दिया गया है।
(ब) पलिया बीज भंडार पर एक भवन से दूसरे भवन तथा खाद की धुलाई पर १८९२.०० रु० का अनियमित व्यय।	बीज भंडार की पुरानी इमारत बाजार के काफी अन्दर गली में है और सड़क भी खराब है जहां पर विभागीय माल के लाने और ले जाने तथा कृषकों को उर्वरक आदि लेने में बरसात में काफी कठिनाई होती है अतः पक्की सड़क पर स्टेशन के पास दूसरे भवन में स्टाक की ढुलाई करके रक्खा गया है भवन से खाद की बिक्री की गई।
२—खाद की ढुलाई में पलिया बीज भंडार पर १८९२.०० रु० का अनियमित व्यय तथा नई इमारत में क्षमता से अधिक खाद का रखना और नई इमारत को छोड़ने पर बचे हुए स्टाक की ढुलाई।	विभागीय नियमों का पालन करते हुए २०-४-६८ से ४-१०-६९ तक कई कई बार टेंडर आमंत्रित किये गये। परन्तु या तो कोई टेंडर प्राप्त ही नहीं हुए और यदि प्राप्त हुए तो उनकी शर्त मान्य योग्य नहीं थी ऐसी दशा में जिला नियोजन अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी की अधिकृति कमेटी ने किसी भी टेंडर को अनुमोदित नहीं किया और चूंकि कृषकों को वितरण हेतु बीज खाद आदि की ढुलाई करना अनिवार्य था इसलिये पुरानी स्वीकृत दरों पर ही ढुलाई का कार्य किया गया।
३—बीज गोदाम बेहजम पर १८,५३५ रु० का सन्देहात्मक भवन।	सम्बन्धित कागजातों की जांच करते पर १०,६४२.३६ पैसा की स्टाक में ऐसी कमी पाई गई जिसकी वसूली के लिये सर्वे रिपोर्ट बनवाकर सक्षम अधिकारी के पास प्रेषित कर दी गई है शेष धनराशि की कमी साबित नहीं हो सकी है।

अनियमितताएं जो वर्ष १९६८-६९ में पाई गई	अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही जो जो महालेखाकार को भेजी गई
४—जनपद खीरी के विभिन्न राजकीय कृषि बीज भंडारों पूर्व शुरु से वर्ष ६७-६८ तक १,३०,९५४ रु० की कमियां तथा वर्ष ६८-६९ में ९३४१ रु० की कमियां।	इन कुल कमियों में से ६७,१२५ रु० की सर्वे रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के पास आदेश हेतु भेज दी गई है शेष धनराशि के लिये सम्बन्धित कर्मचारियों के स्पष्टीकरण मांगें गये हैं तथा उनके विरुद्ध आवश्यक आदेश पारित किये जा रहे हैं।
५—श्री राम लखन सिंह सहायक कृषि निरीक्षक के समय की बीज भंडार धौर-हरा पर उर्वरक तथा बीज की कमियां। खाद—८०२२.७२ बीज—२०४६.०८	इन कमियों के लिये श्री राम लखन सिंह, सहायक कृषि निरीक्षक उत्तरदायी ठहराए गए हैं श्री सिंह मस्तिष्क विकार के रोगी हैं और उनका स्पष्टीकरण मिलने में विलम्ब हो रहा है उनके निवास जनपद के जिला अधिकारी ने भी यही रिपोर्ट दी है वसूली की अग्रिम कार्यवाही इसी कारण रुक गई है।
६—कबीर गंज एवं सम्पूर्ण नगर बीज भंडार को सील करने के विषय में।	कबीर गंज व सम्पूर्ण नगर बीज भंडार पर जिलाधीश खीरी द्वारा नियुक्त कमेटी ने जांच के बाद ५६,९०६.९ पैसा का गोल-माल पाया इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है विभागीय आरोप पत्र भी दिया जा चुका है और पुलिस द्वारा जांच भी जारी है।
७—कृषि तकावी एवं बीज भंडारों के पुराने अभिशेषों की बसूली।	कृषि तकावी की वसूली विभागीय अमीनों द्वारा की जा रही है और उसम लगभग ४२ प्रतिशत की वसूली हो चुकी है मौसम की अनियमितता के कारण वसूली की गत बन्द हो गई और अब शासन के आदेश से यह कार्य स्थगित है बीज भंडारों की पुरानी बकाया का माल विभाग के माध्यम से वसूल करने का प्रयास किया जा रहा है।
८—४१०१७.०० रु० मूल्य के बीजों का बितरण न होना।	इस बीज को सुरक्षित रख कर अधिकांश मात्रा आगामी वर्ष में वितरित कर दी गई जो बीज बोने योग्य नहीं था वह बाजार में नीलाम कर दिया गया।

अनियमितताएं जो वर्ष १९६९–७० में पाई गई	अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही जो महालेखाकार को भेजी गई
१—विभागीय उपेक्षा के कारण राजकीय प्रक्षेत्र सम्पूर्ण नगर पर लगभग २०,००० रु० की कथित हानि ।	सम्पूर्ण नगर राजकीय कृषि प्रक्षेत्र तराई में स्थित है असामयिक वर्षा के कारण कारण बीज भीग जाने के कारण बोने के योग्य नहीं रहा अतः उसे खाने के लिये उचित भाव पर बेंचा गया। यह क्षति किसी की उपेक्षा के कारण नहीं हुई बल्कि दैविक प्रकोप के कारण हुई जिसको टाला नहीं जा सकता था ।
(ब) खड़ी फसल में उपज के अनुमान व वास्तविक उपज में अन्तर । तथा वास्तविक उपज का कल्टीवेशन बुक में जिला कृषि अधिकारी द्वारा मिलान ।	खड़ी फसल में उपज के अनुमान लेने के पश्चात् जब लांक काट कर वास्तविक उपज निकाली गई तो दोनों में साधारण अन्तर था वह उपज मुख्यतः असामयिक वर्षा तथा मौसम की अनियमताओं के कारण हुआ अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी ने कल्टीवेशन बुक में उल्लेखित पैदावार का वास्तविक उपज से मिलान स्वयं कर लिया है ।
(स) फार्म के भवनों में कर्मचारियों से किराया का न लिया जाना तथा बैलों के रख-रखाव पर अधिक व्यय ।	फार्म अधीक्षक एवं स्थाई श्रमिकों को फार्म पर निवास की निशुल्क सुविधा दी जारी रही है।
	बैलों की खिलाई पर चारा तथा दाना निर्धारित मात्रा में सलाम अधिकारी को स्वीकृति उपरान्त दिया गया ।
(द) फार्म के बैल तथा बैलगाड़ियों का प्रयोग ।	फार्म के बैल गाड़ी द्वारा दूरस्थ स्थित गोदाम की ढुलाई के लिये सम्भव नहीं है इनको फार्म के काम के लिये ही प्रयोग करते हैं ।
२—खेती के व्यय पर प्रति एकड़ निर्धारित २२५ रु० की राशि से अधिक व्यय ।	निर्धारित व्यय २२५.०० रु० से ४५० रु० प्रति एकड़ मैक्सीकन गेहूं तथा अधिक उपज देनेवाली फसलों के लिये बड़ा दिया गया है। जो हर विभागीय फार्म पर उगाई जा रही है।
३—१७ एकड़ भूमि का सम्पूर्ण नगर फार्म पर जोत में न लाया जाना।	इस भूमि को जोत में लाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।
४—ट्रैक्टर के मीटर की खराबी और उसके चलने का खर्चा।	जीटर ट्रैक्टर का मीटर उपलब्ध नहीं हो सका इसलिए जोताई का समय घड़ी से नोट किया गया ट्रैक्टर पर जो धन व्यय हुआ है वह कार्य को देखते हुये उचित है।

अनियमितताएं जो वर्ष १९६९-७० में पाई गई।	अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही जो जी महालेखाकार को भेजी गई
५--फार्म के राजकीय गोदामों पर १,०२०८.५२ रु० की बकाया।	३१-३-७१ तक ७५,१२५.६५ रु० की वसूली हो चुकी है बाकी इस वर्ष में की जायगी।
६--ढुलाई तथा पहलेदारी पर लगभग २०,०००.०० रु० का अधिक भुगतान।	आडिट ने ७०-७१ के रेटों के आधार पर ६८-६९, और १९६९-७० में २०,०००रु० का अधिक व्यय दिखाया है। बार-बार टेंडर मांगने पर भी रेट के न आने के कारण कोटेशन बेसिस पर दिसम्बर, ६९तक कार्य कराया गया इसलिए यह व्यय उचित है।
७--फर्टीलाइजर की नकद बिक्री	कृषकों को मांग के अनुसार उनको खाद दिया गया।
८--मूंगफली तथा तिलहन की खेती पर ७,५०० रु० का अनुदान।	इस अनुदान सम्बन्धी कागजात दुरुस्त हैं और कभी भी देखे जा सकते हैं।
९--विभाग द्वारा भवनों का देरी से निर्माण।	भवनों का निर्माण समय से हो गया था तथा ठेकेदार से त्रुटियों का जुर्माना वसूल किया गया।
१०--किराये पर लिये गए भवनों का लेखा जोखा एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति।	लेखा जोखा पूरा कर लिया गया है और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।
११--खाद के कटे-फटे बोरों का बदला जाना और उन पर व्यय।	जो उर्वरक विदेशों से आते हैं उनमें अधिकांश बोरे हुकों के प्रयोग के कारण फट जाते हैं कुछ बार उर्वरकों की रासयनिक प्रक्रिया के कारण गल जाते हैं अतएव ऐसी खादों को कृषकों को देने के लिये बोरी बदलवाई अनिवार्य है।
१२--लिमिटेशन ऐक्ट के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमों की स्थित।	२९२ कुल मुकदमें दायर किये गये थे जिसमें से १८ मुकदमें खारिज हो गये हैं इन १८ पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है।
१३--बचे हुये बीजों का निकासी	जो बीज वितरण से बचा हुआ है उसका अधिकांश भाग बिक्री कर दिया गया है।
१४--उर्वरक के बोरों का समकरण।	कृषकों में उर्वरकों के वितरण लिये यह आवश्यक है कि बोरे निर्धारित वजन के हों इस प्रकार जो कमी होती है उसकी पूर्ति के लिये रेलवे माल भेजने वाले तथा दोषी कर्मचारी से पूछ-तांछ की जा रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या —९ के उत्तर में सम्बन्धित सूचना

लखीमपुर खीरी जनपद में कृषि कार्यालय का विभागीय रेखा निरीक्षण माह अगस्त १९७० में हुआ जिसमें निम्नांकित गम्भीर अनियमितताएं पाई गईं:—

अनियमितताएं	अनिमितताओं पर की गई कार्यवाही
(१) रु० २७,००० की लागत से बने राजकीय भवनों के निर्माण कार्य में किया गया अनियमित व्यय।	इसमें बीज के निर्माण हेतु धनराशि प्रदत्त की गई थी। यह सत्य है कि उक्त कार्य समय से पूरा नहीं किया जा सका। लेकिन अब समस्त कार्य पूरा हो चुका है। निर्माण में जो त्रुटियां पाई गई उसका पैसा ठेकेदार के बिल से कम कर दिया गया है।
(२) लेखन सामग्री के स्थानीय क्रय में अधिकार का दुरुपयोग।	जिला कृषि अधिकारी ने वर्ष १९६९-७० में रु० २९७८.१२ की लेखन सामग्री बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के क्रय की। फील्ड प्लानिंग आफिस में होने के कारण सम्पूर्ण कार्यालय तथा फील्ड स्टाफ की मांगें पूरी न होने के कारण तथा लिमिटेशन के कार्य में अधिक लेखन सामग्री व्यय होने के कारण स्थानीय क्रय की गई। जिला कृषि अधिकारी सक्षम अधिकारी को शीघ्र अनुमति प्राप्त करने के लिये कहा गया है।
(३) रबी बीजों की रु० ८५०३.८२ की सर्वे रिपोर्ट। (अ) पर अधिकार से परे अप-लेखन आदेश पारित करना?	रु० ८५०३.८२ की धनराशि की रबी बीज की सर्वे रिपोर्ट पर अधिकार से परे आदेश कर दिये थे। जिन पर आपत्ति उठाने पर फिर से सक्षम अधिकारी के आदेश लेने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं। सम्बन्धित इंचार्जों से अधिक कमियों के कारणों के विषय में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। उत्तर प्राप्त होने पर उचित संस्तुति के साथ सक्षम अधिकारी के आदेश हेतु भेजा जायगा।
(ब) उर्वरक के रु० ५८१६०.५७ की अनिस्तारित सर्वे रिपोर्ट।	जिला कृषि अधिकारी से यह सर्वे रिपोर्ट उप निदेशक कृषि के कार्यलय में प्राप्त हो गई है। उनकी जांच करने पर कुछ कमियां पाई गई उनके पूर्ण कराने हेतु जिला कृषि अधिकारी से कहा जा रहा है। पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी के आदेश हेतु भेज दी जायगी।

अनियमितताएं	अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही
(४) स्थानीय गेहूं के ४७,३८५ रु० के मूल्य क्रय में नियमों की अवहेलना।	यह गेहूं मान फार्म पलिया, भगत फार्म पलिया तथा सुगरकेन फार्म पिपरा से १५,१८७.५० रु०, २२,७८१.२५ रु० और ९,४४१.२५ रु० क्रमशः गेहूं १२१ रुपया प्रति क्विंटल की दर से क्रय किया गया था। सम्पूर्ण स्टाक का उचित मूल्य पर वितरण हो चुका है। और सरकार को इस लेन देन में कोई हानि नहीं हुई। जिला कृषि अधिकारी से नियमों के पालन न करने हेतु स्पष्टीकरण मांगा गया है।
(५) माल की ढुलाई में वर्ष १९६८-६९ और १९६९-७० में टेंडर न मांग करके स्थानीय भाव लेकर कार्य कराने में हानि?	लेखा निरीक्षण में वर्ष १९६९-७० में २,३४१.०३ रु० का अधिक व्यय दिखाया गया है। इसी तरह वर्ष १९६८-६९ में भी अधिक व्यय की जिम्मेदारी तय करने को कहा है। अनियमित ढंग से कार्य करने के लिये जिला कृषि अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
(६) खाता समायोजन द्वारा व्यय	वर्ष १९६९-७० में ७७,७६७.८७ रु० का व्यय समायोजन द्वारा किया गया लेकिन महालेखाकार द्वारा अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया जिला कृषि अधिकारी से महालेखाकार के कार्यालय से निश्चित कराने को कहा गया है। २०,००० रु० के धन से सम्वूर्ण नगर फार्म पर ३२०० फिट नाली बनाने में व्यय की देय धन की रसीद महालेखाकार को न न भेजने आदि के कारणों के बारे में सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारी से पूंछ-तांछ चल रही है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८८ पर)

सूची १

१—सम्पर्क किये गये व्यक्तियों में से ७६ प्रतिशत अशिक्षित थे।

२—लगभग ८३ प्रतिशत व्यक्ति आप्रेशन के बाद अनुसरण कार्य से पूर्णतया सन्तुष्ट थे।

३—लगभग ७७ प्रतिशत पुरुष सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा अनुप्रेरित किये गये थे। १० प्रतिशत ग्राम नेताओं द्वारा तथा १० प्रतिशत स्वयं प्रेरित होकर आप्रेशन कराने हेतु आये थे। बाकी २.९ प्रतिशत अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुप्रेरित किये गये थे।

४—नसबन्दी हुए व्यक्तियों में से ६७.५ प्रतिशत के तीन तथा तीन से अधिक बच्चे थे। ७.६ प्रतिशत के कोई बच्चा नहीं था। अन्यों के एक या दो बच्चे थे।

५—लगभग ३६ प्रतिशत पुरुषों की स्त्रियों की आयु ४५ वर्ष थी उससे अधिक थी ६ प्रतिशत अविवाहित थे और तथा २१ प्रतिशत विधुर एवं परित्यक्त थे। इस प्रकार इस संस्थान के अनुसार ६२.५ प्रतिशत नसबन्दी हुए पुरुष उस श्रेणी मे आते हैं जिनकी नसबन्दी होने से परिवार कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

६—नसबन्दी किये हुए विवाहित पुरुषों में (जिनकी स्त्री जीवित थी) ६७ प्रतिशत ऐसे थे जिनकी स्त्रियों की आयु ५० वर्ष से कम थी।

७—इस संस्थान ने प्रतिवेदन में कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी दिये हैं। यह सुझाव मुख्यतया कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा अधिकाधिक देख-रेख, निदेशन, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण प्रोत्साहन एवं कार्यप्रणाली में सुधार के सम्बन्ध में हैं। राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो अथवा शासन द्वारा अन्य कोई परिवार नियोजन सम्बन्धित सर्वेक्षण वर्ष १९७०-७१ तक विकास अन्वेषणालय द्वारा नहीं कराया गया है।

सूची नं० २

१—१७८ पुरुषों में ७७ प्रतिशत परिगणित एवं पिछड़े वर्ग के पुरुष थे, १८ प्रतिशत अन्य हिन्दू व ५ प्रतिशत मुसलमान व्यक्ति थे।

२—सम्पर्क किए गए व्यक्तियों में से ७६.४ प्रतिशत अशिक्षित थे।

३—लगभग ८० प्रतिशत पुरुष सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुप्रेरित किए गए थे, १.७ प्रतिशत ग्राम नेताओं द्वारा ४.६ प्रतिशत स्वयं प्रेरित होकर आपरेशन कराने आये थे, और ६.१ प्रतिशत अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुप्रेरित किये गये थे।

४—नसबन्दी हुए व्यक्तियों में से ६५.२ प्रतिशत के तीन या तीन से अधिक बच्चे थे। १७.४ प्रतिशत के कोई बच्चा नहीं था। अन्यों के एक या दो बच्चे थे।

५—लगभग २७ प्रतिशत पुरुषों की स्त्रियों की आयु ४५ वर्ष या उससे अधिक थी। लगभग ७ प्रतिशत पुरुष अविवाहित थे और २८.७ प्रतिशत विधुर एवं परित्यक्त थे। इस प्रकार इस सर्वेक्षण के अनुसार ६३.५ प्रतिशत नसबन्दी हुए पुरुष इस श्रेणी में आते हैं जिसमें नसबन्दी होने से परिवार नियोजन के कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

६—नसबन्दी किये हुए विवाहित पुरुषों में जिनकी स्त्री जीवित थी, में ६४ प्रतिशत ऐसे थे जिनकी स्त्रियों की आय् ५० वर्ष से कम थी।

नत्थी 'छ'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० ३६ पीछे ७८३ पृष्ठ पर)

क्षेत्र का नाम	सड़क का नाम व प्राविधिक स्वीकृति लम्बाई (मील में)	भौतिक प्रगति प्रारम्भ से ३०-६-७१ तक मदवार	निर्माण-कार्य पूर्ण करने की तिथि
१	२	३	४
लक्ष्मीपुर ..	पैसिया लक्ष्मीपुर १-४-०	१—मिट्टी का कार्य १ मील ४ फर्लांग २—सोलिंग कोट कटाई १ मील ४ फर्लांग। ३—सोलिंग कोट गिट्टी एकत्रीकरण १ मील ४ फर्लांग। ४—इन्टरकोट कुटाई १ मील ४ फर्लांग। ५—इन्टर कोट गिट्टी एकत्रीकरण १ मील ४ फर्लांग। ६—टाप कोट एकत्रीकरण १ मील ३ फर्लांग।	३१ मार्च, १९७२

पी एस० यू० पी —ए० पी०—१२९ एल० ए०—१९७२—८४५।